लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[आठवां सत्र
Eighth Session]

[खंड 30 में अंक 11 से 20 तक है
Vol. XXX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची CONTENTS

अंक 18, शुक्रवार, 17 अगस्त, 1973/26 श्रावण 1895 (शक)

No. 18, Friday, August 17, 1973/Sravana 26, 1895 (Saka)

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
	ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
341	विश्व व्यापार में भारत का नगण्य भाग	Reasons for India's Negligible Share in World Trade	1
342	स्टेट बैंक आफ इंडिया की श्रीनगर स्थित शाखा में धोखाधड़ी	Fraud in Srinagar Branch of the State Bank of India	5
345	प्राकृतिक रबड़ से वसूल की गई विकास उप-कर की राशि	Amount of Development Cess collected from Natural Rubber	8
346	मध्य प्रदेश द्वारा विकास कार्यों के लिये विशेष गैर-योजना सहायता की मांग	Demand for special Non-Plan Assistance by Madhya Pradesh for Development Works	10
347	आयात लाइसेंस देने हेतु बकाया पड़े आवेदन-पत्र	Pending Applications for Grant of Import Licences	12
349	देश में एयर-टैक्सी सेवा-चलाने का प्रस्ताव	Proposal to Start Air Taxi Service in the country	15
350	पटसन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चत करने की कसौटी	Criteria for Fixing Minimum Support price for Jute	16
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
343	जापानी एयरलाइनर डी०सी०-8 के विमान कर्मचारियों द्वारा सफदरजंग हवाई अड्डे को पालम हवाई अड्डा की समझने गलती	Safdarjang Airport Mistaken for Palam Airport by the Crew of Japanese Airliner DC-8	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
344	लंबे समुद्र तट वाले राज्यों में तट कुटीरों को बनाने का विचार	Shore Cottages contemplated to be built in States which have long Sea Shore .	18
348	पालम हवाई अड्डे के निकटवर्ती गांवों को वहां से न हटाये जाने के कारण पालम हवाई अड्डे का विस्तार कार्य बंद होना	Expansion Work of Palam Aerodrome held up due to nearby Villages not being shifted from there . . .	18
351	सेविंग्स बैंक एकाउंट और फिक्स्ड डिपाजिट के बारे में भारत स्थित विदेशी बैंकों का नया निर्णय	New Decision of Foreign Banks in India regarding Savings Bank Account and Fixed Deposits . .	18
352	वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा ऊनी चिथड़ों का आयात	Import of Woollen Rags by Actual Users	19
353	बचत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर मितव्ययिता अभियान शुरू करना	Saving Sought to be created by Economy Drive launched by Government at Central and State Levels .	19
354	मूल्यों में अवांछित गिरावट से कच्चे पटसन की खेती की सुरक्षा के लिये जूट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा की गयी कार्यवाही	Steps taken by Jute Corporation of India to protect Raw Jute Cultivation against undue depression of Prices .	21
355	पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयर-लाइन्स के विमानों का पक्षियों द्वारा क्षतिग्रस्त होना	Damage caused by Birds to Indian Airlines Planes at Palam Aerodrome	21
356	मिल सैक्टर के मुकाबले में हथकरघों के संबंध में विकेन्द्रीकृत सैक्टर को प्रोत्साहित करने हेतु कपड़ा नीति पर पुनर्विचार	Review of Textile Policy to encourage Decentralised Sector in the handlooms as against Mill Sector . .	23
357	बम्बई में फ्लैटों की बिक्री के संबंध में आय-कर अधिकारियों द्वारा तथाकथित अवैध सौदों का पता लगना	Allegedly Illegal Transactions in Sale of Flats in Bombay Detected by Income Tax Authorities . . .	23
358	दिल्ली में आय-कर अधिकारियों द्वारा करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें	Complaints against Tax Evaders received by Income Tax Authorities in Delhi	24
359	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंकों के कार्यकरण में संकट उत्पन्न करने के कथित प्रायास और इसके लिये तमिलनाडु बैंक एम्प्लाईज फैडरेशन को दोषी ठहराना	Alleged attempt by Reserve Bank of India to create Chaos in Banking Transactions and Pass Blame to Tamil Nadu Bank Employees Federation	24

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
360	धागों की सप्लाई की अनिश्चित स्थिति के कारण हथकरघे से बने फर्निशिंग कपड़े के निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात करार करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करना	Exporters of handloom furnishing Fabrics reluctant to enter into Export Commitments due to uncertain position of Yarn Supply . . .	24
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
3372	भारत और बंगलादेश के बीच हुए नये करार के प्रारूप की एक प्रति सभा-पटल पर रखना	Laying on the Table a copy of the Draft of Fresh Agreement between India and Bangladesh . . .	25
3373	मध्य प्रदेश में वर्ष 1972-73 के दौरान पकड़ी गई तस्करी की वस्तुएं	Smuggled Goods seized in Madhya Pradesh during 1972-73 . . .	26
3374	मध्य प्रदेश से चन्दन और रोजवुड का निर्यात	Export of Sandal and Rose Wood from M.P.	26
3375	मध्य प्रदेश में बुरहानपुर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव	Proposal to Develop Burhanpur in Madhya Pradesh as a Tourist Centre	26
3376	मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर आय-कर की वकाया राशि	Arrears of Income Tax against Modi Industries Limited, Modinagar .	26
3377	जुट मिलों के उत्पादन में गिरावट	Fall in Production of Jute Mills . .	27
3378	कनाडा से ऋण के लिए करार	Agreement for Loans from Canada .	27
3379	सरकारी उपक्रमों द्वारा आपस में और सरकारी विभागों के साथ किये गये बिक्री सौदे	Sales transactions by Public Sector Undertakings among themselves and with Government Departments .	27
3380	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा विभिन्न उद्योगों को दिया गया ऋण	Amount of Loan Granted by Agricultural Refinance Corporation to Various Industries	28
3381	मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिये आकर्षक स्थानों के विकास का प्रस्ताव	Proposal for Development of Places of Tourist Interest in Madhya Pradesh	28
3382	प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों को बनाये रखना	Maintaining prices of Natural Rubber	29
3383	रबड़ बोर्ड कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Rubber Board Employees	30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3384	भारत तथा योरोपीय साझा बाजार के देशों के बीच पटसन के बारे में समझौता	Compromise on Jute between India and European Common Market countries	30
3385	युवक होस्टलों का निर्माण	Construction of Youth Hostels .	31
3386	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई विशेष सहायता	Special Assistance Sought by Madhya Pradesh for completion of works in Drought affected Areas . . .	31
3387	औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का मापदंड	Criteria for Imposing Ban on Import of Drugs	32
3388	उड़ीसा में उद्योगों को स्थापित करने के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण	Loans from Life Insurance Corporation for Setting up of Industries in Orissa	32
3389	उदार लाइसेंस नीति का अपनाया जाना	Adoption of Flexible Licensing Policy	33
3390	दक्षिण भारत में चमड़े के व्यापारियों द्वारा हड़ताल	Hartal by Leather Traders in South India	33
3391	उत्तर प्रदेश राज्य में मनोरंजन कर की बकाया राशि	Outstanding amount of Entertainment Tax in U.P.	34
3392	भारत में स्मारकों के विकास के संबंध में 'यूनेस्को' के श्री एस० आर० आलचिन का प्रतिवेदन	Report of Mr. S.R. Allchin of UNESCO regarding Development of Monuments in India	34
3393	रूस से अखबारी कागज का आयात	Import of Newsprint from USSR .	34
3394	कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किया गया पूंजी निवेश	Amount of Investment by Agricultural Refinance Corporation . . .	35
3396	समुद्री उत्पादों का निर्यात	Export of Marine Products . . .	35
3397	विदेशों को दिये गये ऋण की अदायगी	Repayment of Loans given to Foreign Countries	36
3398	उड़ीसा सरकार का उड़ीसा में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने हेतु वित्त पोषण का अनुरोध	Request from Orissa Government for Financing Construction of a Tourist Reception Centre in Orissa . .	37
3399	इंडियन एयर लाइंस के विमान चालकों के उड़ान के घंटों पर सीमा	Limit on the working hours of a Pilot in India Airlines	37

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3400	चमड़े के जूतों के निर्यात में वृद्धि	Increase in Export of Leather Footwear	38
3401	संश्लिष्ट रेशे बनाने वाली मिलें	Cotton Mills Manufacturing Synthetic Fibres	38
3402	दिल्ली हवाई अड्डे पर लगाये गये इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के कार्यकरण की जांच करने के लिए उसके निर्माताओं को विशेषज्ञ भेजने के लिए कहना	Manufactures of Instrument Landing system installed at Delhi Airport asked to Send an Expert to Study its working	39
3403	मंडी (हिमाचल प्रदेश) में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का दिया जाना	Payment of Project Allowance to Central Government Employees posted at Mandi (Himachal Pradesh)	39
3404	पालम हवाई अड्डे पर टैक्सी चालकों द्वारा भारतीय और विदेशी यात्रियों को परेशान किया जाना	Harassment to Indian and Foreign Passengers by Taxi Drivers at Palam Airport	40
3405	विभिन्न प्रकार के सूती धागों की उत्पादन लागत	Manufacturing cost of cotton yarn of various counts	40
3406	देश में सूती धागे का उत्पादन	Production of cotton yarn in the country	41
3407	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण संबंधी नीति	Price Freeze Policy on Essential Commodities	41
3408	नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक में सेविंग बैंक खाता	Savings Bank Accounts in National and Grindlays Bank	42
3409	वर्ष 1973-74 के दौरान विदेशों को निर्यात किये जाने वाले सामान का मूल्य	Value of Goods Likely to be Exported during 1973-74	42
3410	राष्ट्रीयकृत बैंकों में समयोपरि भत्ता पर होने वाले व्यय में कटौती करने के बारे में कर्मचारी संघों का सहयोग	Co-operation of Employees Union in Nationalised Banks re-curtailment in expenditure on Overtime Allowance	42
3411	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिए दिया गया धन	Flow of Finance of Nationalised Banks into Small Scales Industries	43
3412	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों से अलौह धातुओं का क्रय	Purchase of non-ferrous metals by MMTC from foreign countries	44
3413	त्रिपुरा में खोवाई, कमालपुर तथा कैलाशाहर को मिलाने वाली हवाई सेवाओं के बंद किये जाने का प्रस्ताव	Proposal to discontinue Air Services linking Khowai, Kamalpur and Kailashahar in Tripura	44

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3414	संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपने भवनों तथा आस्तियों को भारत सरकार को सौंपना	Handling over of US Aid Buildings and other assets to Government of India .	45
3415	भारत और बंगलादेश के बीच रुपये के व्यापार में संकट	Trouble in Rupee Trade between India and Bangladesh	45
3416	"मैलप्रोक्टिसिज माउंट इन एयर ट्रैवलिंग इन्डस्ट्री" शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार	News item entitled "Malpractices mount in Air Travelling Industry"	46
3417	गुप्त आय की सूचना देने वाले मुखबरों को पुरस्कार	Rewards to informers giving information about concealed Incomes . .	47
3418	आय-कर की चोरी करने पर हर्जाना	Penalty for Evasion of Income Tax .	47
3419	दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था	Security arrangements at Delhi Airport	48
3420	राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभों में कमी तथा उनके ग्राहकों को प्राप्त सेवा में कमी	Decline in profits and deterioration in service to customers of Nationalised Banks	49
3421	आयातित ऊनी चिथड़ों के अनुचित प्रयोग पर रोक के लिए कार्यवाही	Steps to prevent improper use of Imported woollen rags . . .	49
3422	इंडियन एयरलाइंस द्वारा दिल्ली-लखनऊ-पटना-गोहाटी विमान सेवा आरंभ करना	Introduction of Delhi-Lucknow-Patna Gauhati Service of Indian Airlines	50
3423	"आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाइज" फैडरेशन को मान्यता देना	Recognition to All India Bank of Baroda Employees Federation . .	50
3424	चालू वर्ष में आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा	Foreign exchange required to meet current year's imports . . .	50
3425	अशोक होटल तथा अकबर होटल के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कार्यवाही	Steps to improve working of Ashoka and Akbar Hotels	51
3426	वैज्ञानिक, तकनीकी पत्रिकाओं और पुस्तकों के आयात को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के बाद बुक हाउसों के कर्मचारियों की छंटनी की संभावना के बारे में बम्बई श्रमिक संघ द्वारा ज्ञापन	Memorandum by Bombay Labour Union regarding likely retrenchment of employees of Book Houses after take over of Import of Scientific, Technical Journals and books . .	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3427	किन्ही स्पष्ट कारणों से उचित बाजार मूल्य से बहुत कम मूल्य पर सम्पत्ति के हस्तांतरण के मामले	Cases of transfer of property for apparent consideration much below the fair market value . .	52
3428	नागर विमानन विभाग के कार्य की समीक्षा करने के लिए जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना	Finalisation of report by JRD Tata Committee appointed to review the functioning of Civil Aviation Department	53
3429	आयकर अपवंचकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against Income Tax Evaders	53
3430	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऋण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि	Increase in credit facilities to weaker sectors of Economy . . .	54
3431	आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विमान सेवाओं में सुधार के लिए कार्यवाही	Steps to Improve Air Service in Internal and International Arena .	54
3432	रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन	Proposed Amendment in Reserve Bank of India Act	55
3434	राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लीयरिंग विभागों के त्रुटिपूर्ण कार्य के बारे में कथित समाचार	Allegedly Faulty working of Clearing Departments of Nationalised Banks .	55
3435	पी० एल० 480 निधि को निपटाने संबंधी निर्णय	Decision on Disposal of PL 480 Fund	56
3436	पांचवीं योजना के लिए निर्यात नीति निर्धारित करने हेतु स्थापित समिति के सदस्यों के नाम	Commission of the Committee set up to work out Export Strategy for Fifth Plan	56
3437	सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए बिहार द्वारा केन्द्रीय सहायता की मांग	Demand for Central Assistance by Bihar for Drought affected areas .	57
3438	स्टेट बैंक आफ इंडिया के हैदराबाद स्थित स्थानीय मुख्यालय में घटना	Incident at Hyderabad Local Head Office of State Bank of India . .	57
3439	महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं का खोला जाना	Opening of new branches of Nationalised Banks in Rural Areas of Maharashtra	58
3440	महाराष्ट्र में विमान सेवायें चलाने के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमति	Permission to private companies for running Air Services in Maharashtra	58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3441	कमाये हुए चमड़े आदि के निर्यात करने पर विमान भाड़े को पूरा करने के लिए नकद धन में सहायता	Grant of Cash Assistance to Compensate for Air Freight against Export of Finished Leather etc. . . .	59
3442	महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को मध्यमावधिक और लघु आवधिक ऋण	Medium and Short Term Loans advanced to Agriculturists by Nationalised Banks in Maharashtra	59
3443	महाराष्ट्र में नए पर्यटक केन्द्र बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Develop New Tourist Centres in Maharashtra . . .	60
3444	काफी का निर्यात	Export of Coffee .	60
3445	क्यूबा के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with Cuba . . .	61
3446	राज्य व्यापार निगम द्वारा राज्य सरकार को आयातित कारों का आवंटन	Allotment of Imported Cars to State Governments by STC . . .	62
3447	पर्यटन के लिए आयातित कारों का आवंटन	Allotment of Imported Cars for purpose of Tourism	62
3448	जापान द्वारा विदेशी सहायता देने की पेशकश	Foreign Aid Offered by Japan	63
3449	जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में अस्तित्वहीन व्यक्तियों के लिए पालिसियां बुक किया जाना	Booking of Policies by LIC for Non Existent Persons in U.P. . . .	63
3450	नवम्बर, 1972 में कपड़े के नए मूल्य निश्चित करने के परिणामस्वरूप कपड़ा मिलों को हुई हानि और लाभ	Loss suffered and Profit Earned by Textile Mills as a Result of Fixation of New Prices for Cloth during November, 1972	64
3451	राष्ट्रीयकरण के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की बकाया राशि	Outstanding amount of Loans advanced by Nationalised Banks at the time of their Nationalisation .	64
3452	अभ्रक उद्योग में संकट	Crisis in Mica Industry . . .	65
3453	एयर इंडिया और बी०ओ०ए०सी० के बीच करार	Agreement between Air India and BOAC	65
3454	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा संस्थानों या व्यक्तियों को दिए गए ऋण	Loan advanced to Institutions or Individuals by Nationalised Banks .	65
3455	पर्याप्त अतिरिक्त मूल्य लिए बिना अर्द्ध तैयार वस्तुओं का निर्यात	Export of Semi-finished Materials without sufficient added Value . .	66
3456	कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय करों का अपवंचन	Evasion of Central Taxes by Companies	66

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3457	प्रत्येक ट्रेवल एजेंसी की ओर इंडियन एयर लाइंस और एयर इंडिया को देय कुल राशि	Total Amount due to Indian Airlines and Air India from Each Travel Agency	67
3458	इंडियन एयरलाइंस द्वारा जैट विमान उड़ाने के लिए प्रशिक्षित किए गए विमान चालक	Pilots trained for Flying Jets by Indian Airlines	67
3459	वर्ष 1972–73 के दौरान मैसूर को सूखा राहत कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता में कटौती	Cut in Central Assistance to Mysore in 1972-73 for Drought Relief Works .	68
3460	अनेक राज्यों में बिजली की कटौती के कारण सूती धागे के निर्यात में कमी	Decline in Export of Cotton Yarn due to Power cut in Several States . .	68
3461	मैसूर राज्य के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई उत्पादन राहत केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Handloom Weaving Production Relief Centres in Drought Affected Areas of Mysore State .	69
3462	तम्बाकू और तम्बाकू के पत्तों का निर्यात	Export of Tabacco and Tobacco Leaves	69
3463	हिसार फ्लाइंग क्लब के 14-7-73 को हुए विमानों के विनाश की जांच	Enquiry into the Disaster of Planes of Hissar Flying Club on 14-7-73 . .	69
3464	लीपजिग मेले में भारत द्वारा खर्च की जाने वाली संभावित धनराशि	Amount Likely to be spent by India in Leipzing Fair.	70
3465	हैवी इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्री द्वारा बुल्गारिया को जनरेटरों की सप्लाई	Supply of Generators by Heavy Electrical Industry to Bulgaria . .	70
3466	मंगलौर हवाई अड्डे का स्थान बदलने का प्रस्ताव	Proposal to Shift Mangalore Airport .	71
3467	विमान नियम (एयरक्राफ्ट रूल्ज) के अंतर्गत निर्धारित पाइलेटों द्वारा कराई जाने वाली जांच	Checks to be undergone by Pilots Prescribed Under Aircraft Rules . .	71
3468	आयातित "कैप्रोलैक्टम" की सप्लाई और धागे के उत्पादन में कमी	Fall in Supplies of Imported Caprolactam and Yarn Production . .	72
3469	तलाकशुदा व्यक्ति होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले लोगों द्वारा आयकर देयता का अपवंचन	Evasion of Income Tax Liability by Individuals by Filling Affidavits of being Divorcees	72
3470	1972-73 की तुलना में 1973-74 में किया जाने वाला निर्यात	Exports during 1973-74 as compared to 1972-73	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3471	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण वसूल किया जाना	Realisation of Loans given by Nationalised Banks	73
3472	इंडियन टोबैको कम्पनी द्वारा निर्मित होटल	Hotels constructed by Indian Tobacco Company	74
3473	विदेशी कम्पनियों के नाम आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Foreign Companies	74
3474	राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात हकदारियों के बदले में कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस को जारी किये गये आयात लाइसेंस	Import Licences Issued to Karnatak Export House Against Imported Entitlements through STC. . .	74
3475	देश में भारतीय रूई निगम द्वारा खरीद केन्द्रों की स्थापना	Establishment of Purchase Centres by CCI in the country . . .	75
3476	भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार समझौता	Trade Agreement between India and Czechoslovakia	75
3477	अन्य देशों से शराब का आयात	Import of Wine from other Countries	76
3478	बिहार राज्य में बैंकिंग की धीमी प्रगति	Slow Banking Progress in the State of Bihar	76
3479	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में बैंकों में जमा राशि से किये गये निवेश की प्रतिशतता	Percentage of Deposits Invested in Bihar by Nationalised Banks .	77
3480	बिहार स्थित बैंकों में प्रति व्यक्ति जमा राशि	Per Capita Bank Deposits in Bihar .	78
3481	गत तीन वर्षों में आयात/निर्यात की मात्रा	Volume of Imports/Exports during Last three Years	78
3483	20 जुलाई, 1973 को कलकत्ता हवाई अड्डे पर झटके से उतरने के कारण इंडियन एयरलाइंस के फोक्कर फ्रेंडशिप विमान को हुई क्षति	Damage to Fokker Friendship Aircraft of Indian Airlines following Heavy Landing at Calcutta Airport on 20th July, 1973	80
3484	हरियाणा में पर्यटक बंगलों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to Increase the Number of Tourist Bungalows in Haryana .	80
3485	समुद्र-तटों, स्वास्थ्य वर्द्धक पर्वतीय स्थलों, वन्य पशु शरणास्थलों तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव	Proposal to Provide Tourist Facilities at Beaches, Hill Resorts, Wild Life Sanctuaries and Places of Historical Interest	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3486	मैसर्ज कोरेस इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादन शुल्क की चोरी	Evasion of Excise Duty by M/s Korea India Ltd.	81
3487	बिहार में 1971-72 और 1972-73 के दौरान पर्यटन के विकास के लिए आबंटित तथा खर्च की गई राशि	Funds Allocated and Spent for Development of Tourism in Bihar During 1971-72 and 1972-73 . . .	81
3488	भारत में काम कर रही विदेशी सिगरेट कम्पनियां	Foreign Cigarette Companies Operating in India	82
3489	विभिन्न राज्यों में एक ही किस्म की चाय पर लगाये गये उत्पादन शुल्क की दरों में असमानता	Disparity in Rates of Excise Duty Levied on the Same Quantity of Tea in various States	83
3490	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बिहार के किसानों को कृषि सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ऋण दिया जाना	Grant of Loan by RBI to make Available Agricultural Material to Farmers of Bihar.	83
3491	1972-73 में भारत में चोरी छिपे लाये गये सामान का मूल्य	Value of Goods smuggled into India in 1972-73	83
3492	निर्यात में वृद्धि करने के लिए लंदन स्थित व्यापार एजेंट के कार्यालय को मैसूर सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र 'मैसूर सेल्स इंटरनेशनल' को सौंपना	Handing over the Office of Trade Agent in London to State Owned 'Mysore Sales International, by Mysore Government to Boost Export . .	84
3493	भारत से अफीम का निर्यात	Export of Opium from India	84
3494	विकासशील देशों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटेन में सामान की डिग्री करने संबंधी योजना	Scheme to sell Goods in Britain for Furthering Efforts of Developing Countries	86
3496	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing	86
3497	नेशनल एंड ग्रिन्डलेज़ बैंक द्वारा किये गए कथित कदाचारों के बारे में जांच	Inquiry into Alleged Malpractices Committed by National Grindlays Bank	86
3498	बैंकिग आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना	Implementation of Recommendations of Banking Commission . . .	87
3500	निजी व्यक्तियों अथवा कम्पनियों को देश में यात्रियों को लेकर विमान उड़ाने की अनुमति देना	Private persons or companies allowed to fly aircraft in the country to carry passengers	87

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3501	भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षित विमान-नवतरण तथा विमान उड़ने की सुविधाओं के बारे में शिकायतें	Complaints regarding safety landing and taking off facilities at International airports in India	88
3502	खाद्यान्न व्यापार, धागे, तिलहन, मोटे कपड़े, वनस्पति तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान गैर-सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए संस्थागत ऋण	Institutional credit advanced by Private banks to foodgrain trade, yarn, oil seeds, coarse cloth, Vanaspati and other necessities of Life during 1972-73 and 1973-74	89
3503	चल रहे करेंसी नोटों का मूल्य	Amount of currency notes in circulation	90
3504	दुर्बल वर्गों के लोगों तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को निःशुल्क राशन अथवा सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करना	Providing free rations or essential commodities at cheap rates to weaker sections especially agricultural workers in rural areas	91
3505	लोगों को उचित मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई	Supply of essential commodities to people at Fair Prices . . .	91
3506	लीड बैंक योजना के अन्तर्गत विकास योजनायें बनाना	Formulation of Development Schemes under lead Bank Scheme . . .	92
3507	इंडियन एयर लाइंस के कमांडरों का विशिष्ट उड़ान परीक्षण संबंधी निर्णय	Decision on Special Flying Check of Indian Airlines Commanders .	92
3509	भारत में वन विकास योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid for Forest development plans in India . . .	93
3510	दिल्ली में पकड़ा गया तस्करी का माल	Smuggled goods seized in Delhi .	93
3511	नेताजी जांच आयोग की सहायता के लिये एयर इंडिया के रियायती टिकटों के बारे में राष्ट्रीय समिति के आयोजक का अनुरोध	Request from Convenor of National Committee to Assist Netaji Inquiry for concessional Air India Tickets .	94
3513	बंगला देश के साथ व्यापार करार का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किये गये विभागीय कार्यालय	Departmental offices set up by Government for dealing with Trade Pact with Bangladesh.	94

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3514	वर्ष 1971—73 के दौरान ताईवान के साथ हुये आयात/निर्यात व्यापार का मूल्य	Value of Import/Export with Taiwan during 1971—73	95
3515	17 काउंट तक के सूट के वितरण पर नियंत्रण में ढील	Relaxing control over Distribution of Yarn upto 17 counts . . .	96
3516	विभिन्न मिलों द्वारा उत्पादित संश्लिष्ट रेशे मिश्रित सूती धागे से बनाए गए कपड़े के मूल्यों पर नियंत्रण	Control over prices of cloth made of Synthetic mixed cotton yarn produced by various mills . . .	97
3517	मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे माल तथा अर्ध-तैयार माल का निर्यात	Export of Raw material and Half Furnished Goods by M/s Kores India Ltd.	97
3518	भारत और बंगला देश के बीच हुए व्यापार समझौते के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं	Commodities for which India and Bangladesh have entered into Trade Agreement	98
3519	हरियाणा में लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशि	Deposits under Small Savings in Haryana	100
3520	कृषि उत्पादों का वायदा बाजार व्यापार बंद करना	Closing of Forward Market Trade in Agricultural Commodities . .	100
3521	अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ द्वारा आंदोलन करने की योजना	Agitation contemplated by Akhil Bhartiya Swarankar Sangh . . .	101
3522	भारत को विकास सहायता के बारे में प्रधान मंत्री तथा अमरीकी राजदूत में विचार-विमर्श	Discussion between Prime Minister and US Ambassador regarding Development Assistance to India . . .	101
3523	रुपये का मूल्यह्रास रोकने के लिये कार्यवाही	Steps taken to Arrest Falling Value of Rupee	101
3524	नायलोन और रेशम उद्योग के कताई और बुनाई यूनिटों के बीच मूल्यों और कोटा के बारे में ऐच्छिक करार	Voluntary Pact regarding Prices and Quota between Spinning and Weaving Units of Nylon and Silk Industry	102
3525	भारतीय रूई निगम द्वारा रूई की खरीद	Cotton Purchased by Cotton Corporation of India	103
3526	राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करना	Work to Rule by Officers of State Trading Corporation. . . .	103

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3527	मैसर्स कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस के बारे में गुम हुई फाइल	Missing File in respect of M/s Karnatak Export House . . .	103
3528	पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय की अनुसंधान परियोजना के लिये फोर्ड फाउन्डेशन से अनुदान	Grant from Ford Foundation for Research Project in Pantnagar Agricultural University	104
3529	पांचवीं योजना के दौरान घाटे की अर्थव्यवस्था में वृद्धि	Increase in Deficit Financing during Fifth Plan	104
3530	बम्बई में सम्पन्न भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल की वार्षिक सामान्य बैठक	Annual General Meeting of Indo-German Chamber of Commerce held in Bombay	104
3531	सहकारी क्षेत्र में शक्ति चालित करघों के वित्त पोषण के संबंध में ब्याज पर दी जाने वाली राज सहायता देने के बारे में निर्णय	Decision in regard to allowing of Interest Subsidy in Financing of Power Looms in the cooperative Sector .	105
3532	कन्नानोर में बुनकर सेवा केन्द्र	Weavers Service Centre at Cannanor .	105
3533	विभिन्न हवाई अड्डों पर लगे पुराने ट्रांसमीटरों को बदलने की योजना	Plan to Replace obsolete Transmitters Installed at various Airports . .	105
3534	मिलों द्वारा बार्डर वाली धोतियों तथा रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबंध	Ban on production of Bordered Dhoties and coloured Sarees by Mills . .	106
3535	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance paid to Central Government Employees . . .	106
3536	राजस्थान में उद्योगपतियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax outstanding Against Industrialists in Rajasthan .	107
3537	भारत की विदेशी मुद्रा की जमा राशि	India's Foreign Exchange Reserves	107
3538	जुलाई, 1973 में वाशिंगटन में हुए 20 सदस्यों की समिति की बैठक में चर्चा किये गये विषय	Subjects discussed at the Meeting of Committee of 20 held in Washington in July, 1973	108
3539	पटसन के मूल्यों के निर्धारण के मामले में परस्पर विरोधी कार्यवाही न करने के बारे में भारत और बंगला देश का समझौता	Understanding between India and Bangladesh not to undercut each other in fixation of Jute Prices . . .	108

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3540	सूडान के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते का चाय-व्यापार पर पड़ा कुप्रभाव	Adverse effect of Bilateral Trade Pact with Sudan on Tea Trade. . .	109
3541	विकासशील देशों द्वारा ऋण सेवा भुगतान के बारे में 'अंकटाड' का अध्ययन	UNCTAD's Study on Debt Service payments by Developing countries .	109
3542	देश में खाद्य तेलों के समान और नियंत्रित मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव	Proposal to fix Uniform and Controlled prices for Edible oils in the Country .	110
3543	गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लि० द्वारा नई जमा राशियां स्वीकार करने पर रोक लगाने वाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा	Announcement by RBI prohibiting acceptance of Fresh Deposits by Gujarat Saving Unit Private Ltd. .	110
3544	भारत में फिल्मों की तस्करी	Smuggling of Films out of India . .	111
3545	जीवन बीमा निगम द्वारा प्रभागीय और सामान्य परिषदों का गठन करना	Constitution of Divisional and General Councils by LIC . . .	111
3546	जीवन बीमा निगम द्वारा लंदन स्थित अपने कार्यालय में कम्प्यूटर का लगाया जाना	Installation of a computer by LIC for its office at London . . .	112
3547	जिलों में पूर्ण दर्जा प्राप्त शाखा कार्यालयों को खोलने के बारे में जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाना	Implementation of ARC's recommendations by LIC re. opening of full fledged Branch Offices in Districts . .	112
3548	उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Orissa	113
3549	जीवन बीमा निगम के नवीकरण व्यय अनुपात की सीमा	Limit of renewal expense ratio of LIC .	113
3550	केरल में किसानों और उद्योगपतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि	Amount of Loan advanced by Public Sector Banks to Agriculturists and Industrialists in Kerala . . .	114

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3551	"एक्स्ट्रजन" प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा बनाई जाने वाली पी० बी० सी० फिल्मों आदि को उत्पादन शुल्क के भुगतान से छूट दिया जाना	Grant of Exemption from Payment of Excise Duty to PVC Films etc. Produced by Process other than "Extrusion"	114
3552	टूंडला (आगरा) में रेलवे के एक भूतपूर्व गार्ड के घर से नकदी और सोने के आभूषणों का पकड़ा जाना	Seizure of cash and gold ornaments from the house of an exguard of Railways in Tundla (Agra) . . .	115
3554	"कार्यकारों" के रूप में वर्गीकृत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस देना	Payment of Bonus to Central Government Employees classified as Workers	115
3555	वर्ष 1968 के मूल्य स्तर पर वस्तुएं बेचने के बारे में शिवसेना द्वारा अभियान	Agitation by Shiv Sena in regard to Selling of Commodities at prices prevailing in 1968	116
3556	जीवन-निर्वाह खर्च में वृद्धि के साथ मंहगाई भत्ते को जोड़ने की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग	Demand made by Central Government Employees in regard to linking of D.A. with rise in cost of Living .	116
3557	जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य प्रदेश में पांच लाख रुपये से अधिक की राशि के दिए गए ऋण	Loans amounting to more than Rupees Five Lakh advanced by LIC in Madhya Pradesh	117
3558	अक्तूबर 1973 से कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन में कटौती	Cut in cloth export incentives from October, 1973	117
3559	राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा नियुक्त किये गये हरिजनों की प्रतिशतता	Precentage of Harijans employed by Nationalised Banks, RBI and other Financial Institutions . . .	118
3560	आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई० और आई० एफ० सी० आदि द्वारा आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय किये जाने के लिये लिया गया समय	Time taken for finalising Applications by IDBI., ICICI and IFC etc. . .	118
3561	भारत की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि	India's Foreign Exchange Reserves .	119

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3562	बैंक आफ बड़ौदा स्थित 'क्लियरिंग हाउस' के कार्य स्थगन के बारे में बिहार वाणिज्य संघ (बिहार चैम्बर आफ कामर्स) द्वारा दिया गया अभ्यावेदन	Representation made by Bihar Chambers of Commerce regarding suspension of Work of Clearing House at Bank of Baroda	120
3563	नगद राशि के वितरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को विशेष वेतन की मंजूरी	Grant of special pay to persons Responsible for disbursement of Cash Money	120
3564	तमिलनाडु के मुन्डियम्पक्कम क्षेत्र में कृषकों की ऋण संबंधी आवश्यकतायें पूरी करना	Meeting of the Loan Requirements of Agriculturists in Mundiyampakkam Area in Tamil Nadu . . .	121
3565	मैसूर के समुद्र तट को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने हेतु कार्यवाही	Steps to Attract Tourists to Sea Shore of Mysore	122
3566	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	Training programme for staff and Officers of Public Sector Banks .	12
3567	निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर रोक का प्रस्ताव	Proposal to ban export of natural Rubber under Export Promotion Incentive Scheme	122
3568	जर्मनी जाने के लिए मारुति लिमिटेड के निदेशकों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Grant of Foreign Exchange to Directors of Maruti Limited for going to Germany	123
3569	बालयोगेश्वर के सामान से पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं के बारे में निर्णय	Decision on contraband goods seized from the Baggage of Balyogeshwar .	123
3570	सीमा-शुल्क विभाग द्वारा पकड़े गए ऊनी चिथड़े	Woollen Rages seized by Customs .	124
3571	साइकिलों की सप्लाई के लिए भारत और अमरीका के बीच समझौता	Agreement between India and USA for Supply of Bicycles	125
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to matter of Urgent Public Importance	125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
दिल्ली में विद्युत संकट	Power crisis in Delhi .	125
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	125
डा० के० एल० राव	Dr. K. L. Rao.	125
सभी-पटल पर रखे गये पत्र	PAPERS LAID ON THE TABLE	
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Shbha	132
सदस्य की दोष सिद्धि	Conviction of Member	132
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate . .	132
सभा का कार्य	Business of the House . .	132
दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Strike by Nurses of Delhi Hospitals	134
श्री आर० के० खडिलकर	Shri R. K. Khadilkar . .	134
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill .	137
प्रवर समिति में सदस्य की नियुक्ति	Appointment of Member to Select Committee	137
विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1973—पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (No. 3) Bill, 1973-Introduced and passed. . . .	138
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	138
आंध्र प्रदेश के संबंध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolution re: Continuance of Proclamation in respect of Andhra Pradesh - Adopted	139
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	139
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ram Avatar Shastri . .	140
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	141
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannath Rao Joshi . . .	142
श्री मल्लिकार्जुन	Shri Malikarjun	143
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan . . .	143
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy. .	145
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	145
श्री पी० नरसिंहा रेड्डी	Shri P. Narasimha Reddy . . .	146
श्री के० नारायणराव	Shri K. Narayana Rao . .	146
श्री वी० तुलसी राम	Shri V. Tulsiram	147
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant . . .	147

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	Re: Half an Hour Discussion . .	150
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	151
30वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Thirtieth Report—Adopted . .	151
समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution Re: Ownership of Newspaper and News Agencies—Nagatived	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	152
श्री अनन्तराव पाटिल	Shri Anantrao Patil	153
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	155
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	156
श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi . . .	156
श्री के० हनुमन्तैया	Shri K. Hanumanthaiya . . .	157
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	158
श्री सत पाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur	158
श्री मुरासोली मारन	Shri Murasoli Maran . . .	159
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	160
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	160
श्री आई० के० गुजराल	Shri I. K. Gujral	166
वर्तमान लोक सभा को संविधान सभा घोषित करने और एक नया संविधान बनाने के बारे में संकल्प	Declaration of present Lok Sabha as a Constituent Assembly and Framing of a new Constitution . . .	166
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	166

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 17 अगस्त 1973/26 श्रावण, 1895 (शक)
Friday, August 17, 1973/Sravana 26, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विश्व व्यापार में भारत का नगण्य भाग

*341. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल विश्व व्यापार में भारत का भाग नगण्य होने और 1972-73 में देश का निर्यात व्यापार रिकार्ड तोड़ होने के बावजूद निर्यात से कम आय होने के कौन से विशेष कारण हैं; और

(ख) उत्पादन आधार सुदृढ़ बनाने और निर्यात हेतु अतिरिक्त उत्पादन करने के लिये सरकार द्वारा कौन से उपाय किये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय) : (क) विश्व व्यापार का स्वरूप ऐसा है कि प्राथमिक उत्पादों की अपेक्षा विनिर्मित्त माल के संबंध में विकास दर कहीं अधिक ऊंची है। प्राथमिक उत्पादों की इकाई मूल्य वसूली भी सामान्यतः कम ही रही है; जब कि निर्मित वस्तुओं का मूल्य लगातार बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में, विश्व व्यापार में भारत जैसे देश, जो कि काफी हद तक प्राथमिक तथा परम्परागत निर्यातों पर निर्भर करता है, का भाग तब तक कम ही बना रहेगा जब तक कि बेहतर विविधीकरण नहीं प्राप्त कर लिया जाए। इसके अलावा, नौवहन भाड़ों, मुद्रा अस्थिरता, संश्लिष्टों से प्रतियोगिता, कतिपय आधारभूत कच्ची सामग्री की कमियों आदि से संबंधित समस्याएं भी इसके लिये उत्तरदायी रही हैं।

(ख) निर्यात उत्पादन बढ़ाने और निर्यात अधिशेषों का सृजन करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस नीति और आयात नियंत्रण नीति को उत्तरोत्तर निर्यात अभिमुख बना दिया गया है। नीति के अंतर्गत निर्यातक एककों को पूंजीगत माल, संघटकों, कच्चे माल आदि के आयात के मामले में अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। इसके अलावा, उन मदों का पता लगाया जाता है जिनकी निर्यात सम्भाव्यता है ताकि उनके उत्पादन आधार का विस्तार किया जा सके और निर्यात अभिमुख फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिये विशेष विकास कार्यक्रम आरम्भ किये जाते हैं।

श्री अर्जुन सेठी: माननीय मंत्री ने बताया है कि भारत अपने निर्यात के लिये प्राइमरी उत्पादों पर ही निर्भर करता है इसलिये विश्व मार्किट में हमारे देश का भाग कम है। उन्होंने यह भी कहा कि निर्यात में विबिधीकरण लाने के लिये सरकार ने उपाय किये हैं। सरकार ने यह विविधीकरण कार्यक्रम कब से आरम्भ किया है और प्राइमरी वस्तुओं से मांग को निर्मित वस्तुओं से बदलने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ताकि विश्व मार्किट में हमारे भाग में वृद्धि हो सके।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: विविधीकरण कार्यक्रम पर काफी समय से अमल किया जा रहा है, परन्तु हाल में हम इस मामले में गहराई तक गए हैं और स्पैकट्रम का विस्तार किया है। पटसन, कपड़ा तथा अन्य वस्तुओं के परम्परागत वस्तुओं के निर्यात के अतिरिक्त हमने अब समुद्री उत्पादों, हीरे-जवाहरात का निर्यात भी बड़े पैमाने पर आरम्भ कर दिया है। हम निर्यात में विविधीकरण लाने तथा परम्परागत निर्यात की ओर सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये यह सब कुछ कर रहे हैं।

निर्यात को बढ़ाने तथा उसके विविधीकरण के लिये की गई विशिष्ट कार्यवाही के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, परन्तु मैं माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों के लाभ के लिये यह बताना चाहता हूं। रजिस्टर्ड निर्यात के लिये आयात नीति के अन्तर्गत निर्यात से प्राप्त होने वाली आयात की पूर्ति का प्रयोग पुरानी मशीनों को बदलने के लिये नई मशीनों के आयात, संतुलन, अथवा आधुनिकीकरण अथवा अनुसंधान और लाइसेंस के मूल्य 50 प्रतिशत से अधिक नहीं, तक की राशि अथवा 3 लाख रुपये, जो भी कम हो, विकास के लिये मशीनें, आयात करने की व्यवस्था है परन्तु इसका प्रयोग एक वित्तीय वर्ष में दो बार से अधिक नहीं किया जा सकता। पूंजीगत वस्तुओं के लिये अनुपूरक लाइसेंस भी दिये जा रहे हैं। निर्यात-प्रधान एककों को भी, विशेषकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में निर्यात करने वाले एककों के विस्तार के लिये सुविधाएं तथा पूर्ति के प्राथमिकता प्राप्त साधनों को भी यह सुविधा प्राप्त है। गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्र में भी हम पिछले वर्षों की अपेक्षा कच्चे माल का अधिक कोटा दे रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी: माननीय मंत्री ने कहा है कि वह काफी समय से विविधीकरण कार्यक्रम पर अमल कर रहे हैं। विश्व मार्किट में हमारा भाग केवल 0.7 प्रतिशत है। इस विविधीकरण कार्यक्रम के बावजूद हमारा भाग कोई प्रभावजनक नहीं है। विश्व मार्किट में अपने भाग को बढ़ाने के लिये सरकार तुरन्त क्या विशिष्ट कार्यवाही करने जा रही है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय: जैसा मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में कहा है, विश्व मार्किट में हमारा भाग अन्य देशों जिनमें बहुत से बहुत अधिक प्रगतिशील हैं, के तुलनात्मक कार्यकरण पर निर्भर करता है, आंकड़ों से पता लगता है कि 1962—72 के दस वर्षों में विश्व मार्किट के निर्यात व्यापार में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विकसित देशों के निर्यात में 12.1 प्रतिशत की और विकासशील देशों के निर्यात में सामूहित रूप से, 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में तेल का उत्पादन करने वाले देशों को शामिल नहीं करता क्योंकि उनका भाग बहुत अधिक हो जाता है। हमारे देश के निर्यात व्यापार में गत दस वर्षों में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हम अपने कार्यकरण पर दूसरे ढंग से भी देख सकते हैं। यह स्थिति इतनी चिन्ताजनक नहीं है जितनी दिखाई देती है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्नों और उत्तर को लम्बे भाषणों का रूप नहीं दिया जाना चाहिये। इसमें बहुत समय लगता है। उनको संक्षेप से कहा जाना चाहिये। प्रश्नकर्ता को ऐसे विवरण दे दिया जाना चाहिये ताकि वह उस पर प्रश्न न पूछें।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैंने कहा है कि यह अन्य देशों के कार्यकरण पर निर्भर करता है।

श्री एच० एम० पटेल : क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादन लागत को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? देश में मुद्रास्फीती तथा मूल्यों में वृद्धि, जो कि विदेशों में मुद्रास्फीति की दर से अधिक है, के प्रभाव को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : यह एक व्यापक प्रश्न है। इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरी सलाह पर तुरन्त अमल किया है।

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न मूल प्रश्न के भाग (ख) से उत्पन्न होता है जो इस प्रकार है :

"पर्याप्त उत्पादन आधार बनाने तथा निर्यात के फालतू उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।"

उनको बताना चाहिये कि क्या कार्यवाही की गई है। यह मूल प्रश्न के भाग (ख) से उत्पन्न होता है और एक सम्बन्धित प्रश्न है। पर्याप्त उत्पादन आधार बनाने के कुछ कदम उठाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : निर्यात की प्रतिशतता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यदि आप ब्यौरे में जाएंगे तो यह अन्य मंत्रालयों से भी सम्बन्धित हो जाएगा।

श्री एच० एम० पटेल : मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन लागत बढ़ जाएगी।

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं केवल इतना और कह सकता हूं कि अनेक प्रकार के कच्चे माल का आयात तथा वितरण जिन पर हमारे निर्यात-प्रधान उद्योग निर्भर करते हैं, निर्धारित दरों पर राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। इसका कच्चे माल के मूल्यों पर उचित प्रभाव पड़ता है जो कि हमारे उद्योगों के लिये आवश्यक बात है।

Shri Jagannath Mishra: May I know whether the main reason for low income from exports is that we do not offer special opportunities for specific products and as a result and we are deprived of earning foreign exchange....

Mr. Speaker: It has taken the shape of a leading question. The supplementary should not provide information, should not be a suggestion and should not be argumentative. This is all provided in rules but this is being violated daily.

Shri Atal Bihari Vajpayee: The reply should also be definite and it should not be everside.

अध्यक्ष महोदय : जैसा श्री वाजपेयी जी ने कहा, उत्तर निश्चित होना चाहिये और टालमटोल करने वाला नहीं होना चाहिये। हालांकि नियमों में यह नहीं है, फिर भी मैं इसे स्वीकार करता हूं।

Shri Jagannath Mishra: Perhaps he will understand after I have completed my question: As I said we are not providing proper opportunities to specific things as **'Makhan'** is being produced in large quantities in Darbhanga and Madhuban district of Bihar. .....

Mr. Speaker: It is not relivant. It is a general question.

Shri Jagannath Mishra: The main question is about the income from the exports and the reasons for its decline. In this connection I want to know..... in an area....

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है । यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप सम्बन्धित प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री बंसत साठे : इस तथ्य को देखते हुए कि इस समय हमें निर्यात वस्तुओं की अपेक्षा कच्चे माल से अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, मैं जानना चाहता हूं कि फाइन तथा सुपर फाइन कपड़े को और अधिक निर्यात करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? 100 करोड़ रुपये की कपास के आयात के बदले हम इससे बने कितने फाइन तथा सुपर फाइन कपड़े का निर्यात कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या पहले माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न तथा इस प्रश्न के बीच कोई अन्तर है ? बेहतर है आप मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न पूछिये ।

श्री बंसत साठे : लघु उद्योगों से हस्तशिल्पि वस्तुओं तथा इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा कच्चे चमड़े के बजाय चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : विश्व व्यापार में हमारे भाग के बारे में यह एक सामान्य प्रश्न है। परन्तु माननीय सदस्य विशिष्ट वस्तुओं के बारे में पूछ रहे हैं। यदि पृथक् सूचना दी जाए, तो मैं जानकारी दे सकता हूं ।

श्री बंसत साठे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अनुपूरक प्रश्न के लिये कोई संरक्षण नहीं । यह प्रश्न सम्बन्धित नहीं है ।

श्री भान सिंह भौरा : क्या सरकार को विदेशों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निजी पार्टियों द्वारा निर्यात की गई कुछ हस्तशिल्पि वस्तुएं स्टैण्डर्ड की नहीं थीं ? क्या हमारे व्यापार के कम होने का यह एक कारण है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मैं ऐसा नहीं समझता । इसके विपरीत हमने निर्यात संवर्धन परिषद्, निरीक्षण परिषद् को मजबूत किया है। जहां तक पहले वर्षों का सम्बन्ध है, अब गुण के आधार पर अस्वीकृति काफी मात्रा में कम हो गई है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पूरा निश्चय है कि विश्व की प्रतिस्पर्द्धा मण्डी में पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन की कमी के कारण हमारा भाग कम नहीं हो रहा ? यदि नहीं, तो क्या इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : मुझे इस बात का पूरा निश्चय नहीं, लेकिन वित्तीय राहत के बारे में मैं प्रायः उनके पास जाता रहता हूं ।

श्री वी० एम० मेहता : क्या इन्हें इस बात की जानकारी है कि नीतियों को कार्यान्वित करने हेतु प्रशासकीय विलम्बों के कारण देश के निर्यात व्यापार को काफी हानि पहुंच रही है ? यदि हां, तो प्रशासकीय मशीनरी को सुव्यवस्थित करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : प्रशासकीय कदम एक बहुत बड़ा शब्द है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि बोर्ड आफ ट्रेड, बोर्ड आफ ट्रेड का सलाहकार बोर्ड और कुछ कामोडिटी डिविजन जैसी नीति निर्धारण समितियों की बैठकें बार-बार हो रही हैं। मंत्रालयों में भी बैठकें बार-बार होती हैं और समस्याओं पर गहराई से विचार किया जाता है। योजना आयोग ने भी इन बातों पर विचार करने हेतु आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग का गठन किया है। बोर्ड ने भी उप-मंत्री की अध्यक्षता में निर्यात संवर्धन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने हेतु संस्थात्मक उपाय करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : क्या परम्परागत वस्तुओं के निर्यात पर भी सरकार की गलत नीतियों जैसे कि चाय और पटसन के निर्यात पर असमान उत्पाद शुल्क लगाना आदि के कारण, रोक लगाई गई है ? क्या सरकार उन निर्यात की वस्तुओं सम्बन्धी नीतियों पर पुनः विचार करने के लिये तैयार है ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : चाय के बारे में मेरी समझ में यह नहीं आता कि इनका तात्पर्य किस प्रकार के असमान वित्तीय कदमों से है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : पूर्वी भारत में भी एक जोन है जिसने राजकोषीय लेवी के बारे में कहा है। साथ-साथ वे अदालत में भी पहुंच गए हैं। अतः यह मामला निर्णयाधीन है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अन्य राजकोषीय राहतों के बारे में ठीक समय पर हमने मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है और प्रतिक्रिया साधारणतः संतोषजनक रही।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की श्रीनगर स्थित शाखा में धोखाधड़ी

*342. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया की श्रीनगर स्थित शाखा में कई लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने के लिये नई दिल्ली से एक सतर्कता अधिकारी श्रीनगर भेजा गया था; और

(ग) क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के स्थानीय मुख्य कार्यालय ने जिसे अपनी सामान्य रूप से की जाने वाली देख-रेख के दौरान एक लघु उद्योग-पति, जो एक निर्यातक भी है, के श्रीनगर शाखा के खाते के संचालन से संतोष नहीं हुआ था। अक्तूबर, 1972 में अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को स्थान पर जाकर जांच करने के लिये भेजा। वरिष्ठ अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि इस पार्टी ने और बातों के साथ-साथ बैंक पर प्रभारित स्टाक के मूल्य की झूठी घोषणा करके तुल्य प्रतिभूति के अग्रिम मूल्य से 3.5 लाख रुपये की सीमा तक अधिक रकमों की निकासी की। बैंक न अपनी रकमों की वसूली के लिये कदम उठा लिये हैं। बैंक ने यह निश्चय करने के बाद कि श्रीनगर शाखा द्वारा दिए गए सभी अग्रिमों की छानबीन की जानी चाहिये, नई दिल्ली के स्थानीय मुख्य कार्यालय

के मण्डलीय लेखापरीक्षा कक्ष के कार्यभारी अधिकारी को लगभग 1700 ऋणों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिये प्रतिनियुक्त किया। लेखा अधिकारी ने 23 अप्रैल से 15 जून, 1973 तक के अधिकांश खातों की जांच कर ली है और बैंक उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहा है जो संकलित की जा रही है।

श्री डी० के० पंडा : यह घटना अक्तूबर, 1972 से पहले हुई है क्योंकि सत्यापन अक्तूबर, 1972 में किया गया। एक वर्ष बीतने के पश्चात् भी उद्योगपति, जिसने स्टेट बैंक आफ इंडिया की श्रीनगर स्थित शाखा में धोखाधड़ी की है, से राशि नहीं वसूल की गई। यद्यपि यह उद्योगपति अपराधी है और जिसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिय था, गिरफ्तार किया जाना चाहिये था तथा जिसके विरुद्ध दंड संहिता के अधीन कार्यवाही की जानी चाहिये थी, फिर भी अब तक कुछ नहीं किया गया। यद्यपि इस बारे में अनेक प्रश्न पूछ जा चुके हैं, फिर भी उत्तर यही मिलता रहा है कि अब तक रिपोर्ट नहीं आई। श्री साल्वे सहित विपक्ष तथा कांग्रेस के अनेक संसद्-सदस्यों ने कहा है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की विभिन्न शाखाओं में धोखाधड़ियां हुई हैं। आज दिल्ली के खजाने की घटना का समाचार है। हाल ही में उड़ीसा की स्टेट बैंक शाखा में 2 लाख रुपये की धोखाधड़ी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप कश्मीर के बारे में प्रश्न पूछें। यदि समूचे प्रश्न पर चर्चा चाहते हैं तो एक पृथक् प्रस्ताव की सूचना दें।

श्री डी० के० पंडा : मैं प्रसांगिक प्रश्न पूछ रहा हूं। इन सब घटनाओं की सूचना मंत्रालय को अनेक बार दी गई, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इसी विवरण से स्पष्ट है कि····

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा था कि आप प्रश्न की ओर आ रहे हैं। मैं भाषण की अनुमति नहीं देता।

श्री डी० के० पंडा : बिना पृष्ठभूमि दिये मंत्री महोदय प्रश्न को कैसे समझेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि आपके अतिरिक्त इसे कोई नहीं समझेगा ? मैं आपको प्रश्न से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता।

श्री डी० के० पंडा : ऋण केवल बड़े-बड़े गृहों के लिये ही स्वीकृत किये जाते हैं। उद्योगपति, निर्यातक तथा बड़े व्यापार गृह, जो अनुचित कार्य करते हैं, इन बैंकों में धोखाधड़ियां कर रहे हैं। जब कभी धोखाधड़ी पकड़ी जाती है तो ये आदेश देते हैं कि सब लेखों को देखा जाए। सामान्य रूप में भी बचाव की व्यवस्था की जानी चाहिये। क्या बैंकों का लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण करने के लिये कोई विशेष कदम उठाए गए हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अन्तिम प्रश्न का उत्तर 'हां' में है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री डी० के० पंडा : कब ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने पूछा है कि धोखाधड़ियों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है, आन्तरिक लेखा परीक्षण के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं, आदि। बकों तथा उनकी शाखाओं को कई उपाय सुझाए गए हैं। हमें धोखाधड़ी की कार्य-प्रणाली को देखना होगा। अन्ततः, हमें

पता चलता है कि धोखाधड़ी तब होती है जब बैंकिंग के आरम्भिक नियमों का पालन नहीं किया जाता यह एक कारण है। मान लीजिये ग्राहक और अधिकारी अथवा एजेंट और लेखापाल में आपसी सांठ-गांठ है, तब धोखाधड़ी होती है। बेईमानी भी सका कारण है। अतः बैंकों को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करने के लिये आवश्यक अनुदेश दे दिये गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएं हो जाती हैं·····

श्री पीलू मोदी : क्या धोखाधड़ी जारी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आप का अभिप्राय है आप से ?

श्री पीलू मोदी : आपके साथ या मेरे साथ अथवा हमारे साथ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक भारी रकम के संबंध में पूछे गए प्रश्न का संबंध है, मेरा निवेदन है रकम भारी नहीं है। श्रीनगर घाटी का स्टेट बैंक आफ इंडिया लीड बैंक है और इस पर प्राथमिकता क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने का उत्तरदायित्व है। 1,700 लेखों, जिनके बारे में सर्वेक्षण किया गया है, में से अधिकांश लेखे कम राशि के है। मैं इसकी जांच करने का प्रयत्न करूंगा। कभी-कभी ऐसा हो जाता है। में यह नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता। माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि क्या कार्यवाही की गई है। ऐसे धोखाधड़ी के मामलों में बैंक प्रायः अपनी राशि को वापिस लेने का प्रयत्न करते हैं। इस मामले में वे प्रयत्न कर रहे हैं कि जितनी राशि वापिस मिल सके ले ली जाए। साथ ही साथ उन्होंने नोटिस जारी कर दिये हैं तथा वे दीवानी मुकदमा दर्ज करवाने का विचार कर रहे हैं।

श्री डी० के० पंडा : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया·····

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे में हमने केवल एक प्रश्न समाप्त किया है। माननीय सदस्य ने इतना अधिक समय ले लिया है और वह अभी संतुष्ट नहीं हैं। अभी तक वह पहले ही अनुपूरक प्रश्न पर अड़े हुए हैं तथा दूसरा प्रश्न पूछ ही नहीं रहे। कृपया दूसरा प्रश्न करिये और संक्षेप में पूछिए।

श्री डी० के० पंडा : मैं जानना चाहता हूं कि आन्तरिक लेखा परीक्षण आरम्भ करने के लिये कब कार्यवाही की गई तथा इस उद्योगपति को गिरफ्तार करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं जिसके विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यह नहीं बता सकता कि उसको कब गिरफ्तार किया जाएगा अथवा क्या उसे गिरफ्तार किया जाएगा अथवा नहीं। इस मामले की अधिकारी जांच करेंगे। इस मामले का अभी पता लगाया जाना है कि क्या इसमें दंडनीय अपराध निहित है। मैं इस बात का उत्तर नहीं दे सकता कि उसे कब गिरफ्तार किया जाएगा। यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो अधिकारी अवश्य ही इस पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

जहां तक आन्तरिक लेखा परीक्षण का संबंध है, यह प्रश्न नया नहीं है और इसका उत्तर दिया जाना है। आन्तरिक लेखा-परीक्षण के बारे में नियम स्थायी आदेश विद्यमान हैं। प्रश्न यह है कि क्या उनको लागू किया जाता है अथवा उपयुक्त रूप से उनका निर्वाह किया जाता है। रिजर्व बैंक ने यह आदेश जारी किये हैं कि इन नियमों को उपयुक्त रूप से लागू किया जाए।

श्री डी० के० पंडा : जरा ठहरिये ·····

अध्यक्ष महोदय : अब मैं आपको कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। अब इस पर कोई तर्क मत दीजिये। आपको ही पूरा समय नहीं दिया जा सकता। आधे घंटे में केवल एक ही प्रश्न हुआ है।

श्री डी० के० पंडा : 3.5 लाख रुपयों के घोटाले के केवल एक मामले के कारण अब उन्होंने 1,700 लेखों की जांच की है। यदि आंतरिक लेखा परीक्षण सामान्यतः किया जाता तो इसका पता लगाया जा सकता था। इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रभावकारी उपायों को कब आरम्भ किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : स्टेट बैंक आफ इंडिया की श्रीनगर शाखा में हुए इस घोटाले के बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का हाथ है ?

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई जानकारी है ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : जी, हां। आजकल हर चीज को लूटने की प्रवृति है ·····

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न प्रवृत्ति का नहीं है, सभा का समय इस प्रकार नष्ट नहीं किया जना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee: In view of the reply of the hon. Minister to the original question that such frauds are committed in the absence of compliance with elementary rules, may I know the reasons for which elementary rules are not followed? Is it a fact that since Bank Nationalisation there has been relaxation in the compliance to these rules?

Shri Shashi Bhushan: According to him, there were no frauds before Bank Nationalisation.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह कथन सच नहीं है। जालसाजी उतनी ही पुरानी प्रवृत्ति है जितनी मानव जाति। यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी वृद्धि हुई है। बैंक राष्ट्रीयकरण का एक लाभ यह है कि जनता को उनके बारे में तुरंत पता लग जाता है क्योंकि ऐसे मामलों पर संसद में विचार विमर्श किया जा सकता है। अतः यह स्वाभाविक है कि रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक तथा अन्य व्यक्तियों को इस मामले के लिये सतर्क रहना होगा।

प्राकृतिक रबड़ से वसुल की गई विकास उप-कर की राशि

+

***345. श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :**

श्री वयालार रवि :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, प्राकृतिक रबड़ पर लगी विकास उप-कर की कुल कितनी राशि वसुल की गई; और इस अवधि में विकास एवं अनुसंधान पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ख) मार्च, 1973 तक सरकार के पास कितनी धनराशि बची थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(लाख रुपये में)

वर्ष	एकत्र किये गए विकास उपकर की राशि	विकास तथा गवेषणा पर खर्च की गई राशि	
		विकास	गवेषणा
1970-71	228	56	8
1971-72 . .	270	52	10
1972-73	305	63	12

31-3-1973 को सरकार के पास जमा बकाया राशि 927 लाख रु०।

श्री रामचंद्रन कडनापल्ली : छोटे किसानों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई, तथा चौथी योजना अवधि में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई तथा पांचवीं योजना अवधि में रबड़ की काश्त में विकास के लिये सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : रबड़ बोर्ड को, जिसे रबड़ की काश्त के विकास का कार्य कानूनी तौर पर सौंपा गया है, पुनर्बागान राज सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जा रही है जिससे पुराने पेड़ों को उखाड़ कर नए पेड़ लगाए जा सकें। इस कार्य के लिये 3500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जा रही है तथा अब तक 31,000 हेक्टेयर भूमि में नए पेड़ लगाए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त नए बागान के लिये ऋण दिया जा रहा है तथा सहकारी समित्तियों को पौधे लगाने के लिये अच्छी सामग्री तथा पौधों का पालन करने के लिये उपकरण खरीदने के उद्देश्य से अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही हैं जिससे छोटे किसानों को उत्तम रबड़ बनाने के कार्य में सहायता मिल सके।

चौथी योजना अवधि में उत्पादन में वृद्धि के बारे में मेरा निवेदन है कि 1968-69 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 71,000 टन तथा 1972-73 में 1,14,000 टन था तथा चौथी योजना के लिये निर्धारित 1,25,000 टन रबड़ का लक्ष्य निश्चित ही प्राप्त कर लिया जाएगा।

श्री रामचन्द्रन काडलापल्ली : पांचवीं योजना के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं ?

श्री ए० सी० जार्ज : रबड़ की काश्त में विकास करने के लिये चौथी योजना के दौरान हमने 3.5 करोड़ रुपए खर्च किये हैं तथा पांचवी योजना के लिये योजना आयोग को कई प्रस्ताव भेजे गए हैं तथा वे विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं। इसी समय मैं यह वचन नहीं दे सकता कि इसके लिये कितनी धनराशि उपलब्ध हो सकेगी किन्तु हमें पूरी आशा है कि रबड़ बागान विकास के लिये लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि नियत की जाएगी।

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली : रबड़ विकास के लिये चौथी योजना अवधि में कितनी धनराशि नियत की गई तथा रबड़ विकास उपकर में 9.27 करोड़ रुपए की राशि बकाया होने संबंधी तथ्य को ध्यान में रखते हुए रबड़ काश्त में सुधार तथा छोटे किसानों की सहायता के लिये पांचवी योजना में कितनी धनराशि खर्च की जाएगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : मैंने कहा था कि हम अभी से 2471 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पुनर्बागान राज सहायता दे रहे हैं। यह सुझाव दिया गया था कि नए बाग लगाने पर आने वाली अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए यह राशि पर्याप्त नहीं है। अतः छोटे किसानों के लिये पुनर्बागान राज सहायता को बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति हैक्टेयर करने तथा बड़े बागान के मालिकों को राजसहायता की राशि 2,500 रुपया (मोटे तौर पर) ही रखने का प्रस्ताव है। नए बाग लगाने के लिये हम अतिरिक्त ऋण देने पर भी विचार कर रहे हैं तथा उत्तर के पूर्व भाग में मैंने पांचवी योजना में खर्च की जाने वाली सम्भाव्य राशि का उल्लेख कर दिया है।

श्री वयालर रवि : उन्होंने कहा है कि उपकार के रूप में 9.27 करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई है तथा सरकार के पास जमा कर दी गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि राशि नए बाग लगाने के कार्यों तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए खर्च की गई हैं। क्या उन्हें छोटे किसनों की कठिनाईयों का पता है ? उन्हें सरकार की ओर से कोई राजसहायता नहीं मिली और नए बाग लगाने के लिये कोई अन्य प्रोत्साहन भी नहीं मिला। उन्हे निर्धारित मूल्य भी नहीं मिलता। क्या सरकार विदेशों को अधिक रबड़ का निर्यात करेगी तथा किसानों के हितों की रक्षा करेगी ?

श्री ए० सी० जार्ज : उपकर किसानों से वसूल नहीं किया जाता। यह रबड़ निर्माताओं से 13 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से वसूल किया जाता है। राजसहायता के रुप में 6.5 करोड़ रुपए दिये गये हैं तथा एक करोड़ रुपया ऋण के रूप में दिया गया है। निर्धारित मूल्य का मामला कुछ महीने पूर्व का हो सकता है जब उनको निर्धारित मूल्य अथवा उसके लगभग मूल्य नहीं मिलता था। इसका कारण बाजार में माल एकत्र हो जाना था। रबड़ की खपत कम थी और उत्पादन आशा से बहुत अधिक था। अब हम रबड़ का निर्यात कर रहे हैं तथा 5,000 टन रबड़ के अतिरिक्त हम 20,000 टन रबड़ का निर्यात करेंगे।

मध्य प्रदेश द्वारा विकास कार्यों के लिये विशेष गैर-योजना सहायता की मांग

\+

*346. **श्री धनशाह प्रधान :**
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आगामी तीन वर्षों में राज्य की राजधानी में विकास कार्यों को करने के लिये केन्द्र सरकार से कम-से-कम 10 करोड़ रुपये की विशेष गैर-योजना सहायता की मांग की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उन कार्यों का मुख्य ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने भोपाल में जलपूर्ति और जलनिकासी प्रणाली में सुधार करने तथा कार्यालयों और सरकारी कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त आवास का निर्माण करने के लिये सहायता मांगी थी। राज्य सरकार को यह परामर्श दिया गया था कि वह प्रस्तावित व्यय राज्य की आयोजना के अन्तर्गत करें।

Shri Dhan Shab Pradhan: Mr. Speaker, Sir, is Bhopal there is only one pond. Sewage water from all parts of the city flows into that and that very water is utilized by the people for dirnking purposes. That causes various diseases. A sum of rupees ten crores has been demanded. Besides, under ground water in the city. ....

Mr. Speaker: Please, don't make a speech. Let him put question.

Shri Dhan Shab Pradhan: An amount of Rs. 35 crores was demanded in the Fifth five year plan solving the problems of accommodation of the employees and construction of office buildings and taking up other such works. An additional amount of rupees ten crores was demanded to provide drinking water to the people. May I know whether Government would give the amount of rupees ten crores in lumpsum or in instalments?

श्री यशवंत राव चव्हाण : हमने राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे उन बातों की व्यवस्था राज्य योजनाओं के अन्तर्गत ही करें।

श्री रणबहादुर सिंह : राज्य के पिछड़ेपन तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि योजनाबद्ध कार्यों के लिये निर्धारित राशि को योजना वाह्य कार्यों जैसे कि मशीने और औजार खरीदने पर खर्च करने की अनुमति नहीं दी जाती विशेषकर डी०पी०ए०पी० क्षेत्र में विकास कार्य आरम्भ करने के मार्ग में एक प्रमुख समस्या आ जाती है। जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी कहा है, केन्द्रीय निधि में मे आवास के लिये कोई राशि देना सरकार के लिये सम्भव नहीं है। इस बात को देखते हुये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्रालय राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति देगा कि वे अपनी योजनाबद्ध निधियों का डी०पी०ए०पी० परियोजनाओं को पूरा करने के लिये मशीने और औजार खरीदने के लिये उपयोग कर सकती हैं ।

श्री यशवंतराव चव्हाण : निश्चित ही वे अपनी योजनाबद्ध निधियों का अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सकती हैं।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या सरकार राज्य सरकारों को उनकी योजनाबद्ध निधियों को भूमि-अधिग्रहण आदि कार्यों पर खर्च करने की अनुमति देगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उसके उपयोग का कार्य राज्य सरकारों का है।

श्री रणबहादुर सिंह : क्या सरकार इसकी अनुमति देगी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा अधिकार है। उन्हें अनुमति मांगने की क्या आवश्यकता है।

श्री रणबहादुर सिंह : केन्द्रीय सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि योजनाबद्ध निधियों को अन्य कार्यों पर खर्च करने के लिये केन्द्र से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय और स्पष्ट जानकारी देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे उत्तर तो उन्होंने दे दिया है।

Shri Madhu Limaye: May I konw whether it is the determined policy of the Government not to provide any financial assistance to the State Governments for establishing and developing their new capitals or they have adopted this policy for Bhopal only?

श्री यशवंतराव चव्हाण : अधिकतर राज्य सरकारों को, जब उनका पुनर्गठन किया गया था, उनकी नई राजधानियों के लिये कुछ ऋण और अनुदान दिये गये थे। उदाहरणार्थ चण्डीगढ़ के मामले में हमने निर्णय किया था कि हम राजधानी के लिये ऋण और अनुदान देंगे। इसी प्रकार से आसाम के मामले में भी कुछ ऋण और अनुदान दिये जाने का वायदा किया गया था। अतः वास्तव में सरकार की यह नीति रही है कि जब किसी नई राजधानी की स्थापना का मामला हो तो राज्य सरकारों को सहायता दी जाए। राज्य के पुनर्गठन के सन्दर्भ में हम निश्चित ही यह सहायता देते हैं।

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister might be aware of the fact that Bhopal was a princly state of small size and that the present State has been re-organised by mergering more than half of the old Madhya Pradesh, Central India and Vindhya Pradesh. In view of that, requirements of Bhopal should be given proper consideration.

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं भोपाल का भी उल्लेख करने वाला था। जब 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप भोपाल राजधानी बना तो मुझे रिकार्ड देखने पर ज्ञात हुआ कि तत्कालीन वित्त मन्त्री श्री सी० डी० देशमुख ने उन्हें पत्र लिखा था तथा वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 1.5 करोड़ रुपये भी दिये थे।

Shri Shashi Bhushan: In view of the facts that Bhopal is the capital of a backward State and its population has increased considerably and, as you might be knowing, the tank has not been cleared up for a period of about one thousand years as a result of which it is full of mud, I would like to suggest that more and more financial assistance should be provided by the Government to the backward States for the development of their capitals so that they could be brought at par with the capitals of other States.

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं उनके विचार से सहमत हूं। वास्तव में यह प्रश्न आवास सम्बन्धी और कुछ सामंजस्य स्थापित करने का है। अतः हमने मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी है कि वह इस मामले पर योजना आयोग से बातचीत करे। जल सप्लाई, मल निकासी आदि के मामले में मैं भोपाल की जनता की कठिनाइयों को समझता हूं। यह समस्या सालभर में नहीं सुलझायी जा सकती। इसकी चरणवार योजना बनानी होगी। इसीलिये हमने उन्हें सुझाव दिया है कि राज्य सरकार योजना आयोग से यह अनुरोध करे कि इस कार्य को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान की जाए।

आयात लाइसेंस देने हेतु बकाया पड़े आवेदन-पत्र

*347. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष से आयात लाइसेंसों के कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास बकाया पड़े हैं, और

(ख) इसी अवधि में प्रत्येक मास में दिए गए लाइसेंसों के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) आयात तथा निर्यात नियन्त्रण संगठन में 31-3-1973 को एक वर्ष से अधिक अवधि से आयात लाइसेंसों हेतु विचाराधीन पड़े आवेदन-पत्रों की संख्या 86 (छियासी) थी।

(ख) अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखी जाती है।

विवरण

1972-73 के दौरान आयात व्यापार नियन्त्रण संगठन द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंसों की मासवार संख्या तथा मूल्य :—

(वास्तविक संख्या)

(मूल्य लाख रु०)

क्रमांक	मास	सं०	मूल्य
1.	अप्रैल, 72	4,611	9,481.60
2.	मई, 72	7,379	9,741.06
3.	जून, 72	10,060	14,672.78
4.	जुलाई, 72	11,289	15,577.22
5.	अगस्त, 72	9,459	12,426.87
6.	सितम्बर, 72	11,636	17,187.75
7.	अक्तूबर, 72	9,146	14,439.27
8.	नवम्बर, 72	8,336	17,633.06
9.	दिसम्बर, 72	9,987	19,321.20
10.	जनवरी, 73	7,938	12,391.49
11.	फरवरी, 73	8,562	17,330.46
12.	मार्च, 73	17,136	25,369.86
	योग	1,15,539	1,85,572.62

श्री नारायण चन्द पाराशर : पिछले एक वर्ष की जानकारी मांगी गई थी। अतः उसमें इस वर्ष के अप्रैल, मई, जून और जुलाई के मास सम्मिलित होना स्वाभाविक है। क्या मैं इन महीनों के आंकड़े पूछ सकता हूं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज): आम तौर पर जब वर्ष 1973 में गत वर्ष के बारे में कुछ पूछा जाता है तो हम 31 मार्च, 1972 तक के आंकड़े देते हैं। यदि वह अलग प्रश्न पूछने की कृपा करें तो हम इन चार महीनों के आंकड़े भी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : वह आगामी सत्र में पूछ सकते हैं।

श्री नारायण चन्द पाराशर : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है कि 86 आवेदन-पत्र विचाराधीन है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि निर्यात संवर्धन परिषद ने निर्यात प्रोत्साहन देने के लिये कितने आवेदन-पत्रों की सिफ़ारिश की है?

श्री ए० सी० जार्ज : 30 जून, 1973 तक विचाराधीन पड़े 86 आवेदन-पत्रों में से अधिकांश को निपटा दिया गया है और केवल 18 शेष हैं। इनमें से 9 आवेदन-पत्र ऐसे है जो काली सूची में दर्ज फ़र्मों के हैं। अतः उन्हें लाइसेंस देने का प्रश्न ही नही उठता। शेष केवल 9 हैं।

श्री समर गुह : अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 तक की अवधि में लगभग 1,900 करोड़ रुपये के लाइसेंस दिये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के आवेदकों को दिये गय लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है। दूसरे पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्यों के आवेदकों को दिये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है? तीसरे इन राज्यों से प्राप्त कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन है?

श्री ए० सी० जार्ज : इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कुछ अधिक समय चाहिये।

श्री समर गुह : महोदय, क्या यह उचित है? उन्होंने महीनेवार आंकड़े दिये हैं। वे गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में आंकड़े क्यों नहीं बता सकते?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न महीने वार ब्यौरे के बारे में है?

श्री समर गुह : इस प्रकार के प्रश्न मूल प्रश्न के बाद ही पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न का थोड़ा बहुत विस्तार किया जाये तो मंत्री महोदय को टालमटोल नहीं करना चाहिये। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप खड़े रहेंगे तो मैं आपको संरक्षण नहीं दे सकता। आप बैठ जाइये।

श्री एच० एम० पटेल : क्या वह राज्यवार और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में जानकारी नहीं दे सकते?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं "नहीं"।

श्री एच० एम० पटेल : उनके पास होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप राज्यवार जानकारी चाहते हैं। आप ऐसी जानकारी न पूछिये जो मुख्य प्रश्न के अन्दर नहीं आती।

श्री समर गुह : क्या मन्त्री महोदय यह जानकारी बाद में दे सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि अलग प्रश्न पूछा जाये तो वह अवश्य जानकारी देंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : जब किसी संस्थान को आयात लाइसेंस दिया जाता है तब क्या सरकार इस बात की शर्त रखती है कि उतने ही मूल्य के माल का निर्यात भी किया जाना चाहिये?

श्री ए० सी० जार्ज : यह बात क्षेत्र पर निर्भर करती है। कुछ प्राथमिक क्षेत्र है जिन्हें कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां निर्यात आवश्यक होता है। इस सम्बन्ध में कोई समान नीति लागू नहीं की जा सकती ।

श्री धामनकर : क्या मैं पूछ सकता हूं कि बड़े पैमाने के और छोट पैमाने के एककों के विचाराधीन लाइसेंसों का महीनेवार ब्यौरा क्या है ?

श्री ए० सी० जार्ज : जो लाइसेंस जारी किये गये हैं उनकी संख्या और मूल्य सम्बन्धी आंकड़े दिये गये हैं। जहां तक विचाराधीन लाइसेंस का सम्बन्ध है, आंकड़े एकत्र करने में कुछ समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप एकत्र करके बाद में सप्लाई कर दें।

देश में एयर-टैक्सी सवा चलाने का प्रस्ताव

*349. **श्री डी० पी० जदेजा** :
श्री वकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में एयर-टैक्सी सेवा चलाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिह) : (क) और (ख) मामले पर फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री डी० पी० जदेजा : भारत में कितने कमर्शियल पायलट लाइसेंसहोल्डर अब भी बेरोज़गार हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ क्या सम्बन्ध है ?

श्री डी० पी० जदेजा : इसका सम्बन्ध यह है कि पायलट बेरोज़गार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप को इसे मुख्य प्रश्न में सम्मिलित करना चाहिए था।

श्री डी० पी० जदेजा : क्या यह सच है कि ऐसे अनेक प्राइवेट पायलट लाइसेंसहोल्डर हैं जो रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण इनको कमर्शियल पायलट लाइसेंस में नहीं बदल सकते। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डा० कर्ण सिह : यह समस्या पर विचार करने का असाधारण तरीका है। कुछ प्राइवेट पायलट लाइसेंसहोल्डर हैं। उनको रोज़गार देने के लिये हम छोटे विमानों के आयात पर करोड़ों रुपये खर्च नहीं कर सकते। जैसे जैसे विमानन सुविधाएं बढ़ेंगी उनके रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे सुझाव के रूप में नोट कर लीजिये।

पटसन के लिये न्यूनतम सहायक मूल्य निश्चित करन की कसौटी

*350. **श्री वी० के० दासचौधरी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन के लिए न्यूनतम सहायक मूल्य निश्चित करने सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व क्या सरकार ने धान और पटसन के मूल्यों में परम्परागत सम्बन्ध पर जिसके अनुसार तीन मन का धान एक मन के पटसन के बराबर होता है, विचार किया है; और

(ख) पटसन के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने में इस समानता अनुपात में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) न्यूनतम समर्थन कीमत का विनिश्चय कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया है, जिन्होंने ये सिफारिशें, सभी संगत बातों, जिनमें धान तथा पटसन की सापेक्ष कीमतें भी शामिल हैं, पर विचार करने के बाद की हैं।

श्री बी० के० दासचौधरी : 3 मन धान को 1 मन पटसन के बराबर मान कर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के बारे में यह प्रश्न है। आज 3 क्विंटल धान को 1 क्विंटल पटसन के बराबर समझा जाना चाहिये। मन्त्री महोदय ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्यों के बारे में की गई सिफ़ारिश का उल्लेख किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या पटसन की उत्पादन लागत कृषि मूल्य आयोग द्वारा किये गये निर्णय से अधिक है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कपास जैसी कृषि वस्तुओं के सम्बन्ध में भारतीय रूई निगम द्वारा दिये जाने वाला मूल्य काफ़ी अधिक है ? कृषि मूल्य आयोग मूल्यों के बारे में जो भी सिफ़ारिश करे, वह उत्पादकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने वाला होना चाहिये। इसलिये क्या मैं पूछ सकता हूं, कि क्या मन्त्री महोदय कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये मूल्य को उससे बहुत कम समझते हैं जो होना चाहिये और वह मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये जाने चाहिये, कि पटसन उत्पादकों को प्रोत्साहन मिले। क्या मैं पूछ सकता हूं कि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में और क्या कार्यवाही करेंगे ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : ऐसा प्रतीत होता है कि पटसन-धान अनुपात के बारे में माननीय सदस्य की राय वर्ष 1940 के सर फ्रांसिस सत्र पर आधारित है। हाल ही के प्रौद्योगिकीय विकास तथा धान की श्रम प्रधान खेती को देखते हुए यह सूत्र पुराना पड़ गया है। फिर भी उनमें कुछ सम्बन्ध है और कृषि मूल्य आयोग ने पटसन का समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय इस सम्बन्ध में विचार किया है। दूसरे जब कृषि मूल्य आयोग ने जब पटसन का मूल्य 125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया तब उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि यह समर्थन मूल्य है। परन्तु हमने इस मामले पर विचार किया और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए समझा कि यह उद्योग बिना कोई घाटा उठाये अधिक वसूली मूल्य दे सकता है। अतः सरकार ने भारतीय पटसन निगम को सुझाव दिया है और पटसन निगम ने अपने वाणिज्यिक निर्णय के अन्तर्गत पूरे वर्ष में पटसन का प्रति क्विंटल औसत वसूली मूल्य रु० 157.58 निर्धारित करना स्वीकार कर लिया है। इससे पता चलता है कि समर्थन मूल्य से भी कुछ अधिक मूल्य दिया जा सकता है और दिया गया है।

श्री वी० के० दासचौधरी : क्या भारत सरकार ने भारत के पटसन उत्पादक क्षेत्रों में पटसन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये खाद, बीज आदि अथवा पूंजी निवेश के बारे में कोई सुधार किया है और यदि हाँ, तो वर्ष 1940 में सर फ्रांसिस के समय प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या था और अब क्या है? पटसन हमारे देश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली सब से बड़ी वस्तु है। इस उद्योग के पुनरुत्थान के लिये पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य देने के लिये, जैसाकि ऐसी अन्य कृषि वस्तुओं के बारे में किया गया है जिनके उत्पाद जैसे मूंगफली और कपास का निर्यात किया जाता है, क्या विशेष प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : भारत ने अपनी एजेंसी के माध्यम से उस मूल्य से अधिक वसूल मूल्य देने का निर्णय किया है जिसकी सिफारिश कृषि मूल्य आयोग ने की थी और जो वर्तमान मूल्य से काफ़ी अधिक है। इसी बात से पता चलता है कि सरकार पटसन उत्पादकों के लिये कितनी चिन्तित है। अतः हम विभिन्न तरीकों से इस उद्योग की सहायता कर रहे हैं। मुख्य बात वास्तविक उत्पादकों की सहायता करने की है। इसी विचार से भारतीय पटसन निगम ने प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर क्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी है ताकि सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्य वास्तव में पटसन उत्पादकों को मिल सके। यही हमारा उद्देश्य है और इसको पूरा करने के लिये हम आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : सब आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई है अतः मन्त्री महोदय द्वारा उल्लिखित मूल्य पर्याप्त नहीं है, इसलिये क्या भारत सरकार भारतीय पटसन निगम को निदेश देगी कि वह पश्चिम बंगाल और अन्य पटसन उत्पादक राज्यों से 80 रुपये प्रति मन के मूल्य पर पटसन खरीदे?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इस मूल्य पर भी विश्व बाज़ार में मुकाबले में हमारी वस्तुएं पीछे रह जाती हैं। समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषि मूल्य आयोग ने उत्पादन और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य स्थिति के बारे में विचार किया था। उस पहलू पर ध्यान दिये बिना यदि हम अधिक मूल्य देते हैं तो अभी तो यह लाभप्रद दिखाई देगा पर अन्ततोगत्वा उद्योग के लिये घातक सिद्ध होगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय पटसन निगम ने पहले ही पटसन की 15 लाख गांठे खरीदने का निर्णय कर लिया है। इण्डियन ज्यूट मिल्स एसोसिएशन भी 10 लाख गांठे खरीद रही है। यह सब मिला कर कुल उत्पादन का एक तिहाई होगा और यह सारा माल 156 रुपये की दर से खरीदा जायेगा। जहां तक उत्पादकों का सम्बन्ध है, इसका मूल्य स्थिति पर अच्छा और संयत प्रभाव पड़ेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to questions

जापानी एयरलाइनर डी०सी--8 के विमान कर्मचारियों द्वारा सफदरजंग हवाई अड्डे को पालम हवाई अड्डा समझने की गलती

*343. **श्री वक्शी नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी एयरलाइनर डी०सी०-8 के विमान कर्मचारियों ने हाल ही में सफदरजंग हवाई अड्डे को पालम हवाई अड्डा समझने की गलती की थी और इसके परिणामस्वरूप एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी; और

(ख) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि जापान के विमान कर्मचारियों द्वारा ऐसी त्रुटि कैसे हुई?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। माननीय सदस्य के मन में शायद उस अवसर का ध्यान रहा है जब 12 अप्रैल, 1973 को जापान एयरलाइन्स के एक विमान ने पालम हवाई अड्डे पर अवतरण के लिये गलत एप्रोच की जिसे हमारे ट्रैफिक कंट्रोल ने मॉनीटर किया और सुधार दिया।

लम्बे समुद्र तट वाले राज्यों में तट कुटीरों को बनाने का विचार

*344. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के निकट महाबलीपुरम् में 24 तट कुटीरों को 20 लाख रुपये की लागत से बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या लम्बे समुद्र तट वाले अन्य राज्यों में भी इसी तरह के कुटीरों को बनाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां, आई० टी० डी० सी० द्वारा 20 कुटीर बनाए गए हैं।

(ख) त्रिवेन्द्रम के निकट कोवालम में भी 40 कुटीरें बनायी गयी हैं। पांचवीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में कोवालम में कुटीरों की संख्या को और बढ़ाने तथा गोआ में 50 कुटीरें बनाने का भी प्रस्ताव है।

Expansion Work of Palam Aerodrome held up due to nearby Villages not being shifted from there

*348. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) Whether the expansion work of Palam aerodrome is held up due to the nearby villages not being shifted from there;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the difficulties being experienced in shifting these villages to other places and the steps being taken by Government in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) Certain problems have arisen in obtaining possession of some areas of land that have already been acquired, and also in acquiring certain other areas required for the development and expansion of Delhi airport. These lands have some homesteads and small factories on them. The matter is being actively processed.

सेविंग्स बैंक एकाउन्ट और फिक्स्ड डिपाजिट के बारें में भारत स्थित विदेशी बैंकों का नया निर्णय

*351 **श्री सी० चित्ति बाबू** :

श्री समर गुह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेविंग्स बैंक एकाउन्ट में 500 रु० से कम न्यूनतम राशि होने की स्थिति में दण्ड लगाने और 2500 रु० से कम की राशि को फिक्स्ड डिपाजिट के रूप में स्वीकार न करने सम्बन्धी नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक और फर्स्ट नेशनल बैंक जैसे भारत स्थित विदेशी बैंकों के नवीनतम निर्णय की सरकार को जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक था और क्या इस प्रकार की अनुमति दी गई थी; और

(ग) इन बैंकों को छोटी बचतों को अनुसाहित करने से रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज बैंक लि० ने पहली अक्तूबर, 1973 से अपने सेविंग्स बैंक नियमों में संशोधन कर दिये हैं, जिनके अनुसार खातों में कम से कम 250/- की राशि रखनी पड़ती है और ऐसे खातों में जिनमें चैक सुविधा प्राप्त की जाती है, इस राशि की मात्रा 500/- रुपये कर दी गयी है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर 10/- रुपये प्रति छमाही सेवा खर्च के रूप में देने पड़ेगे। स्थिर जमा के लिए न्यूनतम राशि बढ़ाकर 2,500/- रुपये कर दी गयी है। दी फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक ने सेविंग्स खाते में न्यूनतम राशि 500/- निर्धारित की है, जिसका उल्लंघन करने पर 10/- रुपये प्रति छमाही के हिसाब से सेवा खर्च के रूप में देने पड़ेगे। पहली अप्रैल, 1973 से इस बैंक में स्थिर जमा में न्यूनतम राशि 5,000/- कर दी गयी है। इस प्रकार के संशोधनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति की जरूरत नहीं है। जमा रकमों पर ब्याज की दर को छोड़कर वाणिज्यिक बैंक, जिनमें विदेशी बैंक भी शामिल हैं, के जमा खातों के कार्यचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई पाबन्दी नहीं लगा रखी है। इसके अतिरिक्त बचत खातेदारों को यह छूट है कि यदि वे उपर्युक्त दोनों बैंकों द्वारा लगायी गयी शर्तों को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं तो वे अन्य बैंकों विशेषकर भारतीय बैंकों के साथ अपना लेन देन कर लें।

Import of Woollen Rags by Actual Users

*352. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of mills that fall in the category of actual users for the purpose of import of wollen rags; and

(b) whether Government have granted permission to the actual users to import woollen rags?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) 27 authorised shoddy spinners fall in the category of Actual Users for the purpose of import of woollen rags.

(b) Yes, Sir.

बचत करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर मित-व्ययिता अभियान शुरू करना

*353. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:**

श्री जगन्नाथ मिश्र:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर मितव्ययिता अभियान शुरू किया है और राज्य सरकारों से कहा है कि वे अपने साधनों से ही काम चलाएं;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के और राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता बन्द करने के परिणामस्वरूप अलग-अलग कुल कितनी बचत होने की सम्भावना है; और

(ग) किन विभिन्न मदों के अन्तर्गत मितव्ययिता की जाएगी और क्या सभी राज्य सरकारें उक्त प्रस्ताव से सहमत हो गयी हैं; यदि नहीं, तो किन राज्यों को केन्द्रीय निदेश का पालन करने में कठिनाई होगी और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा स्फीति कारक दबावों को नियंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा पहले ही कई राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी उपाय किये जा चुके हैं । इसके साथ ही घाटे की अर्थ-व्यवस्था में कमी करने के विचार से सरकारी खर्च में कमी करने के लिये अब उपाय किये जा रहे हैं । पहले से प्रचलित मितव्ययिता सम्बन्धी उपायों के अतिरिक्त, आकस्मिकताओं, आवभगत, यात्रा-भत्तों, निष्प्रयोजन इमारतों के निर्माण, इमारतों और सड़कों के अनुरक्षण, सम्मेलन और गोष्ठियों के आयोजन, नये और रिक्त पदों के निर्माण और उनकी पूर्ति आदि पर होने वाले आयोजना-भिन्न व्यय में और अधिक :मितव्ययता बरती जा रही है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को अपने आयोजना-भिन्न व्यय में से इसी प्रकार की मितव्ययता सम्बन्धी उपाय बरतने, अपने आन्तरिक साधन संग्रह में वृद्धि करने और अपनी नकद हानियों को न्यूनतम करने के लिये हिदायतें दी जा रही हैं । राज्य सरकारों को भी अपने आयोजना-भिन्न व्यय में भी इसी प्रकार के मितव्ययता सबन्धी उपाय लागू करने का परामर्श दिया जा रहा है । राज्य सरकारों का ध्यान पहले ही वर्तमान वित्तीय स्थिति और साधनों तथा व्यय के बीच अत्यन्त संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया जा चुका है । उन्हें परामर्श दिया गया है कि उन्हें अपने कुल व्यय को अपने बजटों में आवश्यक समायोजन करके उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत ही रखना होगा।

इसके अतिरिक्त आयोजनागत व्यय में कुल मिलाकर कमी करना आवश्यक समझा गया है । इसे इस ढंग से किया जाएगा कि ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं और कार्यक्रमों की, जो अनिवार्य हैं और जिन्हें पूरा करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है, प्रगति पर बुरा प्रभाव न पड़ता हो जबकि ऐसी परियोजनाएं और योजनाएं जो अनिवार्य नहीं हैं और जिन्हें पूरा होने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगेगा उनकी गति धीमी कर दी जाएगी ।

आयोजनागत व्यय में इस प्रकार की बचतें की जाएंगी जैसे कि मंत्रालयों से संयुक्त विचार-विमर्श के दौरान पता लगाई गई हैं, कुछ बचतें, पांचवीं आयोजना के लिये अग्रिम कार्यवाही के लिये आवश्यक निधि के अन्तर्गत बचतें, जिसका कुछ भाग सामान्य आयोजना बजट में समायोजित कर दिया गया है, केन्द्र प्रायोजित आयोजनाओं और विशेष कल्याण तथा नियोजन योजनाओं के अन्तर्गत बचतें और विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की केन्द्रीय आयोजना के लिये की गयी व्यवस्था में कमी जैसा कि ऊपर कहा गया है, आयोजनागत बजट में की जाने वाली ये बचतें इस ढंग से की जाएंगी जिससे कि महत्वपूर्ण परियोजनाओं और उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

आशा है कि इन उपायों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के आयोजनाभिन्न व्यय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं सहित केन्द्रीय आयोजना के लिये की गयी यवस्था में 300 करोड़ रुपये की बचत होगी। राज्यों की आयोजना में भी, ऐसी कुछ मदों में जिन्हें फिलहाल स्थगित किया जा सकता हो, खर्च में कमी करके 100 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है । इस प्रकार आशा है कि कुल

मिला कर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के व्यय में 400 करोड़ रुपये की कुल कमी होगी। यह काम राज्य सरकारों का होगा कि वे अपने आयोजनाभिन्न व्यय में बचतों का निर्धारण करें और उन्हें लागू करें। राज्य की आयोजनाओं में लगभग 100 करोड़ रुपये की प्रस्तावित बचतों के सम्बन्ध में, जिनके बारे में हाल ही में निश्चय किया गया है, ब्यौरों का हिसाब लगाया जा रहा है। अतः यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता कि किसी भी राज्य सरकार को इस निर्णय का पालन करने में कठिनाई हो रही है।

मूल्यों में अवांछित गिरावट से कच्चे पटसन की खेती की सुरक्षा के लिए जूट कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा की गई कार्यवाही

*354. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**

श्री जी०वाई० कृष्णन्:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जूट कारपोरेशन आफ इंडिया ने चालू मौसम में, जबकि बहुत ही अच्छी फसल होने की संभावना है, कच्चे पटसन की कीमतों में अवांछित गिरावट से कच्चा पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की है;

(ख) क्या प्राथमिक मंडियों में कोई सांविधिक न्यूनतम मूल्य लागू किया जायेगा; और

(ग) क्या जूट कारपोरेशन निर्यात व्यापार के अपने भाग में भी वृद्धि करेगा?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) निर्यात भारतीय पटसन निगम के माध्यम से मार्गीकृत किये जाते हैं।

विवरण

भारतीय पटसन निगम ने अपनी वाणिज्यिक खरीदों के भाग के रूप में 10 से 12 लाख गांठें तथा समीकरण भंडार बनाने के लिए लगभग 5 लाख गांठें खरीदने की योजना बनाई है। पटसन निगम ने यथासंभव अधिक से अधिक प्राथमिक तथा सेकेंडरी बाजारों में खरीद करने के लिए उद्योग के सहयोग से एक योजना बनाई है। पटसन निगम द्वारा उन नाजुक क्षेत्रों में, जहां सुधरे हुए तरीकों से गहन कृषि होती है, तथा उन क्षेत्रों में भी जहां परिवहन कठिनाइयों के कारण कीमतों में गिरावट का रुख रहता है, विशिष्ट ध्यान किया जायेगा। उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के विचार से पटसन निगम मार्केटेड पटसन की उचित ग्रेडिंग की ओर पर्याप्त ध्यान देगा। पटसन निगम अपने खरीद कार्यों के लिए सहकारी समितियों का प्रयोग करेगा तथा जहां सहकारी समितियां उपलब्ध नहीं है, वहां विभागीय खरीद केन्द्रों की स्थापना करेगा।

पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स के विमानों का पक्षियों द्वारा क्षतिग्रस्त होना

*355. **श्रीमती सावित्री श्याम:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में पालम हवाई अड्डे पर पक्षियों ने इण्डियन एयरलाइन्स की चार उड़ानों में बाधा डाली थी;

(ख) यदि हां, तो इन पक्षियों के कारण इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों को कितनी हानि हुई; और

(ग) इस हवाई अड्डे से पक्षियों के व्यवधान को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री: (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) पालम के निकट पक्षियों के विमानों से टकराने की दो घटनाएं हो चुकी हैं जिसके कारण 12-4-73 को एक कारवेल विमान के पंख के अग्र भाग तथा 23 जून, 1973 को एक बोइंग 737 विमान के पंख के अग्र भाग को क्षति पहुंची। पालम के निकट पक्षियों द्वारा उत्पन्न व्यवधान के कारण इंडियन एयरलाइन्स की निम्नलिखित उड़ानों में विलम्ब हुआ :

तारीख	सेवा संख्या	विमान	पंजीकरण संख्या	टिप्पणी
14-7-73	आ.ई०सी 491/दिल्ली-जयपुर	बोइंग 737	वी०टी०-ई०ए०जे०	आरोहण-कार्य (टेक आफ) 27 मिनट देर से हुआ।
2-8-73	आई०सी०-401/दिल्ली-कलकत्ता	बोइंग 737	वी०टी०-ई०ए०एल०	धावनपथ पर पक्षियों की उपस्थिति के कारण आरोहण रोक देना पड़ा फिर विमान 48 मिनट देर से उड़ा।
2-8-73	आई०सी०-459/दिल्ली ग्वालियर	एफ–27	वी०टी०-डी०ओ०एल०	धावनपथ पर पक्षियों की उपस्थिति के कारण आरोहण रोक देना पड़ा। फिर विमान 40 मिनट देर से उड़ा।
2-8-73	आई०सी-411/दिल्ली-कानपुर	वाइकाउन्ट	वी०टी०-डी०डब्ल्यू०जे०	पक्षियों के व्यवधान के कारण विमान वापस लौट आया तथा फिर 1.30 घंटे देर से उड़ा।
2-8-73	आई०सी-182/दिल्ली-बम्बई	कारवेल	वी०टी०-डी०डब्ल्यू०एन०	पक्षियों के व्यवधान के कारण विमान वापस लौट आया तथा फिर 1.18 घंटे देर से उड़ा।
2-8-73	आई०सी-421/दिल्ली-चंडीगढ़	एवरो	वी०टी-डी०एक्स०एल०	पक्षियों के व्यवधान के कारण विमान वापस लौट आया तथा फिर 1.11 घंटे देर से उड़ा।

धावन-पथ और टैक्सी-पथ को साफ रखने के लिए तथा फ्लाइट किचनों के कचरे के उचित प्रकार से विसर्जन के लिए विशेष ध्यान रखा जा रहा है। धावन-पथों के साथ के घास के क्षेत्रों पर उन कीड़े मकौड़ों को मारने के लिए जो पक्षियों को आकर्षित करते हैं विशेष रसायन छिड़के जा रहे हैं। कैन्टोनमेंट बोर्ड से भी अनुरोध किया गया है कि वह अपने कूड़ा-कचरे स्थल को विमानक्षेत्र से काफी दूर ले जाने की व्यवस्था करें।

मिल सैक्टर के मुकाबले में हथकरघों के संबंध में विकेन्द्रीकृत सैक्टर को प्रोत्साहित करनें हेतु कपड़ा नीति पर पुनर्विचार

*356. **श्री पो० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिल सैक्टर के मुकाबले में हथकरघों के सम्बन्ध में विकेन्द्रीकृत सैक्टर को प्रोत्साहित करने हेतु कपड़ा नीति में परिवर्तन करने के लिये इस पर पुनर्विचार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी०पी० चट्टोपाध्याय): (क) तथा (ख) सरकार का विभिन्न कृतिक दलों और कार्यकारी दलों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों जिनमें हथकरघों व शक्ति चालित करघों संबन्धी कार्यकारी दल और हथ करघा संबन्धी कृतिक दल के प्रतिवेदन शामिल हैं, के आधार पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संदर्भ में टैक्सटाइल नीति का पुनर्विलोकन करने का विचार है।

बम्बई में फ्लैटों की बिक्री के संबंध में आयकर अधिकारियों द्वारा तथाकथित अवैध सौदों का पता लगाना

*357. **श्री एच०एम० पटैल**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुमंजिली इमारतों के फ्लैटों की बिक्री के बारे में हाल ही में आयकर अधिकारियों द्वारा बम्बई में मारे गये छापों के दौरान करोड़ों रुपयों के अवैध सौदे कपकड़े गये; और

(ख) यदि सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) बम्बई आयकर प्राधिकारियों ने अप्रेल 1973 में बम्बई में बहु-मंजिली इमारतों के विकास और निर्माण-कार्यों में लगे लोगों के बहुत से परिसरों की तलाशी ली। तलाशी लेते समय निर्माण-कार्य पूरा नहीं हुआ था और फ्लैटों को बुक करने का ही काम हो रहा था। इन तलाशियों का प्रयोजन ऐसे दस्तावेज तथा अन्य सामग्री पकड़ना था जिनसे ऊपरी धन की अदायगियों का अवैध लेन-देन स्थापित हो सके।

(ख) अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के सभी मामले एक ही आयकर वार्ड में केन्द्रित किये गये हैं और पकड़े गये दस्तावेजों की विस्तृत छानबीन हो रही है। जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(5) के अधीन उन सम्पत्तियों को रोक रखने के आदेश पारित किये गये हैं जिनके बारे में पकड़े जाने पर स्पष्टीकरण नहीं मिला है। आगे जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जायगी वह विधि के अनुसार की जायगी।

दिल्ली में आयकर अधिकारियों द्वारा करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

*358. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों को दिल्ली और नई दिल्ली में करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष में 31 जुलाई, 1973 तक कितनी लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) अब तक कितनी शिकायतों पर कार्यवाही की गई है और कितनी शिकायतों की जांच आरम्भ कर दी गई है और इन संबन्धित फर्मों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 जुलाई 1973 तक आयकर नई दिल्ली आयुक्तों को कर-अपवंचन की 399 लिखित शिकायतें प्राप्त हुई ।

(ख) सभी मामलों में जांच शुरू कर दी गई है जो अभी भी चल रही है । इस समय नाम बताना जांच-पड़ताल के हित में नहीं होगा ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा बैंकों के कार्यकरण में संकट उत्पन्न करने के कथित प्रयास और इसके लिये तमिलनाडु बैंक एम्प्लाईज फैडरेशन को दोषी ठहराना

*359. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1973 के 'ब्लिट्स' में "स्टोप दिस टायरेनी आफ बैंकिंग टाईकून्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने ब्लिट्ज में वह समाचार देखा है जिसका सम्बन्ध एक गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक—बैंक आफ मदुरा में प्रबन्धकों द्वारा बड़ी संख्या में कर्मचारियों पर कथित अत्याचार के कारण हुए एक औद्योगिक विवाद से है ।

(ख) केन्द्रीय औद्योगिक सम्पर्क तन्त्र द्वारा हस्तक्षेप किये जाने पर 11 जुलाई, 1973 को बैंक आफ मदुरा के प्रबन्ध को और बैंक आफ मदुरा कर्मचारी संघ/तमिलनाडु बैंक कर्मचारी संघ के बीच विवाद पर समझौता हो गया है । इस समझौते के परिणामस्वरूप संघ आन्दोलन वापस लेने के लिये सहमत हो गया है और बैंक आफ मदुरा के प्रबन्धक लगभग 347 कर्मचारियों के निलम्बित करने के आदेश रद्ध करने और लगभग 250 कर्मचारियों को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस वापस लेने के लिए सहमत हो गये हैं । मद्रास स्थित क्लियरिंग हाऊस में 12 जुलाई, 1973 से सामान्य कामकाज शुरू हो गया है ।

धागों की सप्लाई की अनिश्चित स्थिति के कारण हथकरघे से बने फर्निशिंग कपड़े के निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात करार करने के प्रति अनिच्छा प्रकट करना

*360. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धागे की सप्लाई की अनिश्चित स्थिति के कारण हथकरघे से बने फर्निशिंग कपड़े के निर्यातकर्ताओं ने निर्यात करार करने में अनिच्छा प्रकट की है यद्यपि विदेशों से इस बारे में काफी पूछताछ की गई है, जैसा कि 9 जून, 1973 के "इकोनोमिक्स टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जब यह समाचार अखबार में छपा तो, इस सम्बन्ध में हथकरघा निर्यात संवर्धन से परिषद से कुछ शिकायतें की गई थी।

(ख) यद्यपि अनेक राज्यों में बिजली की कटौती के कारण धागे का उत्पादन गिरा है फिर भी धागा नियंत्रण योजना के अन्तर्गत पुख्ता निर्यात क्रयादेशों के आधार पर अपेक्षित काउन्टों के धागे का आबंटन करने के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए थे । हाल ही में बिजली की कटौतियां समाप्त कर दी गई हैं, अतः उत्पादन में अब सुधार होने की संभावना है और निर्यातकों को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उत्पादन में सुधार होने के परिणामस्वरूप सरकार ने 40 काउन्ट तक के धागे के वितरण संबन्धी नियंत्रण शिथिल कर दिए हैं ।

भारत और बंगलादेश के बीच हुए नये करार के प्रारूप की एक प्रति सभा पटल पर रखना

3372. **कुमारी कमला कुमारी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जुलाई, 1973 में भारत और बंगलादेश के बीच जिस नए करार को अन्तिम रूप दिया गया था उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या खाद्यान्न का निर्यात भी बंगलादेश को किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख). भारत तथा बंगलादेश के बीच एक नये व्यापार करार पर 5 जुलाई, 1973 को ढाका में हस्ताक्षर किये गये। यह व्यापार करार 28 सितम्बर, 1973 को लागू होगा जब वर्तमान करार की अवधि समाप्त हो जायेगी, और पहले तो यह तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा परन्तु उसकी अवधि को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है । व्यापार करार की प्रति तथा बंगलादेश से निर्यात तथा बंगलादेश को आयात संबन्धी क्रियाविधि के विषय में 16 जुलाई, 1973 को जारी किये गये सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में रख दी गई है ।

2. दोनों देशों के बीच एक सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान करार भी सम्पन्न हुआ है जिसमें दोनों देशों के लिये विशेष दिलचस्पी की वस्तुओं में दोनों ओर से 30.5 करोड़ रु० की सीमा तक का आयात व निर्यात करने की व्यवस्था है। करार में शामिल की गई वस्तुओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 5420/73]

3. सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था में खाद्यान्न शामिल नहीं है । सन्तुलित व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था में शामिल न की गई ऐसी मदों का, जिनके निर्यात की अनुमति है, बंगलादेश को निर्यात सामान्य निर्यात तथा विदेशी मुद्रा नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

Smuggled Goods seized in Madhya Pradesh during 1972-73

3373. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) The names of the smuggled articles along with the quantity thereof recovered by the Customs officials in Madhya Pradesh during 1972-73;

(b) the numbers of smugglers arrested during the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Export of Sandal and Rose Wood from M. P.

3374. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there are bright prospectus of export of sandal wood and rose wood from Madhya Pradesh; and

(b) the names of the markets which require these items in large quantities?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) No, Sir. Sandal wood does not occur in Madhya Pradesh. Rose wood occurs sporadically but is very slow grown and not suited for export market.

(b) The names of the markets which require these items in large quantities are:—

Sandal Wood

Sudan, Hongkong, Singapore, Japan and U.S.A.

Rose wood

Japan, Italy, Germany FRP, and Denmark.

Proposal to develop Burhanpur in Madhya Pradesh as a Tourist Centre

3375. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to develop Burhanpur in Madhya Pradesh as a Tourist Centre; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b). No, Sir. Due to constrain on resources tourist factilities are being provided only at Khajuraho, Sanchi, Bhopal and Kanha National Park in the Central Sector.

Arrears of Income Tax against Modi Industries Limited, Modinagar

3376. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6783 on the 18th May, 1972 and state:

(a) the reasons for the non-realisation of the arrears of Income-tax to the tune of Rs. 7,77,000 outstanding against M/s. Modi Industries Limited, Modinagar; and

(b). While implementing the Assurance given in reply to the Lok Sabha Unstarred arrears?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) and (b). While implementing the Assurance given in reply to the Lok Sabha Unstarred Question No. 6783 for 19th May, 1972, it was stated that an amount of Rs. 1,11,000 (and **not** Rs. 7,77,000) was outstanding as arrears of Income-tax from M/s. Modi Industries Ltd., as on 31st March, 1972. This amount has since been collected after giving effect to the order of the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax.

Fall in Production of Jute Mills

3377. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Jute Mills in West Bengal suffered loss of production to the tune of about Rs. 8 crores from January till now;

(b) whether out of the aforesaid amount the loss of foreign exchange was to the tune of Rs. 5 crores; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir.

(b) The loss of foreign exchange due to power cuts from June to July, 1973, is estimated around Rs. 4 crores.

(c) The State Government is fully seized of the situation and is taking necessary remedial measures.

Agreement for Loans from Canada

3378. **Shri Chandu Lal Chandrakar** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Canada has agreed to give a loan of five crore dollars to India;

(b) whether prior to this another agreement was also concluded with Canada; and

(c) if so, the terms and conditions for repayment of loans in case of both these agreements?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir. A Loan Agreement for Canadian $ 50 million for the import of industrial commodities and fertilizers from Canada over a two-year period 1973—75 was signed in Ottawa on 18th July, 1973.

(b) A similar agreement for Canadian $ 50 million for the import period 1972—74 had been signed in June, 1972.

(c) The loans are repayable in 50 years, with an initial grace period of 10 years, and carry no interest, service or commitment charges.

सरकारी उपक्रमों द्वारा आपस में और सरकारी विभागों के साथ किये गये बिक्री सौदे

3379. **श्री श्याम नन्दन मिश्र**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रमों द्वारा आपस में और सरकारी विभागों तथा संस्थानों के साथ कितने बिक्री सौदे किये गये ; और

(ख) उक्त वर्षों में सरकारी उपक्रमों की कुल बिक्री की तुलना में इन सौदों का अनुपात क्या है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख). सरकार इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखती क्योंकि यह विषय सरकारी उद्यमों के दैनंदिन के प्रशासन के अन्तर्गत आता है। किन्तु वर्ष 1969-70 और 1970-71 संघीय सरकार (वाणिज्यिक) के लिए नियंत्रक और महालेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार सूचना निम्नलिखित थी :

	1969-70	1970-71
	(51 कम्पनियों के संबन्ध में)	(64 कम्पनियों के संबन्ध में)
(I) कुल बिक्री	479 करोड़ रुपये	930 करोड़ रुपये
(II) सरकारी विभागों को की गई बिक्री (जोड़ का प्रतिशत)	33%	25%
(III) सरकारी उपक्रमों को की गई बिक्री (जोड़ का प्रतिशत)	35%	29%

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा विभिन्न उद्योगों को दिया गया ऋण

3380. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा कृषि उत्पादनों से संबद्ध विभिन्न उद्योगों को कितना ऋण दिया गया है ; और

(ख) इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). कृषि पुनर्वित्त निगम मुख्य रूप से पुनर्वित्त अभिकरण है जो केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्यक बैंकों जैसे पात्र संस्थानों को जो निगम के शेयर धारक हैं, वित्तीय सहायता देता है। 1969-70 से 1972-73 तक की तीन वर्षों की अवधि में निगम ने पुनर्वित्त व्यवस्था के अलावा चाय और रबर बागान तथा मछली पालन की योजनाओं के लिये, जिसका संबन्ध परिष्करण कार्यविधियों से है जो कृषि उत्पादन से जुड़ी हुई है, 170.50 लाख रुपये की पुनर्वित्त सहायता मंजूर की है।

मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिये आकर्षक स्थानों के विकास का प्रस्ताव

3381. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटकों के आकर्षण के अधिक स्थानों के विकास के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में वर्षवार मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये कितनी धनराशि दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). फिलहाल नहीं।

(ग) मध्य प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथ में ली गयी पर्यटन स्कीमें निम्न प्रकार हैं :—

	रुपये
1. कान्हा आखेट पशु शरण-स्थान	
(क) कान्हा का विद्युतीकरण (कार्य पूरा हो चुका है) . .	2,51,000
(ख) पानी की सप्लाई (कार्य प्रगति पर है) . .	1,00,000
(ग) दो मिनी बसों की व्यवस्था (कर दी गयी) . .	80,000
(घ) कान्हा में बारासिंघा प्रायोजना तथा एनीकटों का निर्माण (कार्य पूरा हो चुका है)	1,11,000
2. भोपाल में युवा होस्टल का निर्माण (पूरा होने वाला है)	3,20,000
3. खजुराहो :	
(क) टैंकों की मरम्मत तथा कैम्पिंग के लिये भूमि की खरीद (कार्य पूरा हो चुका है)	1,00,000
(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा खजुराहो में यात्री लाजों का विस्तार	20,00,000
(ग) पानी की सप्लाई (कार्य प्रगति पर है)	7,46,000
4. सांची में पानी की सप्लाई (कार्य प्रगति पर है)	1,92,000
	39,00,000

प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों को बनाये रखना

3382. **श्री वयालार रवि** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों को उचित स्तर तक बनाये रखने तथा इसके मूल्यों के उतार चढ़ाव को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदम कहां तक सफल हुए हैं ; और

(ख) बाजार में प्रचलित मूल्य क्या हैं और प्राकृतिक रबड़ के लिये सरकार द्वारा निश्चित किया गया न्यूनतम मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम और केरल सरकार को लघु उपजकर्ताओं के लिये न्यूनतम अधिसूचित कीमतें सुनिश्चित करने के लिये रबड़ बाजार में अभिनियोजित किये जाने के परिणामस्वरूप बाजार कीमतों में काफी सुधार हुआ है और वे कीमतें अधिसूचित कीमतों के स्तर के आसपास हैं यद्यपि वे अभी भी अधिसूचित स्तर से कुछ नीचे ही हैं। प्राकृतिक रबड़ के निर्यात को सुकर बनाने संबन्धी भारत सरकार के विनिश्चय से भी महत्वपूर्ण तथा हितकारी प्रभाव पड़ा।

(ख) बाजार में कोट की गई कीमतें केवल लाट रबड़ के लिये होती हैं जिसमें आर० एम० ए-ग्रेड 3, 4 तथा 5 की रबड़ शामिल होती है । इन ग्रेडों के लिये न्यूनतम अधिसूचित कीमतें क्रमशः 513.40 रु०, 505.68 रु० तथा 496.86 रु० हैं । तीनों ग्रेडों की समान मात्राओं वाले लाट रबड़ की औसत अधिसूचित कीमत 505.31 रु० बनती है । इसके विपरीत, अप्रेल, मई, जून और जुलाई, 1973 के महीनों के दौरान लाट रबड़ की औसत बाजार कीमत क्रमशः 486.21 रु०, 478.60 रु०, 478.29 रु० और 482.96 रु० थी ।

रबड़ बोर्ड कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

3383. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों ने बोनस की मांग की है ;

(ख) रबड़ बोर्ड ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) रबड़ बोर्ड ने इस संबन्ध में कुछ प्रस्थापनाएं की हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

भारत तथा यूरोपीय साझा बाजार के देशों के बीच पटसन के बारे में समझौता

3384. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष मई में भारत और यूरोपीय आयोग के बीच काफी बातचीत के बाद पटसन के बारे में जो समझौता हुआ था, उसका यूरोपीय साझा बाजार के देशों द्वारा पालन किये जाने की कोई संभावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में इस बीच और क्या घटनाएं हुई हैं, और इसके पालन के बारे में क्या आपत्तियां की गई हैं ; और

(ग) इन घटनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते । ब्रसेल्स में 21 से 23 मई, 1973 तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा भारत से पटसन की वस्तुओं के आयात पर टैरिफ तथा अन्य रियायतों के संबन्ध में कुछ समझौता हुआ है । इस समझौते को समाविष्ट करने वाले करार को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

युवक होस्टलों का निर्माण

3385. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में 16 युवक होस्टलों के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(ख) क्या ये होस्टल राज्यों की राजधानियों में बनाये जायेंगे अथवा इनका निर्माण उन कस्बों और शहरों में किया जायेगा, जहां अधिक संख्या में विश्वविद्यालय हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के लिए एक होस्टल नियत किया गया है अथवा युवकों की सर्वाधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए एक से अधिक होस्टलों का नियतन किया गया है;

(घ) क्या वाराणसी नगर में, जहां तीन विश्वविद्यालय हैं, जो किसी अन्य नगर अथवा राजधानी की अपेक्षा अधिक हैं; कोई युवक होस्टल खोला जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस दावे की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** देशी तथा विदेशी युवा यात्रा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने 17 केन्द्रों पर युवा होस्टलों के निमार्ण की एक योजना तैयार की है । 16 युवा होस्टल प्रायोजनाओं के संबन्ध में वित्तीय मंजूरी दी जा चुकी है जिन में से कुछ पहले ही पूरी हो चुकी हैं तथा शेष निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं । केन्द्रों का चयन विद्यार्थियों की पुरातत्व, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, आधुनिक वास्तुकला, समुद्रतट आदि में विशेष रुचि का ध्यान रख कर किया गया है तथा उसमें राज्यों की राजधानियां तथा विश्वविद्यालयी नगर सम्मिलित हैं ।

(ग) नैनीताल में 3.47 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक युवा होस्टल का निर्माण कार्य चल रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि किसी नगर विशेष में स्थित विश्वविद्यालयों की संख्या इसके युवा होस्टल केन्द्र के रूप में चयन के लिए एकमात्र कसौटी नहीं है । ऐसा समझा जाता है कि राज्य सरकार पांचवीं योजना में वाराणसी में एक युवा होस्टल स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रही है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई विशेष सहायता

3386. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से योजना से बाहर विशेष सहायता राशि देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का मापदण्ड

3387. **श्री के० एस० चावड़ा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार महत्वपूर्ण औषधियों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये सामान्यतः क्या मापदंड अपनाती है;

(ख) क्या मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा उत्पादित बीटापिकोलन तथा मैसर्स जान वैथ द्वारा उत्पादित प्रोडिनसोलीन के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अथवा सीधे वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा उक्त दोनों औषधियों के सीमित आयात की अनुमति देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) आयातों पर रोक लगाने के लिये सामान्यत: अपनाये जाने वाले मापडदण्ड हैं, घरेलू उत्पादन तथा मांग, स्वदेशी उत्पादों की क्वालिटी तथा कीमतें और विदेशी मुद्रा प्राप्यता ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। 1973-74 की अवधि की आयात नीति के अनुसार, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वीटापिकोलीन का आयात करने की अनुमति प्रतिबंधित आधार पर दी जाती है । वास्तविक प्रयोक्ताओं को प्रतिबंधित आधार पर सीधे ही प्रीडनीसोलीन का आयात करने की अनुमति है ।

उड़ीसा में उद्योगों को स्थापित करने के लिए जीवन बीमा निगम से ऋण

3388. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने विभिन्न राज्यों को औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने के लिए ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋणों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उड़ीसा को ऐसे ऋण न देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): **(क) और (ख)** जीवन बीमा निगम औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए सहकारी और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को राज्य सरकार की जमानतपर ऋण देता है । 31 मार्च, 1973 तक इस प्रयोजनार्थ दिए गए ऋणों का राज्यवार, विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

राज्य	31-3-73 तक दिए गए
	(लाख रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	21.98
गुजरात	98.39
महाराष्ट्र	157.51
राजस्थान	4.10
तमिलनाडु	15.35
कुल	297.33

ऊपर दिये गए आंकड़े अनन्तिम हैं और उनकी लेखापरीक्षा होनी है।

(ग) उड़ीसा सरकार ने औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए जीवन बीमा निगम से कोई ऋण नहीं मांगा है ।

उदार लाइसेंस नीति का अपनाया जाना

3389. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री राम प्रकाश :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता संघ ने औद्योगिक विकास में उदार लाइसेंस नीति अपनाने के लिए हमारे देश को सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) **और** (ख) भारत सहायता संघ ने औद्योगिक क्षेत्र में हुई तेज प्रगति को नोट किया और यह आशा व्यक्त की कि सरकार द्वारा पूंजी लगाये जाने के वातावरण को सुधारने के लिए लाइसेंस विषेयक और अधिक उदार नीति अपनाने जैसे उपायों द्वारा औद्योगिक उत्पादन में तेजी से बराबर वृद्धि होगी ।

दक्षिण भारत में चमड़े के व्यापारियों द्वारा हड़ताल

3390. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के चमड़ा व्यापारियों ने केन्द्र सरकार का ध्यान कोटा प्रणाली से उद्योग पर पड़ने वाले भारी संकट की ओर ध्यान दिलाने के लिये 12 और 13 जुलाई, 1973 को दो दिन की हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण भारत व्यापारी एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि यद्यपि खालों पर 10 प्रतिशत और चमड़े पर 20 प्रतिशत कटौती की घोषणा की गई थी लेकिन प्रत्येक निर्यातक को वस्तुतः 50 प्रतिशत की हानि होगी;

(ग) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या उनके विरोध को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किये जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) दक्षिण भारतीय चमड़ी तथा खाल व्यापारी एसोसियेशन ने अभ्यावेदन किया है कि सर्वोत्तम वर्ष के निष्पादन के आधार पर प्रत्येक निर्यातक के लिये वास्तविक कटौती 45 प्रतिशत बैठेगी।

(ग) तथा (घ) वर्ष 1973-74 के लिये समग्र कोटा सीमा निर्धारित करने हेतु वर्ष 1972 के दौरान किये गये समग्र निर्यातों के बारे में खालों पर 20 प्रतिशत तथा चमड़ियों पर 10 प्रतिशत कटौती की गई है। प्रत्येक निर्यातक पर की जाने वाली कटौती का अधिक होना लाजमी है क्योंकि उनका कोटा पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके सर्वोत्तम वर्ष के निष्पादन के आधार पर निर्धारित किया गया है। पहले कोटा योजना 1 अप्रैल, 1973 से लागू होनी थी परन्तु चमड़ा व्यापारियों द्वारा अभ्यावेदन किये जाने पर इसे 1 अप्रैल, 1973 के बजाय 1 अगस्त, 1973 से लागू किया जायेगा। वर्ष 1973-74 के लिये प्रत्येक के लिये निर्धारित कोटे में से चालू वर्ष की शेष अवधि के दौरान निर्यात किये जाने के लिये केवल 50 प्रतिशत रिलीज किया जायेगा जो कि अप्रैल-जुलाई, 1973 के दौरान पहले ही किये जा चुके निर्यातों के अतिरिक्त होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य में मनोरंजन कर की बकाया राशि

3391. **श्री बी० आर० शुक्ल:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर की कितनी राशि वसूल की जानी बाकी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): 1971-72 के अन्त में मनोरंजन कर और बाजी कर की बकाया राशि 17,000 रुपये थी।

भारत में स्मारकों के विकास के संबंध में 'यूनेस्को' के श्री एस० आर० आलचिन का प्रतिवेदन

3392. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में स्मारकों के विकास के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के श्री एस० आर० आलचिन के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हां।

(ख) मई 1969 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में उस ने सिफारिशें की हैं जिन में पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करने के लिए पुरातत्वीय रूचि के स्थानों को जिन दिशाओं में विकसित किया जाना चाहिये उसके बारे में सुझाव दिये गये हैं। रिपोर्ट में वन्यजीव शरणस्थलों के विकास तथा पर्यटकों के मनोरंजन, स्मारकों सम्बंधी साहित्य का प्रकाशन, स्मारकों पर पुंज-प्रकाश, आदि पर भी सुझाव दिए गये हैं। सांस्कृतिक पर्यटनों के लिए स्कीमें बनाते समय इन सिफारिशों का ध्यान रखा गया है।

Import of Newsprint from U.S.S.R.

3393. **Shri Hukum Chand Kachwai:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the value in Indian currency of the newsprint being imported from the Soviet Union in the current financial year?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): The State Trading Corporation has entered into a contract for the import of newsprint valued approximately at Rs. 960 lakhs to be delivered from July 1973 to May 1974.

कृषि पुनर्वित्त निगम द्वारा किया गया पूंजी निवेश

3394. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना के दौरान सम्पूर्ण देश में कृषि वित्त नियम द्वारा किये गये कुल पूंजी निवेश के आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उसके वितरण का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) कृषि पुनर्वित्त निगम ने चौथी योजना की अवधि के दौरान जून, 1973 को समाप्त हुई अवधि तक वित्तीय सहायता के रूप में 194.64 करोड़ रुपया पुनर्वित्त के रूप में वितरित किया था ।

(ख) जून 1973 के अन्त में वितरण का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :

(लाख रुपयों में)

राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र	वितरित राशि
आन्ध्र प्रदेश	2,109.90
आसाम	36.00
बिहार	404.86
दिल्ली	6.42
गुजरात	3.461.05
हरियाणा	2,069.87
जम्मू और कश्मीर	52.75
केरल	241.50
मध्य प्रदेश	666.24
महाराष्ट्र	1,783.18
मैसूर	1,214.59
उड़ीसा	43.50
पंजाब	2,406.63
राजस्थान	378.04
तमिलनाडु	2,206.46
उत्तर प्रदेश	2,363.83
पश्चिम बंगाल	19.50
जोड़	19,464.32

समुद्री उत्पादों का निर्यात

3396. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 की तुलना में गत वर्ष अर्थात् 1972-73 में अधिक मात्रा तथा मूल्य के समुद्री उत्पादों का निर्यात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में कुल कितने और कितने मूल्य के उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या समुद्री उत्पादों के सब मदों या केवल कुछ मदों के निर्यात में वृद्धि हुई; और

(घ) क्या इनके निर्यात में वृद्धि होने की प्रबल सम्भावनाएं हैं; और यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) 59.72 करोड़ रु० मूल्य के 38,903 मी० टन ।

(ग) अधिकांश मदों के निर्यात में वृद्धि हुई है ।

(घ) जी हां। निर्यातों को बढ़ाने के लिये उठाये गये कदमों में ये शामिल हैं:—

(1) आयात के लिये पहले से अनुमोदित 30 ट्रालरों के अलावा 50 और ट्रालरों के आयात प्राधिकृत किये गये हैं ।

(2) यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के लिये रियायती दरों पर डीजल तेल देने की व्यवस्था ।

(3) इस उद्योग के सभी पहलुओं के समन्वय हेतु जिनमें विपणन भी शामिल है, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है ।

(4) परम्परागत एवं नये दोनों प्रकार के बाजारों में गहन अध्ययन किये जा रहे हैं ।

(5) समुद्री उत्पादों की ऐसी नई मदों का पता लगाया जा रहा है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है ।

विदेशों को दिये गये ऋण की अदायगी

3397. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत से ऋण लिया हुआ है;

(ख) ये ऋण कब दिये गये थे और अब तक ब्याज सहित उसकी कितनी धनराशि प्राप्त हो गई है;

(ग) क्या विदेशों को दिया गया ऋण, भारत को ऋण की शर्तों के अनुरूप लौटाया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उन देशों के नाम क्या है जो ऋण की अदायगी नियमित रूप से नहीं कर रहे है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) नेपाल, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, भूटान और बंगलादेश ।

(ख) ये ऋण 1964 से 1973 तक दिए गये थे और अब तक ब्याज सहित वापस की गयी रकम 14.58 करोड़ रुपये है ।

(ग) और (घ) : जी, हां। परन्तु बंगलादेश को दिए गए कुछ ऋणों के मामले में ब्याज की अदायगी के तरीके के बारे में उस देश के अनुरोध पर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है।

उड़ीसा सरकार का उड़ीसा में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने हेतु वित्त पोषण का अनुरोध

3398. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा में भारत के चुने हुए पर्यटक केन्द्र के अनुरूप, एक पर्यटक स्वागत केन्द्र का निर्माण करने हेतु वित्त-पोषण का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख); इस आशय की एक प्रार्थना हाल ही में उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुई है, परन्तु अत्याधिक सीमित साधनों तथा इस तथ्य के कारण कि उड़ीसा में एक पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण को चौथी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, पर्यटन विभाग के लिए प्रस्ताव को कार्यान्वित करना संभव नहीं हुआ है । तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि कोर्णाकि तथा भुवनेश्वर में यात्री लाजों का परिचालन करता है, भुवनेश्वर में यात्री लाज के वर्तमान 12 डबल कमरों में 25 डबल कमरों की अभिवृद्धि करके विस्तार-कार्य को हाथ में ले रहा है । भारत पर्यटन विकास निगम की पुरी में रेलवे होटल को अपने अधिकार में ले लेने तथा इसके 32 कमरों की वर्तमान क्षमता में 40 डबल कमरों की अभिवृद्धि करके इसका विस्तार करने की भी योजनाएं हैं ।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों के उड़ान के घंटों पर सीमा

3399. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स के विमान चालकों के उड़ान के घंटों पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है और उसके एक विमान चालक को 12 घंटे उड़ान करनी पड़ती है जब कि विश्व के अन्य देशों में उड़ान के घंटों की सीमा की परिपाटी विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं । इंडियन एयरलाइंस में लाइन पायलटों के लिए उड़ान तथा ड्यूटी के समय की सीमाएं, जो कि भारतीय आणिज्यिक विमान चालक संघ की सहमति से निर्धारित की गयी हैं, निम्न प्रकार है :—

		जैट विमान चालक	टर्बो-प्राप तथा पिस्टन इंजन विमान चालक
		घंटे	घंटे
उड़ान काल	दनिक	$6\frac{1}{2}$	8
	साप्ताहिक	26	32
	मासिक	65	80
	वार्षिक	650	800
कार्य काल		$9\frac{1}{2}$	11

चमड़े के जूतों के निर्यात में वृद्धि

3400. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चमड़े के जूतों के निर्यात में आये वर्ष वृद्धि हो रही है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) किन देशों को चमड़े के जूतों का निर्यात किया जाता है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा चमड़े के जूतों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उसकी निर्यात की किस्म को बनाये रखने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971-72 को छोड़कर, चमड़े के जूतों के निर्यातों में मामूली सी वृद्धि होती रही है। यह वृद्धि, राज्य व्यापार निगम तथा अन्य निर्यातकों द्वारा किए गए विपणन सम्बन्धी प्रयासों के कारण हुई है।

(ख) आस्ट्रेलिया, बल्गारिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्यों नेपाल, स्विटजरलैंड, ब्रिटन, सं० रा० अमरीका, सोवियत संघ तथा जाम्बिया ।

(ग) जी हां ।

(घ) मोटी रूपरेखा ये है :–

(1) अर्ध-साधित खालें तथा चमड़ियों के निर्यातों पर मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं, जिसका एक उद्देश्य यह है कि जूता उद्योग को समुचित कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध हो सके ।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से बदलते हुए फैशनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्टाइलों, डिजाइन तथा माल के संबंध में गवेषणा तथा विकास।

(3) उत्पादन की तकनीकी क्रियाविधियों तथा विभिन्न सामग्रियों के प्रयोग पर कुशल मार्गदर्शन की व्यवस्था करना और प्रक्रिया के दौरान और साथ ही अन्तिम क्वालिटी नियन्त्रण के लिए कारखानों/चमड़ा कमाने वाले कारखानों के नियमित रूप से दौरे करना ।

(4) निर्यात हेतु पत्तन नगरों को रेल द्वारा माल भेजने के लिए अग्रिम भुगतानों की सुविधा ।

(5) निर्यात, निर्यात संभाव्यता का पता लगाने तथा निर्यात क्रयादेश प्राप्त करने के लिए बाजार अध्ययन ।

(6) जूते बनाने वाले लघु घरेलू क्षेत्र के एककों को प्रोत्साहन देना ताकि वे आपस में मिल कर जीवनक्षम प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां बना सकें और यंत्रीकरण भी आरम्भ कर सकें।

Cotton Mills Manufacturing Synthetic Fibres

3401. **Shri Dhan Shah Pradhan**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the number of cotton mills and the number of the mills which manufacture synthetic fibres;

(b) the number of mills out of them which have been taken over by Government; and

(c) whether there are still some mills in the private sector which are not running properly and, if so, the number thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली हवाई अड्डे पर लगाये गये इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टेम के कार्यकरण की जांच करने के लिए उसके निर्माताओं को विशेषज्ञ भेजने के लिए कहना

3402. श्री धनशाह प्रधान :

श्री डी० बी० चन्द गौडा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली हवाई अड्डे पर लगाये गये विवादस्पद इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के कार्यकरण की जांच करने के लिए उसके ब्रिटिश निर्माताओं को विशेषज्ञ भेजने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ ने पुष्टि की है कि यान्त्रिक अवतरण प्रणाली अपने सामान्य रूप से कार्य कर रही है ।

Payment of Project Allowance to Central Government Employees Posted at Mandi (Himachal Pradesh)

3403. **Shri Narain Chand Parashar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the Central employees working in the Income-Tax and Posts and Telegraph Departments and in the office of the Accountant General, Punjab and Chandigarh posted at Mandi (Himachal Pradesh) are getting any project allowance;

(b) if so, the rates thereof;

(c) whether the employees of the Central Public Works Department posted at Mandi also get project allowance;

(d) if so, the rate thereof and if not, the reasons therefor; and

(e) the action proposed to be taken by Government to remove the discrimination in this regard and the time by which it would be done?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir.

(b) Class IV staff	10½% of pay
Class III staff drawing pay upto Rs. 550 p.m.	17½% of pay
Gazetted staff drawing pay upto Rs. 550 p.m.	12½% of pay
Staff drawing pay from 551 to Rs. 1,750 p.m.	10% of pay

(c) to (e) No staff of Central Public Works Department is, at present, posted at Mandi and therefore, the question of payment of project allowance to them does not arise.

पालम हवाई अड्डे पर टैक्सी चालकों द्वारा भारतीय और विदेशी यात्रियों को परेशान किया जाना

3404. **श्री डी० पी० जदेजा:**

श्री अरविन्द एम० पटेल:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पालम हवाई अड्डे पर टैक्सी चालकों द्वारा भारतीय और विदेशी यात्रियों को परेशान किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) हवाई अड्डे पर भारतीय तथा विदेशी यात्रियों को और अधिक टैक्सी सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इस संबंध में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस अनिष्ट को रोकने के लिये सख्त कदम उठा रहा है जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:—

(1) विमानक्षेत्र के अन्दर टैक्सियों के खड़ा करने तथा संचलन पर नियंत्रण ।

(2) टैक्सियों के दलालों तथा प्रचार एजेंटों को निरुत्साहित करना ।

(3) विमानक्षेत्र से जाने वाली प्रत्येक टैक्सी की तलाशी लेना ।

(4) अनधिकृत निजी टैक्सियों पर निगरानी रखना।

(ग) विमानक्षेत्र पर उपलब्ध टैक्सियों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है ।

विभिन्न प्रकार की सूती धागों की उत्पादन लागत

3405. **श्री बी० के० दास चौधरी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किस्म और प्रकार के अनुसार उत्पादनकर्त्ताओं के लाभ सहित गत तीन वर्षों में विभिन्न काऊंट के सूती धागों की पृथक-पृथक उत्पादन लागत क्या है ;

(ख) क्या इस प्रकार के सूती धागों के उत्पादनकर्त्ता अत्याधिक लाभ उठा रहे हैं और फिर भी सूती धागों के मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार सूती धागों के मूल्य स्थिर करने के लिये सख्त कार्यवाही कर रही है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार ने सूत की लागत के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है, अतः उनके पास न तो विभिन्न काऊंटों के सूत की विनिर्माण लागत के विषय में और न सूत के विनिर्माताओं द्वारा कमाये जाने वाले लाभ के बारे में ही कोई जानकारी है। सूत की कीमतों पर 13 मार्च, 1973 से कानूनी तौर पर नियंत्रण लगाया गया है । पिछले कुछ महीनों से देशी तथा आयातित रूई की कीमत में वृद्धि और 1 मार्च, 1973 से विदेशी रूई पर यथामूल्य सीमाशुल्क में 40 प्रतिशत अधिक लेवी को देखते हुए, सूत उत्पादक कानूनी तौर पर निर्धारित कीमत को बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। तथापि अभी तक ऐसी किसी भी वृद्धि की अनुमति नहीं दी गई है । कीमत पर लगे वर्तमान कानूनी नियंत्रण के अलावा सूत की कीमतों के संबंध में इस समय कोई भी और कदम उठाने का विचार नहीं है ।

देश में सूती धागे का उत्पादन

3406. **श्री वी० के० दास चौधरी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश की कुल मांग को पूरा करने के लिये सूत का उत्पादन बढ़ाने हेतु उनका मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : सरकार ने चतुर्थ योजना अवधि के दौरान 25 लाख अतिरिक्त तकुओं के लिए लाइसेंस देने का विनिश्चय किया था । इनमें से, 14 लाख तकुओं के लिए परमिट पहले ही जारी किये जा चुके हैं और आशा है कि शेष तकुओं के लिए परमिट चतुर्थ योजना की शेष अवधि के दौरान जारी कर दिये जाएंगे ।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण संबंधी नीति

3407. **श्री वी० के० दास चौधरी** :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में और आगे होने वाली वृद्धि को रोकने की दृष्टि से इन अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य स्थिरीकरण संबंधी नीति की घोषणा करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार चयनात्मक आधार पर मूल्यों के नियंत्रण की प्रणाली को क्रियान्वित करती रही है जिससे कि महत्वपूर्ण वस्तुएं उसके अंतर्गत आ जाएं। जब आवश्यक समझा जाता है, वस्तुओं की सूची में संशोधन कर दिया जाता है । मूल्यों और वितरण संबंधी नियंत्रणों की अनुपूर्ति मुद्रा तथा राजस्व विषयक और प्रशासनिक उपायों द्वारा की जाती है जिनका उद्देश्य अर्थ-व्यवस्था में नकदी अथवा नकदी जैसी परिसम्पत्ति की अतिरिक्त मात्रा को कम करना, सट्टेबाजी को रोकथाम करना और उदाहरणार्थ आयात के जरिए वस्तुओं की उपलब्धता में वृद्धि करना होता है । हाल ही में, मुद्रास्फीतिकारक दबावों को कम करने के उद्देश्य से ऋण-नियंत्रणों को और कड़ा बनाने और सरकारी व्यय में किफायत करने के लिए कदम उठाये गए हैं।

नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक में सेविंग बैंक खाता

3408. **श्री बी० के० दास चौधरी :**

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेविंग बैंक खातों के मामले में देश में काम कर रहे सभी बैंकों के लिये समान नियम है ;

(ख) क्या नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक के नियम देश के अन्य बैंकों के नियमों से भिन्न हैं जिनके अनुसार न्यूनतम शेष 500 रुपये रखना होता है और किसी समय शेष 500 रुपये से कम हो जाये तो खातेदार को ब्याज नहीं मिल सकता और इस प्रकार के लेखों में से 10 रुपये सेवाखर्च के रूप में एक पद्धति ढंग से काटे जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले में कार्यवाही करने तथा नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक को यह कहने का है कि वह भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्देशाधीन अन्य बैंकों द्वारा अपनाये गये मानक नियमों का अनुकरण करे ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक लि० के सेविंगस बैंक नियम में किये गये नवीनतम संशोधनों के अनुसार, जो पहली अक्तूबर, 1973 से लागू होंगे 250 रुपये की रकम सभी समय न्यूनतम शेष राशि के रूप में रखनी होगी । नियम का उल्लघंन करने पर प्रति छमाही 10 रुपये सेवा खर्च के रूप में देने होंगे । और चैक बुक की सुविधा प्राप्त करने के लिए 500 रुपये की रकम न्यूनतम शेष राशि के रूप में रखनी होगी । नियम का उल्लघंन करने पर प्रति छमाही 10 रुपये सेवा खर्च के रूप में देने होंगे । ब्याज केवल उन खातों के विषय में ही लगेगा जिन खातों में कैलेंडर वर्ष की पूरी छमाही में न्यूनतम शेष राशि 250 रुपये होगी ।

(ग) जमा रकमों पर दिये जाने वाले ब्याज की दर को छोड़ कर रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा खातों के कार्यचालन पर कोई और शर्त नहीं लगायी है ।

Value of Goods likely to be Exported during 1973-74

3409. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the estimated value of goods likely to be exported during the financial year 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : The Fourth Five Year Plan envisaged an export target of Rs. 1900 crores for the year 1973-74. Efforts are being made to realise the level of exports projected for the current financial year, 1973-74.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में समयोपरि भत्ता पर होने वाले व्यय में कटौती करने के बारे में कर्मचारी संघों का सहयोग

3410. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में समयोपरि भत्ते के रूप में होने वाले व्यय को कम करने के लिए इन बैंकों के कर्मचारी संघों का सहयोग मांगा गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक, इस बात को मानकर कि समयोपरि भत्ते की अदायगी में कमी कर्मचारियों के सहयोग से ही की जा सकती है, कर्मचारी संघों का सहयोग प्राप्त करते हैं जब कभी संघों की ओर से किसी भी तरह की सहायता प्राप्त होती है।

(ख) कुल मिला कर शाखा स्तर के जो संघ हैं वह समयोपरि भत्ते में कमी करने के संबंध में बहुत उत्साहित नहीं रहे हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों के लिये दिया गया धन

3411. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में लघु उद्योगों को दिया गया वित्त सभी उद्योगों को वितरित किये गये वित्त की तुलना में अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहा है;

(ख) यदि हां, तो लघु औद्योगिक एककों के संबंध में इस अवधि के दौरान इस सहायता की प्रतिशतता कितनी रही है; और

(ग) इस क्षेत्र के लिए बेहतर वित्त आंवटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशियां लगातार बढ़ती रही हैं।

निम्नलिखित के अनुसार अंतिम शुक्रवार को	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिए गए अग्रिमों की बकाया राशियां (करोड़ रुपयों में)
मार्च, 1970	198.72
मार्च, 1971	243.88
दिसम्बर, 1971	263.03
मार्च, 1972	283.69
दिसम्बर, 1972	315.34

(ख) बड़े पैमाने के उपयोगों के लिये बैंक ऋणों का समय क्रम के अनुसार पूरा ब्यौरा प्राप्त नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सम्पूर्ण रूप से औद्योगिक क्षेत्र और छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गय ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 1968 और अप्रैल, 1972 के लिये जो सूचना संकलित की है उससे संकेत मिलता है कि जहां मार्च, 1968 में, छोटे पैमाने के उद्योगों को दिया गया ऋण संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये ऋण का 10.7 था वहां अप्रैल, 1972 में तदनुरूप अनुपात बढ़कर 17.7 प्रतिशत हो गया।

(ग) छोटे पैमाने के उद्योगों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र माना जाता है और बैंक इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में निधि प्रवाहित करने का लगातार प्रयत्न करते हैं ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विदेशों से अलोह धातुओं का क्रय

3412. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को विदेशों से अलोह धातुओं का क्रय करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है ;

(ख) क्या निगम को यह भी कहा गया है कि वह विश्व धातु बाजार के उतरते-चढ़ते मूल्यों के विरुद्ध संभावित सुरक्षा के रूप में इन अलोह धातुओं के लिए अधिक दीर्घकालीन करार करने का लक्ष्य बनाये ; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त दो बातों के आधार पर किन-किन देशों से वार्ता किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) अलोह धातुओं की सप्लाई के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम विदेशी उत्पादकों व संभरकों के साथ पहले ही दीर्घकालिक संविदाएं करता रहा है ।

(ग) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने तांबे की सप्लाई के लिए, जाम्बिया तथा पीरू के साथ हाईग्रेड जस्त पिंड़ों की सप्लाई के लिए आस्ट्रेलिया व कांगो के साथ प्राइम वेस्टर्न जस्त की सप्लाई के लिए जापान के साथ और सीसे की सप्लाई के लिए आस्ट्रेलिया के साथ दीर्घकालिक संविदाएं की हैं। वे निकल की सप्लाई के लिए कनाडा के साथ भी दीर्घकालिक संविदा को अंतिम रूप दे रहे हैं।

त्रिपुरा में खोवाई, कमालपुर तथा कैलाशाहर को मिलाने वाली हवाई सेवाओं के बन्द किये जाने का प्रस्ताव

3413. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा में खोवाई, कमालपुर तथा कैलाशाहर को मिलाने वाली हवाई सेवाओं को बन्द करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या ये हवाई मार्ग ऐसे क्षेत्र के लिये हैं जो रेल न होने के कारण सारे देश से कटा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विमानों की कमी के कारण यह प्रस्ताव किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपने भवनों तथा आस्तियों को भारत सरकार को सौंपना

3414. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने अपना भारत की सहायता संबंधी कार्यक्रम बन्द कर दिया है और नई दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में स्थित अपने भवनों, सामान, उपकरणों आदि को सरकार को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो सौंपे गए भवनों, सामान तथा उपकरणों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इनका उपयोग किस कार्य के लिए करेगी?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) जी, नहीं; संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को सहायता देने का कार्यक्रम समाप्त नहीं किया है। किन्तु, विदेशी सहायता और सहयोग के संबंध में हमारे चयनात्मक दृष्टकोण के संदर्भ में, अमेरिका द्वारा भारत को दी जाने वाली तकनीकी सहायता, केवल भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी समिति परियोजना के लिए अप्रैल, 1974 के अंत तक के लिए सीमित कर दी गई है; शेष परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता, उनके पूरे होने पर 30 जून, 1973 को समाप्त हो गई। इस कारण से नयी दिल्ली स्थित अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण मिशन के कर्मचारियों की संख्या काफी कम हो गयी है।

न्यास के रूप में रखे जाने के लिए तथा भारत में चलाये जाने वाले अमरीकी सहायता कार्यक्रम के कुछ स्थानीय खर्च को पूरा करने के उद्देश्य से अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के लिए समय-समय पर उपलब्ध की गयी पी० एल० 480 निधियों के अनुदान के रुपया अंश से अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने दक्षिण दिल्ली में एक भवन का निर्माण किया था और कुछ उपकरण, फर्नीचर आदि खरीदे थे। इसलिए उक्त भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि भारत सरकार की सम्पति है और जब अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण को अपने उपयोग के लिए इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी तब उनका कब्जा भारत सरकार को मिल जाएगा। नयी दिल्ली स्थित अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण मिशन की संख्या घट जाने पर उक्त अभिकरण ने, फरवरी, 1973 में तथा अप्रैल, 1973 में, उक्त भवन के दो खंडों का कब्जा सरकार को सौंप दिया था। निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्रालय ने ये खंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को अलाट कर दिये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने यह सूचित किया है कि शेष खंड 30 सितम्बर तक सरकार को सौंपे दिये जायेंगे।

दिल्ली में तथा देश के अन्य स्थानों पर अभिकरण के पास जो फर्नीचर, उपकरण आदि थे उन्हें सरकार ने मंत्रालयों, परियोजनाओं आदि के उपयोग के लिए अपने हाथ में ले लिया है।

भारत और बंगलादेश के बीच रुपये के व्यापार में संकट

3415. **श्री एच० एम० पटेल**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंगलादेश के बीच रुपए के व्यापार में संकट पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ग) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय सीमित भुगतान प्रबंध के अंतर्गत भारत और बंगलादेश के बीच व्यापार से है । करार के कार्यकरण के संबंध में ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं आई हैं।

2. व्यापार करार तथा सीमित भुगतान प्रबंध के कार्यकरण का पुनर्विलोकन अक्तूबर, 1972 और जुलाई, 1973 के प्रथम सप्ताह में किया गया था । यह देखते हुए कि आंतरिक परिवहन, नौवहन सीमित रूप में था और दोनों देशों के बीच लम्बे अर्से तक व्यापार संबंधों के अभाव के पश्चात् पहली बार प्रक्रियात्मक व्यवस्था तैयार की जानी थी, यह बात नोट की गई कि सीमित भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत दोनों देशों का निर्यात निष्पादन बहुत ही संतोषजनक था । सभी प्रकार की परिवहन संबंधी बाधाओं के दूर करने के लिए प्रभावशाली तथा समय पर उपाय किए जाने के विचार से दोनों सरकारों ने एक संयुक्त परिवहन समन्वय समिति बनाने का विनिश्चय किया है ।

'मैल प्रेक्टिसिज माउंट इन एयर ट्रैवलिंग इन्डस्ट्री' शीर्षक के अंतर्गत छपा समाचार

3416. श्री प्रबोध चन्द्र:

श्री राम भगत पासवान:

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1973 के "संडे स्टेन्डर्ड" में "मैल प्रेक्टिसिज माउंट इन एयर ट्रेवलिंग इंडस्ट्रीज" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी हां ।

(ख) इस परिस्थिति का सामना करने के लिये निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) यू० एस० ए० तथा भारत व यू० के० तथा भारत के बीच रियायती वापसी भ्रमण किराए (एकसकर्शन फेयर्स) चालू किए गए हैं ;

(ii) भारत तथा फ्रांस व भारत तथा स्विट्जरलैंड के बीच घटी दरों पर युवा किराए (रिड्यूस्ड यूथ फेयर्स) चालू किए गए हैं ;

(iii) एयर इंडिया द्वारा सस्ते किरायों पर चार्टरों के परिचालन के लिए एक चार्टर कंपनी की स्थापना की गयी है ;

(iv) वायुयान नियम, 1937 में एक नए नियम का समावेश कर दिया गया है जिसमें विमान कंपनियों के लिये अपने टैरिफों को नागर विमानन के महानिदेशक को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है ;

(v) संबंध आई० ए० टी० ए० रेजोल्यूशन में ऐसी व्यवस्था (रेजर्वेशन) कर दी गयी है जिसके अनुसार यदि टिकटें आदि भारत में जारी की गई हैं तथा उनका भुगतान भारतीय रुपयों में किया गया है तो उसकी भारत से अन्य किसी भी देश में तथा भारतीय रुपए से अन्य किसी भी मुद्रा में वापसी नहीं की जाएगी ।

उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के प्रवर्तन संगठन (एनफोर्समेंट आर्गेनाइज़ेशन) तथा विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामलों से संबंधित हमारे सरकारी प्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

गुप्त आय की सूचना देने वाले मुखबरों को पुरस्कार

3417. **श्री प्रबोध चन्द्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन मुखबरों को पुरस्कार देने की कोई योजना है जो छिपे धन और उस धन का पता देने वाली संबंद्ध सूचना देते हैं जिस पर आय-कर की चोरी की गई हो और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इन मुखबरों और कर-चोरों के बीच वैमनस्य की भावना उत्पन्न न होने देने के लिए क्या इन मुखबरों या शिकायत करने वालों के नाम पूरी तरह गुप्त रखे जाते हैं और यदि नहीं, तो क्यों;

(ग) क्या कुछ मामलों में जांच करने वाले आयकर अधिकारियों द्वारा कर-चोरों के साथ मिली भगत से इन मुखबरों की सूचना के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है; और

(घ) बाद में अधिक विश्वस्त सूचना देने के लिए मुखबर या शिकायतकर्ता को आय-कर कार्यालय में किस प्राधिकारी या अधिकारी से सम्पर्क करना चाहिए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) ऐसे व्यक्तियों को शामिल करने के लिए जो धन-कर और सम्पदा-शुल्क के अपवंचन के बारे में भी सूचना देते हैं, पुरस्कार देने के नियमों में 1-7-1973 से संशोधन किया गया है । संशोधित पुरस्कार नियमों के अंतर्गत आयकर, धन-कर और सम्पदा-शुल्क के अपवंचन के बारे में सूचना देने वाले मुखबिरों को पुरस्कार देने में कोई भेद-भाव नहीं है । साधारणतः अधिकतम देय पुरस्कार लगाए गए और वास्तव में वसूल हुए अतिरिक्त आय-कर, धन-कर और सम्पदा शुल्क का 10 प्रतिशत होता है, जिसकी अधिकतम सीमा 25,000 रु० है, लेकिन 25,000 रु० की यह सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी, जहां उससे ऐसी अप्रकट ठोस परिसम्पत्तियों का पता चलता है, जिनका मूल्य दी गयी सूचना के परिणाम-स्वरूप कर-निर्धारण में शामिल कर लिया गया है और शामिल किए गये इस मूल्य के विरुद्ध कोई विवाद उठाया गया हो, तो अपील में अन्ततः उसकी पुष्टि कर दी गयी है ।

(ख) मुखबिरों के नाम गुप्त रखे जाते हैं।

(ग) जब कभी ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच-पड़ताल की जाती है और उचित कार्यवाही की जाती है ।

(घ) कर-अपवंचन के बारे में प्रामाणिक सूचना देने के लिए आयकर विभाग के किसी भी अधिकारी से जिसका ओहदा आयकर अधिकारी से कम न हो, जिसमें आयकर विभाग के गुप्त सूचना शाखा के अधिकारी भी शामिल हैं सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है ।

आयकर की चोरी करने पर हर्जाना

3418. **श्री प्रबोध चन्द्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आय-कर निर्धारण के नियमित मामलों को उन मामलों पर जिनकी सूचना सरकार को मुखबरों द्वारा दी जाती है, तरजीह दी जाती है, यदि हां, तो क्यों;

(ख) जिन कर-चोरों के बारे में सूचित किया जाता है उनके बैंक लेखों, लाकरों, चल और अचल संपत्ति की पूरी छानबीन करने और साथ ही उनके घरों, गोदामों और दुकानों आदि पर छापे मार कर पूरी जांच-पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) करों की चोरी के दोषी पाए गए व्यक्तियों से आय-कर के अतिरिक्त कितना हर्जाना वसूल किया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सभी प्रकार के मामलों में आय-कर-निर्धारण सामान्य तरह से करना होता है ताकि सरकार राजस्व एकत्रित कर सके। मुखबिरों द्वारा सरकार के ध्यान में लाए गये मामलों में भी नियमित कर-निर्धारणों के साथ-साथ और यदि शीघ्र जांच-पड़ताल किया जाना आवश्यक पाया जाय तो अलग से भी, कार्यवाही की जाती है ।

(ख) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशियां तभी ली जा सकती हैं जबकि आयकर आयुक्त को तलाशी की आवश्यकता के बारे में पूरी संतुष्टि हो और जहां उपलब्ध सूचना के आधार पर उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी कार्यवाही आवश्यक और समयोचित है । तथापि, सभी कर-निर्धारितियों के बैंक खातों और चल-अचल सम्पत्ति के अर्जन की सामान्य कर-निर्धारणों के दौरान जांच कर ली जाती है ।

(ग) आय को छिपाने के लिये दंड आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन लगाया जाता है । कानून में जैसाकि वर्तमान में वह है, यह व्यवस्था की गई है कि आय के छिपाने के मामलों में दंड छिपाई गई आय से कम नहीं होगा और उसके दुगने से ज्यादा नहीं होगा ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था

2419. **श्री सतपाल कपूर** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 1973 के इंडियन एक्सप्रेस में 'दिल्ली एयरपोर्ट स्क्योरिटी सैट-अप अनसैटिस्फैक्टरी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर सुरक्षा की व्यवस्था अभी भी असंतोषजनक है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, दिल्ली हवाई अड्डे पर 10 अगस्त, 1973 से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल नियुक्त कर दिया गया है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभों में कमी तथा उनके ग्राहकों को प्राप्त सेवा में कमी

3420. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री प्रसन्ना भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों की वर्षगांठ पर राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण की कोई समीक्षा की है ;

(ख) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी हुई है और ग्राहकों के प्रति सेवाएं संतोषजनक नहीं रही हैं ; और

(ग) सुचारू कार्यकरण तथा ग्राहकों के लिए विनम्र और शीघ्र सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ;

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के काम की समीक्षा सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार की जा रही है । इस प्रकार की समीक्षाओं में उन बैंकों के कार्य के सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है ।

(ख) और (ग) : बोनस की अदायगी करने के बाद वर्ष 1972 में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों का कुल शुद्ध लाभ वर्ष 1971 के तदनुरुप लाभ से कम था जिसके मुख्य कारण ये थे कि वाणिज्यिक क्षेत्र में दिये जाने वाले ऋणों में सामान्य कमी हो गयी और शीघ्रता से शाखाओं में विस्तार होने तथा छोटे ऋण-कर्ताओं के लिए नई सेवाओं का विकास होने के परिणामस्वरुप व्यय में वृद्धि हो गयी ।

बैंकों का लगातार यही प्रयत्न रहता है कि ग्राहक सेवा में सुधार किया जाय और सामान्य कुशलता में वृद्धि की जाय । इस दिशा में किये गये कुछ उपाय ये हैं : प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्षेत्र में और विषय में उपयुक्त परिवर्तन करना, ताकि छोटे ऋण कर्ताओं की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के प्रति कर्मचारियों को उपयुक्त नवज्ञान प्राप्त कराया जा सके ; कृषि, लघु उद्योग आदि के क्षेत्र में सक्षम कार्यक्रमों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन की देख रेख के लिए तकनीकी रुप से योग्य कर्मचारियों की भर्ती करना, प्रपत्रों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा प्रशासनिक ढांचे का विकेन्द्रीकरण करना ताकि क्षेत्रीय स्तर पर और शाखा स्तर पर अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकें ।

आयातित ऊनी चिथड़ों के अनुचित प्रयोग पर रोक के लिये कार्यवाही

3421. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री राज्य व्यापार निगम को ऊनी चिथड़ों का आयात करने की अनुमति देने के बारे में 27 जुलाई, 1973 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 909 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने आयातित ऊनी चिथड़ों का पुनः अनुचित प्रयोग रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : आयातित ऊनी चीथड़ों के फिर से अनुचित प्रयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(1) पोतलदान से पूर्व चीथड़ों को विदेश में क्षत-विक्षत कर दिया जाएगा ।

(2) एक गांठ में ऊनी अंश की कुल प्रतिशतता 60 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित चीथड़ों को वास्तव में क्षत-विक्षत कर दिया जाये, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड ने एक प्रक्रिया निकाली है ।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा दिल्ली-लखनऊ-पटना-गोहाटी विमान सेवा आरम्भ करना

3422. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन एयरलाइंस की दिल्ली-लखनऊ-पटना-गोहाटी विमान सेवा आरंभ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा कब से आरंभ की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

"आल इंडिया बैंक आफ बडौदा एम्प्लाइज" फैडरेशन को मान्यता देना

3423. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्प्लाइज' फेडरेशन को मान्यता देने का अपना निर्णय बदलने के लिए सरकार पर दबाब डालने का प्रयास किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) चूंकि संघों (यूनियनों) को मान्यता केवल सम्बद्ध प्रबन्धकों द्वारा दी जाती है इसलिए सरकार पर, उस के किसी संघ को मान्यता प्रदान करने के निर्णय को बदलने के लिए किसी प्रकार का दवाब डालने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । बैंक आफ बड़ौदा, जिसने आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाइज फैडरेशन को बैंक के कामगार कर्मचारियों के लिए सामुहिक रूप से समझौता करने के एकमात्र अभिकरण के रुप में मान्यता दी है, सूचित किया है कि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संस्था से सम्बद्ध आल इंडिया बैंक आफ बड़ौदा एम्पलाइज समन्वय समिति बैंक में इस मांग के साथ आन्दोलन कर रही है कि बैंक प्रबन्धकों को, जैसा कि अब तक किया जाता था, अखिल भारतीय विवादों पर उनके साथ भी बातचीत करनी चाहिए ।

चालू वर्ष में आयात के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा

3424. **श्री मधु दण्डवते :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष बढ़े हुए आयात के लिए कितने विदेशी मुद्रा अपेक्षित होगी; और

(ख) विदेशी मुद्रा संबंधी स्थिति सुधारने के लिए क्या ठोस उपाय किये जाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) चालू वर्ष में बढ़े हुए आयात के लिये सम्भवत: अपेक्षाकृत अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में सही-सही अनुमान लगाना तो सम्भव नहीं है किन्तु पिछले वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले आयात में लगभग 600 से 700 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी।

(ख) चालू वर्ष में बनायी गई आयात नीति का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना तथा आवश्यक आयातों में कमी करना है। निर्यात संवर्धन के उपायों में ये शामिल हैं:– पुनर्भरण लाइसेंस प्रणाली के माध्यम से आयातित कच्चा माल सप्लाई करना, क्षमता पर लगे नियंत्रणों का हटाया जाना तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना, जहां उचित हो वहां निर्यात शुल्कों का समाप्त किया जाना, उनमें कमी करना (जून के मध्य में कालीनों के प्राइमरी अस्तत पर निर्यात शुल्क में कमी कर दी गयी थी) तथा आयात शुल्कों और उत्पादन शुल्कों की वापसी देना। निर्यात सम्बन्धी दायित्वों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। निर्यात संवर्धन के लिए संस्थागत समर्थक उपायों को उत्तरोत्तर सुदृढ़ किया गया है।

अशोक होटल तथा अकबर होटल कार्यकरण में सुधार करने के लिये कार्यवाही

3425. **श्री मधु दंडवते**: क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनकि क्षेत्र में अशोक होटल और अकबर होटल जैसे होटल लाभ अर्जित करने तथा प्रर्याप्त विदेशी मुद्रा लेने में असफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) नई दिल्ली का अशोक होटल पिछले कई वर्षों से लगातार लाभ कमा रहा है जिसमें विदेशी मुद्रा की भी काफी आय सम्मिलित है। नई दिल्ली के अकबर होटल के, जिसने 27-1-72 से परिचालन प्रारंभ किया, 1972-73 के दौरान लाभ कमाने की आशा है।

(ख) कार्यक्षमता में वृद्धि करने तथा सेवा के और अच्छे स्तरों की व्यवस्था करने के निरंतर प्रयत्न किये जाते हैं।

वैज्ञानिक, तकनीकी पत्रिकाओं और पुस्तकों के आयात को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के बाद बुक हाउसों के कर्मचारियों की छंटनी की सम्भावना के बारे में बम्बई श्रमिक संघ द्वारा ज्ञापन

3426. **श्री मधु दंडवते**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान वैज्ञानिक, तकनीकी पत्रिकाओं और पुस्तकों के आयात को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने के बाद बुक हाउसों के कर्मचारियों की छंटनी की संभावना की ओर दिलाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है जिसमें 'बुक हाउसों' के कर्मचारी बेरोजगार न हों?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) यह विनिश्चय किया गया है कि विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की आवश्यकता की तकनीकी तथा शिक्षा-संबंधी पुस्तकों के आयात की व्यवस्था राज्य व्यापार निगम द्वारा की जानी चाहिए। राज्य व्यापार निगम द्वारा इन पुस्तकों का आयात वर्तमान आयात का केवल 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक रहेगा जोकि पुस्तकों के आयात में वार्षिक वृद्धि दर के बराबर भी है। अतः पुस्तकों के आयात से देश में बुक हाउसों के कर्मचारियों के रोजगार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

किन्हीं स्पष्ट कारणों से उचित बाजार मूल्य से बहुत कम मूल्य पर सम्पत्ति के हस्तांतरण के मामले

3427. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि कई मामलों में 25,000 रुपये से अधिक की सम्पत्तिमों को किन्हीं कारणों से उचित बाजार मूल्य से कहीं कम मूल्य पर अन्य व्यक्तियों को हस्तातरित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां तो सरकार ने ऐसे कितने मामलों का पता लगाया है और संबंधित व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) स्पष्टतः माननीय सदस्य का संकेत आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XX ए में दिये गये उपबंधों की ओर है जिसे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 द्वारा अन्तर्विष्ट किया गया है। इन उपबंधों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को ऐसी अचल सम्पत्तियों को कुछ परिस्थितियां में, अर्जित करने के अधिकार हैं जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है। यह कार्यवाही सहायक आयकर आयुक्तों द्वारा, जिनका पदनाम सक्षम प्राधिकारी रखा गया है, ऐसे मामलों में शुरू की जा सकती है जहां अन्तरण विलेख में, विक्री अथवा विनियम के रूप में, घोषित प्रतिफल सम्पत्ति के अनुमानित उचित बाजार मूल्य के 15 प्रतिशत से भी अधिक से कम है। यह कार्यवाही राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करके की जाती है।

21 जुलाई 1973 तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा राजपत्र में नोटिस प्रकाशित करके शुरू की गई कार्यवाही 563 मामलों में अनिर्णित है।

संबंधित व्यक्तियों के नाम भारत के राजपत्र के भाग III-खण्ड I में दिये गये हैं।

नागर विमानन विभाग के कार्य की समीक्षा करने के लिये जे० आर० डी० टाटा की अध्यक्षता में नियुक्त समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना

3428. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**

श्री वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागर विमानन विभाग के कार्य की समीक्षा करने के लिए श्री जे०आर०डी० टाटा की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप कब तक दे देगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : समिति से आशा की जाती है कि वह सरकार को 31 अक्तूबर, 1973 तक रिपोर्ट दे देगी

आयकर अपवंचकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

3429. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग ने वर्ष 1972-73 के दौरान आयकर अपवंचकों के विरुद्ध एक विशेष अभियान शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो जून, 1973 के अन्त तक आयकर विभाग को कुल कितने मामलों का पता चला; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) छिपी हुई आय का पता लगाने के लिए उपायों को 1972-73 के दौरान तेज किया गया। 1972-73 के दौरान तथा जून 1973 के अन्त तक बहुत बड़ी संख्या के मामलों में तलाशियां ली गयीं और माल पकड़ा गया लिए और नीचे दिखाए गये अनुसार इस्तगासे का अनुमोदन करके कार्यवाही की गयी :—

	1972-73	1973-74 जून 1973 तक
ली गई तलाशियों की सं०	532	124
पकड़ी गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रुपयों में)	454	95
अनुमोदित इस्तगासों की संख्या	50	21
किये गये इस्तगासों की संख्या	30	3

(ग) तलाशी के मामलों में पकड़े गये सामान की छानबीन की जाती है और कानून के अनुसार कार्यवाही की जाती है। इस्तगासों पर अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऋण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि

3430. **श्री पी० गंगादेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बातों की जांच की है जिनसे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने में रुकावट हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बातें क्या हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ऋण संबंधी अधिक सुविधाएं देने के बारे में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले बैंक ऋण में क्रमशः वृद्धि हुई है। सितम्बर 1972 के अन्त में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए गए अग्रिमों की राशि 1238 करोड़ रुपये थी जिसमें से 1080 करोड़ रुपया सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिया गया था। 1971-72 के दौरान इन क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों की वृद्धि की गति में कमी दिखाई दी जिसका कारण संगठन सम्बन्धी बाधाएं और औद्योगिक क्षेत्र में शिथिलता आना था जिसका प्रभाव छोटे पैमाने के क्षेत्र पर भी पड़ा। बैंकों ने भर्ती में---खास तौर से तकनीकी अधिकारियों की भर्ती में वृद्धि करके प्रशिक्षण सुविधाएं बढ़ाकर, क्षेत्रीय और शाखा स्तरों पर अधिक शक्तियां सौंप कर और मुख्य कार्यालयों तथा क्षेत्रीय स्तर पर विकास कक्षों की स्थापना करके संगठनात्मक बाधाओं पर काबू पाने की कोशिश करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की। परिणामतः दिसम्बर 1972 के अन्त तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों की राशि 1150 करोड़ रुपये तक बढ़ गई।

आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विमान सेवाओं में सुधार के लिये कार्यवाही

3431. **श्री एस० सो० सामन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंतरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में देश की विमान सेवाओं में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) जिन सेवाओं को बन्द किया गया है, उनकी नियमित उड़ान पुनः कब से आरम्भ होगी; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हड़तालों, सेवाओं के बन्द होने और अन्य कारणों से इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया को कुल कितना घाटा हुआ है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) इण्डियन एयरलाइंस जैसे मुख्य उद्यमों के कार्य चालन में सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा इस दिशा में जहां तक संभव हो सकता है हर व्यवहार्य कदम उठाए जा रहे हैं। इन्डियन एयरलाइन्स ने तीन कारवेल विमानों को 18 महीने के लिए ड्राईलीज़ पर लेने का निर्णय किया है। इनका अक्तूबर/नवम्बर 1973 के दौरान परिचालन प्रारम्भ हो जाने की आशा है जिससे काटी गई कुछ सेवाएं पुनः चालू कर दी जायेंगी। क्षमता (कपैसिटी) में कमी आ जाने के कारण इंडियन एयरलाइंस को प्रतिमास लगभग 80 लाख रुपये

के राजस्व को घाटा होने की आशा है। बम्बई में माल ढोने वालों की एक दिन की हड़ताल के कारण इन्डियन एयरलाइन्स को 80,000 का और घाटा होने की आशंका है व 15 से 20 जून 1973 तक पायलटों द्वारा बोइंग 747 कब की कुछ उड़ानें भरने से इन्कार करने के कारण एयर-इन्डिया को लगभग 42.43 लाख रुपये का घाटा हुआ।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन

3432. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रिजर्व बैंक आफ इन्डिया अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या संशोधन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसमें संशोधन करने के क्या कारण हैं; और उससे क्या लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति होगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) से (ग) इस समय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को संशोधित करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। उद्देश्यों और कारणों के निवरणों के साथ संशोधन निधेयक, अंतिम रूप से तैयार कर लिए जाने के बाद, संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के क्लियरिंग विभागों के त्रुटिपूर्ण कार्य के बारे में कथित समाचार

3434. **श्री आर० के० सिन्हा :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई 1973 के 'इकनामिक टाइम्स' में 'फाल्टी क्लियरिंग लीड्स टू फ्राड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार ने निर्देशित समाचार को देखा है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है कि अक्टूबर 1972 में सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया के एक कर्मचारी द्वारा 13 लाख रुपये के धोखाधड़ी के मामले का पता सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की बम्बई शाखा के आन्तरिक (इन्वार्ड) क्लियरिंग विभाग में पता चला था और 5.5 लाख रुपये संबंधित कर्मचारी से वसूल कर लिए गये हैं। सैन्ट्रल बैंक ने इस मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय जांच कार्यालय को दे दी है। इस संबंध में बताया गया है कि बैंक के दो कर्मचारी पुलिस की हिरासत में ले लिए गए थे, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया है। केन्द्रीय जांच कार्यालय की जांच का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

पी० एल० 480 निधि को निपटाने संबंधी निर्णय

3435. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री भारत में पी० एल० 480 निधियों के निपटान के बारे में 27 जुलाई, 1973 के तारांकित **प्रश्न** संख्या 90 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इस संबंध में निर्णय लेने में कितना समय लग जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के साथ इस विषय पर बातचीत चल रही है और आशा है कि शीघ्र ही कोई समझौता हो जाएगा।

पांचवीं योजना के लिये निर्यात नीति निर्धारित करने हेतु स्थापित समिति के सदस्यों के नाम

3436. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवी योजना के लिए नीति निर्धारित करने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों के नाम और उसके मुख्य कार्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना तथा उसके बाद के लिए दीर्घकालिक निर्यात नीति के संबंध में सिफारिश करने के लिए गठित दल की संरचना निम्नलिखित है :—

1. प्रो० एस० चक्रवर्ती, सदस्य, योजना आयोग	अध्यक्ष
2. श्री वाई० टी० शाह, वाणिज्य सचिव . . .	उपाध्यक्ष
3. श्री एम० नरसिम्हन, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
4. श्री ए० पी० वी० कृष्णन्, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग	,,
5. डा० मनमोहन सिंह, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग	,,
6. प्रो० जी० आर० कुलकर्णी, महानिदेशक, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली .	,,
7. श्री केशव महिन्द्रा, बम्बई	,,
8. श्री ए० एन० हक्सर, कलकत्ता	,,
9. प्रो० डी० पी० लाकड़ावाला, निदेशक अर्थशास्त्र विभाग, बंबई विश्वविद्यालय	,,
10. डा० के० एस० गिल, आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग .	,,
11. डा० अर्जुन सेन गुप्त, आर्थिक सलाहकार, (नामित), वाणिज्य मंत्रालय .	सदस्य-सचिव

दल का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय निर्यात उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक दीर्घकालिक नीति के बारे में गहन अध्ययन करना और उसके संबंध में सिफारिश करना है।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए बिहार द्वारा केन्द्रीय सहायता की मांग

3437 **श्री चिरंजीव झा :**

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में सूखे से प्रभावित लगभग तीन करोड़ लोगों की सहायता करने के लिए 10 करोड़ रु० की तत्काल सहायता देने के लिए बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एस०ओ०एस० सन्देश भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार के आवेदन पर अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य का दौरा किया। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। दल की सिफारिशों के आधार पर और वास्तविक व्यय की प्रगति को हिसाब में लेने के बाद राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सहायता जारी की जाएगी।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के हैदराबाद स्थित स्थानीय मुख्यालय में घटना

3438. **श्री सरजु पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट बैंक आफ इंडिया के हैदराबाद स्थित स्थानीय मुख्यालय में 28 जून, 1973 को क्या घटना घटी थी;

(ख) क्या अहाते में पुलिस बुलाई गई थी और क्या बैंक की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंची थी;

(ग) क्या मान्यताप्राप्त संघ के सचिव और पदाधिकारियों को दंगा और अव्यवस्था फैलाने के आरोप में मुअत्तिल कर दिया गया था और यदि हां, तो कैसे और किन शर्तों पर समझौता हुआ और मुअत्तिल कर्मचारियों को 7 जुलाई, 1973 को नौकरी पर वापिस ले लिया गया; और

(घ) क्या सम्पत्ति की हुई क्षति के बदले में बैंक को कोई मुआवजा मिला है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने रिपोर्ट दी है कि 28-6 1973 को उसके हैदराबाद स्थित स्थानीय मुख्य कार्यालय में कुछ कर्मचारियों द्वारा इस बात के विरोध में प्रदर्शन किया गया था कि प्रबन्धकों ने बैंक की विजयवाड़ा शाखा के कुछ कर्मचारियों को मुअत्तल करने से इन्कार कर दिया जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उपयुक्त शाखा के एक कर्मचारी को पीटा था।

(ख) बैंक ने इस बात की आशंका से कि कर्मचारियों का आन्दोलन जारी रहेगा 29 जुलाई को पुलिस की सुरक्षा का प्रबन्ध किया। बैंक ने रिपोर्ट दी है कि उस दिन के प्रदर्शन के दौरान शीशे का एक दरवाजा और फर्नीचर की कुछ चीजों को क्षति पहुंची।

(ग) बैंक ने यूनियन के सचिव और तीन अन्य पदाधिकारियों को 30-6-1973 को मुअत्तल कर दिया। संघ (यूनियन) ने 30 जून 1973 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल का आह्वान किया। अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के साथ, जिससे स्थानीय संघ (यूनियन) संबंद्ध है, द्विपक्षीय बातचीत के परिणाम स्वरूप चार कर्मचारियों की मुअत्तली समाप्त कर दी गई और 6-7-1973 को हड़ताल खत्म कर दी गई । बातचीत के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों द्वारा सामान्य काम-काज रोक दिया जाना बन्द करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का निश्चय किया गया है :—

(1) स्थानीय मुख्य कार्यालय और केन्द्रीय कार्यालय के स्तरों पर एक संयुक्त मंच होगा और सभी ऐसे विवादों पर जिनसे सामान्य काम काज के बन्द होने की सम्भावना हो, पहले इस मंच में इन पर विचार-विमर्श किया जायेगा और सुलझाया जायेगा ।

(2) जब तक कि मामले संयुक्त मंचों में सुलझा न लिए जाएं तब तक संघ (फैडरेशन) और उससे संबंध यूनियन कोई भी श्रमिक आन्दोलन सम्बन्धी ऐसी कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे बैंक का सामान्य काम काज बन्द हो जाए। उस दशा को छोड़कर जहां मुअत्तली का संबध बैंक के क्रिया कलाप से और/या ऐसे मजदूर संघ संबंधी आन्दोलन से हो जो मामले को संयुक्त मंच में ले जाए बिना किया गया हो। मान्यता प्राप्त संघ (यूनियन) के किसी पदाधिकारी को किसी कदाचार के लिए मुअत्तल करने से पूर्व संघ (फैडरेशन) या मंडल संघ (सर्कल यूनियन) से परामर्श किया जायेगा।

(घ) बैंक ने रिपोर्ट दी है कि उसे अपनी सम्पति की क्षति के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला है।

महाराष्ट्र के ग्रामिण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाओं का खोला जाना

3439. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से अकोला, पारनेर और अहमदनगर जिले के लोनी में अब तक इस प्रकार की शाखाएं न खोलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अहमदनगर जिले में पारनेर और अकोला में भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय हैं और सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के पास अकोला और लोनी में कार्यालय खोलने के लाइसेंस हैं।

महाराष्ट्र में विमान सेवाएं चलाने के लिये गैर-सरकारी कम्पनियों को अनुमति

3440. **श्री ई० वी० विखे पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ कि महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिला हेडक्वार्टरों के बीच विमान सेवाएं आरम्भ करने के लिए गैर-सरकारी कम्पनियों को अपेक्षित अनुमति तथा सुविधाएं प्रदान की जाएं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) राज्य के अन्दर ही विमान परिवहन सेवाएं परिचालित करने के लिए मैसर्स एरियल आपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के आवेदन की महाराष्ट्र सरकार ने सिफारिश की थी।

(ख) आवेदनकर्त्ता वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची XI में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं करता था और इसीलिए उसे सूचित कर दिया गया कि उसके प्रार्थना-पत्र पर उस समय तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह निर्धारित अपेक्षाओं की नागर विमानन के महानिदेशक के लिए संतोषजनक रीति से पूर्ति नहीं करता।

कमाए हुए चमड़े आदि के निर्यात करने पर विमान भाड़े को पूरा करने के लिये नकद धन में सहायता

3441. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान कमाए हुए चमड़े का बना सामान, ताजे फल, ताजी सब्जियां तथा ताजे फूल का निर्यात करने पर विमान भाड़े को पूरा करने के लिए नकद धन में सहायता देने के बारे में निर्णय कब किया गया और यह निर्णय संबंधित व्यक्तियों को किस प्रकार बताया गया;

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान उपरोक्त प्रत्येक मदों की कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया तथा उनका मूल्य कितना था; और

(ग) इन वस्तुओं के निर्यातकों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें उक्त अवधि के दौरान निर्यात के लिए नकद धन के रूप में सहायता की गई और उनमें से प्रत्येक को कुल कितने मूल्य की नकद धन के रूप में सहायता दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान तैयार चमड़े तथा चमड़े के सामान के निर्यातों पर विमान भाड़े की क्षतिपूर्ति करने के लिए नकद सहायता देने के बारे में विनिश्चय 10 अप्रैल, 1972 को घोषित किया गया था और तैयार चमड़ा तथा चमड़ा निर्मित वस्तुओं संबंधी निर्यात संवर्धन परिषद, कानपुर के सचिव के माध्यम से सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया और ब्रिटेन, पश्चिम यूरोप व जापान को ताजे फलों, ताजी सब्जीयों तथा ताजे फूलों के निर्यातों के संबंध में विनिश्चय 20 अप्रैल, 1972 को घोषित किया गया था तथा संयुक्त निदेशक (निर्यात संवर्धन) बम्बई के माध्यम से सभी सम्बद्धों को बताया गया था।

(ख) तथा (ग) : जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को मध्यमावधिक और लघु आवधिक ऋण

3442. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा गत तीन वर्षों में कृषकों को दिए गए माध्यमावधिक और लघु आवधिक ऋणों की कुल राशि कितनी है;

(ख) अब तक कुल कितनी राशि वसूल की जा चुकी है और कितनी राशि बकाया है; और

(ग) राशि वसूल करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) महाराष्ट्र राज्य के सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये मध्यावधि और अल्पावधिक अग्रिमों के आकड़े जून, 1969 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की रशि जो जून 1969 के अन्त में 8.34 करोड़ रुपये थी बढ़कर सितम्बर 1972 के अन्त में 47.40 करोड़ रुपये हो गई जिसमें से 32.25 करोड़ रुपये की राशि मध्यावधिक और 15.5 करोड़ रुपये की राशि अल्पावधिक ऋणों की है। सितम्बर 1972 के अन्त तक की राशियों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई 40.15 करोड़ रुपये की बकाया राशि शामिल है जिसमें 27.72 करोड़ रुपये की राशि मध्यावधिक और 12.43 करोड़ रुपये की राशि अल्पावधिक ऋणों की है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में जून, 1972 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 15.06 करोड़ रुपये की अतिदेय राशि सहित 26.41 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में 11.33 करोड़ रुपये की वसूली की। इन आंकड़ों में 12.03 करोड़ रुपये की अतिदेय राशियों सहित राष्ट्रीयकृत बैंकों की 21.15 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में 9.12 करोड़ रुपये की वसूली शामिल है।

(ग) वसूली की प्रक्रिया में कानूनी नोटिसों सहित अन्य नोटिसों का जारी किया जाना, व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा समझाया बुझाया जाना और जहां आवश्यक हो कानूनी उपचार का आश्रय लिया जाना शामिल है।

महाराष्ट्र में नए पर्यटक केन्द्र बनाने का प्रस्ताव

3443. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य में नये पर्यटक केन्द्र बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रों के नाम और स्थान क्या हैं और केन्द्र सरकार द्वारा विशेषकर अहमदनगर जिले में पर्यटक केन्द्रों को कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फिलहाल नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काफी का निर्यात

3444. **श्री सी० जनार्दनन :**

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें मुख्य रूप से काफी का निर्यात किया जाता है;

(ख) 1972-73 के दौरान काफी बोर्ड द्वारा सीधे तथा अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन के माध्यम से कितने मूल्य की काफी निर्यात की गई ; और

(ग) काफी को अधिक लोकप्रिय बनाने तथा देश में तथा विदेशों में इसकी मांग बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय काफी का आयात करने वाले प्रमुख देश हैं: पूर्व यूरोपीय देश, यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा संयुक्त राज्य अमेरिका।

(ख) 1972-73 के वित्त वर्ष के दौरान कुल 32.84 करोड़ रु० मूल्य की 48,128 मे० टन काफी का निर्यात किया गया ।

अन्तर्राष्ट्रीय काफी संगठन द्वारा निर्धारित कोटे के अन्तर्गत कोटा देशों को कुल 20.33 करोड़ रुपये की 26.678 मे. टन काफी का निर्यात किया गया।

वर्ष 1972-73 के दौरान गैर-कोटा देशों को कुल 12.51 करोड़ रु० मूल्य की 21.450 मे. टन काफी का निर्यात किया गया।

(ग) काफी बोर्ड ने वर्ष 1972-73 के मौसम की फसल में से लगभग 52,000 मे. टन काफी निर्यात के लिए नियत की है। भावी फसल (वर्ष 1973-74 की फसल) में से भी निर्यात के लिए लगभग इतनी ही मात्रा का आवंटन किये जाने की आशा है जो कि जनवरी/फरवरी, 1974 से विपणन के लिए उपलब्ध हो जायेगी।

जहां तक काफी को और अधिक लोकप्रिय बनाने तथा घरेलू व विदेशी बाजारों का विस्तार करने के लिए किये गये उपायों का संबंध है, आन्तरिक बाजार में काफी की बिक्री में संवर्धन करने हेतु काफी बोर्ड कुछ क्रैश प्रोग्रामों पर विचार कर रहा है। खपत के रुखों तथा भारत में काफी की खपत बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का विश्लेषण करने हेतु बोर्ड ने अभी हाल में एक बाजार मूल्यांकन समिति का भी गठन किया है।

विदेशी बाजारों में भारतीय काफी की खपत बढ़ाने के संबंध में, भारतीय काफी की ख्याति फैलाने के प्रयोजन से अभी तक यह अभियान प्रमुख विदेशी पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापनों तक ही सीमित था। काफी बोर्ड विदेशों में होने वाली महत्वपूर्ण मेलों में भी प्रदर्शनार्थ वस्तुएं तथा सैम्पल भेजकर उनमें भाग लेता रहा है जैसे कि पोजनान व्यापार मेला, ली पलिग मेला आदि । अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद् द्वारा कोटे समाप्त करने तथा विदेशों में भारतीय काफी के बाजारों का विस्तार करने की संभाव्यनाओं को ध्यान में रखते हुए काफी बोर्ड, इस समय, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के माध्यम से विदेशों में एक बाजार सर्वेक्षण करने पर विचार कर रहा है।

क्यूबा के साथ भारत का व्यापार

3445. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यूबा के साथ भारत का व्यापार नगण्य है; और

(ख) यदि हां, तो क्या क्यूबा के साथ व्यापार संबंधों को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) जैसा कि अन्य लैटिन अमरीकी देशों के साथ है, क्यूबा के साथ हमारे विकासशील व्यापार में मुख्य कठिनाई विस्तृत दूरी तथा दोनों देशों के बीच पर्याप्त पोत सुविधाओं की कमी है। इसके अतिरिक्त क्यूबा द्वारा बिक्री के लिए पेश की गई मुख्य वस्तुएं भारत के लिए अधिक आयात हित की नहीं हैं। तथापि, सरकार क्यूबा के साथ व्यापार बढ़ाने की यथासंभव कोशिश कर रही है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा राज्य सरकारों को आयातित कारों का आबंटन

3446. **श्री पीलू मोदी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में विभिन्न स्रोतों से राज्य व्यापार निगम को कितनी आयातित कारें प्राप्त हुई; और

(ख) मंत्रियों तथा अन्य सरकारी कार्यों के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी कारें आवंटित की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पर्यटन के लिये आयातित कारों का आबंटन

3447. **श्री पीलू मोदी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन कार्यों के लिए तथा केवल भारतीय पर्यटन विकास निगम को देने के लिए नई कारों का आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या गैर-सरकारी आपरेटरों को जो अब तक पर्यटकों को लाने ले जाने का कार्य सफलता-पूर्वक करते रहे हैं, कारों का सीधा आयात करने की सुविधा नहीं दी गई है तथा उनसे 4 से 6 साल तक पुरानी कारों का उपयोग करने को कहा गया है तथा नई कारों को भारतीय पर्यटन विकास निगम को आवंटित कर दिया गया है; और

(ग) क्या अब गैर-सरकारी आपरेटरों से मूल्यह्रास पर कारों को लौटाने को कहा गया है जिससे उनका व्यापार अलाभप्रद हो गया है और यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग ने इस मामले पर वित्त मंत्रालय से बातचीत की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) अतीत में, भारत पर्यटन विकास निगम को पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाओं में जहां ये अपर्याप्त थीं, अभिवृद्धि करने के लिए नयी कारों की आयात की अनुमति प्रदान की गई थी। कुछ समय से सामान्य नीति के तौर पर निजी परिचालकों को वाहनों के किसी आयात की अनुमति नहीं दी गई है, परन्तु निजी परिचालकों को उन्हें आवंटित किए गए राज्य व्यापार निगम के भूतपूर्व वाहनों के रख-रखाव के लिए फालतू पुर्जे आयात करने की अनुमति है।

(ख) ऐसे वाहन जो पांच वर्ष से कम पुराने हैं, राज्य व्यापार निगम द्वारा निजी परिचालकों को पर्यटन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) क्योंकि राज्य व्यापार निगम पर्यटन कार परिचालकों को मार्किट रिजर्व मूल्य से बहुत कम मूल्य पर परम अग्रता के आधार पर वाहन उपलब्ध कराता है, राज्य व्यापार निगम द्वारा लगाई गई एक शर्त यह है कि वाहनों को उनके सामान्य मूल्यह्रास फार्मुले के अनुसार पुन: बिक्री के लिए पहले राज्य व्यापार निगम को पेश किया जाए।

जापान द्वारा विदेशी सहायता देने की पेशकश

3448. **श्री एस० ए० मुरूगनन्तम :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान ने भारत को कुल कितने मूल्य की विदेशी सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) इसमें से कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) जापान से सहायता किस उद्देश्य से मांगी गई है।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) 1973-74 के चालू वित्तीय वर्ष को छोड़कर, जापान द्वारा भारत को 275.844 अरब येन (662.03 करोड़ रुपये) की सहायता की कुल रकम की पेशकश की गई है और इस रकम में से 275.574 अरब येन (661.38 करोड़ रुपये) की रकम के लिए अभी तक करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। बाकी 0.270 अरब (0.65 करोड़ रुपये) की मामूली सी राशि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की बम्बई उच्च परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई है।

1973-74 के चालू वित्तीय वर्ष के लिए जापान सरकार ने भारत सहायता संघ की जून, 1973 की बैठक में ऋण राहत के रूप में लगभग 15 अरब येन (36 करोड़ रुपये) की और परियोजना भिन्न सहायता के रूप में 7 अरब येन (16.8 करोड़ रुपये) की रकम देने की पेशकश की है। परियोजना भिन्न सहायता का प्रयोग जापान से इस्पात, उर्वरकों, रसायनों, संघटकों, फालतू पूर्जों आदि का आयात करने के लिए किया जाएगा। दोनों देशों की सरकारों के बीच इस पेशकश को विशिष्ट ऋण करारों में बदलने के लिए बातचीत जारी है।

कुछ नये उर्वरक संयंत्रों की जिनकी स्थापना पांचवीं आयोजना के दौरान किए जाने का प्रस्ताव, है, विदेशी मुद्रा की लागत का वित्त पोषण करने के लिए 1973-74 के चालू वर्ष में जापान से परियोजनागत सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।

जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में अस्तित्वहीन व्यक्तियों के लिये पालिसियां बुक किया जाना

3449. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ मामलों का पता लगा है जिनमें जीवन बीमा निगम के उत्तर प्रदेश में अस्तित्वहीन व्यक्तियों के लिए पालिसियां बुक की थीं; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी हां।

(ख) प्रारंभिक जांच के आधार पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

Loss suffered and Profit Earned by Textile Mills as a Result of Fixation of New Prices for Cloth during November, 1972

3450. **Shri Chandrika Prasad:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether new prices for cloth were fixed during November, 1972;

(b) whether the textile mills of private sector earned profits as a result of the re-fixation of prices; and

(c) if so, the amount of profit earned?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) No, Sir. However, with effect from 20-7-1973, a Voluntary Price Restraint Scheme for mill-made cotton cloth has been brought into force. It applies to all wearable varieties of coarse and medium categories (excluding those already subject to statutory price control). The prices of this cloth have been subjected to a price ceiling corresponding to the prices obtaining in November, 1972, plus 10 per cent to cover increases in the cost of inputs subsequent to November, 1972.

(b) and (c) Do not arise.

Outstanding Amount of Loans Advanced by Nationalised Banks at the time of their Nationalisation

3451. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the outstanding amount of oans, advanced by nationalised banks, at the time they were nationalised.

(b) the amount out of the said amount recovered so far; and

(c) the names of ten institutions or individuals in the country against whom maximum amount of loans were outstanding and the action being taken to recover the loans from them?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The total amount of advances outstanding of the 14 nationalised banks on the eve of nationalisation was Rs. 1,839 crores.

(b) A substantial portion of the credit extended by the banks is to meet working capital requirements by way of cash credit, over draft, bill discounting etc. For each of these purposes, a separate limit is set by the banks. Customers effect periodical withdrawals and prepayments in these accounts with the result that the outstanding balances fluctuate from time to time, within the limits sanctioned. Since the operation of these accounts is a continuous process, it is not possible to work out the amounts recovered out of the limit sanctioned at any particular point of time.

(c) In terms of Section 13(1) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 information relating to the accounts of individual constituents of the banks cannot be divulged.

Crisis in Mica Industry

3452. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Commerce** be please to state:

(a) whether Government are aware that mica trade of the country is facing a serious crisis as a result of export of huge stocks of mica by America; and

(b) the facts of the matter and the steps being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) and (b) Exports of mica from India have been some what adversely affected by releases of mica from the U.S. stockpile. The matter has been taken up with U.S. Government at an appropriate level.

Agreement between Air India and B.O.A.C.

3453. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether Air India has entered into an agreement with B.O.A.C. about long flights; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b) Yes, Sir. Air-India and B.O.A.C. have entered into a pool agreement which provides as under:—

(i) It covers the operations of Air India terminating in or transiting U.K. and Hongkong and of B.O.A.C. terminating in or transiting India;

(ii) It includes passenger and cargo revenues;

(iii) The revenues earned from the above operations shall be pooled and shared between the two airlines according to an agreed formula;

(iv) It commenced from 1st July, 1973 and the agreed arrangements shall apply for a period of three years subject to an annual review.

Loan advanced to Institutions or individuals by Nationalised Banks

3454. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of loan advanced to the institutions or individuals by the nationalised banks during the last three years;

(b) the particulars of the loans involving the maximum amount; and

(c) the full account of their mode of payment and whether or not the recovery is being made in the proper manner?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The total amount of outstanding advances of 14 nationalised banks as at the end of December 1970, December 1971 and December 1972 was Rs. 2,540 crores, Rs. 2,884 crores and Rs. 3,137 crores respectively.

(b) & (c) In terms of section 13(1) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, information relating to the accounts of individual constituents of the banks cannot be divulged.

पर्याप्त अतिरिक्त मूल्य लिए बिना अर्द्ध तैयार वस्तुओं का निर्यात

3455. **श्री सुखदेव प्रसादवर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि पर्याप्त अतिरिक्त मूल्य लिए बिना अर्द्ध तैयार वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इससे देश की विदेशी मुद्रा की वास्तविक शुद् आय में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) देश आज कल कच्चे माल, अर्ध साधित तथा निर्मित माल का निर्यात कर रहा है । तथापि, सरकार की यह नीति है कि कच्चे माल और अर्ध-साधित वस्तुओं के निर्यात को धीरे-धीरे कम कर दिया जाए और इसके बदले पर्याप्त अतिरिक्त मूल्य लेकर निर्मित, तैयार तथा अर्ध-तैयार माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उनका इकाई मूल्य बढ़ जाए और इस प्रकार अधिक विदेशी मुद्रा की आय हो। इस नीति के अनुसरण में, सरकार तैयार चमड़े व चमड़ा निर्मित माल, इंजीनियरी वस्तुओं, साधित उपस्करों, सूती परिधानों, ब्लेंडेड व तैयार फैब्रिक्स व सिले सिलाए परिधानों, कालीन अस्तर कपड़ा, पटसन के सजावटी फैब्रिक्स आदि के निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है । इन वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा की जो आय होती है वह असाधित व गैर-तैयार रूप में इनका निर्यात करने से होने वाली आय के मुकाबले अधिक होती है ।

कंपनियों द्वारा केन्द्रीय करों का अपबंचन

3456. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार्ट्स सर्विस इडिया लिमिटेड, 30 चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता एग्रिंड फैब्रीकेशन लिमिटेड, तारातोला रोड, कलकत्ता-24 , यू० पी० कार्मशियल कारपोरेशन लिमिटेड, यू० पी० कार्मशियल कारपोरेशन प्रा० लि० और आसाम सेलोमेनाइड, बिहार पर केन्द्रीय करों के अपवंचन का अभियोग लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो यदि इन कंपनियों से सरकार को देय राशि वसूल करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रत्येक ट्रेवल एजेंसी की ओर इंडियन एयर लाइंस और एयर इण्डिया को देय कुल राशि

3457. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक ट्रेवल एजेंसी की ओर इण्डियन एयरलाइंस और एयर इण्डिया को आज तक कुल देय राशि कितनी है ;

(ख) इन देय राशियों को वसूल करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है तो वह क्या है ; और

(ग) अब तक की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) 30-6-1973 को इंडियन एयरलाइंस को 125 एजेंटों द्वारा 10.73 लाख रुपये की राशि देय थी । एयर इंडिया को सात एजेंटों द्वारा देय बकाया राशि 31-3-73 को 38.54 लाख रुपये थी । इसके वसूल करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा जेट विमान उड़ाने के लिये प्रशिक्षित किये गए विमान चालक

3458. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इण्डियन एयरलाइंस ने जेट विमान उड़ाने के लिये कितने विमान चालकों को प्रशिक्षण दिया है;

(ख) उनमें से कितने विमान चालकों को सब प्रकार से योग्य पाया गया ;

(ग) कितने विमान चालकों को प्रारम्भ में ही पूरी तरह योग्य नहीं पाया गया ; और

(घ) कितनों को नितांत अयोग्य पाया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) अब तक इंडियन एयरलाइंस द्वारा 188 विमान चालकों को जेट विमानों (बोइंग 737 तथा कारवेल) पर प्रशिक्षित किया जा चुका है ।

(ख) 168 ।

(ग) 20 (13 बोइंग पर तथा 7 कारवेल पर) ।

(घ) 14 (8 बोइंग पर तथा 6 कारवेल पर) ।

तथापि, इंडियन एयरलाइंस के कमांडरों की कार्य-क्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है ।

वर्ष 1972-73 के दौरान मैसूर को सूखा राहत कार्य के लिये केन्द्रीय सहायता में कटौती

3459. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने केन्द्र को यह बात स्पष्ट की है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान हुए व्यय का भुगतान किये बिना सूखा राहत अनुदान में 20 प्रतिशत का भुगतान कटौती पिछली तिथि से करना उचित नहीं है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) क्या मैसूर राज्य को राहत कार्यों के लिए गत वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पूरी राशि दे दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1972-73 के दौरान मैसूर सरकार को सूखा सहायता के लिए 'तदर्थ' आधार पर और केन्द्रीय दल द्वारा नियतकालिक समीक्षा के बाद की गयी सिफारिशों के अनुसार 16.5 करोड़ रुपये की राशि दी गयी थी । केन्द्रीय सहायता की शेष राशि यदि कोई देय होगी तो जैसे ही केन्द्रीय दल 1972-73 के दौरान सूखा व्यय के सम्बन्ध में राज्य सरकार के साथ हिसाब किताब पूरा कर लेगा, तो वह दे दी जायेगी ।

अनेक राज्यों में बिजली की कटौती के कारण सूती धागे के निर्यात में कमी

3460. श्री सी० के० जाफर शरीफ :
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेके राज्यों में बिजली की कटौती के कारण सूती धागे के निर्यात में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जनवरी—जून 1973 के दौरान 43.41 करोड़ रु० मूल्य के सूत का उत्पादन हुआ जबकि इसके पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि में 47.20 करोड़ रु० मूल्य के सूत का उत्पादन हुआ था । जनवरी—जून 1973 में 80 लाख रु० मूल्य के सूत का निर्यात हुआ जबकि जनवरी—जून 1972 में 100.8 लाख रु० मूल्य के सूत का निर्यात हुआ था । इस गिरावट के अनेके कारण हैं जिनमें विभिन्न टैक्सटाइल उत्पादक राज्यों में बिजली की कटौती भी शामिल है । बिजली की कटौतियां जो अस्थायी प्रकार की थीं, अब समाप्त कर दी गई हैं । उत्पादन तथा निर्यातों में सुधार होने की आशा है ।

मैसूर राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई उत्पादन राहत केन्द्रों की स्थापना

3461. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों विशेषकर मैसूर राज्य को सलाह दी है कि वे सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई उत्पादन राहत केन्द्र आरम्भ करें ; और

(ख) यदि हां. तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां हथकरघा बुनाई कार्य-क्रम आरंभ कर दिये गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को ऐसा कोई परामर्श नहीं दिया गया । तथापि मैसूर सरकार ने कतिपय सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में हथकरघा बुनाई उत्पादन राहत केन्द्र प्रारम्भ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा था । उन्हें सूचित किया गया था कि इस विषय में होने वाली लागत को या तो सूखा राहत निधियों से या वार्षिक योजना की अधिकतम सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाए ; तथा

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

तम्बाकू और तम्बाकू के पत्तों का निर्यात

3462. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1972-73 में तम्बाकू तथा तम्बाकू के पत्तों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ; और

(ख) गत तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश के गैर-सरकारी और सरकारी निर्यातकों कितने टन तम्बाकू सप्लाई किया है और उन फर्मों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) अप्रैल-दिसम्बर 1972 के दौरान तम्बाकू के निर्यात इस प्रकार रहे हैं :

(1) अनिर्मित तम्बाकू 50.2 करोड़ रु०

(2) तम्बाकू उत्पाद 2.5 करोड़ रु०

(ख) राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

हिसार फ्लाइंग क्लब के 14-7-73 को हुए विमानों के विनाश की जांच

3463. **श्री मोहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई 1973 को हुए हिसार फ्लाइंग क्लब के विमानों के विनाश की कोई जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त क्लब को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 29 मई 1973 को हिसार एवियेशन क्लब के हैंगर की एक तरफ की दीवार के दो खंड तेज आंधी में गिर गए थे जिस के परिणामस्वरूप तीन विमानों तथा चार ग्लाइडरों को क्षति पहुंची। राज्य सरकार ने इस घटना की जांच का आदेश दे दिया है तथा उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) विमानों तथा ग्लाइडरों की मरम्मत पर होने वाला अनुमानित व्यय एक लाख रुपये होगा, जोकि बीमे से वसूल किया जाना है।

लीपजिग मेले में भारत द्वारा खर्च की जाने वाली सम्भावित धनराशि

3464. **श्री मौहम्मद शरीफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले लीपजिग मेले में भारत द्वारा भाग लेने पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ; और

(ख) उक्त मेले में भारत किन-किन वस्तुओं का प्रदर्शन करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत सरकार लीपजिग शरत् मेला सितम्बर, 1972 में सरकारी स्तर पर भाग नहीं ले रही है। तथापि, कुछ प्राइवेट फर्में भाग ले रही हैं। उनके द्वारा जो व्यय किये जाने की संभावना है उसका अनुमान विदेशी मुद्रा में 4,22 000 रु० है।

(ख) इन फर्मों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली मदें ये हैं :-

कयर तथा कयर उत्पाद, पटसन तथा पटसन उत्पाद, अभ्रक, चमड़ा, तिलहन तथा खली, रसायन, पदार्थ तथा भेषजीय पदार्थ, रंजक, पिगमेंटस तथा पीसी हुई हड्डियां, वस्त्र, सूती, ऊनी हौजरी तथा सिले-सिलाए परिधान, हैंडलूम फैब्रिक्स, रेशम, स्कार्फ तथा साड़ियां, हस्तशिल्प की वस्तुएं, कीमती तथा अर्ध-कीमती रत्न, चांदी के आभूषण, चाय, मसाले, तम्बाकू, काजू, अखरोट, परिरक्षित खाद्य पदार्थ तथा फल, समुद्री उत्पाद, चमड़े का माल, जूते, कमाई हुई खालें तथा चमड़ियां, प्लाईवुड उत्पाद, लिनोलियम, खेलकूद का सामान, निटिंग मशीनें, शल्यचिकित्सा उपकरण, अस्पताल संबंधी अपेक्षित सामग्री, सेनिटरी फिटिंग्स, तालें, दस्ती औजार, घरेलू उपकरण आदि।

हैवी इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्री द्वारा बुलगारिया को जनरेटरों की सप्लाई

3465. **श्री मोहम्मद शरीफ :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुलगारिया को हैवी इलैक्ट्रीकल इंडस्ट्री से इस लिये निराशा हुई है कि यह उसे शीघ्रता से जनरेटरों को सप्लाई करने में असमर्थ रहे ; और

(ख) यदि हां, तो जनरेटरों की शीघ्र सप्लाई करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत-बुल्गारिया व्यापार योजना के अन्तर्गत भारत से जेनरेटरों के निर्यात के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । बुल्गारिया को जेनरेटरों की सप्लाई करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिक्ल को कोई आर्डर भी नहीं दिया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मंगलौर हवाई अड्डे का स्थान बदलने का प्रस्ताव

3466. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर स्थित हवाई अड्डे का स्थान बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान नियम (एयरक्राफ्ट रूल) के अन्तर्गत निर्धारित पाइलेटों द्वारा कराई जाने वाली जांच

3467. **श्री मधु लिमये** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान नियम में यह निर्धारित किया गया है कि एक विशेष सीमा से अधिक विमान उड़ाने वाले पाईलेटों द्वारा कराई जाने वाली जांच के बीच छह महीनें से अधिक समय नही गुजरेंगा ;

(ख) क्या अनिवार्य जांच के इस विषय के बारे में गत वर्ष या इसके आस-पास उपरोक्त नियमों के उल्लंघन में परस्पर विरोधी अनुदेश जारी किये गए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या हाल ही में दिल्ली में दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग 737 के कमांडर ने जांच नहीं करवाई थी यद्पि छह महीने की अवधि समाप्त हो गई थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 'वायुयान नियमों' में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक विमानचालक को 5,7000 किलोग्राम से अधिक समग्र भार वाले परिवहन विमान चालन के सम्बन्ध में अधिकारों का प्रयोग करने के लिये उचित प्रवीणता (प्राफिशेन्सी) जांच की जानी चाहिये । 'अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन' द्वारा निर्धारित मानकों को दृष्टि में रखते हुये 1960 में अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि इस प्रकार की प्रवीणता-जांच एक वर्ष की अवधि में दो बार की जानी चाहिये तथा दो जांचों के मध्य का अन्तर चार महीने से कम व आठ महीने से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(ग) उक्त दुर्घटना की जांच करने वाली अदालत के जांच-परिणामों के अनुसार प्रधान-विमानचालक एवं सह-विमानचालक दोनों ही के पास वैध लाइसेंस थे और दुर्घटना की तारीख को वे बोइंग 737 विमान को उड़ान के बारे में अपने-अपने लाइसेंस के अधिकारों के अनुसार इस कार्य के लिये सक्षम थे ।

आयातित "कैप्रोलैक्टम" की सप्लाई और धागे के उत्पादन में कमी

3468. **श्री मधु लिमये** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'कैप्रोलैक्टम" के आयात में कमी और उसके फलस्वरूप धागा (रार्न) उत्पादन में कमी गत वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत है ;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि वास्तविक प्रयोगर्ताओं को की जाने वाली सप्लाई में 30 प्रतिशत की नहीं बल्कि 50 प्रतिशत की कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सुधारात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) नायलोन धागे का उत्पादन जनवरी-मई, 1973 के दौरान 4887 मे. टन था और 1972 में तत्संबंधी अवधि के दौरान ये 4682 मे. टन था । अतः इस अवधि के दौरान उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई । परन्तु नायलोन धागे का उत्पादन जनवरी-मार्च, 1973 के दौरान औसतन 1100 मे. टन प्रति मास से घटकर अप्रैल-मई, 1973 के दौरान औसतन 850 मे. टन रह गया । यह मुख्य रूप से कैप्रोलैक्टम के आयात में कमी के कारण हुआ ।

2. स्वैच्छिक करार के अनुसार वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को नायलोन धागे का वितरण अपने व्यापारियों के माध्यम से कत्तिनों द्वारा किया जाता है । अप्रैल-मई, 1973 में नायलोन धागे के उत्पादन में गिरावट के कारण वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को नायलोन धागे की उपलब्धि में तदनुसार कमी आई ।

3. कैप्रोलैक्टम की विख्यापी कमी है तथा जितना भी कैप्रोलैक्टम उपलब्ध हो उसे खरीदने के प्रयास किये जा रहे हैं । 1000 मे. टन नायलोन धागे का आयात करने का भी प्रस्ताव है ।

तलाकशुदा व्यक्ति होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले लोगों द्वारा आयकर देयता का अपवंचन

3469. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बेईमान लोगों ने आयकर अधिकारियों के समक्ष (तलाकशुदा व्यक्ति होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करके अपनी आय-कर देयता को कम करने का तरीका अपनाया हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों के साथ निपटने के लिये सरकार का क्या निदेश देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि आयकर की देनदारी को कम करने के लिये ऐसे शपथ-पत्र दाखिल किये जा रहे हैं । तथापि, इसे पर निगाह रखी जाएगी ।

Exports during 1973-74 as compared to 1972-73

3470. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state

(a) whether this year's foreign trade has shown or is likely to show an increase or decrease over that of 1972-73 and the reasons for decrease ;

(b) which of the items exported during 1972-73 have shown a decline in export during 1973-74; and

(c) the extent of decline thereof and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) The figures of India's exports are not yet available for any period of 1973-74.

(b) & (c) The information will be laid on the Table of the House after they are collected.

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गए ऋणों का वसूल किया जाना

3471. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जो ऋण दिये गये, उनकी पूरी राशि वसूल नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों के रूप में कितनी राशि दी गई, कितनी राशि वसूल की जानी चाहिये थी और वस्तुतः कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वाणिज्यिक बैंक सामान्यतः अपने ऋण-कर्ताओं की कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये नकद-ऋणों, ओवर-ड्राफ्टों या ऋणों के रूप में अग्रिम देते हैं। बैंक द्वारा इनकी स्वीकृति, ऋणकर्ताओं की आवश्यकताओं के आंकने के बाद और नियतकालिक समीक्षाओं के आधार पर ही दी जाती है। उक्त नियतकालिक समीक्षाएं करने के समय राशियों को नवीकृत कर दिया जाता है अथवा घटा दिया जाता है या बढ़ा दिया जाता है ; यह ऋण लेने वाली संस्था के कार्य पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया मे, खातों में नियतकालिक निकासियां और वापसी अदायगियां होती रहती हैं और बकाया रकमों में समय समय पर घट बढ़ होती रहती है किन्तु यह घट बढ़ स्वीकृत सीमाओं के अन्तर्गत होती है। कोई बैंक केवल चूक की दशा में ही अग्रिम की वापसी के लिये कहता है और वह अग्रिम वापसी अदायगी के लिये देय हो जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के साथ पठित, बैंकिंग कम्पनीज़ (अभिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 (1) के और इसके अन्तर्गत निर्धारित तलपट और लाभ हानि के लेखे के अनुसार जो ऋण अशोध्य हो जाएं या जिन ऋणों की वसूली कठिन हो गई हो उनके लिये की गयी व्यवस्थाओं की सूचना किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रकट किया जाना अपेक्षित नहीं है। किन्तु बैंकों द्वारा नियुक्त स्वतंत्र कानूनी लेखापरीक्षकों की सलाह पर बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की वसूली में होने वाली किसी भी कमी की पूर्ति के लिये पर्याप्त व्यवस्थाएं की गयी हैं।

गत तीन वर्षों के अन्त में 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के अग्रिमों की कुल बकाया राशि इस प्रकार थी :-

वर्षांत	करोड़ रुपयों में
31-12-1970	2540.30
31-12-1971	2884.70
31-12-1972	3137.11

इंडियन टोबेको कंपनी द्वारा निर्मित होटल

3472. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इण्डियन टोबेको कम्पनी द्वारा कितने होटल निर्मित किये गये हैं और ये होटल कहां-कहां पर स्थित हैं ; और

(ख) प्रत्येक होटल पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी कम्पनियों के नाम आयकर की बकाया राशि

3473. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके नाम आय-कर की राशि बकाया है ;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि बकाया है ;

(ग) उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस बीच किसी कम्पनी का दिवाला निकल गया है और यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) "विदेशी कम्पनी" पद को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 बी (4) में ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जो देसी कम्पनी नहीं है । जिन विदेशी कम्पनियों की तरफ 31-12-1972 को आयकर की 50,000 रु० अथवा उससे अधिक रकम बकाया थी, उनके संबंध में सूचना उपलब्ध है । इन कम्पनियों के नाम, 31-12-1972 को बकाया आयकर की रकम और उसे वसूल करने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5421/73]**

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से आयात हकदारियों के बदले में कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस को जारी किये गए आयात लाइसेंस

3474. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के माध्यम से वस्तु विनियम सौदों की व्यवस्था के अंतर्गत तम्बाकू निर्यातकर्ताओं द्वारा अर्जित आयात हकदारियों के बदले में हस्तांतरण द्वारा कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस को आयात लाइसेंस जारी किए गये हैं, जो लाइसेंस आयातित कच्चे माल के केवल वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को ही हस्तांतरित होने थे ;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस को, जो कि एक वास्तविक प्रयोकर्ता नहीं है, इस प्रकार के हस्तांतरण की अनुमति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) ये लाइसेंस कितने मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए हैं और किन-किन वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां । आयात नियंत्रण प्रक्रियाओं के अंतर्गत, पात्र निर्यात सदन वास्तविक प्रयोकर्ताओं में वितरण करने के लिए कच्चे माल के बल्कि आयातों का प्रबंध करने हेतु एजेंसी के रूप में कार्य कर सकते हैं ।

(ग) शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों और हास्पिटल वेयर्स के विनिर्माण के लिए अपेक्षित, अनुमत विशिष्टियों वाले 72.35 लाख रुपये मूल्य के स्टेनलैस स्टील के आयात की अनुमति दी गई थी ।

देश में भारतीय रुई निगम द्वारा खरीद केन्द्रों की स्थापना

3475. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय रुई निगम ने अब तक कितने खरीद केन्द्र स्थापित किये हैं;

(ख) क्या रुई की खरीद में भारतीय रुई निगम द्वारा की गई कुछ अनियमिततायें सरकार के ध्यान में लाई गई हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने किस प्रकार की कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय रुई निगम ने चालू रुई मौसम के दौरान स्वदेशी रुई की खरीद करने के लिए 55 खरीद केन्द्र खोले ।

(ख) तथा (ग) स्वयं भारतीय रुई निगम द्वारा की गई कोई ऐसी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में नहीं आई । हां, आंध्र प्रदेश में निगम के तीन रुई चयन-कर्ताओं तथा दो उप-प्रबंधकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें आईं । भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो हैदराबाद एक चयनकर्ता के विरुद्ध मामले की जांच कर रहा है तथा अन्यों के विरुद्ध मामलों की जांच स्वयं निगम के कहने पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है। सभी पांचों कर्मचारी मुअत्तिल हैं ।

भारत और चैकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार समझौता

3476. **श्री वी० मायावन :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चैकोस्लोवाकिया ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसमें व्यापार के क्षेत्रों में अधिक सहयोग देने की बात कही गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) तथा (ख) भारत तथा चैकोस्लोवाकिया के बीच व्यापार वार्षिक व्यापार संलेखों द्वारा विनियमित होता है। 1973 के लिए व्यापार संलेख जिसमें 130 करोड़ रुपये के कुल व्यापार की व्यवस्था है नवम्बर 1972 में किया गया था।

जून 1973 में भारत-चैकोस्लोवाकिया संयुक्त समिति की चतुर्थ बैठक प्राग चैकोस्लोवाकिया में हुई। निम्नलिखित क्षेत्रों में भारत तथा चैकोस्लोवाकिया के बीच और अधिक सहयोग की व्यवस्था करने वाले संलेख पर संयुक्त बैठक की बिचार-विमर्शों की समाप्ति पर हस्ताक्षर किये गये :—

(1) उद्योग ;

(2) विज्ञान और प्रोद्योगिकी ;

(3) आर्थिक एवं वाणिज्यिक विषय ; तथा

(4) योजना

अन्य देशों से शराब का आयात

3477. **कुमारी कमल कुमारी**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य देशों से शराब का आयात करती है अथवा शराब के आयात के लिये आयातकों को आयात-लाइसेंस जारी किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1972-73 में कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस जारी किये गये; और

(ग) शराब के आयात में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वाइन का आयात कुछ सरकारी विभागों तथा संगठनों और साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्र के पात्र आयातकों द्वारा वैध आयात लाइसेंसों के आधार पर किया जाता है।

(ख) विभिन्न किस्मों की शराबों जिनमें वाइन भी शामिल है के आयात के लिए संयुक्त लाइसेंस शराबों की पृथक-पृथक मदों के लिए मूल्य का विवरण दर्शाये बिना आयात लाइसेंसों के समग्र मूल्य के भीतर आयातकों को अनेक बार जारी किये जाते हैं। अतः ऐसे संयुक्त आयात लाइसेंसों के समग्र मूल्य में से केवल वाइन के मूल्य को पृथक करना संभव नहीं है ।

(ग) अप्रैल, 1972 से दिसम्बर 1972 तक की अवधि के दौरान आयातित वाइन का मूल्य 2.78 लाख रुपये था। दिसम्बर 1972 से बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं । यह प्रयास किया जा रहा है कि यदि संभव हो तो वाइन के आयात में अंतर्ग्रस्त विदेशी मुद्रा के आंकड़े एकत्र किये जायें और यदि उपलब्ध हुए तो उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

बिहार राज्य में बैंकिंग की धीमी प्रगति

3478. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी बिहार राज्य में 65,000 व्यक्तियों के लिए एक बैंक की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो बिहार राज्य में बैंकिंग की इतनी धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो एक बैंक कितने प्रतिशत जनसंख्या की आवश्यकता पूरी करता है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकरण के समय बिहार राज्य में 2,07,000 व्यक्तियों के पीछे एक बैंक कार्यालय था । राष्ट्रीयकरण के समय शाखाओं का जाल बिछाने के लिये किये गये निरन्तर प्रयत्नों के परिणामस्वरूप जून 1973 के अन्त में प्रत्येक बैंक कार्यालय के पीछे जनसंख्या घट कर 85,000 व्यक्ति रह गई है। उक्त तिथि को बैंकों के पास बैंक कार्यालय खोलने के लिए 206 लाइसेंस/नियतन थे । इनका पूर्ण रूप से उपयोग हो जाने पर एक बैंक कार्यालय के पीछे जनसंख्या घटकर 71000 रह जायेगी । रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि वे अपने शाखा विस्तार कार्यक्रम बनाते हुए उन क्षेत्रों में बैंक खोलने पर विशेष ध्यान दें जहां बैंक कम हैं और जो पिछड़े क्षेत्र हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में बैंकों में जमा राशि से किये गए निवेश की प्रतिशतता

3479. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंकों में कुल जमा राशि का केवल एक चौथाई भाग स्थानीय रूप से निवेश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार में जमा राशि में से स्थानीय रूप से निवेश की गयी राशि की प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) जैसा कि नीचे दिये गये जमा रकमों, ऋणों और निवेशों के आंकड़ों से देखा जा सकेगा जून, 1972 के अन्त में बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कुल जमा रकमों की तुलना में ऋणों और निवेशों का अनुपात 37 प्रतिशत से अधिक था ।

सरकारी क्षेत्र के बैंक

1. काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या	537
2. सूचना देने वाले कार्यालयों की संख्या	346
3. जून 1972 के अन्त में जमा रकमें	292.67 करोड़ रुपये
4. जून 1972 के अन्त में अग्रिम	77.88 करोड़ रुपये*
5. मार्च 1972 के अन्त में प्रतिभूतियों में निवेश की रकम	31.34 करोड़ रुपये
6. जमा रकमों की तुलना में ऋणों/निवेशों का अनुपात	37.3 प्रतिशत

*ये आंकड़े बिहार राज्य में स्थित बैंक की शाखाओं द्वारा मंजूर किये गये ऋणों से संबंधित हैं और इसमें कहीं और अर्थात बम्बई, कलकत्ता आदि की बैंक शाखाओं से बिहार राज्य में स्थित व्यावसायिक एककों के मुख्य कार्यालयों द्वारा प्राप्त वे रकमें शामिल नहीं हैं जिनका इस्तेमाल बिहार राज्य में किया गया है।

बैंक ऋण का इस्तेमाल अधिकतर किसी क्षेत्र के आर्थिक क्रियाकलाप के स्तर और बिजली संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि पर निर्धारित किया जाता है । यद्यपि बैंक अपनी ओर से विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ऋण प्रवाह में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रहे हैं, राज्य सरकार से हाल ही में बैंक योग्य योजनाएं तैयार करने में सहायता देने और आधारभूत सुविधाओं और वस्तुओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है जिससे बैंक ऋण के साथ-साथ योजनाएं भी सफल हो सकें ।

बिहार स्थित बैंकों में प्रति व्यक्ति जमा राशि

3480. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य के बैंकों में प्रति व्यक्ति कितनी राशि जमा है ;

(ख) क्या बिहार राज्य में 1971-72 में प्रति व्यक्ति जमा राशि में कोई वृद्धि हुई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति जमा राशि में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) बिहार में प्रति व्यक्ति जमा राशि जून 1971 के अन्त में 43.96 रुपये थी जो बढ़कर जून 1972 के अन्त में 50.96* रुपये हो गयी थी ।

(ग) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

*ये आंकड़े जून 1972 के अन्त में कार्य कर रहे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 540 कार्यालयों में से 349 कार्यालयों से प्राप्त विवरण के आधार पर बनाए गये हैं।

गत तीन वर्षों में आयात/निर्यात की मात्रा

3481. **प्रो० एस० एल० सक्सेना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष देश में कुल कितना निर्यात एवं आयात हुआ और उन पांच प्रमुख वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका इन तीन वर्षों में हर वर्ष अधिकतम निर्यात और आयात हुआ; और

(ख) उन पांच वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका गत तीन वर्षों में हर वर्ष, निर्यात और आयात अधिकतम मूल्य का हुआ और वह कौन सी हैं जिनका निर्यात और आयात अधिकतम मात्रा में हुआ ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) और (ख) (i) भारत का आयात तथा निर्यात:—

(मूल्य करोड़ रुपये में)

वर्ष	आयात	निर्यात
1969-70	1582.76	1413.28
1970-71	1634.20	1535.16
1971-72	1824.61 (संशोधित)	1607.02 (संशोधित)
1972-73	1776.75 (अनंतिम)	1961.54 (अनंतिम)

(ii) (क) भारत का आयात

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्रमांक	मद	1969-70	1970-71	1971-72	अप्रैल-दिस० 1972	अप्रैल-दिस० 1971
1.	मशीनरी तथा परिवहन उपस्कर	395.89	394.70	454.26	349.32	348.64
2.	लोहा तथा इस्पात	81.51	147.04	237.57	156.88	178.73
3.	रासायनिक पदार्थ	195.09	192.28	217.65	155.87	161.40
4.	पैट्रोलियम तथा पैट्रोलियम उत्पाद	137.91	136.01	194.57	149.41	143.43
5.	अनाज तथा अनाज से तैयार बनी वस्तुएं	260.98	213.01	131.01	21.67	104.84

(iii) (ख) भारत का निर्यात

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्रमांक	मद	1969-70	1970-71	1971-72	अप्रैल-दिस० 72	अप्रैल-दिस० 71
1.	पटसन उत्पाद (धागे सहित)	206.65	190.45	265.28	192.68	186.91
2.	चाय	124.50	148.25	156.31	120.17	116.69
3.	सूती वस्त्र (मिल निर्मित)	111.54	115.61	115.47	119.67	81.58
4.	इंजीनियरी सामान	102.50	130.41	118.36	104.39	89.43
5.	लौह अवस्क	94.62	117.28	104.70	79.88	71.41

20 जुलाई, 1973 को कलकत्ता हवाई अड्डे पर झटके से उतरने के कारण इंडियन एयरलाईन्स के फोक्कर फ्रेंडशिप विमान को हुई क्षति

3483. **श्री वसन्त साठे :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 जुलाई, 1973 को कलकत्ता हवाई अड्डे पर झटके से उतरने के कारण फोक्कर फ्रेंडशिप विमान को काफी क्षति पहुंची थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये अथवा घायल हुए और इसके परिणाम स्वरूप कितनी क्षति हुई; और

(ग) क्या इस बारे में किसी जांच के आदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विमान पर सवार 13 यात्रियों तथा 3 कार्मिकों में से किसी को कोई चोट नहीं लगी। विमान को काफी क्षति पहुंची।

(ग) नागर विमानन के महानिदेशक ने वायुयान नियम 1937 के नियम 71 के अंतर्गत जांच का आदेश दे दिया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ?

हरियाणा में पर्यटक बंगलों की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव

3484. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा राज्य में पर्यटक बंगलों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशी नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सूरज कुण्ड पर एक पर्यटक काम्पलेक्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें रिहायशी आवास की भी व्यवस्था होगी, तथा साहिबी नदी के निकट दारुहेरा में एक कैफेटेरिया बनाया जा रहा है जिसमें कुछ विश्राम कक्ष होंगे। इन प्रायोजनाओं के लिए पर्यटन विभाग ने क्रमश: 10 लाख तथा 3.50 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की जाने वाली प्रायोजनाएं अभी तैयार की जानी हैं।

समुद्र-तटों, स्वास्थ्य वर्द्धक पर्वतीय स्थलों, वन्य पशु शरण स्थलों तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

3485. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र तटों, स्वास्थ्य वर्द्धक पर्वतीय स्थलों, वन्य पशु शरण स्थलों तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करने का हैं ;

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली सुविधाओं की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) देश में किन स्थानों का चयन किया गया है और इस प्रयोजन के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां । जिन स्थानों का विकास किया जा रहा है वे हैं : हिमक्रीड़ा स्थल के रूप में गुलमर्ग का, पर्वतीय बिहार-स्थल के रूप में कुल्लू-मनाली का, अजन्ता, एलौरा, सांची, बोधगया, राजगिर, नालन्दा जैसे चुने हुये पुरातात्विक रुचि के केन्द्रों का, तथा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कांज़ीरगा, ससानगिर, बांधीपुर, जलदापारा, भरतपुर जैसे कुछ वन्य जीव शरण स्थानों का। इन स्थानों पर आवास, परिवहन, जल-व्यवस्था, सड़क, और मनोरंजन जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। चौथी योजना में इन स्कीमों के लिये कुल 452 लाख रुपये का आँवंटन किया गया है।

मैसर्स कोरेस इण्डिया लिमिटेड द्वारा उत्पादशुल्क की चोरी

3486. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में मैसर्ज कोरेस इण्डिया लिमिटेड ने अपने उत्पादन के अनुसार उत्पादन-शुल्क नहीं दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस फर्म से उत्पादनशुल्क वसूल करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Funds Allocated and Spent for Development of Tourism in Bihar during 1971-72 and 1972-73

3487. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the development of, and other matters relating to Tourism in Bihar State during 1971-72 and 1972-73 ; and

(b) the amount spent during these years ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) and (b) The amount allocated for tourism schemes is Rs. 20 lakhs in the Fourth Plan. Of this amount Rs. 13 lakhs have been released to the State Government for the acquisition of land around the Mahabodhi temple at Bodhgaya. In addition a mini-bus has been provided at a cost of Rs. 40,000 for taking tourists round the Palamau National Park.

Foreign Cigarette Companies operating in India

3488. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the foreign Cigarette Companies in India together with the share capital of each and the names of the countries to which they belong;

(b) the names of the Indian Cigarette Companies together with the share capital of each;

(c) the money remitted to foreign countries by the foreign Companies every year during the last three years; and

(d) whether Government propose to stop the remittance of Indian capital to the foreign countries by liquidating the shares of the foreign countries in the Cigarette industry?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) to (c): A statement is attached.

(d) There is no such proposal at present.

STATEMENT

(in rupees lakhs)

S. No.	Name of Cigarette Company	Share Capital		Remittance abroad		
		Indian	Forgein	1969-70	1970-71	1971-72
1.	M/s. India Tobacco Co. Ltd., Calcutta.	477.58	1417.45	148.94	143.61	76.90
2.	M/s. Vazir Sultan Tobacco Co. Ltd., Hyderabad.	64.09	135.91	Information is being collected.		
3.	M/s. Godfrey Phillips (India) Ltd., Bombay.	4.38	55.62	0.01	14.59	29.22
4.	M/s. National Tobacco Co., Bombay.	70.81	9.16	Information is being collected.		
5.	M/s. D. Macropolo & Co., Ltd., Bombay.	10.90	5.80	-do-		
6.	M/s. Golden Tobacco (I) Bombay.	180.00	—			
7.	*M/s. Masters Tobacco (I), Bombay.	12.51	—			
8.	M/s. Crown Tobacco Co., Bombay.	7.00	—			
9.	M/s. Hyderabad Deccan Cigarette Factory, Hyderabad.	Proprietary concern and no shares have been issued.				
10.	M/s. International Tobacco Co., Ghaziabad.	19.99	—			
11.	M/s. Universal Tobacco Co., Hyderabad.	15.00	—			

*Masters Tobacco Company (India) is a unit of Gamudia Factories, Bombay.

Disparity in Rates of Excise Duty Levied on the Same Quality of Tea in Various States

3489. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether there is disparity in the rates of Excise duty imposed on the same quality of tea in various States of the country; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George : (a) & (b): Varying rates of excise duty were introduced in September 1958 with a view to spreading the total Central excise duty tax burden equitably among different tea growing areas on the basis of their capacity to bear the incidence as measured by the prices fetched and other natural factors which affected quality, yield per hectare, cost of production per kg. and price realisation per kg. etc. The varying rates of excise duty on tea initially fixed had been revised from time to time keeping in view the export performance of Indian tea in the world market.

Grant of loan by R.B.I. to make available Agricultural material to farmers of Bihar

3490. **Shri M. S. Purty**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Reserve Bank of India has agreed to grant some amount in the form of loans in order to make available agricultural material to the farmers of Bihar during 1973-74; and

(b) if so, the quantum thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) & (b): The Reserve Bank of India does not provide loans directly to farmers. The commercial banks or primary cooperative credit societies and cooperative land development banks grant loans to agriculturists for various agricultural purposes including purchase of agricultural material. Separate figures relating to loans exclusively for purchase of agricultural material are not maintained.

Value of Goods smuggled into India in 1972-73

3491. **Shri Dharamrao Sharanappa Afzalpurkar:** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government have estimated the value of goods smuggled into India in the year 1972-73 ; and

(b) if so, its break-up, item-wise during this period ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh : (a) & (b): It is not practicable to make a reliable estimate of the value of the goods smuggled into the country either on the basis of the figures of seizures of contraband goods or on any other basis. However, the Study Team on Leakage of Foreign Exchange through Invoice Manipulation has estimated that the annual consumption of illegal foreign exchange to finance smuggling would be of the order of Rs. 160 to 170 crores. The Study Team has not given any item-wise break-up.

निर्यात में वृद्धि करने के लिए लन्दन स्थित व्यापार एजेंट के कार्यालय को मैसूर सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र 'मैसूर सेल्स इन्टरनेशनल, को सौंपना

3492. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात में वृद्धि करने के लिए मैसूर सरकार ने लन्दन स्थित व्यापार एजेंट के कार्यालय को सरकारी क्षेत्र की 'मैसूर सेल्स इन्टरनेशनल' को सौंपने का निर्णय किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या मैसूर के मध्यम और लधु उद्योग द्वारा बनाई जाने वाली चंदन की लकड़ी, चंदन का तेल, चंदन का साबुन तथा हस्त शिल्प की वस्तुएं तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की गुंजाइश के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (घ) : जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है । यह एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Export of Opium from India.

3493. **Shri Dharamrao Sharanappa Afzalpurkar:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether opium is exported by India to foreign countries and if so, the country-wise amount of foreign exchange earned during the last three years ; and

(b) the steps being taken by Government for increasing the production of opium ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh : (a) Opium is exported from India to various countries and the amount of foreign exchange earned country-wise during the years 1970 and 1971 is furnished in the statement enclosed. Figures for 1972 are being collected and shall be laid on the Table of the House.

(b) The Government has taken the following steps to increase the production of opium :—

(i) The price of opium payable to a poppy cultivator is fixed on a sliding scale depending on the yield of opium tendered by him. A cultivator giving a higher yield of opium per hectare is paid at a higher rate.

(ii) Cash awards are given in each Opium Division to the poppy cultivator who tenders the highest yield of opium.

(iii) Demonstrations are arranged for educating the cultivators in the use of pesticides and fertilizers.

(iv) Experimental farms have been set up in some of the growing areas for conducting experiments on poppy seeds, soil and fertilizers etc., with a view to improving the yield and quality of opium. Results obtained from these experiments will be used for imparting guidance to the poppy cultivators for increasing their output of opium.

(v) The Government has also undertaken a number of long-term reasearch schemes on various aspects of poppy cultivation and production of opium. Results, when available, would help the poppy cultivators in improving the yield and morphine content of opium.

STATEMENT

S. No.	Name of the Country	1970	1971
		(Rs)	(Rs).
1.	U.K. .	1,90,66,703	3,82,79,618
2.	U.S.A.	1,34,27,709	2,79,34,533
3.	U.S.S.R. .	1,00,66,056	1,45,58,689
4.	France .	65,33,610	1,18,01,094
5.	Italy . .	45,91,694	80,96,951
6.	West Germany .	58,69,816	1,05,09,701
7.	Japan . . .	16,68,860	48,70,305
8.	Bulgaria . .	3,78,092	6,01,355
9.	Switzerland .	4,08,144	21,22,191
10.	Taiwan . .	1,11,860	—
11.	Argentina	—	9,33,405
12.	Belgium .	—	9,46,510
13.	Holland . . .	10,47,879	9,78,219
14.	Spain	15,59,939	13,17,857
15.	Czechoslovakia . .	—	3,60,053
		6,42,30,362	12,33,10,481

विकासशील देशों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटेन में सामान की बिक्री करने संबन्धी योजना

3494. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित अन्य विकासशील देशों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के लिए ब्रिटेन में सामान की बिक्री करने संबंधी नई योजना का ब्रिटिश सरकार ने स्वागत किया है ; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत सरकार के नोटिस में ऐसी कोई भी नई योजना नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

घाटे की अर्थ व्यवस्था

3496. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1972 से 31 मार्च, 1973, 1 अप्रैल 1971 से 31 मार्च 1972 तथा 1 अप्रैल, 1973 से 1 जुलाई , 1973 तक कितनी राशि की घाटे की अर्थव्यवस्था रही, और

(ख) 31 मार्च, 1974 तक कुल कितनी राशि की घाटे की अर्थ व्यवस्था रहने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा की गयी घाटे की वित्त-व्यवस्था [(i) रिजर्व बैंक द्वारा धारित राजकोष हुंडियों और सरकारी रुपया प्रतिभूतियों में हुए शुद्ध परिवर्तन, (ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की रोकड़-बाकी में हुई शुद्ध घटबढ़ और (iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों में हुए शुद्ध परिवर्तन के मापदंड के अनुसार] 1971-72 में 710 करोड़ रुपये, 1972-73 में 848 करोड़ रुपये और चालू वित्तीय वर्ष में जून 1973 के अन्त तक 380 करोड़ रुपये बैठती है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने अनुमान लगाया है कि 1973-74 के वर्ष का बजट संबंधी घाटा 85 करोड़ रुपये का होगा लेकिन इसमें उस व्यय को हिसाब में नहीं लिया गया है जो सरकार द्वारा तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अन्तिम फैसला लिए जाने पर करना पड़ सकता है। इस समय 1973-74 के वर्ष में होने वाली घाटे की वित्त-व्यवस्था का अनुमान लगाना संम्भव नहीं है।

नेशनल एंड ग्रिन्डलेज बैंक द्वारा किये गये कथित कदाचारों के बारे में जांच

3497. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि 110 वर्ष पुराने नेशनल ऐण्ड ग्रिन्डलेज बैंक ने, जो देश में चल रहा सबसे बड़ा विदेशी बैंक है, दस वर्षों की अवधि में विभिन्न कदाचारों के माध्यम से देश को 70 करोड़ रुपये की हानि पहुंचाई है ;

(ख) क्या सरकारी एजेन्सियों द्वारा आरोपों की जांच की जा रही है ; यदि हां, तो आरोपों की जांच कर रही एजेन्सियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में शीघ्र रिपोर्ट देना सुनिश्चित करने के लिये क्या विशिष्ट कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) नेशनल एण्ड ग्रिन्डलेज बैंक के विरुद्ध लगाए गए भष्टाचार के कुछ आरोपों की जांच जिनमें आयकर का अपवंचन भी शामिल है, रिजर्व बैंक तथा आय कर विभाग कर रहा है। उन्हें आशा है कि यह जांच यथाशीघ्र, पूरी हो जाएगी ।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

3498. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्रियान्वित की गयी सिफारिशें कौन सी हैं और शेष सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) अब तक क्रियान्वित की गयी सिफारिशें, कितनी लाभदायक सिद्ध हुई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार द्वारा बैंकिंग आयोग की सिफारिशों का जांच कार्य काफी आगे बढ़ चुका है । आशा है कि अधिकांश सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही ले लिया जाएगा।

निजी व्यक्तियों अथवा कम्पनियों को देश में यात्रियों को लेकर विमान उड़ाने की अनुमति देना

3500. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निजी व्यक्तियों अथवा कम्पनियों को देश में यात्रियों को लेकर विमान उड़ाने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों और कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्हें किन-किन मार्गों पर तथा किन-किन शर्तों पर विमान उड़ानें की अनुमति दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने गैर-सरकारी कम्पनियों को यात्री सेवा की अनुमति देने के लिए कोई मानक निर्धारित किये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित 9 निजी परिचालकों को जिनके पास नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा जारी किए गए अननुसूचित परमिट है, दिन-प्रति-दिन आधार पर उन मार्गों पर, जिन पर इंडियन एयरलाइंस परिचालन नहीं करते, अननुसूचित यात्री उड़ानों का परिचालन करने की अनुमति है :

1. कस्तूरी एंड संज, मद्रास (दि हिन्दू) ।
2. पुष्पक एवियेशन, मद्रास।

3. एयर सर्वे कं० (प्रा०) लि०, कलकत्ता।
4. कम्बाटा एवियेशन, बम्बई।
5. भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (भारत-एयर), गौहाटी।
6. देवर एवियेशन, बम्बई।
7. जे० के० केमिकल्ज़ (सफारी एयरवेज), बम्बई।
8. हेलिकाप्टर सर्विसिज (प्रा०) लि०, बम्बई।
9. जामेयर कं० (प्रा०) लि० कलकत्ता।

उपर्युक्त 9 में से, केवल जे० के० कैमिकल्ज़ (सफारी एयरवेज) ही फिलहाल निम्नलिखित मार्गों पर दिन-प्रति-दिन आधार पर अननुसूचित यात्री उड़ानों का परिचालन कर रहे हैं :—

(i) बम्बई-सूरत-बम्बई।

(ii) सूरत-अहमदाबाद-सूरत।

सफारी को निम्नलिखित मार्गों पर भी दिन-प्रति-दिन आधार पर परिचालन करने की अनुमति दी गयी है :—

1. दिल्ली-जयपुर-कोटा-जयपुर-दिल्ली (दिल्ली तथा जयपुर के बीच बिना यातायात अधिकारों के)।
2. बम्बई-सूरत-भावनगर-अहमदाबाद तथा वापस (बम्बई-भावनगर तथा बम्बई-अहमदाबाद के बीच बिना यातायात अधिकारों के)।
3. अहमदाबाद-इंदौर-अहमदाबाद।
4. सूरत-राजकोट-सूरत।
5. भावनगर-बड़ौदा-इंदौर तथा वापस।
6. बम्बई-जलगांव-बम्बई।

परन्तु, वे उपर्युक्त मार्गों पर परिचालन नहीं कर रहे हैं।

(ग) निजी परिचालकों को, जो अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं परिचालित करना चाहते हैं, वायुयान नियम, 1937 की अनुसूची xi में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना पड़ता है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर सुरक्षित विमान-अवतरण तथा विमान के उड़ने की सुविधाओं के बारे में शिकायतें

3501. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विमान के सुरक्षित रूप से उतरने तथा उड़ान लेने की सुविधाओं के सम्बन्ध में शिकायतें की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) अवतरण उपकरणों के बारे में कुछ शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं।

(ग) निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

1. ऐसे आपाती जैनरेटरों की, जो कि मेन के फेल हो जाने की हालत में अपने-आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विश्वसनीय तथा निर्बाध बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठा रहा है।
2. (i) नागर विमानन विभाग के विशेषज्ञ द्वारा दिल्ली विमानक्षेत्र पर उपकरण अवतरण प्रणाली की पूर्ण जांच की गयी है।
   (ii) निर्माताओं के एक विशेषज्ञ द्वारा आई० एल० एस० की वैज्ञानिक जांच की गई है। उसने सूचित किया है कि उपकरण सामान्य रूप से कार्य कर रहा है।

खाद्यान्न व्यापार, धागे, तिलहन, मोटे कपड़े, वनस्पति तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए वर्ष 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान गैर-सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए संस्थागत ऋण

3502. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : खाद्यान्न व्यापार और धागे, तिहलन, मोटे कपड़े, वनस्पति तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के लिए वित्तीय वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान गैर-सरकारी बैंकों सहित कुल कितना संस्थागत ऋण दिया गया और मूल्यों में वृद्धि पर इसका कितना प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : खाद्यान्नों, तिलहनों, वनस्पति तेलों, वनस्पति और चीनी पर गैर-सरकारी पार्टियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, जिनमें गैर-सरकारी बैंक भी शामिल हैं, द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई उपलब्ध सूचना इस प्रकार है।

विवरण

खाद्यानों, तिलहनों, तेलों और चीनो पर गैर-सरकारी पार्टियों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की बकाया रकमें

करोड़ रुपयों में

	जून 1972 के अन्त में	मार्च 1973 * के अन्त में
1	2	3
खाद्यान्न	98.00	42.00
तिलहन		
मूंगफली	8.76	14.28
अलसी	0.67	0.40
तोरिया/सरसों के बीज	उपलब्ध नहीं	1.20
बनस्पति तेल		
मूंगफली का तेल	5.83	5.68
अलसी का तेल	0.29	0.47

*मार्च, 1973 के आंकड़े अन्तिम हैं और बैंकों द्वारा इनमें बाद में संशोधन किया जा सकता है। इन आंकड़ों में निर्यात ऋण, परिकरण एककों को दिया गया ऋण, सरकारी क्षेत्र (मूंगफली/मूंगफली के तेल के संबंध में) आदि को दिया गया ऋण शामिल है।

1	2	3
तोरिया/सरसों का तेल	3.03**	2.74
वनस्पती	5.89	3.46
चीनी	186.38**	113.65

**ये आंकड़े जून, 1971 के हैं क्योंकि इन मदों के जून, 1972 के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं

उपर्युक्त आंकड़ों का संबंध केवल व्यापार के लिए दिये गये ऋणों से ही नहीं है बल्कि चावल मिलों, आटा मिलों (रोलर फलोर मिल्स) तेल मिलों और वनास्पति निर्माताओं जैसे परिष्करण एककों बिस्कुट निर्माता एककों, मिठाई बनाने वालों (कनफैक्शनरीज) कलफ निर्माताओं, रंग और साबुन निर्माताओं आदि जैसे औद्योगिक प्रयोक्ताओं को दिये गये ऋणों से भी है।

मूंगफली पर दिये जाने वाले अग्रिमों में वृद्धि का कारण, अन्य कारणों के साथ-साथ खली का बहुत अधिक निर्यात हो जाने और मूंगफली के बीजों/तेलों के लिये सरकारी क्षेत्र के कुछ अभिकरणों को विशेष रूप से गुजरात में खरीद और वितरण का काम हाथ में लिये जाने के कारण दी गयी ऋण सुविधाएं हैं।

खाद्यान्नों, तिलहनों, वनस्पति तेलों, चीनी और कपास पर बैंक ऋण, रिजर्व बैंक की चयनात्मक ऋण नियंत्रण नीति के अनुसार दिया जाता है जो न्यूनतम मार्जिन, व्याज की न्यूनतम दर और ऋण का स्तर निर्धारित करता है। इन मदों पर हाल में लगाए गए ऋण नियंत्रणों द्वारा काफी रोक लगा दी गयी है और यह सुनिश्चित करने के लिये हर प्रकार का ध्यान रखा जाता है कि ऋण से केवल वास्तविक उत्पादन और व्यापार की आवश्यकाएं ही पूरी हों।

जहां तक धागे के लिये ऋण देने का संबंध है, इसके लिये अलग से आंकड़े देना भारतीय रिजर्व बैंक के लिये सम्भव नहीं है क्योंकि बैंक आमतौर पर से एकीकृत ऋणों का हिसाब-किताब रखते हैं जिसके अन्तर्गत धागे (सूती और अन्य धागों सहित) और वस्त्र (मोटे वस्त्र और अन्य किस्मों सहित) आते हैं। रिजर्व बैंक ने मार्च 1973 में मध्य-व्यस्त मौसम की स्थिति की समीक्षा करने के लिये मुख्य बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में रिजर्व बैंक ने सूती धागे की समस्या की ओर बैंकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया था और उस मद पर दिये गये ऋण पर रोक लगाने के लिये कहा गया था। फिर, जुलाई 1973 में, जब रिजर्व बैंक ने ऋणों की प्रवृत्तियों की समीक्षा की और ऋण नियंत्रण को और सख्त करने की घोषणा की, उन्होंने बैंकों से वस्त्र और चीनी उद्योगो से ऋण की वापसी सुनिश्चित करने के लिये कहा।

चूंकि अधिकांश ऋण मिलों, परिष्करण एककों, और खुदरा व्यापारियों को गया है इसलिये ऐसी कोई सम्भावना नहीं है कि उपयुक्त मदों के लिये ऐसे ऋण की उपलब्धि से इन वस्तुओं के मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

चल रहे करेंसी नोटों का मूल्य

3503. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 100 रुपये और इससे अधिक मूल्य के कुल कितने मूल्य के करेंसी नोट इस समय चल रहे हैं और इसका कितना भाग लेखाबाह्य धन के वर्ग में आता है : और

(ख) क्या 100 रुपये और इससे अधिक मूल्य के नोटों का विमुद्रीकरण करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) पहली मई 1973 को 100 रुपये और उससे अधिक मूल्य के जो करेंसी नोट चल रहे थे, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

नोट का मूल्य	संख्या	मूल्य (रुपयों में)
100 रुपये	29,97,06,895	29,79,06,89,500
1,000 रुपये	4,29,389	42,93,89,000
5,000 रुपये	55,957	27,97,85,000
10,000 रुपये	29,924	29,92,40,000
	30,02,22,165	3097,91,03,500

यह बताना सम्भव नहीं है कि उपर्युक्त करेंसी में कितनी राशि लेखाबाह्य धन की है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दुर्बल वर्गों के लोगों तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को निशुल्क राशन अथवा सस्ते मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करना

3504. **श्री भोगेंद्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों के दुर्बल वर्गों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों पर वस्तुओं के वर्तमान मूल्य स्तर, अभाव और मुद्रास्फीति से बहुत अधिक प्रभाव हुआ है ; और

(ख) यदि हां तो क्या उनको सस्ते मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करके अथवा अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में निःशुल्क राशन की व्यवस्था करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) निस्संदेह यह बात सत्य है कि मूल्यों में वृद्धि होने तथा वस्तुओं की बराबर कमी बने रहने और सूखे की स्थिति पैदा हो जाने के कारण कृषि मजदूरों समेत समाज के कमजोर वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सूखा संबंधी राहत कार्यों के अतिरिक्त, राज्य सरकारों से यह कहा गया है कि वे सरकारी वितरण प्रणाली का और विस्तार करें ताकि और अधिक लोगों को इसके अन्तर्गत लाया जा सके।

लोगों को उचित मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई

3505. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य वृद्धि और मुद्रास्फीति के वर्तमान भार से राहत देने के उपाय के रूप में लोगों को उचित मूल्य पर अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार, देश भर में उचित दर/राशन की दुकानों के जाल के जरिए मुख्य उपलब्ध अनाजों का वितरण कर रही है। "लेवी" चीनी भी सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित मूल्यों पर बेची जा रही है। नियंत्रित किस्मों का सूती कपड़ा सरकारी अभिकरणों के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा एक समिति बनायी गयी है जो इस प्रश्न पर विचार करेगी कि किन किन और वस्तुओं को सरकारी वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ले आया जाय।

लीड बैंक योजना के अन्तर्गत विकास योजनायें बनाना

3506. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड बैंक योजना के अन्तर्गत चुने हुए जिलों के लिए बनाई गयी विकास योजनाओं को इस बीच क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) लीड बैंक योजना के अन्तर्गत जिन बैंकों को नेतृत्व करने का उत्तरदायित्व मिला है उन से आशा की जाती है कि जो जिले उनके लिये नियत किये गये हैं उनका वे इस दृष्टि से सर्वेक्षण करें कि उन्हें विकास केन्द्रों का पता लगाना है, ऋण-अन्तरों का पता लगाना है और जिले में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के लिये विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के बीच एक समन्वयकारी दृष्टिकोण प्राप्त करना है। इस योजना के अन्तर्गत पहले ही 313 जिलों के संबंध में सर्वेक्षण किया जा चुका है। लीड बैंकों ने 276 जिलों में जिला स्तर पर परामर्शदात्री समितियों की स्थापना कर दी है। इन समितियों का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों के संबंध में पता लगाना है जिनमें बैंक अन्य वित्तीय संस्थाओं और विकास अभिकरणों के साथ मिल कर सक्षम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभावकारी भूमिका अदा कर सकें।

इण्डियन एयरलाइन्स के कमान्डरों का विशिष्ट उड़ान परीक्षण संबन्धी निर्णय

3507. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निर्णय किया है कि विभिन्न प्रकार के विमानों के नियंत्रण (कमांड) की अनुमति देने के लिये इंडियन एयरलाइन्स के सभी कमांडरों को दो घंटे का विशिष्ट उड़ान परीक्षण होना चाहिये और यदि हां, तो ऐसे पुनर्मूल्यांकन परीक्षण कौन करेगा ;

(ख) क्या इस प्रकार के विशिष्ट परीक्षण पर एक करोड़ की लागत आयेगी ; और

(ग) इस समय लाइसेंस प्राप्त विमान चालकों की संख्या कितनी है और प्रतिवर्ष उनकी उड़ान क्षमता की जांच करने की क्या प्रक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) यह निर्णय किया गया है कि इंडियन एयरलाइंस के समस्त कमांडरों की कार्यक्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। पूनर्मूल्यांकन का कार्यक्रम 9 जुलाई, 1973 से प्रारंभ हुआ।

बोइंग 737, कारवेल, एच० एस०-748, आदि प्रत्येक प्रकार के विमान के लिए नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा विशेष रूप से चुने गये 2 अथवा 3 विमानचालकों के दल से जांच-कार्य कर रहे हैं। इनमें लगा समय परीक्षण में निर्धारित अभ्यासों के अनुसार होगा।

(ख) इन जांचों पर होने वाले व्यय का अनुमान लगभग 15.25 लाख रुपए लगाया जाता है।

(ग) इंडियन एयरलाइंस में इस समय 471 विमानचालक हैं जिनमें 32 प्रशिक्षु विमान-चालक भी सम्मिलित हैं। उन पर निम्नलिखित चेक लागू होती है:—

(i) स्थानीय जांच तथा मार्गस्थ जांच (लोकल चेक व रूट चेक)	—नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार वर्ष में दो बार।
(ii) उपकरण उड़ान प्रमाणन जांच (इन्स्ट्रूमेंट रेटिंग चेक)	—नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा निर्धारित स्तर के अनुसार वर्ष में एक बार।

भारत में वन विकास योजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

3509. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक देश की दीर्घावधि वन विकास योजनाओं के लिए सहायता देने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) क्या भारत ने कोई दीर्घावधि वन योजना बनाई है ?

वित मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत की वन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त करने की सम्भाव्यता पर विचार करने के लिए विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ कुछ बातचीत हुई है। यह बातचीत अभी बिलकुल प्रारम्भिक दौर में है

(ग) कृषि मंत्रालय में वनपालन परियोजनाओं के संबंध में कुछ अध्ययन किया है जिस पर दीर्घावधिक वनपालन आयोजना आधारित होगी।

दिल्ली में पकड़ा गया तस्करी का माल

3510. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 मई, 1973 को नई दिल्ली में लाखों रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) :(क) दिल्ली सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यालय के अधिकारियों और राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 16 मई, 1973 को नई दिल्ली में 26 लाख रुपये के मूल्य का तस्कर-आयात किया गया माल पकड़ा गया था। पकड़े गये माल में रेडियण्ट धागा, वस्त्र, चीन में बने फाउन्टेन पैन आदि थे। इसके अतिरिक्त 111 किलोग्राम हशीश भी पकड़ी गयी थी।

(ख) उपयुक्त मामलों में 11 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। उन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ दिया गया है। इस मामले में आगे जांच-पड़ताल जारी है।

नेताजी जांच आयोग की सहायता के लिये एयर इण्डिया के रियायती टिकटों के बारे में राष्ट्रीय समिति के आयोजक का अनुरोध

3511. **श्री समर गुह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेताजी जांच आयोग की सहायता के लिए राष्ट्रीय समिति' के आयोजक ने उनसे लिखित रूप में अनुरोध किया है कि समिति के तीन सदस्यों को एयर इण्डिया के रियाततो दर पर टिकट दिये जाएं जिससे वे नेताजी जांच आयोग के साथ ताइवान में तालपाई के दौरे पर जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध को अस्वीकार किये जाने का क्या कारण है ;

(ग) क्या शांति परिषद्, एफ्रो-एशियाई सोलीडेरिटी काफ्रेंस तथा अन्य संगठनों के सदस्यों ने विदेश जाने के लिये एयर इण्ड़या के रियायती दर पर टिकट प्राप्त किये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में तथ्य क्या है तथा नेताजी जांच आयोग की सहायता के लिये राष्ट्रीय समिति के सदस्यों के साथ भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। किन्तु निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था करना आवश्यक नहीं समझा गया।

(ग) और (घ) कभी-कभी एयर-इंडिया को रियायती यातायात प्रदान करने का निदेश दिया जाता है। किन्तु उन्हें शांति परिषद और एफ्रो-एशियाई सौलीडेरिटी काफ्रेंस को निःशुल्क अथवा रियायती टिकटों के देने के बारे में कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

बंगलादेश के साथ व्यापार करार का निपटान करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किये गये विभागीय कार्यालय

3513. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगालादेश के साथ व्यापार करार का निपटान करने के लिये सरकार ने कितने विभागीय अथवा अन्य कार्यलय स्थापित किये हैं ;

(ख) (एक) इन विभागीय (अथवा अन्य) यूनिटों के नाम क्या हैं (दो) उनके कार्यालय कहां स्थित हैं (तीन) इन कार्यालयों के मुख्य अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन कार्यालयों की मुख्यतः भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं जिससे करार की त्वरित क्रियान्विति के लिये बंगला देश के प्रतिनिधियों को उनसे सरलता तथा शीघ्रता से सम्पर्क स्थापित करने में सुविधा रहती ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) भारत बंगला देश व्यापार करार के संबंध में कार्यवाही करने के लिये सरकार ने ऐसा कोई नया कार्यालय स्थापित नहीं किया है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते । तथापि सीमित भुगतान करार तथा नये संतुलित व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत बंगला देश से आयात तथा बंगला देश को निर्यात करने संबंधी आवेदन-पत्रों का निपटान प्रमुखत: आयात-निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, कलकत्ता द्वारा किया जाता है । इन करारों के अन्तर्गत आयातों तथा निर्यातों संबंधी भुगतानों के बारे में लेन-देन भी स्टेट बैंक आफ इंडिया, कलकत्ता द्वारा रखे गए एक विशेष लेखे के माध्यम से किया जाता है ।

वर्ष 1971—73 के दौरान ताईवान के साथ हुये आयात/निर्यात व्यापार का मूल्य

3514. **श्री समर गुह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 और 1972-73 के दौरान ताईवान के साथ गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के फर्मों द्वारा, अलग-अलग निर्यात तथा आयात व्यापार कितना हुआ किन-किन वस्तुओं का हुआ भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य कितना हैं ;

(ख) क्या ताईवान के साथ सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के फर्मों द्वारा होंने वाले निर्यात और आयात व्यापार को बढ़ाने की और अधिक गुंजाईश है ; और

(ग) यदि हां, तो उस देश के साथ ऐसे व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1971-72 तथा 1972-73 (अप्रैल-दिसम्बर) के संबंध में भारत से ताइवान का हुए निर्यात तथा वहां से किए गये आयात और साथ ही निर्यात और आयात की प्रमुख मदें निम्नलिखित प्रकार है :—

(मूल्य लाख रु० में)

	1971-72	1972-73
		(अप्रैल-दिसम्बर)
निर्यात . . .	513	97
आयात .	37	53
मात्रा .	550	150

निर्यात की प्रमुख मदें :	परिवहन उपस्कर
	लौह अयस्क
	सान्द्रण
	अभ्रक
	चमड़ा
	पिग आयरन
	खनिज तथा धातु निर्मित उत्पाद
	फेरो स्क्रेप
प्रमुख आयात :	प्लास्टिक का कच्चा माल
	सगंध तेल
	मसाले

क्षेत्रवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) ताइवान के भविष्य के संबंध में चल रही बहुत सी अस्थिरताओं को ध्यान में रखते हुए ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाने की गुंजाइश का सार्थक मूल्यांकन करना कठिन है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

17 काउंट तक के सूत के वितरण पर नियंत्रण में ढील

3515. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने 17 काउंट तक के सूत के वितरण पर नियंत्रण में ढील देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो औद्योगिक कार्यों के लिये उपयोग होने वाले तथा ब्लेंड किये हुये और मिश्रित सूत की उपलब्धता के बारे में योजना के क्षेत्राधिकार से यदि कोई छूट दी गई है, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) धागे की निम्नलिखित श्रेणियों तथा किस्मों के वितरण पर लगे नियंत्रण को 21 जून, 1973 से हटा दिया गया था :—

(1) 17 तथा इससे कम काउंटों का सूत ;

(2) 17 तथा इससे कम काउंटों में 2 प्लाई का फोल्डेड सूत ;

(3) सभी काउंटों में 3 प्लाई तथा अधिक प्लाइयों का फोल्डेड सूत ;

(4) मानव निर्मित सेलूलोसिक अथवा नान-सैल्यूलोसिक, प्राकृतिक रेशम अथवा ऊनी रेशे की $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अथवा अधिक मात्रा युक्त ब्लेंडेड धागा ;

(5) मिश्रित धागा अर्थात् जहां एक ही हैंक अथवा कोन में विभिन्न काउंटों का धागा हो; और

(6) हार्ड वेस्ट।

उपर्युक्त छूट से उन पुस्तों वचनवद्धताओं में से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो

21 जून, 1973 से पूर्व स्कीम के अन्तर्गत धागे की उपर्युक्त श्रेणियों तथा किस्मों के संबंध में की गई हों। उत्पादन तथा कीमत संबंधी नियंत्रण जारी है।

2. उपर्युक्त छूट को 35 तथा कम काउन्टों के धागे के संबंध में 18 जुलाई, 1973 से तथा 40 तथा कम काउन्टों के धागे के संबंध में अगस्त, 1973 से और लागू किया गया।

विभिन्न मिलों द्वारा उत्पादित संश्लिष्ट रेशे मिश्रित सूती धागे से बनाए गए कपड़े के मूल्यों पर नियंत्रण

3516. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मिलों द्वारा उत्पादित संश्लिष्ट रेशे मिश्रित सूती धागे से बनाए गए कपड़े के मूल्यों पर सरकार कोई नियंत्रण रखती है ;

(ख) क्या इस वर्ष जनवरी से तथा उसके बाद ऐसे कपड़े के मूल्यों में असाधारण रूप से वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1973 तथा 1 जरवरी, 1972 के मूल्यों पर अलग-अलग, 30 जून, 1973 को कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(घ) मूल्यों को सामान्य स्तर पर लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) कीमतों में 1 जनवरी, 1973 के स्तर की अपेक्षा 3.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच और 1 जनवरी, 1972 के स्तर की अपेक्षा 9 प्रतिशत से 14.5 प्रतिशत के बीच वृद्धि देखी गई है, जिसे देश के सामान्य कीमत स्तर में चल रही प्रवृत्तियों को देखते हुए असाधारण नहीं कहा जा सकता।

(घ) प्रश्न नहीं उटता।

मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा कच्चे माल तथा अर्ध-तैयार माल का निर्यात

3517. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोर्स इंडिया लिमिटेड विदेशों को कच्चे माल तथा अर्ध तैयार-माल का निर्यात करता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं ; और प्रत्येक देश को किये गये निर्यात का भारतीय मुद्रा में मूल्य कितना है तथा वर्ष 1969-70 से 1972-73 तक वर्षवार तथा देशवार निर्यात किये गये माल की लागत का भुगतान किस प्रकार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि निर्यातकवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

Commodities for which India and Bangladesh have entered into Trade Agreement

3518. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the names of the commodities for which India and Bangladesh have entered into trade agreement; and

(b) the names of the commodities which would be imported and the names of the commodities which would be exported by India under the agreement?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George): (a) & (b) The reference of the Hon'ble member is perhaps to the trade between India and Bangladesh under the new Trade Agreement which was concluded in Dacca on 5th July, 1973. The Trade Agreement, which comes into force from 28th September, 1973, provides for two tiers of trade—

(i) A Balanced Trade & Payments Arrangement in commodities of special interest to the two countries to the extent of Rupees 30.5 crores each way; and

(ii) trade outside the Balanced Trade & Payments Arrangement, which will be regulated in accordance with the normal import, export and foreign exchange regulations.

2. Details of the commodities to be imported from and exported to Bangladesh under the Balanced Trade & Payments Arrangement are indicated in the enclosed statements.

STATEMENT I

Exports to Bangladesh

Commodities/Goods	Value (Rs. Lakhs)
1. Carry-forward adjustment from previous L.P.A.	200
2. Coal	600
3. Tobacco unmanufactured	520
4. Cement	300
5. Raw Cotton	750
6. Cotton yarn	200
7. Cotton Textiles	100
8. Bicycles and parts thereof	30
9. Stone Boulder, hardwood (including Sal and Teak), Soft Wood, Barytes (white), Lime and Limestone (other than required for manufacture of cement), Dolomite, Gypsum, unslaked lime.	100
10. Books, Newspapers, Periodicals and Musical Instruments	22
11. Ayurvedic & Unani Medicines (including herbs and crude drugs)	20
12. Chemicals and pharmaceuticals	20
13. Spices	10

	Value (Rs. Lakhs)
14. Spare parts and machinery & equipment of small value (not exceeding Rs. 50,000).	50
15. Tooth Brushes, Shaving Brushes and Tooth Paste.	3
16. Sports goods and requisities for games and sports	15
17. Movies	10
18. **Miscellaneous (to the extent permissible under the ITC regulations)—**	100
(i) Shil Butta	
(ii) Canes and Rattons	
(iii) Conch-shells	
(iv) Betelnuts and betel-leaves	
(v) Toys	
(vi) Fruits and vegetables including potatoes, ginger and oranges	
(vii) Any other items to be mutually agreed upon.	
	30,50

STATEMENT II

Imports from Bangladesh

Commodities/Goods	Value (Rs. Lakhs)
1. Raw Jute	2000
2. Fresh fish and dried fresh water fish-salted or processed	350
3. Newsprint and low-grammage paper	450
4. Semi-tanned cowhides including wet and blue	100
5. Ayurvedic and Unani medicines (including herbs and crude drugs)	5
6. Books, Newspapers and Periodicals	22
7. Movies	10
8. Pharmaceuticals	3
9. Spices	5
10. Simul cotton (Kapok)	5
11. **Miscellaneous (to the extent imports are permissible under the ITC regulations)—**	100
(i) Mangrove tannin extracts (vegetable tanning substances)	
(ii) Turtles and tortoise	
(iii) Betel leaves	
(iv) Fruits and vegetables	
(v) Strawmats	
(vi) Reed Flower Brooms	
(vii) Sital Pati	
(viii) Sulphuric acid	
(ix) Soap nuts	
(x) Tortoise shell	

Commodities/Goods	Value (Rs. Lakhs)
(xi) Honey	
(xii) Cables	
(xiii) Particle Board, and cellophane paper (Packing and Wrapping paper) preferably Saran coated variety.	
(xiv) Furnace oil and naphta	
(xv) Any other items to be mutually agreed upon.	
	30,50

Deposits under small savings in Haryana

3519. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount deposited under small savings in Haryana State during the year 1972-73 ;

(b) the amount withdrawn during the month of April, 1973 ; and

(c) the share of Haryana Government and others in the amounts deposited and withdrawn, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi) : (a) The net amount of small savings deposited in Haryana State during 1972-73 was Rs. 22.77 crores.

(b) The amount withdrawn during April, 1973 was Rs. 19.11 crores.

(c) Two-thirds of the net small savings collection are given to the States concerned as loans, the remaining one-third being retained by the Government of India. The amount of loan payable to the Government of Haryana in respect of small savings collections during April, 1972 to March, 1973 came to **Rs.** 15.18 crores. Clubbing together the net collections of Rs. (–) 7.46 crores in **April,** 1973, their entitlement of loan was fixed at Rs. 10.21 crores.

कृषि उत्पादों का वायदा बाजार व्यापार बन्द करना

3520. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादों के उन कुछ केन्द्रों पर वायदा बाजार व्यापार बन्द करने का विचार कर रही है जहां यह काम सरकार की अनुमति से होता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली में कम से कम कुछ वस्तुओं का वायदा बाजार व्यापार जारी रखने पर विचार किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ द्वारा आन्दोलन करने की योजना

3521. **श्री अण्णासाहिब गोटखिडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की अपनी योजना के बारे में सरकार को सचेत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ ने पहले भी कई बार अपनी कठिनाइयां सरकार के सामने रखी हैं, और सरकार ने उन पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के बाद समय-समय पर यथासंभव राहत मंजूर की है। स्वर्णकारों की मुसीबतों पर सहानुभूतिपूर्ण रूप से विचार होता रहेगा और स्वर्ण नियंत्रण कानून की परिधि में रहते हुए, जहां आवश्यक समझा जायेगा, राहत दी जायेगी ।

भारत को विकास सहायता के बारे में प्रधान मंत्री तथा अमरीकी राजदूत में विचार-विमर्श

3522. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अमरीकी राजदूत श्री डेनियल पी० मोइनिहन ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी तथा विकास सहायता के क्षेत्रों में भारत-अमरीकी सहयोग के भविष्य के बारे में विचार-विमर्श किया था ;

(ख) क्या इस संबंध में अमरीकी राजदूत ने कोई ठोस प्रस्ताव किये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत ने भारत सरकार के साथ नए आर्थिक संबंधों के आधार के विषय में विचार-विमर्श करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की इच्छा प्रकट की थी। सरकार ने इस दृष्टिकोण का स्वागत किया है।

रुपये का मूल्यह्रास रोकने के लिये कार्यवाही

3523. **श्री रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में मूल्य वृद्धि तथा मुद्रास्फीति के कारण रुपये के मूल्य में कितना ह्रास हुआ है ;

(ख) क्या रुपये का मूल्य ह्रास जीवन बीमा पालिसियों तथा सावधिक जमाखातों जैसी दीर्घकालीन बचतों को हतोत्साहित करता है ; और

(ग) यदि हां, तो मल्य ह्रास रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 = 100) के आधार पर किए गए मूल्यांकन के अनुसार रूपये का मूल्य जो 1962-63 में 92.59 पैसे था घट कर 1972-73 में 48.31 पैसे रह गया, अर्थात् इसमें, 10 वर्ष की अवधि में 47.82 प्रतिशत की कमी हो गई।

(ख) तथा (ग) व्यक्तिगत बचतों पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है और किसी एक बात के प्रभाव का अलग से मूल्यांकन करना संभव नहीं है। उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि पिछले दस वर्षों में भारत में किए गए जीवन बीमा कारबार में तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सावधि जमाखातों की जमा रकमों में लगातार वृद्धि हुई है।

नायलोन और रेशम उद्योग के कताई और बुनाई युनिटों के बीच मूल्यों और कोटा के बारे में ऐच्छिक करार

3524. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलोन और कृत्रिम रेशम उद्योग के कताई और बुनाई यूनिटों के बीच मूल्यों और कोटा के बारे में ऐच्छिक करार संतोषजनक ढंग से लागू नहीं हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप नायलोन, रेयन और अन्य सूत के मूल्य बहुत अधिक हो गये ;

(ख) यदि हां, तो करार के संतोषजनक रूप से लागू न होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) कृत्रिम रेशम उद्योग के कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच तीन स्वैच्छिक क़रार हैं :

(1) स्टेपल रेशे से कते धागे के कत्तिनों और बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार; यह करार संतोषजनक रूप में चल रहा है ;

(2) विस्कोस रेयन फिलामेन्ट धागे के कत्तिनों और बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार। कुल मिलाकर यह करार भी संतोषजनक रूप में चल रहा है। तथापि, एक एकक ने इस करार के अन्तर्गत इस आधार पर धागे की सप्लाइयां बन्द कर दी हैं कि उनका एकक बहुत छोटा है और लाभकारी रूप में नहीं चल रहा है ;

(3) नायलोन धागे के कत्तिनों और बुनकरों के बीच स्वैच्छिक करार की क्रियान्विति में कठिनाई आ रही है जिसका मुख्य कारण यह है कि कत्तिन पोलिमर चिप्स पर लगे उत्पादन शुल्क को, जो कि अब धागा शुल्क में मिला दिया गया है, बुनकरों पर डालना चाहते हैं और इसका यह भी कारण है कि अपेक्षित कच्चे माल अर्थात् कैप्रोलेक्टम की विश्वव्यापी कमी के फलस्वरूप नायलोन धागे के उत्पादन में गिरावट आ गई है।

(ग) सरकार, कत्तिनों तथा बुनकरों को अपने मतभेदों का शीघ्रतापूर्वक समाधान करने के लिये मना रही है।

भारतीय रुई निगम द्वारा रुई की खरीद

3525. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय रुई निगम को 500 करोड़ रुपये की रुई खरीदने के निदेश दिये हैं;

(ख) क्या उक्त निर्णय रुई उत्पादकों को उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से लिया गया था;

(ग) क्या भारतीय रुई निगम ने 500 करोड़ रुपये की रुई खरीदी है; और

(घ) यदि हां, तो इससे रुई उत्पादकों को कहां तक सहायता मिली है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) रुई उपजकर्ताओं को उचित कीमत दिलाने के विचार से भारतीय रुई निगम को बाजार में चल रही कीमतों पर चालू रुई मौसम (सितम्बर, 1972—अगस्त, 1973) के दौरान 500 करोड़ रु० मूल्य की स्वदेशी रूई खरीदने का निदेश दिया गया था। परन्तु रुई की कीमतों में स्थिरता के कारण, जो मार्च, 1973 में बढ़ने लगी थी, भारी मात्रा में रुई का खरीदना आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि बाजार में चल रही कीमतें चालू रुई मौसम के लिए घोषित समर्थन कीमतों से कहीं अधिक थीं। निगम ने चालू रुई मौसम के दौरान 45 करोड़ रुपये मूल्य की 3.88 लाख रुई की गांठें खरीदी हैं।

राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्य करना

3526. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के प्रबन्धकों और अधिकारियों के बीच वार्ता असफल हो गई है और निगम के अधिकारियों ने 20 जुलाई, 1973 से नियमानुसार कार्य करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के असफल होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उक्त मामले को हल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों की मांगें विचाराधीन हैं। तथापि इस बीच अधिकारियों ने अपनी मांगों के बारे में दबाव डालने लिए नियमानुसार कार्य आन्दोलन शुरू कर दिया है।

मैसर्स कर्नाटक एक्सपोर्ट हाऊस के बारे में गुम हुई फाइल

3527. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स एक्सपोर्ट हाऊस के बारे में कथित गुम हुई फाइल की तलाश कर ली है; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) पूछताछें की गई हैं। प्रश्नाधीन फाइल अभी तक नहीं मिली है। सम्बद्ध कागजात की प्रतियों को एकत्र करके फाइल को फिर से तैयार करने के लिए पहले ही कदम उठाये जा चुके हैं।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय को अनुसंधान परियोजना के लिये फोर्ड फाउंडेशन से अनुदान

3528. **चौधरी रामप्रकाश** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आरम्भ की जाने वाली अनुसंधान परियोजना के लिए सरकार ने फोर्ड फाउन्डेशन को अनुदान स्वीकार करने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो धीरे-धीरे विदशी सहायता त्याग देने की सरकारी नीति के संदर्भ में उक्त अनुदान स्वीकार करने की मंजूरी देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, हां। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मानवीय और प्राकृतिक संसाधनों के विकास में काम में लाये जाने वाले सामाजिक विज्ञानों को सुदृढ़ बनाने के प्रयोजन से गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर द्वारा फोर्ड फाउन्डेशन से अनुदान स्वीकार किये जाने के लिए अपनी अनुमति दे दी है।

(ख) आत्म-निर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने की नीति का अभिप्राय समस्त विदेशी सहयोग का तत्काल अथवा समूचे त्याग नहीं है। इस अनुदान के प्रस्ताव का अनुमोदन सभी सम्बद्ध सरकारी अभिकरणों के साथ परामर्श करने के बाद अनिवार्यता के माप-दण्ड को कड़ाई से लागू करके और अनुमति दिए जाने की मानक प्रणाली का अनुसरण करते हुए किया गया है।

पांचवीं योजना के दौरान घाटे की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि

3529. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में घाटे की अर्थ व्यवस्था में वृद्धि होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा अपने प्रकाशन 'पांचवीं आयोजना के प्रति दृष्टिकोण (एप्रोच टू दि फिफ्थ प्लान : 1974-79)' में पांचवीं आयोजना की वित्त-व्यवस्था की योजना की जो परिकल्पना की गयी है उसके अनुसार घाटे की वित्त-व्ययस्था की मात्रा को उस स्तर तक ही रखा जाना है जिस पर इसके परिणामस्वरूप जनता के पास मुद्रा उपलब्धि में होने वाली वृद्धि और कुल मांग, अर्थ-व्यवस्था की वास्तविक रूप में होने वाली वृद्धि से उत्पन्न आवश्यकताओं से अधिक नहीं होगी। पांचवीं आयोजना की अवधि में की जाने वाली घाटे की वित्त-व्यवस्था की मात्रा इसके अनुसार ही निर्धारित की जायेगी और घाटे की वित्त-व्यवस्था को इन सीमाओं तक सीमित रखने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का निरूपण पांचवीं आयोजना विषयक पुस्तक में किया जायेगा।

बम्बई में सम्पन्न भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल की वार्षिक सामान्य बैठक

3530. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या 19 जुलाई, 1973 को बम्बई में भारत-जर्मन वाणिज्य मंडल की 17वीं वार्षिक सामान्य बैठक सम्पन्न हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई समझौता हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) (क) : जी हां।

(ख) व्यापक रूप में भारत-जर्मन संघीय गणराज्य व्यापार की प्रगति।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी क्षेत्र में शक्ति चालित करघों के वित्त पोषण के संबन्ध में ब्याज पर दी जाने वाली राज सहायता देने के बारे में निर्णय

3531. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी क्षेत्र में शक्तिचालित करघों के वित्त पोषण के बारे में ब्याज के संबंध में राज सहायता देने के प्रश्न पर कोई निर्णय किया है ताकि समितियां 4½ प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर सहायता प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर कब तक निर्णय किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) मामला अभी विचाराधीन है।

कन्नानोर में बुनकर सेवा केन्द्र

3532. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार ने कन्नानोर में एक बुनकर सेवा केन्द्र की स्थापना के बार में विचार किया था;

(ख) उसके अब तक स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उसके कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) सरकार ने, कन्नानोर, केरल में एक बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति पहले ही दे दी है। आशा है केन्द्र शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देगा।

विभिन्न हवाई अड्डों पर लगे पुराने ट्रांसमीटरों को बदलने की योजना

3533. **श्री एम० एम० जोजफ** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार बार होने वाली विमान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने विभिन्न हवाई अड्डों पर लग पुराने ट्रांस्मीटरों कों बदलने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) वैमानिक संचार सेवाओं को सुधारने एवं उन्हें और अधिक मज़बूत करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । कुछ वर्तमान उपस्कर को बदलने के लिये एक सौ मध्यम श्रेणी के पावर ट्रान्समीटर सेटों के लिये क्रयादेश (आर्डर) दे दिये गये हैं तथा अगले वर्ष कुछ और सेट प्राप्त करने का प्रस्ताव है। जहां तक सरकार की जानकारी है अपने देश में ट्रान्समीटरों के कारण कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई।

मिलों द्वारा "वार्डर" वाली धोतियों तथा रंगीन साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

3534. **श्री एम० एम० जोजफ :**
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिलों द्वारा वार्डर वाली धोतियों तथा रंगीन साड़ियों पर कोई प्रतिबंध लगाने तथा "तुर्किश टावल" और "स्पोर्टस शर्टिंग" आदि जैसी मदों का हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन आरक्षित करने का है जैसा कि केरल राज्य सरकार ने अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) उत्पादन के क्षेत्रों के संबंध में हथकरघा और शक्तिचालित करघा क्षेत्रों के लिए किए गए आरक्षणों का पुनर्विलोकन शीघ्र ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन दो उद्योगों के लिए विकास योजनाएं बनाने की प्रस्थापनाओं के संदर्भ में किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता

3535. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में विभिन्न विभागों में विभाग-वार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को कुल कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ;

(ख) क्या समयोपरि भत्ते में यह वृद्धि काम को निपटाने के लिए कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के कारण है अथवा यह कर्मचारियों की 'धीरे काम करो' नीति अथवा दक्षता में कमी के कारण हैं ;

(ग) यदि हां, तो नए कर्मचारी भरती न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण पत्र सदन पटल पर रखा जाता है जिसमें सचिवालयी कार्यालयों के बारे में वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 से संबंधित वह सूचना दी गयी है जो तत्काल उपलब्ध है । [ग्रंथालय में रखा गया / देखिये संख्या एल०टी० 5422/73] वर्ष 1970-71 के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासंभव शीघ्र सी सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) से (घ) इस वृद्धि के कई प्रकार के कारण हैं। सरकार ने अनुत्पादक व्यय में कमी करने के जो उपाय किए हैं उनके कारण तथा रिक्त पदों को भरने में देरी होने के कारण, संभव है कि कहीं-कहीं कर्मचारियों की कमी हुई हो जिससे जरुरी काम करवाये जाने के मौकों पर समयोपरि भत्ता देना पड़ा हो। कुछ संस्थापनों में समयोपरि व्यय में वृद्धि उनके कार्य के स्वरूप के कारण हुई हो सकती है। लेकिन इस सारे प्रश्न पर तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को दृष्टि में रख कर विचार किया जा रहा है।

राजस्थान में उद्योगपत्तियों के विरुद्ध आयकर की बकाया राशि

3536. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उद्योगपतियों के विरुद्ध आयकर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) इन उद्योगपतियों से आयकर की बकाया राशि वसूल न करने के क्या कारण हैं और उक्त बकाया राशि कब तक वसूल कर ली जायेगी;

(ग) इन व्यक्तियों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने में विलम्ब के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के नाम क्या हैं; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) आयकर के प्रयोजन के लिए निर्धारितियों का वर्गीकरण, उनकी आय के स्रोत, व्यवसाय अथवा वृत्ति के अनुसार नहीं किया जाता। इसलिए राजस्थान के उद्योगपतियों के संबंध में अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट निर्धारिती के बारे में सूचना चाहते हों तो वह एकत्र करके पेश की जायगी।

2. राजस्थान कार्यक्षेत्र के जिन निर्धारितियों की तरफ विभिन्न तारीखों को 1 लाख रु०, 5 लाख रु० और 10 लाख रु० से अधिक रकम बकाया थी उनके बारे में तत्काल उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :

	तारीख	निर्धारितियों की कुल संख्या
1 लाख रु० से अधिक बकाया	31-3-1972	49
5 लाख रु० से अधिक बकाया	31-12-1972	6
10 लाख रु० से अधिक बकाया	31-3-1973	1

भारत की विदेशी मुद्रा की जमा राशि

3537. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 जुलाई, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह में देश की विदेशी मुद्रा में 36.93 करोड़ रुपये से 448.77 करोड़ रुपये तक की कमी हुई है;

(ख) विदेशी मुद्रा की जमा-राशि की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) जी, नहीं। कमी नहीं बल्कि वृद्धि हुई है। 448.77 करोड़ रुपये की रकम, जो रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा की परिसम्पत्तियों की द्योतक है, गत सप्ताह की तुलना में 48.37 करोड़ रुपये अधिक है। यह वृद्धि मुख्यत: इन परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यन के कारण 43.41 करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाने के कारण हुई थी।

(ख) 10 अगस्त 1973 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा की परिसम्पत्तियों की रकम 401.81 करोड़ रुपये थी। इसके अतिरिक्त बैंक के पास 182.53 करोड़ रुपये के मुल्य का सोना और 183.94 करोड़ रुपये की रकम के बराबर के विशेष आहरण अधिकार थे।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जुलाई, 1973 में वाशिंगटन में हुए 20 सदस्यों की समिति की बैठक में चर्चा किये गये विषय

3538. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधारों के लिए एक योजना की सिफारिश करने हेतु गठित 20 सदस्यों की समिति की 30 और 31 जुलाई, 1973 को वाशिंगटन में हुई बैठक में भाग लेने के लिए गये थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में चर्चा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) उस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने क्या प्रस्ताव रखे थे और उन पर समिति के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5423/73]

पटसन के मूल्यों के निर्धारण के मामले में परस्पर विरोधी कार्यवाही न करने के बारे में भारत और बंगला देश का समझौता

3539. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और बंगला देश में हुए समझौते के अनुसार पटसन के मूल्यों के निर्धारण के मामले में दोनों देश परस्पर विरोधी कार्यवाही नहीं करेंगे;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते के फलस्वरूप भारत के पटसन-उत्पादकों और पटसन उद्योग को क्या मुख्य लाभ होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) दोनों देशों की पटसन अर्थव्यवस्था के संरक्षण तथा विश्व बाजार में हानिकर प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के तरीकों के संबंध में समन्वित नीति बनाने के लिए दोनों देशों के बीच समय-समय पर बातचीत हो रही है। करार के ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सूडान के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते का चाय-व्यापार पर पड़ा कुप्रभाव

3540. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान के साथ हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लागू करने में आने वाली अड़चनों का चाय-व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संकट को दूर करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत तथा सूडान के बीच व्यापार करार में अभी हाल में भुगतान संबंधी एक समस्या पैदा हुई है। भारत-सूडान व्यापार में इस समय लगभग 1.0 करोड़ पौंड के घाटे का अनुमान है। स्थिति को और अधिक बिगड़ने से बचाने के लिए, सूडान को किये जाने वाले भारतीय निर्यातों पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इस में चाय सहित सभी वस्तुएं शामिल हैं।

(ग) इस समस्या को सुलझाने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त सूडानी प्रतिनिधिमंडल शीघ्र ही आने वाला है।

विकासशील देशों द्वारा ऋण सेवा भुगतान के बारे में "अंकटाड" का अध्ययन

3541. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जुलाई, 1973 के "पेट्रियट" में 'ऐड हैल्पस गिवर्स' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार विकासशील देशों के बढ़ते हुए ऋण-परिशोधन के उस भार के प्रति सजग है जो रियायती दरों पर मिलने वाली सहायता में कमी होने से बढ़ गया है और जिसके परिणामस्वरूप कड़ी शर्तों पर और अधिक गैर-सरकारी पूंजी लेनी पड़ रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि विकसित देशों के लिए यह आवश्यक है कि वे द्वितीय विकास दशक की नीति के संबंध में सहायता के लक्ष्यों को पूरा करें और अपनी मण्डियों में विकासशील देशों में तैयार की गई वस्तुओं की अधिक आमद के लिए सुविधाएं प्रदान करें। सरकार ने सहायता अन्तरण के वैद्य स्वरूप के तौर पर ऋण राहत की आवश्यकता पर भी बल दिया है।

देश में खाद्य तेलों के समान और नियन्त्रित मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव

3542. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने बड़ी मात्रा में खाद्य तेल आयात करने की योजना बनाई है जिस में से 77,000 टन अब से नवम्बर के अन्त तक पहुंच जायेगा;

(ख) यदि हां, तो आयात का माल मिल जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को खाद्य तेलों की अपर्याप्त सप्लाई के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में खाद्य तेलों के समान और नियन्त्रित मूल्य निर्धारित करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां। राज्य व्यापार निगम अब तथा नवम्बर, 1973 के बीच काफी मात्रा में वनस्पति तेलों का आयात करेगा।

(ख) देश में तथा साथ ही सारे विश्व में वनस्पति तेलों की सामान्य कमी है।

(ग) जी नहीं।

गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लि० द्वारा नई जमा राशियां स्वीकर करने पर रोक लगाने वाली भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई घोषणा

3543. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की है कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये आदेशों के कुछ प्रावधानों का पालन न किये जाने को ध्यान में रखते हुए, गुजरात सेविंग यूनिट प्राइवेट लि० पर यूनिटों, प्रमाणपत्रों, अन्य अभिलेखों की बिक्री अथवा अन्य किसी प्रकार से जनता से नई जमा राशियां स्वीकार करने पर रोक लगा दी है; और

(ख) उनके विरुद्ध मुख्य आरोप क्या है और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक ने 20 जुलाई, 1973 को गुजरात सेविंग्स यूनिट प्राइवेट लिमिटेड के नाम आदेश जारी किया है जिसमें इसे किसी भी रूप में जमा के लिये किसी भी प्रकार की रकमें स्वीकार करने से रोका गया है चाहे वे यूनिटों, प्रमाणपत्रों या अन्य प्रपत्रों की बिक्री के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार से।

(ख) रिजर्व बैंक के अनुसार, गुजरात सेविंग्स यूनिट प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक व्यवसाय से भिन्न वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1966 के प्रावधानों का इस प्रकार उल्लंघन किया था :

(1) 1-1-72 के बाद जमा के लिए नयी रकमें स्वीकार करना।

(2) जमा रकमें रखने के संबंध में अधिकतम सीमा से अधिक रकमें लेना।

(3) इसके द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में कतिपय विशेष ब्यौरे के संबंध में आवश्यकताओं का पालन न करना।

कम्पनी ने रिजर्व बैंक के आदेश के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय में 30-7-73 को समादेश याचिका दायर की और रिजर्व बैंक के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करली जिसमें समादेश याचिका का फैसला होने तक रिजर्व बैंक को इस मामले में किसी प्रकार की और कार्रवाई करने से रोका गया है।

भारत से फिल्मों की तस्करी

3544. श्री शशि भूषण :

श्री वयालार रवि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 21 जुलाई, 1973 के 'ब्लिट्ज' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय सीमाशुल्क विभाग विदेशों को भारतीय फिल्मों की बड़े पैमाने पर हो रही तस्करी के लिए जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल उन्हीं फिल्मों का निर्यात किया जाता है जिन्हें पोत परिवहन दस्तावेजों में निर्यात के लिये घोषित किया गया हो, फिल्मों की खेपों के सभी पैकेजों की निश्चित रूप से जांच की जाती है। लगभग 90 प्रतिशत फिल्में प्रति अदायगी के दावों के अधीन निर्यात की जाती हैं और प्रक्रिया करने वाली परीक्षणशाला में तैनात केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक की मुहर के अधीन निर्यात के लिये प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की फिल्मों के साथ घोषित विवरणों के सही होने के बारे में इन निरीक्षकों के प्रमाण पत्र संलग्न होते हैं। इसके अतिरिक्त फिल्मों के निर्यात की अनुमति प्रदान करने से पूर्व, सीमाशुल्क अधिकारी रीलों की संख्या, फिल्म का नाम, आकार, अंकित लम्बाई की शिपिंग दस्तावेजों तथा सेन्सर बोर्ड प्रमाण पत्र के संदर्भ में; वास्तविक जांच करते हैं। फिल्म के नाम की तस्दीक करने के लिये सभी रीलों को खोला जाता है और उसमें भाग ले रहे अभिनेताओं के बारे में भी आवश्यक जांच की जाती है।

यह भी बताया गया है कि निर्यात के लिये प्रस्तुत की गई फिल्मों में, सेन्सर किये गये आपत्तिजनक अंशों को, शामिल किये जाने की कोई संभावना नहीं रहती क्योंकि फिल्म के आपत्तिजनक अंश नेगेटिव से निकाल दिये जाते हैं और सेन्सर बोर्ड द्वारा रख लिये जाते हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा प्रभागीय और सामान्य परिषदों का गठन करना

3545. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने प्रभागीय और सामान्य परिषदों का गठन नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका गठन न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) जीवन बीमा निगम अभी तक अखिल भारतीय स्तर पर महापरिषद् और मंडलीय स्तर पर मंडलीय परिषदों का गठन इसलिए नहीं कर पाया है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के नामांकन में कुछ कठिनाइयां हैं। श्रेणी-III और IV के कर्मचारियों का कोई मान्यताप्राप्त संघ नहीं है और श्रेणी-I और II के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नामों की कोई सूची पेश नहीं की है। सारी स्थिति पर विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा लंदन स्थित अपने कार्यालय में कम्प्यूटर का लगाया जाना

3546. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम का विचार लंदन स्थित अपने उस कार्यालय में कम्प्यूटर लगाने का है, जहां केवल 20 सहायक हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना पर विदेशी मुद्रा के खर्च पर रोक लगाने के लिए सरकार के क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत से विदेशी मुद्रा भेजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन बीमा निगम को संयुक्त राज्य में प्रीमियम से जो आमदनी होती है उसमें से कम्प्यूटर की खरीद और रख-रखाव के व्यय की व्यवस्था की जाएगी।

जिलों में पूर्ण दर्जा प्राप्त शाखा कार्यालयों को खोलने के बारे में जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाना

3547. **श्री गिरिधर गोमांगो**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में पूर्ण दर्जा प्राप्त शाखा कार्यालय खोलने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को जीवन बीमा निगम ने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जिन क्षेत्रों में अभी तक बीमा का पर्याप्त प्रसार नहीं हुआ है वहां बीमा का प्रसार करने के लिए जीवन बीमा निगम सतत प्रयास कर रहा है और इस सिलसिले में हर वर्ष नये सेवा-कार्यालय खोले जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नये शाखा कार्यालयों को चलाने का खर्च अधिक नहीं हो और नये कार्यालय विकासशील एककों के रूप में कार्य करने लगें, जीवन बीमा निगम संबंधित क्षेत्रों की विकास क्षमता का और साथ ही संचालन के लिए पालिसियों की संख्या का भी ध्यान रखता है। इसलिए, जीवन बीमा निगम के लिए देश के प्रत्येक जिले में सर्वांग सम्पूर्ण जिले शाखा कार्यालय खोलना संभव नहीं हो सका है। 31 मार्च 1972 की स्थिति के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों के 340 जिलों में से 262 जिलों में जीवन बीमा निगम के शाखा कार्यालय अथवा उप-शाखा कार्यालय थे । वर्ष 1972-73 में चार अन्य ऐसे जिलों में भी नये कार्यालय खोले गये हैं यहां पहले कोई शाखाएं नहीं थीं।

उड़ीसा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

3548. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उड़ीसा में अब तक कितनी शाखाएं खोली हैं; और

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिये पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) (क) उड़ीसा में बैंक कार्यालयों की संख्या जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के समय 100 थी, बढ़कर जून 1973 के अन्त तक 225 हो गई। बैंकों का समूहवार वितरण नीचे दिया गया है : —

बैंक समूह	19-7-1969 को कार्यालयों की संख्या	30-6-1973 को कार्यालयों की संख्या
भारतीय स्टेट बैंक	58	123
14 राष्ट्रीयकृत बैंक	38	89
अन्य	4	13
	100	225

(ख) इस समय उड़ीसा में 54 और कार्यालय खोलने के लिए बैंकों के पास लाइसेंस नियत्तन पड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को यह सलाह दी है कि वे शाखा विस्तार के लिए अपनी तीन वर्षीय आवर्ती आयोजनाएं बनाते समय पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दें।

जीवन बीमा निगम के नवीकरण व्यय अनुपात की सीमा

3549. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीकरण व्यय अनुपात की 15 प्रतिशत की उच्च सीमा के कारण जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कार्यालय खोलने सम्बन्धी विस्तार कार्य पर रोक लगती है; और

(ख) यदि हां, तो इस मान दण्ड को बदलने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

केरल में किसानों और उद्योगपतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि

3550. **श्रीमती मार्गवी तनकप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में केरल में किसानों और उद्योगपतियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की कुल राशि कितनी है; और

(ख) क्षेत्रवार, राष्ट्रीयकरण से पूर्व के आंकड़ों की तुलना में यह राशि कम है या अधिक?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और छोटे पैमाने के उद्योग धंधों (उद्योगपतियों को दिये गये अग्रिमों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) को दिये गये अग्रिमों की जून 1969 और सितम्बर 1972 के अन्त में बकाया रकमें प्रतिशत वृद्धि सहित नीचे दी गई हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

	बकाया राशि		
	जून 1969	सितम्बर 1972	प्रतिशत वृद्धि
कृषि को सीधे अग्रिम (बगान को छोड़कर) . .	3.44	11.56	23.6
छोटे पैमाने के उद्योग . .	21.44	35.11	63.8

"एक्स्ट्रूजन" प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा बनाई जाने वाली पी० वी० सी फिल्मों आदि को उत्पादन शुल्क के भुगतान से छट दिया जाना

3551. **श्री दिग्विजय नारायण सिंह**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने 1 मार्च, 1973 की अपनी अधिसूचना संख्या 39/73 के अन्तर्गत 0.25 मिलीमीटर से कम मोटाई वाली ठोस पोलीविनिल क्लोराइड फिल्मों, 0.25 मिलीमीटर से कम मोटाई वाली लचीली पोलीविनिल क्लोराइड फिल्मों और 'पोलीविनिल क्लोराइड ले फ्लैट ट्यूबिंगस' को यदि ये लघु उद्योग द्वारा "एक्सट्रूजन" प्रक्रिया से बनाई गई हों, उत्पादन शुल्क के भुगतान से छूट दी है;

(ख) क्या लघु उद्योगों के कुछ एकक, जो उपरोक्त उत्पाद "एक्सट्रूजन" प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया से बनाते हैं, उपरोक्त छूट के अधिकारी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी हां।

(ख) जो कारखाने इन उत्पादों का 'एक्सट्रूजन' प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा निर्माण करते हैं वे इस छूट को पाने के हकदार नहीं हैं।

(ग) जिस समय छूट-सम्बन्धी यह अधिसूचना जारी की गयी थी उस समय इस मंत्रालय के ध्यान में यह बात लायी गयी थी कि इस अधिसूचना में उल्लिखित उत्पाद लघु उद्योग के कारखानों द्वारा 'एक्सट्रूजन' प्रक्रिया द्वारा निर्मित किये जाते हैं और यह कि उन्हें उत्पादन शुल्क से राहत चाहिये। ये उत्पाद बड़े कारखानों द्वारा भी 'कलैण्डर' प्रक्रिया द्वारा निर्मित किये जाते हैं। ऐसे बड़े कारखानों को इस छूट के दायरे से बाहर रखने की दृष्टि से इसे उन उत्पादों तक ही सीमित रखा गया जो 'एक्सट्रूजन' प्रक्रिया द्वारा निर्मित किये जाते हैं।

Seizure of cash and gold ornaments from the house of an Ex-guard of Railways in Tundla (Agra)

3552. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the officials of the Central Excise Department recovered gold ornaments and cash as a result of search made in the house of an ex-guard of Railways in Tundla in District Agra;

(b) the value of gold ornaments recovered in terms of Indian currency; and

(c) the action taken against the person concerned?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh); (a) to (c) Officials of the Central Excise Department searched the residential premises of a guard of Railways at Tundla in Agra District on 21-6-1973. The said person is reportedly on leave for the last two years, and informed that his services had not been terminated. Gold ornaments valued at Rs. 1,68,064 were seized under the Gold (Control) Act, and Indian currency notes worth rupees two lakhs were seized under the Customs Act. The concerned person was arrested on 22-6-1973 and was granted conditional bail by the Sessions Judge. Further investigations are in progress.

Payment of Bonus to Central Government Employees Classified as "Workers"

3554. **Shri Dhan Shah Pradhan**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether any decision has been taken by Government in regard to the payment of bonus to such Central Government employees as have been classified as "workers"; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh); (a) and (b) Employees of Central Government departmental undertaking are not entitled to bonus under the payment of Bonus Act 1965. The Bonus Review Committee have, however, issued a Questionnaire to various Ministries and have elicited their views on this question.

वर्ष, 1968 के मूल्य स्तर पर वस्तुयें बेचने के बारे में शिव सैना द्वारा अभियान

3555. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिव सेना ने बम्बई में फुटकर व्यापारियों को 1968 के मूल्य स्तर पर वस्तुएं बेचने को बाध्य करने के लिये एक अभियान का आयोजन किया था;

(ख) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री द्वारा मूल्यों को कम करने के लिए कार्यवाही करने के लिए उत्पादकों और थोक तथा फुटकर व्यापारियों की बुलाई गई बैठक को ध्यान में रखते हुए उक्त अभियान वापिस ले लिया गया था; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में की गई कार्यवाही के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धांतों का निदेश दिया था ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं को सुलझाने के लिये अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार दे दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्ट प्रस्तावों की जांच सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

जीवन-निर्वाह खर्च में वृद्धि के साथ महंगाई भत्ते को जोड़ने की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग

3556. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि महंगाई भत्ते को जीवन-निर्वाह खर्च में वृद्धि के साथ स्वत: जोड़ने की व्यवस्था की जाय;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक उद्योगों में ऐसा किया जा रहा है;

(ग) क्या बिजली कर्मचारियों के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ऐसा ही निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और कर्मचारियों की इस मांग को सरकार कहां तक स्वीकार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह यथासंभव शीघ्र ही सदन पटल पर रख दी जायगी । इस मामले में केन्द्रीय सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगों अथवा राज्य सरकारों की व्यवस्था का अनुसरण नहीं करती ।

(घ) इस सम्बन्ध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

Loans amounting to more than Rupees Five Lakhs advanced by L.I.C. in Madhya Pradesh

3557. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of loans amounting to more than rupees five lakh advanced in Madhya Pradesh by Life Insurance Corporation of India during the last three years, separately ; and

(b) the names of the parties which received these loans ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shrimati Sushila Rohatgi): (a) The number of loans exceeding Rs. 5 lakhs advanced by Life Insurance Corporation of India in Madhya Pradesh during the last three years are as under :—

Year	Number of loans
(i) 1970-71	4
(ii) 1971-72	9
(iii) 1972-73	5

(b) The names of the parties who received these loans are given below :—

(i) Madhya Pradesh Government for various housing schemes ;
(ii) Madhya Pradesh State Electricity Board ;
(iii) Bhopal Municipal Council ;
(iv) Bina Etawa Municipal Council ;
(v) Harda Municipal Council ;
(vi) Indore Municipal Council ;
(vii) Jabalpur Municipal Council ;
(viii) Khargone Municipal Council ;
(ix) Rajgarh Municipal Council ;
(x) Shadol Municipal Council ;
(xi) Morena Mandal Sahakari Sakkar Karkhana Ltd.

अक्तूबर 1973 से कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन में कटौती

3558. **डा० हरि प्रसाद शर्मा:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1973 से लागू होने वाली नई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कपड़ा निर्यात प्रोत्साहन में काफी कटौती की गई है, यदि हां, तो इस कटौती की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) ऐसी कटौती करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इससे कपड़े के निर्यात की सम्भावनाओं पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). सम्भवतः संकेत सूती वस्त्रों के निर्यातों पर नकद प्रोत्साहन की ओर है । सरकार सूती वस्त्रों के निर्यातों पर कोई नकद प्रोत्साहन नहीं देती अतः नकद सहायता की मात्रा में कमी करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, सरकार निर्यातित वस्त्र माल पर कतिपय आंतरिक करों के जो लौटाये नहीं जाते, भारत के लिए क्षतिपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र मिल फैडरेशन को अनुदान देती है ।

बताया जाता है कि भारतीय सूती वस्त्र मिल फैडरेशन ने, जो कि सूती वस्त्रों के लिए निर्यात सहायता हेतु स्वेच्छिक आधार पर एक योजना चला रही है, निर्यात बाजार में वर्तमान तेजी तथा अपेक्षाकृत अधिक कीमतें मिलने की सम्भाव्यता को ध्यान में रखते हुए 1-10-1973 से सहायता की मात्रा में कमी करने का विनिश्चय किया है। सहायता की मात्रा में कमी से सूती वस्त्र निर्यातकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा नियुक्त किये गये हरिजनों की प्रतिशतता

3559. **श्री वी० वी० नायक**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा नियुक्त किए गए हरिजनों की प्रतिशतना क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) :31-12-72 को 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक समूह और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम में नियुक्त अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता इस प्रकार है :–

14 राष्ट्रीयकृत बैंक	2.5 प्रतिशत
भारतीय रिजर्व बैंक और उसकी संबद्ध संस्थाएं	7.7 प्रतिशत
स्टेट बैंक समूह	5.1 प्रतिशत
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	5.1 प्रतिशत

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत अन्य वित्तीय संस्थानों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

आई०डी०वी०आई०, आई०सी०आई०, सी०आई० और आई०एफ०सी०, आदि द्वारा आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय किये जाने के लिए लिया गया समय

3560. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के अनुभव के आधार पर आई डी० वी० आई०, आई० सी० आई, सी० आई० और आई० एफ० सी० वित्तीय संस्थानों द्वारा आवेदनपत्रों पर अन्तिम निर्णय करने में औसतन कितना समय लगाया जाता है;

(ख) उनकी कार्यप्रणाली कब निर्धारित की गई थी; और

(ग) क्या सरकार ने आवेदन-पत्रों के शीघ्र निपटाने के लिये प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए जाने के प्रश्न पर विचार किया है तथा उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) अखिल भारतीय दीर्घावधिक सरकारी वित्तीय संस्थाएं सामान्यतः ऐसी परियोजनाओं के सम्बन्ध में धन राशि देती है । जिन पर काफी अधिक वित्तीय खर्च होता है । वित्तीय सहायता के लिए किसी आवेदन पत्र का निपटाया जाना, आवेदक द्वारा उचित समय में पर्याप्त सूचना प्रदान किये जाने तथा वित्तीय संस्थाओं के संतोष के अनुसार इस प्रकार की विभिन्न प्रारम्भिक आवश्यक कार्यवाही किये जाने पर निर्भर करता है जैसे नई कम्पनी चालू किये जाने के बारे में सरकारी स्वीकृति प्राप्त करना, प्रोत्साहकों के अंशदान के रूप में आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना, भूमि, जल और बिजली जैसी आवश्यक आधारभूत वस्तुओं का पर्याप्त प्रबन्ध करना आदि । पिछले दो वर्षों में दी गई स्वीकृतियों के अध्ययन के आधार पर, इन संस्थाओं ने किसी परियोजना का मूल्यांकन करने और सहायता की स्वीकृति देने में सामान्यतः जो समय लिया है वह आवेदकों द्वारा आवश्यक सूचना प्रदान करने में लिए गये समय सहित दो से ग्यारह महीनों के बीच रहा है परन्तु वित्तीय संस्थाऐं इस प्रकार लगने वाले समय में और अधिक कमी करने का सुनिश्चयन करने का प्रयत्न करती हैं ताकि आवेदन पत्रों का निपटारा बिना किसी ऐसे विलम्ब के किया जा सके जिससे बचाया जा सकता हो।

(ख) और (ग). संस्थाओं ने अपनी कार्य प्रणालियाँ, अपनी स्थापना के आरम्भ से ही अपने आप विकसित की हैं और प्राप्त अनुभव के आधार पर इनकी लगातार समीक्षा की जाती है और इनमें परिवर्तन किये जाते हैं।

आवेदकों के पथ-प्रदर्शन के लिए उन्होंनें पत्रिकाएं प्रकाशित की हैं। संस्थाओं ने शाखाएं खोली हैं और अपने तकनीकी और वित्तीय कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की है जिनसे आवेदक ऐसी पूर्वावश्यक बातों के बारे में परामर्श कर सकते हैं जैसे, सरकार की आवश्यक स्वीकृति जो किसी भी आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व आवश्यक होती है।

संस्थाएं आवेदन पत्रों की प्राप्ति, स्वीकृति, इन्दराज और वितरण के बीच लगने वाले समयान्तरों की समय-समय पर समीक्षा करती रहती हैं और व्यवहार्य सीमा तक समयान्तरों में कमी करने के लिए उन प्रक्रियाओं को संशोधित करती रहती हैं। प्राप्त अनुभव के आधार पर वित्तीय संस्थाएं प्रक्रिया की लगातार समीक्षा करती रहती हैं ताकि वे अपने क्रिया-कलापों को और अधिक अच्छी तरह से सम्पन्न कर सकें।

भारत की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि

3561. श्री एस० आर० दामानी:

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) भारत की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधि की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) गत वर्ष के व्यापार संतुलन के हमारे पक्ष में होने से स्थिति में कितना सुधार हुआ है; और

(ग) चालू वर्ष में अनाज, खाने के तेल, इस्पात, उर्वरक आदि के आयात से आरक्षित निधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) 10 अगस्त, 1973 को भारतीय रिजर्व बैंक के पास 461.81 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा थी। इसके अतिरिक्त बैंक के पास 182.53 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना और 183.94 करोड़ रुपये की रकम के बराबर के विशेष आहरण अधिकार थे।

(ख) 1972-73 के शोधन शेष के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि गत वर्ष के व्यापार अधिशेष के कारण स्थिति में कितना सुधार हुआ है। लेकिन यह पता चला है कि 1972-73 में, पहले के वर्ष में लगभग 42 करोड़ रुपये की वृद्धि के मुकाबले प्रारक्षित निधि में कमी हुई थी।

(ग) वर्णित मदों का आयात किये जाने का प्रभाव स्वाभाविक रूप से यह होगा कि विदेशी मुद्रा का व्यय बढ़ जायगा। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि पर इन आयातों का प्रभाव निर्यातों और देश के शोधन शेष की अन्य मदों के परिणामों पर निर्भर करेगा।

बैंक आफ बड़ौदा स्थित 'क्लियरिंग हाऊस' के कार्य स्थगन के बारे में बिहार वाणिज्य संघ (बिहार चैम्बर आफ कामर्स) द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

3562. **श्री राम नारायण शर्मा**: क्या **वित** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बैंक आफ बड़ौदा स्थित 'क्लियरिंग हाऊस' के कार्य स्थगन के बारे में बिहार वाणिज्य संघ की पटना शाखा द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 1973 के अभ्यावेदन संख्या 1344 की ओर दिलाया गया है और क्या पचास करोड़ रुपये तक का काम इकठ्ठा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और शीघ्र ही फैसला कराने का है?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख). सरकार को बिहार वाणिज्य मंडल पटना से अभ्यावेदन मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि पटना में क्लियरिंग हाउस के निलम्बन के परिणामस्वरूप स्थानीय बैंकों में 11 जुलाई, 1972 तक 30 करोड़ रूपये के मूल्य के 45,000 चैकों के इकट्ठा होने की रिपोर्ट मिली थी। बैंक आफ बड़ौदा द्वारा स्वेच्छा से क्लियरिंग हाऊस से हट जाने के परिणामस्वरूप 13 जूलाई से क्लियरिंग हाऊस चालू हो जाने के बाद बैंकों के पास पड़े हुये चैकों का निपटारा कर दिया गया था। परन्तु रिपोर्ट मिली है कि 13 अगस्त, 1973 से, बैंक आफ बड़ौदा के क्लियरिंग हाऊस में भाग लेने के परिणामस्वरूप क्लियरिंग हाऊस को इस तारीख से निलम्बित कर दिया गया है।

नकद राशि के वितरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को विशेष वेतन की मंजूरी

3563. **श्री ओंकार लाल बेरवा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय के परिपत्र संख्या एफ० 11(42)ई-III/60, दिनांक 28 जून, 1962 के अनुसार नकद राशि के वितरण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को कुछ विशेष वेतन की मंजूरी दी गयी है; और

(ख) क्या ये आदेश उन सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो रेलवे सहित सरकार के सभी विभागों में काम कर रहे हैं और नकद राशि एकत्रित करने और भुगतान करने से सम्बद्ध है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित परिपत्र में निर्दिष्ट दरों पर विशेष वेतन, किसी कार्यालय/विभाग में किसी भी एक अवर श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक/सहायक के स्तर के उस एक कर्मचारी को दिया जाता है जिसे कैशियर का काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। यह विशेष वेतन उन कार्यालयों में नहीं दिया जाता जहां कैशियर के अलग पद की व्यवस्था है और वैसे पद अपने अलग वेतनमान में हैं, उदाहरणतः विस्फोटक विभाग, छपाई और लेखन सामग्री विभाग, रेल मंत्रालय आदि में।

तामिलनाडु के मुन्डियम्पक्कम क्षेत्र में कृषकों की ऋण संबंधी आवश्यकतायें पूरी करना

3564. श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन् : क्या **वित्त** मंत्री 30 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5437 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडू के मुन्डियम्पक्कम क्षेत्र में कृषकों की आवश्यकताएं पूरी करने वाले बैंक का नाम क्या है;

(ख) क्या यह बैंक कृषि के विकास में सहायता करने के लिये कृषकों की सभी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है;

(ग) क्या सरकार की यह नीति है कि जहां अन्य वाणिज्यिक बैंक चल रहे हैं वहां कृषि विकास बैंक की शाखाएं न खोली जाएं, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चीनी के कारखानों द्वारा गारंटी दी गई गन्ने की फसल के लिए दिये गए ऋण के अतिरिक्त छोटे तथा बड़े किसानों को कितनी राशि दी गई है और ऐसे किसानों की संख्या क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) मुन्डियम्पक्कम में काम कर रही यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की शाखा आस-पास के क्षेत्रों की जनसंख्या को बैंक सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध कर रही है जिसमें किसान भी शामिल है। यह सुविधा साउथ आरकाट डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक की विल्लुपुरम स्थित शाखा द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सुविधाओं के अतिरिक्त हैं। स्टेट बैंक आफ इंडिया को भी विल्लुपुरम ताल्लुका मुख्यालय में एक कृषि विकास शाखा खोलने की अनुमति दे दी गयी है जो मण्डीयम्पक्कम से केवल 8 किलोमीटर के फासले पर स्थित है।

(ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की शाखा अपने कार्यक्षेत्र में कृषि सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताऐं पूरी करने का प्रयत्न कर रही है।

(ग) देश में ऐसा कोई कृषि विकास बैंक नहीं है। वर्तमान बैंक सम्बन्धी सुविधाओं और स्थान विशेष की स्थानीय क्षमता को ध्यान में रखते हुये वाणिज्यिक बैंकों (जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया की कृषि विकास शाखाएं भी शामिल हैं) द्वारा शाखाएं खोलने के लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर किये जाते हैं।

(घ) मुन्डियम्पक्कम स्थित यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की शाखा ने 2,96,000 रुपये के फसल ऋणों और 60 खातों के अन्तर्गत अन्य किसानों को समाधिक ऋण देने के अतिरिक्त पहले ही 53 छोटे किसानों को 1,01,000 रुपये के फसल ऋण उपलब्ध कर दिये हैं।

मैसूर के समुद्र तट को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाने हेतु कार्यवाही

3565. **श्री पी० आर० शिनाय:** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या मैसूर राज्य के विलम्ब और सुन्दर समुद्र तट को पर्यटकों के लिए आकर्षक का केन्द्र बनाने हेतु कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) केन्द्रीय क्षेत्र में मैसूर के तटवर्ती प्रदेश में कोई स्कीम हाथ में नहीं ली गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3566. **श्री बनमाली पटनायक** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंको ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) जनता की सेवा करने में बैंकों को अपने कार्यकरण और कुशलता में सुधार लाने में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) जी हां। जनशक्ति साधनों में सुधार कर लाने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। उन के द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम में मुख्यतः इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है :

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में नये भर्ती किये गये व्यक्तियों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) शाखा विस्तार कार्यक्रम की सहायता के लिए शाखा प्रबन्धक संबंधी प्रशिक्षण।

(iii) इस क्षेत्र में अग्रिमों को बढ़ाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र संबंधी पाठ्यक्रम।

(iv) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रबन्ध संम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यकारी विकास प्रशिक्षण।

निर्यात संवर्द्धन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर रोक का प्रस्ताव

3567. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक:**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात संवर्द्धन प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्राकृतिक रबड़ को रोक लगाई गई मदों की सूची में शामिल करने संबंधी रबड़ बोर्ड के प्रस्ताव पर कोई निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गए निर्णय का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज): (क) से (ख) भारत सरकार ने अप्रैल, 1973 मार्च, 1974 की लाइसेंसिंग अवधि से प्राकृतिक रबड़ के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है ।

जर्मनी जाने के लिए मारुति लिमिटेड के निदेशकों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

3568. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष लगभग दो सप्ताह के लिये मारुति लिमिटेड के दो निदेशकों श्री संजय गांधी और श्री सुधरी कपाड़िया ने जर्मनी का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके इस दौरे का प्रयोजन क्या था और उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा की अनुमति दी गई थी ;

(ग) क्या मारुति लिमिटेड को जारी किये गये आशय-पत्र की एक शर्त यह है कि विदेशी सहयोग अथवा परामर्श की अनुमति नहीं दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो आशय-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करके उक्त कम्पनी के निदेशकों को विदेशी मुद्रा की मंजूरी देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) मार्च, 1972 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने, यूनाइटेड किंगडम, पश्चिम जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया की यात्रा करने के लिए श्री संजय गांधी को 3,528 रुपये की विदेशी मुद्रा दी थी । यह विदेशी मुद्रा मोटर कार बनाने के कारखानों की प्रशिक्षण सहित अध्ययन-यात्रा के लिए दी गयी थी । छोटी कार परियोजना के संबंध में सरकार के सम्मुख प्रस्ताव रखने के उद्देश्य से उन्हें विदेशों में विभिन्न कारों के आदिरूपों का अध्ययन करना था । जर्मनी की यात्रा के लिए श्री कपाड़िया को कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई थी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) विदेशी मुद्रा सरकार के सम्मुख आदि रूप प्रस्तुत करने के कार्य में सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी और यह अनुमति आशय-पत्र में लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन करके नहीं दी गई थी ।

बालयोगेश्वर के सामान से पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं के बारे में निर्णय

3569. **श्री झारखंडे राय**:

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर 7 नवम्बर, 1972 को बालयोगेश्वर के सामान से पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुओं और नकदी के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या उन्हें विदेश में जाने की अनुमति दे दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो यह अनुमति किसने दी थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) इस मामले में सीमा शुल्क विभाग द्वारा न्याय निर्णय संबंधी कार्यवाही की जा रही है । संबंधित पार्टियों के कारण बताओ नोटिस का उत्तर भेज दिया है । संबंधित व्यक्तियों को बचाव करने वाले वकीलों ने लिखित जिरह पेश करने के लिए 4 अगस्त, 1973 तक समय मांगा है । लेकिन, श्री प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर के वकील ने 30-7-73 को यह अनुरोध किया है कि लिखित जिरह पेश करने से पूर्व उसे श्री बिहारी सिंह की, जो इस मामले में दोषी ठहराये गये व्यक्तियों में से एक हैं, प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जानी चाहिये । श्री बिहारी सिंह इस मामले से संबंधित व्यक्ति हैं और उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा किये जाने पर आपत्ति की है क्योंकि उन्हें स्वयं अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता । इसलिये उनकी प्रतिपरीक्षा के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है । श्री प्रेम पाल सिंह रावत तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के वकीलों से कहा गया है कि वे अपनी लिखित जिरह अविलम्ब प्रस्तुत करें । तत्पश्चात् मामले पर न्याय निर्णय किया जाएगा ।

(ग) तथा (घ) प्रवर्तन निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर भारत के रिजर्व बैंक ने श्री बालयोगेश्वर को विदेश जाने की अनुमति प्रदान की ।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गए ऊनी चिथड़े

3570. **श्री झारखंडे राय** : क्या **वित्त** मैत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गये ऊनी चिथड़ों के बारे में कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) (क) तथा (ख) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष पकड़े गये ऊनी चिथड़ों के संबंध में सिमाशुल्क अधिकारियों ने निम्न प्रकार के मामलों में विभागीय न्यायनिर्णय संबंधी कार्यवाही आरंभ की है :—

(i) जिन मामलों में पहनी जा सकने योग्य पोशाकें बेची गई थीं, व्यापारियों से पकड़ी गई थीं अथवा ऐसे नगरों में पकड़ी गई थीं जिनमें उन्हें ऊन की रद्दी के धागे में बदलने की कोई सुविधा नहीं थी ।

(ii) जिन मामलों में न्यून-मूल्यांकन का प्रमाण विद्यमान है ।

(iii) जब पकड़ी गई पोशाकों में ऊनी तन्तु का प्रतिशत अनुपात 50 प्रतिशत से कम है ।

(iv) जिन मामलों में यह प्रमाण विद्यमान है कि सीमाशुल्क विभाग के नियमों से बच निकलने की दृष्टि से पोशाकों को जान बूझकर सीवन पर काटा गया है ।

यह निर्णय भी किया गया है कि विभागीय न्याय निर्णय संबंधीकार्यवाही के अतिरिक्त, केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी जांच पड़ताल करेगा और जहां कहीं किसी आयातकर्ता के विरुद्ध इस्तगासे की कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों, वहां वे इस्तगासे की कार्यवाही भी आरंभ करेगा ।

साइकिलों की सप्लाई के लिये भारत और अमरीका के बीच समझौता

3571. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय साइकिलों की अमरीका को सप्लाई के लिये भारत और अमरीका ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) अमरीका को कब और कितनी साइकिलें सप्लाई की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अमरीका को भारतीय साइकिलों की सप्लाई के लिए भारत सरकार तथा अमरीका के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । तथापि कुछ भारतीय साइकिल विनिर्माताओं ने रेसिंग माडल की तीन स्पीड अब लगी 240,000 साइकिलों की सप्लाई करने के लिए अमरीकी फर्मों से क्रयादेश प्राप्त किये हैं, जिनकी सुपुर्दगी मार्च, 1974 तक की जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली में विद्युत संकट

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान अविलंम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :

"दिल्ली में विद्युत संकट"

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : 62.5 मैगावाट की एक मशीन की क्षमता को निकाल देने के पश्चात जिसमें से विद्युत हरियाणा के लिए पृथगरक्षित है क्योंकि इसमें हरियाणा द्वारा धन लगाया गया था, और बहुत पुरानी मशीनों के कार्य करने से हुई क्षति के लिए अलग धन रखने के उपरांत दिल्ली में डीजल विद्युत सहित कुल प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 207 मैगावाट है । दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने अधिकार के रूप में भाखड़ा से 80 मैगावाट विद्युत भी प्राप्त करता है । इस प्रकार दिल्ली के लिए कुल उपलब्धता 350 मैगावाट है, जबकि वर्तमान शीर्षभार 250 मैगावाट के लगभग है । इस वर्ष शीर्ष भार में मार्च के महीने में 230 मैगावाट से लेकर जनवरी और जून के महीनों में 305 मैगावाट तक विभिन्नता रही । इसके अतिरिक्त दिल्ली में विद्युत की मांग में प्रतिवर्ष लगभग 12 प्रतिशत की दर से वृद्धी हो रही है । इस परिस्थिति में, पूर्ति और मांग एक दूसरे से सन्निकट हैं और अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए मुश्किल से कोई अवलंब (स्टेंडवाई) है ।

अक्तूबर, 1972 से मई, 1973 के मध्य तक की विद्युत कमी की अवधि के दौरान दिल्ली विद्युत प्रणाली अपनी पूर्ण क्षमता के साथ चलती रही और इसमें हरियाणा और कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति हुई ।

वर्तमान संकट 10 अगस्त से प्रारंभ हुआ और 14 अगस्त तक रहा । इस अवधि के दौरान "सो" केन्द्र से विद्युत की आपूर्ति में शून्य और 45 मैगावाट के मध्य विभिन्नता रही ।

तीन मशीनें 14 तारीख को प्रातः को पुनः ऋण की गई थी और सायंकाल तक नगर में विद्युत की आपूर्ति पूर्णतया पुनः स्थापित कर ली गई थी । पदोपरांत बिजली-भार की कोई शेडिंग नहीं की गई । इस समय 'सो' केन्द्र की समस्त चारों मशीनें चल रही है और पर्याप्त विद्युत का उत्पादन कर रही हैं जब कि 40 से लेकर 60 मैगावाट तक विद्युत उत्तर प्रदेश को, जहां कि विद्युत की भीषण कमी है, देने के उपरांत भाखड़ा सप्लाई के साथ मिलाकर नगर की आवश्यकता को पूरा कर रही हैं ।

सदन उन परिस्थितियों को जानना चाहेगा जिनके अन्तर्गत "सो" केन्द्र से विद्युत आपूर्ति में विघ्न पड़ा था जिससे 10 से 13, अगस्त तक एक तिहाई से अधिक नगर प्रभावित हुआ । यह खेदजनक तथ्य है कि तत्कालीन महा प्रबंधक और तकनीकी कर्मचारियों तथा बिजली कर्मचारियों के मध्य मतभेद रहे हैं । इसका प्रथम प्रदर्शन 24 अप्रैल को हुआ था । तब से कभी कभी कुछ घटनाएं घटी हैं जिससे मतभेद सामने आए हैं ।

शिवशंकर समिति ने अभियंताओं और पर्यवेक्षण कर्मचारियों को वेतनों में वृद्धि की सिफारिश की थी और इसको संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था । इस बीच, विद्युत कर्मचारियों ने चाहा कि उनके वेतन-मानों में भी वृद्धि की जानी चाहिए । विद्युत कर्मचारियों की शिकायतें गृहमंत्री के ध्यान में लाई गई थी और इस मामले का संतोषजनक रूप से समाधान हो गया था । शिवशंकर की सिफारिशों के सम्बन्ध में महाप्रबंधक तथा तकनीकी स्टाफ के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए और उन्होंने 9 अगस्त को यह बताते हुए एक नोटिस दिया कि वे 10 अगस्त को मध्यरात्रि से सीधी कार्यवाही करेंगे । इससे उत्तेजना पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और जिससे विद्युत केन्द्र में कार्य कर रहे सभी कार्मिक बहुत अधिक उत्तेजित हो गए तथा जिसके परिणामस्वरूप सामान्य कार्य के निष्पादन में विघ्न पड़ा । 13 तारीख की शाम को 'सो' विद्युत केन्द्र में मशीनें पूर्णतया बन्द हो गई ।

एक प्रश्न यह उटाया गया कि क्या मशीनें किसी तोड़ फोड़ के परिणामस्वरूप बन्द हुई थीं ? दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति ने उत्पादन यूनिटों के खराव होने के कारण और इससे संबद्ध मामलों, जिसमें, खराब होने में सहायक संस्थान के कार्मिकों की ओर से भूलें, यदि कोई है, शामिल है, की जांच करने के लिए उप-राज्यपाल से एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की नियुक्ति के लिए आग्रह किया है । हमें उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए । बहरहाल, बन्द होने में सहायक एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि शीतल जल द्वारा लाई गई गाद और मलवे के जमा हो जाने के कारण कन्डेन्सर्स में वैक्यूम में क्षति का होना था । यमुना नदी जो कि शीतल जल की सप्लाई करती है ने केवल बाढ़ों द्वारा गाद ही लाई है बल्कि अंतर्वाह हैडवर्क्स के नदी प्रतिप्रवाह में गिर रही नगर के नाले से कूड़ा-करकट और गंदे पानी को भी ले आती है । इससे अन्य समयों के दौरान दिनों अथवा यहां तक कि सप्ताहों के स्थान पर कंडेन्सरों को प्रत्येक कुछ घंटों में साफ करने की आवश्यकता पड़ी और जब इस पर कर्मचारियों द्वारा काम से अलग रहने के कारण समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो मशीनों ने मजबूरन काम करना बंद कर दिया था ।

उपमंत्री जी, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अध्यक्ष तथा मैंने 13 तारीख की सायं को इस गंभीर स्थिति पर विचार-विमर्श किया और तब हम गृह मंत्री को मिले, जिन्होंने कृपा पूर्वक हस्तक्षेप करके विद्युत कर्मचारियों तथा तकनीकी स्टाफ के साथ इस मामले के प्रत्येक पहलू पर बात-चीत की । इसके परिणामस्वरूप एक अनुकूल वातावरण तैयार हो गया। 14 अगस्त से सभी विद्युत कर्मचारी दिल लगा कर कार्य कर रहे हैं जिससें नगर को पर्याप्त मात्रा में विद्युत सप्लाई पुनः मिल रही है ।

श्री एस० एम० बनर्जी: दिल्ली के अधिकांश लोगों को 24 घंटे तक कई क्षेत्रों के लोगों को 48 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ा । मैं कह नहीं सकता कि क्या 'डेसू' में अथवा मंत्री महोदय में कुछ बुराई है । मंत्री महोदय सक्षम हैं और एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं । पूरा दिन दिल्ली में बिजली पानी वंद रहा । बताया गया है कि शिवशंकर समिति की शिफारिशों के क्रियान्वित न किये जाने के कारण संकट पैदा हुआ । कुछ घंटे के नोटिस के बाद सीधी कार्यवाही की गई । बिना उचित नोटिस के ऐसी कार्यवाही का मैं समर्थन नहीं करता । परन्तु इस मामले में उन्होंने पर्याप्त सबर से इन्तजार किया था । आज भी अखिल भारतीय विद्युत महासंघ के प्रतिनिधि विद्युत कर्मचारियों के लिये आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतनों के प्रश्न पर वार्ता के लिये यहां पर हैं । विद्युत इंजीनियरों के मामले पर उचित समय पर ध्यान नहीं दिया गया । इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि विद्युत संकट को दूर करने के लिये कार्यवाही की जायेगी । हमें बताया गया था कि नये यूनिट खोले जायेंगे । परन्तु थर्मल प्लांट 2.75 करोड़ रुपये में बिड़ला बन्धुओं को बेच दिया गया । यह कार्यवाही डा० राव की उपस्थिति में हुई । ऐसा क्यों किया गया ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि शिवशंकर समिति की सिफारिशों के कार्यन्वित न किये जाने के क्या कारण हैं । मेरा सुझाव है कि देश में विद्युत संकट पर विचार करने के लिए इस सभा की एक समिति नियुक्त की जाये ।

उत्तर प्रदेश में तो राष्ट्रपति शासन है वहां आप क्या कर रहे हैं ?

यदि ऐसी बातें भविष्य में भी होती रहीं तो कोई भी हमें क्षमा नहीं करेगा ।

डा० के० एल० राव: शिवशंकर समिति की नियुक्ति जनवरी 1972 में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की मांग पर की गई थी । यह प्रतिवेदन नगर निगम के पास भेजा गया था क्योंकि वह चाहते थे कि पहले उसका हिन्दी में अनुवाद किया जाये इस प्रकार एक महीना बीत गया । जब प्रतिवेदन को स्वीकार किया गया तब महाप्रबन्धक और कर्मचारियों में झगड़ा हो गया । मैंने मामले का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है । मैं अपने मत को अभिव्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि एक समिति नियुक्त हो गई है । समिति इन मामलों पर ध्यान देगी ।

यह कार्य कुछ विशेष प्रकार का है । विद्युत उत्पादन पर लगे कुछ ही लोग सारे समाज के जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकते हैं ।

श्री एस० एम० बनर्जी: वेतनमानों पर बातचीत करने के लिये अखिल भारतीय संगठन की बैठक कब बुलाई जायेगी ?

डा० के० एल० राव: आज एक बैठक न केवल अखिल भारतीय संगठन की, अपितु सभी अन्य संगठनों की हो रही है । वास्तव में श्रम मंत्री सभी वर्गों के वेतनों पर बातचीत करना चाहते हैं ।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : दिल्ली में यह बिजली का संकट पिछले वर्ष भी उत्पन्न हुआ था । इस वर्ष की कार्यवाही तोड़फोड़ के समान रही है । जब कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़ कर भाग जाता है तो ऐसी कार्यवाही तोड़फोड़ से कम नहीं है । यह कहना गलत है कि यह संकट गाद एकत्र होने के कारण नहीं पैदा हुआ ।

अंतत: यह मामला गृह मंत्रालय के पास गया और गृह मंत्री को हस्ताक्षेप करने के लिये कहा गया । इस कार्यभार को एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय पर क्यों टाला जाता है । जब आपको 9 अगस्त को सूचना मिल गई थी तो मामले का निपटारा करने की चेष्टा क्यों नस्हीं की गई । शिवशंकर समिति ने इंजीनियरों एवं अधिकारियों के लिये कोई सुझाव नहीं दिये । वे लोग दीर्घकाल तक प्रतीक्षा करते रहे । क्या सरकार अधिकारियों के साथ बातचीत द्वारा इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान करने की चेष्ठा करेगी ? अन्यथा क्या अगले संकट तक प्रतीक्षा की जायेगी ?

सरकार एक है और मंत्रिमंडल संयुक्त रूप से जिम्मेदार है । हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि आप सब मिलकर समस्या का समाधान निकालें ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो ।

डा० के० एल० राव : सदस्या का यह कहना सही है कि यह हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है, परन्तु प्रबन्ध के मामले में कुछ न कुछ प्रक्रिया तो अपनानी ही होगी । इस मामले में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कर्मचारी, दिल्ली नगर निगम और उपराज्यपाल अन्तर्गस्त हैं । अगर बदरपुर बिजली घर का कोई मामला होता, तो उसमें पूरी जिम्मेदारी मेरी होती । परन्तु हमें संयुक्त रूप से कार्यवाही करनी चाहिए । दिल्ली की जनता को विद्युत संकट से होने वाली परेशानी से हम अवगत हैं । हमें आशा है कि इस प्रकार की स्थिति दुबारा उत्पन्न नहीं होगी । परन्तु यह सब कुछ कर्मचारियों, इंजीनियरों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों के सहयोग पर निर्भर करता है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : General Manager Shri Cariappa is fully responsible for the power crisis in Delhi. There was work-to-Rule agitation in Delhi, which was resorted to by the Engineers, employees and Supervisory staff for the last three months. The employees were feeling agitated over the rcommendations of the Shiv Shanker Committee. The Standing Committee of the Corporation had also agreed that there should be sixty per cent wage increase, but Shri Cariappa did not implement it. The Technical Supervisory Staff Association was asking for the recognition, but the Manager was siding with the other Union. I would like to know as to what action has been taken against the General Manager. (Interruptions). The Lt-Governor is going to set up a Committee to enquire about the sabotage, but the honourable Minister says that there has not been any sabotage. If that is so, what is the need for appointing a Committee.

The water which gets mixed with silt, has to be cleaned, so that plants could be cooled. If there is not a long term or short term measure to clean the water the same problem would arise once again.

The Government takes the action only when a crisis occurs. I would like to know whether the Government was not aware of this trouble and agitation for 60 per cent rise in wages and recognition, which was going on for the last three months? I would also like to have a clear answer as to what action is being taken against the General Manager to satisfy the agitating Engineers ?

डा० के० एल० राव: मैं इस बात से सहमत हूं कि दिल्ली में युमना का पानी गन्दा है और कन्डेन्सर में उससे गड़बड़ी हो जाती है ।

श्री करिअप्पा की छुट्टी दे दी गई है और वह कल छुट्टी पर चले गये हैं ।

तलछट टैन्क बनाने के लिए मैंने आदेश दे दिये हैं और इस आशय के भी आदेश दे दिए हैं कि इस प्रकार की समस्या इस बिजली घर के लिए दुबारा उत्पन्न न हो । मैं महसूस करता हूं कि यमुना में जल स्वच्छ रखने के बारे में दिल्ली के मेयर और परिषद के प्राधिकारियों के साथ भी चर्चा होनी चाहिए ।

कर्मचारियों की शिकायतों के बारे में आज मीटिंग हो रही है । बिजली के उत्पादन और वितरण के कार्य में 20 संगठन कार्यरत हैं । इसलिए इन मामलों के समाधान में समय लगता है । इस बात का हर संभव प्रयास किया जाएगा कि विद्युत सप्लाई के कार्य में संलग्न सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय हो ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि मन्त्री महोदय के वक्तव्य में दिल्ली के नागरिकों को बिजली की सप्लाई ठीक प्रकार से न होने के कारण हुई परेशानी के बारे में खेद व्यक्त नहीं किया गया है ।

वक्तव्य में ऐसी बातें भी कहीं गई हैं जो चर्चा का विषय ही नहीं थीं, जैसे वक्तव्य में यह कहना कि यह प्रश्न उठाया गया है कि मशीनें बन्द होने का कारण तोड़ फोड़ की कार्यवाही तो नहीं थी । इस प्रकार की बात करना लोगों के ध्यान को मुख्य विषय से हटाना है ।

सारी घटना का प्रमुख कारण यह है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कर्मचारियों और अधिकारियों के सम्बन्ध खराब हैं । लगभग सभी सरकारी उपक्रमों में यही स्थिति है । इससे सरकार के कार्यकरण में संगठनात्मक त्रुटियों का पता चलता है ।

आज मंत्री महोदय कर्मचारियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं । परन्तु क्या वह उनकी शिकायतों को दूर करने या उनकी मांगों को मानने की स्थिति में हैं ? अगर वह ऐसी स्थिति में नहीं है, तो फिर कर्मचारियों के साथ मीटिंग करने का कोई अर्थ ही नहीं है । मंत्री महोदय को मीटिंग में आने से पहले वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति लेनी चाहिए और इस प्रकार की समस्या का सदैव के लिए समाधान कर लेना चाहिए ।

विवरण पत्र में यह कहा गया है कि दिल्ली में बिजली की कुल उपलब्धता 350 मैगावाट है, जबकि वर्तमान उच्चतम मांग 250 मैगावाट है । इस प्रकार 40% बिजली अतिरिक्त मात्रा में है । परन्तु विवरण पत्र में आगे कहा गया है कि मांग और सप्लाई लगभग बराबर है, इसलिए रखरखाव और मरम्मत के लिए अतिरिक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं है । यह विरोधाभास मेरी समझ में नहीं आता ।

मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि उन्होंने बिजली घर का स्वयं निरीक्षण किया है और कन्डसर पर गन्दगी जमी हुई है । पानी में से गन्दगी अलग करने के लिए एक संयन्त्र की स्थापना की जा सकती है । इसमें केवल कुछ हजार रुपयों की राशि व्यय करनी पड़ेगी ।

कर्मचारियों की यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के लिए गुप्त मतदान के निर्णय को आधार बनाया जाना चाहिए ।

आवश्यक सेवाओं को चालू रखना चाहिए और जो आवश्यक सेवाओं के रखरखाव सम्बन्धी कार्य में संलग्न हैं, उनके प्रति विशिष्ट व्यवहार किया जाना चाहिए । विशिष्ट सेवाओं के रखरखाव में संलग्न व्यक्तियों की शिकायतों को शीघ्रता से दूर करने की आपकी विशेष जिम्मेदारी है ।

डा० के० एल० राव: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस हड़ताल के कारण बिजली की अनुपलब्धता के लिए मैं सम्पूर्ण देश, अपने मित्र श्री पीलू मोदी, सारे सदन और दिल्ली के नागरिकों से क्षमा चाहता हूं । सारे संगठन की ओर से मुझे इस बात का खेद है कि इस प्रकार की घटना घटी । तोड़ फोड़ का उल्लेख मैंने इसलिए किया क्योंकि दूसरे सदन में इस आशय का प्रश्न उठाया गया था ।

वक्तव्य में यह कहा गया है कि जनवरी के महीने में बिजली की खपत 305 मैगावाट थी । हर वर्ष बिजली की मांग 12 प्रतिशत की दर से बढ़ रही हैं । अगली जनवरी में बिजली की मांग 341 मैगावाट होगी जो कि 350 मैगावाट के आसपास है, जो कि अधिस्थापित क्षमता है ।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि आवश्यक सेवाओं का रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है । मैं उनके सुझाव के लिए बहुत आभारी हूं ।

Shri Satpal Kapur (Patiala): The Government takes action to solve the problem only when it troubles us. Why do the Ministries of Home Affairs and Irrigation and Power allow the problem to come up. It is a wrong attitude to solve a problem only when the employees demonstrate or resort to strikes. Such an attitude needs be changed.

डा० के० एल० राव: यह एक जारी रहने वाली समस्या है । इदिवकी में गैर प्रतिक्षित कर्मचारियों को 2.50 रु० दिया जाता था, परन्तु लगातार मांग के कारण अब उसे बढ़ाकर 5.50 रु० कर दिया गया है । अब और अधिक बढ़ोतरी के लिए मांग की जा रही है । परिस्थितियों के अनुसार ऐसी मांगें होती रहती है । कर्मचारियों द्वारा हिंसा का आश्रय लेने से पहले ही हमें उनका समाधान करना पड़ता है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

परिसीमन अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचना

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

परिसीमन अधिनियम 1972 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 367(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 3 दिया हुआ है और जिसके द्वारा मणिपुर राज्य को लोक सभा में आवंटित स्थानों की संख्या तथा राज्य की विधान सभा को आवंटित स्थानों की कुल संख्या निर्धारित की गयी है ।

[ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 5415/73]

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : श्री के० आर० गणेश की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 385 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये सं० एल० टी० 5416/73]

वायुयान अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत वायुयान (चौथा संशोधन) नियम

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी माहिसी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (चौथा संशोधन) नियम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 जुलाई, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 718 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए सं० एल० टी० 5417/73]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत बढ़िया रेशा वितरण आदेश, एक विवरण तथा स्पिरिट से निर्मित वस्तुएं नियंत्रण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत बढ़िया रेशा वितरण आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1972 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 5356 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 5418/73]

(2) स्पिरिट से निर्मित वस्तुएं (अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य) नियन्त्रण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 1619, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्तियों के आन्ध्र

प्रदेश राज्य को प्रत्यायोजन सम्बन्धी अधिसूचना संख्या सां० आ० 1779, दिनांक 5 अगस्त, 1959 को रद्द किया गया है ।

(दो) सां० आ० 1620, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 जुलाई, 1973 में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या सां० आ० 1778 दिनांक 5 अगस्त, 1959 को रद्द किया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए सं० एल० टी० 5419/73]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : महोदय, मैं सीमाशुल्क, स्वर्ण (नियन्त्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) 1973 के सम्बन्ध में राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूं ।

सदस्य की दोषसिद्धि

CONVICTION OF MEMBER

(श्री मधु दंडवते)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को एस० डी० पी० ओ० मालेगांव, जिला नासिक, से प्राप्त दिनांक 16 अगस्त, 1973 के एक तार के बारे में सूचना देनी है जिसमें बताया गया था कि श्री मधु दण्डवते, सदस्य लोक सभा, को बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नासिक, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 37(3) के अन्तर्गत जारी किये गये तथा उसकी धारा 135 के अधीन दण्डनीय आदेशों का उल्लंघन करने के कारण 16 अगस्त, 1973 को 15.45 बजे गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया और उन्हें 16 अगस्त, 1973 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय नं० 1, मालेगांव, जिला नासिक, के समक्ष पेश किया गया । न्यायालय ने उसी दिन 18.00 बजे सदस्य को दोषी पाये जाने पर उन पर 25 रुपये जुर्माना अदा करने अथवा जुर्माना अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास का दण्ड दिया और जुर्माना अदा करने से इंकार करने पर उन्हें धूलिया जिला जेल में रखा गया ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : श्रीमान्, मैं घोषणा करता हूं कि इस सभा में 20 अगस्त, 1973 से आरम्भ होने वाली सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य के किसी भी मद पर विचार करना ।

(2) उड़ीसा में राष्ट्रपति शासन जारी रखने सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा ।

(3) उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड सम्बन्धी सांविधिक संकल्प पर चर्चा ।

(4) वर्ष 1973-74 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेल) पर चर्चा तथा मतदान ।

(5) निम्नलिखित पर विचार करना और पारित करना।

(क) विदेशी मुद्रा विनियम विधेयक, 1972, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1973।

(ग) प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक, 1973 ।

(घ) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

(ङ) कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खानें (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 1973, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में ।

अध्यक्ष महोदय: निम्नलिखित सदस्यों ने मुझे बोलने की सूचना दी है और वे ही इस बारे में बोल सकेंगे। श्री समरगुह, श्री एस० एम० बनर्जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री पीलू मोदी, श्री पी० जी० मावलंकर ।

श्री समर गुह: मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अगले सप्ताह के कार्य में पश्चिमी बंगाल में उत्पन्न गम्भीर खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य को भी सम्मिलित करें । वहां चावल 4 रुपये प्रति किलो ग्राम के भाव पर बिक रहा है । वहां महीनो से खाद्य के बारे में घोटाला चल रहा है और वहां खाद्य संकट आया हुआ है । क्या खाद्य सम्बन्धी घोटालों के बारे में जांच की जायेगी । कलकत्ता में बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा से हजारों निराश्रित लोग आ रहे हैं जिससे महानगर में खाद्य स्थिति गम्भीर हो गई है । वहां भुखमरी इतनी है कि लोग नरभक्षी तक बन गये हैं । अतः पश्चिम बंगाल में खाद्य स्थिति के बारे में एक वक्तव्य अगले सप्ताह दिया जाना चाहिए ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सरकार ने पट्रोल की कीमत में 10 पसे प्रति लिटर वृद्धि करने का निर्णय ले लिया है। मैं चाहता हूं कि पट्रोलियम और रसायन मंत्री इस सम्बन्ध में सभा में वक्तव्य दें, ताकि उस पर सभा में चर्चा की जा सके । दूसरा अनुरोध यह है कि स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री 1400 नर्सों द्वारा निःशुल्क वर्दी की मांग के समर्थन में की गई हड़ताल के बारे में वक्तव्य दें।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, nurses have gone on strike in all the big hospitals in Delhi. They have been demanding that either they should be given Rs. 30/- in-stead of Rs. 8.33 per month or they should be given free uniform. The rate of Rs. 4 per months for washing allowance should also be increased as the rates of soap have considerably gone up and nurses are supposed to wear neat and clean uniform daily. Their demands are justified and some of them must be accepted. The Minister of Health and Family Planning should make statement in this regard next week. Secondly, the Government have enhanced the excise duty, by deciding to increase the price of petrol by ten paise per litre. The point is whether excise duty can be increased unilaterally by the Government. I want these matters to be included in the list of business for the next week so that the House may have an oppottunity to discuss them.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्रीमन् गुरू गोविन्द सिंह मैडिकल कालेज की समस्या सभा में गत सभा में कई बार उठाई गई थी। उस समय आपने हस्तक्षेप किया था और कोई ऐसी व्यवस्था कर दी गई थी जिससे छात्रों की पढ़ाई चलती रहे । किन्तु अब यह सुनकर दुख हुआ कि उक्त कालेज की स्थिति वैसी ही है और वहां अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं चल रहा है। मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या व्यवस्था की गई थी, छात्रों ने उपवास कब समाप्त किया और वह व्यवस्था कब तक चली । अभी तक कालेज ठीक प्रकार से कार्य क्यों नहीं कर पा रहा है ? दूसरे, मैं सभा का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से जो अनाज जनता को दिया जा रहा है, वह बहुत ही खराब है ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय एक स्पष्ट वक्तव्य देते हुए यह बतायें कि लोक सभा के 10 स्थानों और विधान सभाओं के 27 स्थानों के लिए उप-चुनाव कब होंगे । दूसरे, संसदीय कार्य मंत्री महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए अगले सप्ताह में समय निकालें । तीसरे, सौराष्ट्र में इस महीने के आरम्भ में कीर्ति एक्सप्रेस की एक दुर्घटना हुई थी जिसमें कुछ व्यक्ति मर गये थे और कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं । इस संबंध में भी रेल मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए ।

(अन्तर्बाधाएं)

दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE: STRIKE BY NURSES OF DELHI HOSPITALS

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री श्री आर० के० खडिलकर: श्री वाजपेयी आदि माननीय सदस्यों ने दिल्ली के अस्पतालों की नर्सों द्वारा की गई हड़ताल के बारे में उल्लेख किया है, उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली नर्स परिषद के कुछ प्रतिनिधि मुझे 16 अगस्त, 1973 को मिले और उन्होंने दिनांक 31 जुलाई, 1973 के पहले अभ्यावेदन की एक प्रति दी और कहा कि यदि उनकी शिकायतों को तत्काल ही दूर न किया गया तो वह हड़ताल करेंगे । मैंने उनकी मांगों पर विचार करने के लिये सात दिन का समय देने के लिए उनसे कहा क्योंकि ये मांगें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं हैं ।

दिल्ली नर्स परिषद् की मुख्य मांगें ये हैं :—

(1) नर्सों की विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों के विषय में तीसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर पुनर्विचार ।

(2) वर्दी और धुलाई भत्ता को क्रमशः 15 रुपये प्रति मास से बढ़ा कर 30 रुपये करना ।

(3) नर्सों के होस्टल में न रहने वाली अविवाहित नर्सों को मकान किराया भत्ता देना ।

(4) वर्तमान स्टाफ नर्सों की संख्या में नियमों के अन्तर्गत 10 प्रतिशत को सेलेक्शन ग्रेड पद बनाने की घोषणा करना ।

नर्स कर्मचारियों की चार श्रेणियां हैं : अर्थात्, मैट्रन, सहायक मैट्रन (सिस्टर ट्यूटर) नर्सिंग ट्यूटर (जन स्वास्थ्य नर्स) और स्टाफ नर्स । इस समय इन सभी श्रेणियों को 4.50 रुपये प्रति मास का धुलाई भत्ता दिया जाता है और मट्रन को 150 रुपये तथा अन्य श्रेणियों को 100 रुपये प्रति वर्ष का वर्दी भत्ता दिया जाता है । अपने-अपने वेतनमानों में इन चारों श्रेणियों में प्रारम्भ में प्रति मास 892.45 रुपये, 512.65 रुपये, 472.10 रुपये, और 376.75 रुपये मिलते हैं । वेतन आयोग ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि मैट्रन का वर्दी-भत्ता प्रति वर्ष 200 रुपये होगा तथा अन्य श्रेणियों में यह 150 रुपये होगा । इस प्रकार धुलाई भत्ते को छोड़कर इस श्रेणी के कर्मचारियों को नये प्रस्तावित वेतन मानों में प्रारम्भ में 758.65 रुपये, 605.50 रुपये, 504.80 रुपये और 473.00 रुपये मिलेंगे ।

कल हुई भेंट के समय नर्सों ने एक बात यह बतायी कि उन्हें वरिष्ठ स्टेनोग्राफरों के बराबर वेतनमान दिया जाना चाहिये । यह देखा जाए कि दोनों के कार्यों की तुलना नहीं की जा सकती तथा नर्सों को मांग उनके द्वारा किये जा रहे कार्य के अनुरूप होनी चाहिये ।

धुलाई भत्ते पर मैंने विचार किया है और मुझे यह बताया गया है कि इसे वेतन आयोग की सिफारिशों में शामिल नहीं किया गया है और इस पर वेतनमानों के सम्बन्ध में निर्णय की प्रतीक्षा किये बिना अलग से विचार किया जा सकता है । धुलाई की ऊंची लागत को देखते हुए इस समय दिया जाने वाला धुलाई भत्ता निःसन्देह कम है । इसलिये मैं वित्त मंत्रालय के अपने साथियों को धुलाई भत्ते को 4.50 रुपये से एक अच्छी सीमा तक बढ़ाने के लिये राजी करने का प्रयत्न कर रहा हूं ।

इन परिस्थितियों में दिल्ली नर्स संघ द्वारा बिना उचित सूचना दिये और अपनी मांगों पर विचार करने का पूरा अवसर दिये बिना अचानक हड़ताल करके अस्पतालों में संकट की स्थिति पैदा करना अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है । प्रारम्भ में वे भी इस बात पर राजी हो गयी थीं कि हम एक सप्ताह बाद फिर मिलेंगे और तब सारे मामले पर अन्तिम निर्णय लेंगे । इससे मुझे इसमें विस्तार से जाने और अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों से आवश्यक परामर्श करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता । पर रोगियों की सुविधा की पूर्ण अवहेलना करके, जिनमें से कुछ की स्थिति बड़ी गम्भीर थी, उन्होंने यह निर्णय लेने का मार्ग चुना । मैं इसकी अत्यन्त निन्दा करता हूं । मुझे अभी भी आशा है कि हड़ताल पर गई नर्सें इसके कारण को जांच करेंगी और अपने इस अवैध कदम को वापिस ले लेंगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री खाडिलकर यदि आपको वक्तव्य देना था तो आपको मुझे इस बारे में सवेरे सूचना देनी चाहिए थी । हमारे नियम और प्रक्रिया यह है । साथ ही मैं अनुरोध करता हूं कि इसे पूर्व-उदाहरण न माना जाये । यदि कोई मंत्री वक्तव्य देना चाहता है, तो वह पहले मुझे सूचित करे और मैं उसे उसी दिन या अगले दिन वक्तव्य के लिए समय दूंगा ।

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, मैं आपके विचारों से पूर्णतः सहमत हूं । चूंकि यह मामला लोगों के जीवन-मरण से सम्बन्धित था इसलिए मैंने यह वक्तव्य दिया है । मुझे अफसोस है कि मैं आपको पहले सूचित न कर सका ।

उध्यक्ष महोदय : आपने यदि मुझे पहले ही वक्तव्य देने के बारे में सूचित कर दिया होता तो इस शराबे से बचा जा सकता था ।

श्री आर० के० खाडिलकर: इन चारों वर्गों के कर्मचारियों का प्रारम्भिक वेतन क्रमशः 892.45 रू०, 512.65 रु०, 472.10 रुपये और 376.75 रु० है । वेतन आयोग की स्पष्ट सिफारिश है कि मैट्रन का वर्दी भत्ता 200 रुपये प्रतिवर्ष तथा अन्य के लिए वर्दी भत्ता 150 रु० प्रति वर्ष होना चाहिये ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): The behaviour of Congress Members is very strange. They are not allowing the Statement.

Shri Setpal Kapur (Patiala): This may be laid on the Table of the House.

श्री आर० के० खाडिलकर : मेस भत्ते मिला दिया गया है परन्तु धुलाई भत्ते के बारे में कोई विशेष उल्लेख नहीं है । अतः इस भत्ते को छोड़कर उपरोक्त चारों वर्गों के कर्मचारियों को नये वेतनमानों के अनुसार प्रारंभ में क्रमशः 758.65 रु०, 605.50 रु०, 504.80 रुपये और 473.00 रु० मिलेंगे । मैट्रन को इसके अतिरिक्त 150 रु० की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी । इस प्रकार धुलाई भत्ते को छोड़कर, वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इन वर्गों के लिए वेतनवृद्धि क्रमशः 20.70 रु०, 97.35 रु०, 37.20 रु० और 100.75 रु० होगी ।

वेतन आयोग ने नर्सिंग सिस्टर और स्टाफ नर्स के लिए क्रमशः 455-700 रु० और 425-640 के वेतन मान सुझाये हैं । नर्सों ने कल की बैठक में यह मांग की है कि उन्हें प्रवर आशुलिपिक का वेतनमान दिया जाना चाहिए । यह माना जाना चाहिये कि दोनों पदों के कार्यभार तुलनीय नहीं हैं । जो भी मांग प्रस्तुत की जाती है उसका युक्तिसंगत आधार अवश्य होना चाहिये । मैंने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि नर्सिंग एसोसियेशन के ज्ञापन को दृष्टि में रख कर मामले की फिर से जांच की जाए।

धुलाई भत्ते का मामला वेतन आयोग की सिफारिशों की सीमा से बाहर है अतः इसके बारे में अलग से निर्णय किया जा सकता है । मेरे विचार के अनुसार आज जो धुलाई भत्ता दिया जा रहा है वह अपर्याप्त है । अतः मैं इसमें समुचित वृद्धि की दिशा में प्रयास कर रहा हूं । मेरा मत है कि इसकी राशि 10 रु० होनी चाहिये ।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यान्वयन सेल को अपनी सिफारिशें भेज दी हैं । हम और अपेक्षित परिवर्त्तनों के लिए पुनरीक्षण कर रहे हैं परन्तु फिर भी वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय इनके बारे में अलग से नहीं हो सकता । इन परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं यह कह सकता हूं कि दिल्ली नर्सेस एसोसियेशन द्वारा हड़ताल अदूरदर्शिता की बात है । अतः मुझे आशा है कि आपके सहयोग से मैं उन्हें हड़ताल वापस लेने के लिए सहमत करा सकूंगा ।

डाक्टरों तथा अन्य इच्छुक व्यक्तियों के सहयोग से हस्पाताल की आवश्यक सेवाएं बनाए रखने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं । दिल्ली नर्सिस एसोसियेशन द्वारा अस्पातालों में इस प्रकार का संकट उत्पन्न करना बड़े दुर्भाग्य की बात है । उन्होंने मुझे उनकी मांगों पर विचार करने का कोई अवसर नहीं दिया । मैं कल ही दिल्ली वापस आने पर नर्सों के एक प्रतिनिधि मंडल से मिला हूं और उन्हें धुलाई भत्ते एवं वर्दी भत्ते के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है । उसी समय निर्णय लेना कठिन है। पहले वह मुझे एक सप्ताह का समय देने को मान गए । इससे मुझे मांगों पर विचार करने का पर्याप्त समय मिल जाता । परन्तु फिर भी उन्होंने यह निन्दनीय कदम उठाया है ।

मैं समझता हूं कि किसी को भी अस्पताल की सेवाओं को अस्त-व्यस्त करने व मरीजों की जिन्दगी से खेलने का अधिकार नहीं है । मैंने उन्हें पहले भी बताया है और अब फिर कह रहा हूं कि मैं उनकी कुछ मांगों से व्यक्तिगत रूप से सहमत हूं परन्तु साथ ही यह भी कहूंगा कि गैर-कानूनी बातों का मुकाबला सख्ती से किया जायेगा ।

Shri Krishna Chandra Pandey (Khalilabad): I have a point of order. Power Engineers of U.P. have threatened to go on strike. This is a very serious thing.

Mr. Speaker: It is not connected with Nurses. There is no point of order.

श्री आर० के० खाडिलकर: अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यदि नर्सें तत्काल हड़ताल समाप्त करके कार्य करना प्रारंभ कर दें तो सरकार हड़ताल के बारे में उन्हें तंग न करने के प्रश्न पर सहानुभूति से विचार करेगी ।

श्री के० रघुरमैया : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों के बारे में सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत हो चुके हैं। उनके लिए केवल समय निकालने की बात हैं । अन्य विषयों पर व्यक्त विचारों से सम्बद्ध मंत्रियों को अवगत करा दिया जायेगा ।

Shri Atal Behari Vajpayee: May I know whether the report of the Gajendra Gadkar Committee on Indian Council of Agriculture Research will be made available to Members or not ?

Mr. Speaker: I will see to it.

कराधान विधि संशोधन विधेयक

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति में सदस्य की नियुक्ति

श्री एन० के० पी० साल्वे (बेतूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, उपहार-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति में, श्री के० बालतण्डायुतम के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर, श्री एस० एम० बनर्जी को नियुक्त करती है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, उपहार-कर अधिनियम, 1958 और कम्पनी (लाभ) अधिकर अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी प्रवर समिति में, श्री के० बालतण्डायुतम् के निधन के कारण रिक्त हुए स्थान पर, श्री एस० एम० बनर्जी को नियुक्त करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

विनियोग संख्या 3 विधेयक

APPROPRIATION (No. 3) BILL

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं : "कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये जाएं"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सुत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, the schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : : मैं प्रस्ताव करती हुं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF ANDHRA PRADESH

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : आन्ध्र प्रदेश में खाद्य के लिए कोई अन्दोलन नहीं है । श्री शास्त्री के दल ने लोगों को भड़काने का प्रयास किया परन्तु उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई । वास्तव में हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि जब राष्ट्र हित की बात हो तो उसमें राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये ।

राज्य सभा को एक सदस्य ने 30 जुलाई को सलाहकार समिति की बैठक में आन्ध्र प्रदेश राज्य की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में एक नोट दिया जिसमें उल्लेख है कि कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा अप्रैल मास से राज्य में स्थान-स्थान पर प्रशिक्षण कैम्प चलाए गए हैं जिनमें स्वंय सेवकों को लाठी तलवारें, भाले तथा बम तक चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । क्या राज्य सरकार ने इस बारे में कोई प्रतिवेदन भेजा है अथवा क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इन बातों का चर्चा से क्या संबंध है ?

श्री के० सूर्यनारायण : प्रतिवेदन में इन का उल्लेख है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम प्रतिवेदन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । हम उद्घोषणा को और अवधि के लिए लागू करने के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं न कि आन्ध्र प्रदेश की सामान्य स्थिति पर ।

श्री के० सूर्यनारायण : जहां तक वसूली की बात है सतर्कता सेल विभिन्न नियंत्रण आदेशों व प्रतिबंध आदेशों के अनुपालन का काम देखता है । 1972-73 वर्ष में सतर्कता सेल ने 79,000 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किए । 140 मामले दर्ज किए गए और इनमें से 66 मामलों में दोष सिद्धि हो चुकी है। क्या यह मूल्यों को कम करने का तरीका नहीं है ? क्या कम्यूनिस्ट पार्टी ने केरल राज्य में इस प्रकार का तरीका अपनाया है ?

केरल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चावल ले जाते समय उसे लूटने वालों को केरल सरकार ने गिरफ्तार किया और उनके विरूद्ध कार्यवाही की । केरल के मुख्य मंत्री ने इस प्रकार की कार्यवाही को "समाज विरोधी तत्वों" का कार्य बताया ।

आन्ध्र प्रदेश में अन्य दलों की कार्यवाहियां खाद्य उत्पादन और उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से उनके वितरण में बाधा उपस्थित कर रही हैं । आंध्र प्रदेश में अप्रैल 1973 तक 12.62 लाख एकड़ भूमी 4.40 लाख लोगों को दी गई । इस प्रकार 1960 से अब तक 27.13 एकड़ भूमि बांटी गई है···

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत समय ले लिया है । आपके दल के अन्य वक्ताओं को भी बोलना है।

श्री के० सुर्यनारायण : जहां तक प्रथक होने की बात है, प्रथकतावादी तथा एकतावादी आपस में कोई निर्णय नहीं कर सके हैं अतः राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाना उचित ही है । जनता भी वहां पर खुश है अतः जब तक सर्वसम्मत हल नहीं मिले तब तक इस बारे में शीघ्रता नहीं की जानी चाहिये।

आंध्र प्रदेश से 30 जुलाई, 1973 तक 10,139 स्वतन्त्रता सेनानियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 7,056 आवेदन पत्रों की जांच के पश्चात् केवल 2,604 आवेदन पत्र स्वीकार किए गए तथा 1,362 रद्द किए गए । मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक राज्य में आवेदन पत्रों की जांच के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाये जो उस राज्य की भाषा जानते हों । आवेदन पत्रों का निपटान शीघ्रता से किया जाना चाहिये । 15 अगस्त तक इनका निपटान किया जाना था परन्तु मेरे राज्य से अभी 50 प्रतिशत आवेदन पत्रों का ही निपटान हुआ है ।

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

RE. HALF AN HOUR DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय : आज 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा होनी थी । तरन्तु उस चर्चा के प्रस्तावक, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव ने मुझे सूचित किया है कि वे किसी कारण से उस समय उपास्थित नहीं हो सकेंगे । अतः हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे पास आधे घंटे का और समय है । हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर 3 बजे के स्थान पर 3.30 बजे विचार करेंगे ।

आंध्र प्रदेश के संबन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. CONTINUANCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF ANDHRA PRADESH

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Problems of Andhra Pradesh are not going to be solved by continuing the President's Rule. It is a matter of pleasure that the Government has not yet bowed before separationists, who are playing in the hands of reactionaries. However the Government has not succeeded in evolving any firm policy in this regard. How long the Government wants to keep its mind open? So long as the Government continues to presume such a weak policy permanent solution can not be found for this problem. You should also move towards establishment of popular Government in the State.

At times reactionery elements raise their voices and give threat of agitations. But, in fact, poor people and workers are not with them. These are for the integration of Andhra Pradesh. Government should not take any note of these threats.

श्री एम० एम० हाशिम (सिकन्दराबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । जब श्री सूर्यनारायण उन लोगों की गतिविधियों के बारे में विस्तारपूर्वक बोल रहे थे तब आपने उन्हें अनुमति नहीं दी। अब आप माननीय सदस्य को उनके विरुद्ध बोलने दे रहे हैं जबकि वे एक शब्द भी नहीं कह सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह नहीं कहा कि मैं श्री सूर्यनारायण को उनके विरुद्ध बोलने की अनुमति नहीं देता हूं । इस समय चर्चा राष्ट्रपति शासन जारी रखने के बारे में है । श्री सूर्यनारायण ने उनके विरुद्ध आरोप लगाये जिसका वे उत्तर नहीं दे सकते हैं । अतः मैं केवल समय और संगत बात के लिये प्रतिबंध लगा रहा था । (**व्यवधान**) कृपया शांति राखिए ।

Shri Ramavatar Shastri: I was saying that in order to preserve integration among the people of that region, it is necessary that the people of the backward region, be it Telengana or Rayalseema, should get full opportunity to develop. It should not be there that the Government pay more attention to a particular region than the other. I do not mean that the advanced regions should not receive attention but at the same time the backward regions should also be developed.

In order to remove the backwardness, the distribution of land is essential. The hold of landlords and vested interests should be put to an end and the tillers be provided land.

It is not correct to say that the people of Andhra Pradesh are not the sufferers of price rise. The Communist Party of India staged demonstrations against the black-marketeers and landlords in Andhra Pradesh. They dehoarded the concealed foodgrains and distributed it peacefully. They intend to continue that process in future also.

Instead of continuing the proclamation of the President's Rule in Andhra Pradesh, the Government should allow the Assembly to function.

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : सर्वोच्च न्यायालय के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के कारण राज्य में समस्या बढ़ी है । भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के मुल्की नियमों को पन्द्रह वर्ष आगे तक चलने की अनुमति दे दी गई। आन्ध्र प्रदेश के लोग महसूस करते है कि मुल्की नियम नहीं रहने चाहिये जबकि तेलंगाना क्षेत्र के लोग महसूस करते हैं कि चूंकि वे शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं इसलिये उन्हें किसी न किसी प्रकार का संरक्षण मिलता रहे । इसके परिणामस्वरूप राज्य की एकता के विरुद्ध आन्दोलन हो गये। मुल्की नियमों सम्बन्धी समस्या को शांति से सुलझाया जाना चाहिये था । मैं तेलंगाना के लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे मुल्की नियमों के लिये अधिक बल न दे । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही ओर के राजनीतिज्ञ पृथककरण की बात करते हैं । अब समय आ गया है जब मुल्की नियमों के लिये और आग्रह को नहीं चलने दिया जाना चाहिये । आन्ध्र क्षेत्र के लोगों को महसूस करने देना चाहिए कि उनको राज्य में उतने ही अधिकार हैं जितने तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को हैं ।

मैं इस बात से सहमत हूं कि रोजगार के मामले में तेलंगाना के लोगों को कुछ संरक्षण मिलना चाहिए जैसा कि वे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। इसके साथ ही कुल 300 रुपये से 500 रुपये तक के पदों को स्थानीय लोगों को दिया जाना चाहिए। यह एक संतोष प्रद हल है परन्तु इस पर कौन सहमत हो ?

मैं दोनों ही तरफ के राजनीतिज्ञों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर सोदेश्य विचार करें। मुझे आन्ध्र क्षेत्र के लोगों से मिलने का अवसर मिला। वे बहुत प्रसन्न हैं और वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन जारी रहे। केवल राजनीतिज्ञ ही कठिनाइयां उत्पन्न कर रहे है और विधान सभा बुलाने के लिये कह रहे हैं। मेरा कहना है कि आन्ध्र प्रदेश में एकता को बनाये रखना है। जब उत्तेजना कम हो जायेगी तो मेरा विश्वास है कि यह कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका हल दोनों पक्षों द्वारा न निकाला जा सके।

भारतीय साम्यवादी दल स्थान-स्थान पर बंद आयोजित कर रहा है। इससे मूल्य कम नहीं होंगे। क्या सरकार को मुद्रा-स्फीति की जानकारी नहीं है ? वह मूल्य कम करने के लिये जो प्रयास कर सकती है, कर रही है। यदि वर्तमान सरकार इसे नहीं कर सकती तो कोई अन्य राजनीतिक दल भी नहीं कर सकता।

यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति शासन छह महीने तक और बढ़ाया जाये। राजनीतिज्ञों को जनता के हितों को ध्यान में रखना चाहिए न कि अपने स्वार्थों को।

इन शब्दों के साथ में संकल्प का समर्थन करता हूं।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): I rise to oppose the motion regarding continuance of President's Rule in Andhra Pradesh for six months. It is not a permanent procedure to have President's Rule in any State. Therefore, the period of six months has been given in the Constitution. Had the hon. Minister given a plea for extending this period by six months, we would have understood the situation well. Shri Pant gave no plea except it that it is a complex problem and its solution will take time. The Government is not able to find out any solution to any problem. According to Shrimati Vijaylaxmi Pandit, they are prisoners of indecision.

Shri Jagannath Rao was saying that there was no alternative to Congress, it was Chaos. In spite of Congress continuing for so many years there is chaos in Andhra Pradesh. When the Mulki Rules were got passed on the basis of majority, we said at that time that no person from Telengana or Andhra would accept that. I don't think they would be able to find out any solution during the next six months. Since justice has not been done to the people of Telengana, they do not want the Assembly to function there. There is no danger to the integration if some sort of reorganisation is done in both the regions. I would like to request the people of Andhra not to use the word separation, they should call it bifurcation. If all the people of Andhra as well as Telengana accept it, no heaven is going to fall. If the people want so for their interest and development, it appears to me that the Government should either convene Assembly or hold fresh elections. If Shri Pant, while

replying, points out the details of what they are going to do during this period, we can have opportunity to think something.

श्री मल्लिकार्जुन (मेडक): इस संकल्प का स्वागत करते हुए मैं फिर कहना चाहूंगा कि पृथक तेलंगाना राज्य ही इस समस्या का हल है जिससे दोनों क्षेत्रों के लोगों को अधिकतम संतोष और न्यूनतम असंतोष होगा ।

मैंने विभिन्न अवसरों पर पृथक तेलंगाना राज्य की मांग के भिन्न-भिन्न कारण दिये हैं । मैं अपने मामले के समर्थन में इस सभा को यह बताना चाहता हूं कि जनता आन्ध्र प्रदेश का पृथककरण का या विभाजन चाहती है ।

यहां तक कि राष्ट्रपति शासन के होते हुए भी आन्ध्र क्षेत्र के छः सेशन जजों को नियुक्त किया गया जो बाद में हमारे हस्तक्षेप से रोका गया । ऐसी बातें किस सीमा तक होती रहेंगी ?

क्या हमें केवल इतना ही कहना पड़ेगा कि हम राष्ट्रीय एकता में विश्वास रखते हैं ? निश्चय ही हम इसमें विश्वास रखते हैं परन्तु ऐसा जनता की भावना के मूल्य पर नहीं होना चाहिए और न ही इसका यह अर्थ है कि पिछड़े क्षेत्र तेलंगाना में समाज के विभिन्न वर्गों पर अन्याय करके ऐसा होना चाहिए। यदि कुछ लोग दोनों शहरों (ट्विन सिटीज) को निर्बाध जोन बनाकर, तेलंगाना क्षेत्रीय समिति के स्थान पर विकास बोर्ड बनाकर, तेलंगाना की पृथक आयोजना और बजट को हटाकर बिना शर्त की एकता में विश्वास करते हैं तो यह अत्यंत निन्दनीय है । हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे ।

लोकप्रिय सरकार के लिये हम नहीं के बराबर चिंतित हैं । समय-समय पर विभिन्न अवसरों पर सरकार को प्रस्तुत किए गए आसूचना प्रतिवेदनों पर सरकार ध्यान दे । उनमें कहा गया है कि दोनों क्षेत्रों की जनता पृथककरण चाहती है। यदि सरकार लोकतंत्र में विश्वास करती है तो चुनाव करवाये जाने चाहिए । अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों के बारे में यदि निर्वाचन आयुक्त द्वारा प्रारम्भिक औपचारिकता पूरी नहीं की गई हो तो तेलंगाना में लक्सटीपेट में उप-चुनाव करवाइये ।

सरकार को जनता की भावना को ध्यान में रखकर निर्णय करना चाहिये । तेलंगाना के कांग्रेस फोरम ने स्पष्ट कर दिया कि सभी नेता जनमत करा के जनता की भावना सुनिश्चित करे और वह उसका पालन करेगी । परन्तु न तो सरकार जनमत चाहती है और न ही पृथक्करण ।

अतः सरकार किसी कूट एकतावादी (स्यूडो-इन्टेग्रेशनिस्ट) द्वारा बनाये गए सूत्र को न थोपें । एकता में विश्वास करने वाले लोग पहले ही दिल्ली आ चुके हैं और उन्होंने प्रधान मंत्री से कहा है कि वे दोनों शहरों (ट्विन सिटीज) के लिये निर्बाध जोन नहीं चाहते हैं । यदि आन्ध्र के हमारे भाई चाहते हैं कि दोनों क्षेत्रों में हमारा पारस्परिक जीवन समृद्ध हो तो पृथक्करण इसका एकमात्र हल है ।

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : देश में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रशासन के साढ़े सात वर्षों के दौरान राज्यों में 22 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है । जबकि इसके पहले के 15 वर्षों के दौरान दस बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था । वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 356 सत्तारुढ़ कांग्रेस दल की दासी बन गई है ।

*मूल तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

आंध्र प्रदेश को राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत लाने का मुख्य कारण सत्तारुढ़ कांग्रेस दल में विचारों का मतभेद है । प्रारम्भ में तेलंगाना क्षेत्र ने कांग्रेसी सदस्यों ने पृथक तेलंगाना राज्य की मांग उठायी थी । इसके बाद आंध्र क्षेत्र के कांग्रेसी सदस्यों ने तेलंगाना से पृथक आंध्र प्रदेश की मांग उठायी । इस सिलसिले में संपूर्ण आंध्र प्रदेश में आंदोलनों के दौरान जो हानि हुई उसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस दल पर है, कांग्रेस सदस्यों द्वारा गठित संघर्ष समिति ने हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया, यदि इन हिंसक आंदोलनों में विपक्षी दलों का हाथ होता तो उनके विरुद्ध मुकदमें चलाये जाते । चूंकि सत्तारुढ़ दल के सदस्य इन समाज-विरोधी कार्यों में संलग्न थे, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

क्या आंध्र प्रदेश की विधान सभा को स्थगित रखने का कोई युक्तिसंगत कारण है ? उड़ीसा में विपक्षी दल बहुमत में थे परन्तु जब कांग्रेस दल अपना बहुमत न बना सका तो उसने विधान सभा को भंग कर दिया ताकि नए चुनाव कराये जा सकें । उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस दल का बहुमत है इसलिए वहां विधान सभाओं को स्थगित किया गया है, केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों में अलग-अलग मापदंड अपनाती है ।

अभी केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे देश में व्याप्त कठिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए अपने व्यय में अत्याधिक मितव्ययिता बरतें । परन्तु आंध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य सभा के स्थगित होने के बावजूद भी वेतन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति अपेक्षाकृत काफी सुधर गई है तो क्यूं नहीं विधान सभा बुलाई जा रही है । यदि सरकार का ऐसा करने का इरादा नहीं है तो विधान सभा को भंग करके शीघ्र ही चुनाव कराये जाने चाहिए ताकि वहां पर लोकप्रिय सरकार बन सके ।

कांग्रेस दल आंध्र प्रदेश में विधान सभा को भंग करके पुनः चुनाव कराना नहीं चाहता है क्योंकि उसको अपना बहुमत मिलने की आशा नहीं है । वह राष्ट्रपति शासन का आश्रय लेकर राज्य में जमे रहना चाहता है, कांग्रेस दल अपने और विपक्षी दलों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके न्याय नहीं कर रहा है, क्या इसे ही लोकतंत्र कहते हैं ?

आंध्र प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां विकास की काफी संभावनाएं हैं । इस समय कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का केवल 20 प्रतिशत जल उपयोग में लाया जाता है और शेष जल समुद्र में व्यर्थ चला जाता है । यदि वहां कुशल सरकार बनती है तथा कृषि की ओर समुचित ध्यान दिया जाता है तो वह सारे देश को खाद्यान्न की सप्लाई कर सकता है, मेरी यह मांग है कि या तो विधान सभा बुलाई जाये अथवा उसको भंग करके नये चुनाव कराये जायें ।

सरकार ने गत सप्ताह भारतीय रेलवे अधिनियम का संशोधन किया है जिसमें सार्वजनिक सम्पत्ति को नष्ट करने के अपराध में कड़ा दंड देने की व्यवस्था की गई है, परन्तु सरकार ने आंध्र प्रदेश के मामले में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम आदि का उपयोग नहीं किया है क्योंकि वहां उसके अपने दल के लोग हैं, मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजनीतिक दल आदि का विचार किये बिना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को उचित दंड दिया जाये ।

सत्तारुढ़ दल के कई सदस्य यह कहते हैं कि समाजवादी कार्यक्रमों की क्रियान्विति में नौकरशाही सबसे बड़ी रुकावट है परन्तु उनके कथनी और करनी में बड़ा अंतर है उड़ीसा उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में प्रशासन नौकरशाहों द्वारा चलाया जा रहा है । क्या सरकार देश में ऐसा समाज लाने में सफल रहेगी जिसमें ऊंच-नीच का भेद-भाव नहीं रहेगा ? सरकार को आंध्र प्रदेश में विधान सभा बुलाने अथवा उसे भंग करके नए चुनाव कराने के बारे में शीघ्र निर्णय लेना चाहिये ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में संकल्प का समर्थन करता हूं ।

मुझे द्रुमुक और जनसंघ दलों के सदस्यों के विचार सुनने का अवसर मिला । जनसंघ ने गत चुनाव में वहां अपनी जमानतें जब्त करायी थीं । अब के पुनः चुनाव कराना चाहते हैं । हमारे देश में विपक्षी दल हमेशा राष्ट्र-विरोधी कार्यों में लगे रहते हैं वे आंध्र प्रदेश में दुबारा चुनाव कराने पर जोर दे रहे हैं हम चुनाव से घबराते नहीं हैं आंध्र प्रदेश की जनता है न तो पृथक राज्य चाहती है और न तेलंगाना क्षेत्र के लोग पृथक तेलंगाना राज्य मांगते हैं वे केवल यही चाहते हैं कि उनकी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाये ।

इस समय आंध्र प्रदेश को राज्य के विभाजन की अपेक्षा कृषि के लिए उर्वरकों की बडी आवश्यकता है कृषि मंत्री को भी इस संबंध में कहा गया है । आंध्र प्रदेश में मूल्यों के कम होने से किसानों को हानि हो रही है सरकार को उनको सहायता देने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए । मेरे ही निर्वाचन-क्षेत्र में दालों का मूल्य 160 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर 100 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है इसी प्रकार विशेषकर मेरे जिले में चावल का मूल्य 40 रुपये से कम हो कर 35 रुपये हो गया है यदि आंध्र प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई की जाये तो वह समूचे देश को चावल सप्लाई कर सकता हैं ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश के लिए धन का आवंटन बहुत कम रखा गया है यदि धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था की जाती है तो राज्य की अनेक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है । पर्याप्त धन की व्यवस्था करने से बेरोजगारों के लिए काम की व्यवस्था की जा सकती है गत 20 वर्षों में सिंचाई संबंधी बड़ी परियोजनाओं में धन लगाया गया है यदि राज्य का औद्योगिक दृष्टि से विकास किया जाता है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोई समस्या न रहेगी ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : पिछले वक्ता के वक्तव्य से यह पता नहीं चलता है कि हम आंध्र प्रदेश की संवैधानिक समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं अथवा उर्वरकों के वितरण पर चर्चा कर रहे ह ।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का बढ़ाया जाना यह बताता है कि सरकार विशेषकर आंध्र प्रदेश की समस्याओं को हल करने की इच्छुक नहीं है । सरकार ने एक सरकार में विभिन्न विचारधारा वाले व्यक्तियों में मेल पैदा करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है परन्तु उसमें वह असफल रही है जब तक हम समस्याओं को लोकतांत्रिक ढ़ंग से नहीं सुलझाते तब तक इस बारे में चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा । यदि आप समझते हैं कि चुनाव कराने से समस्या हल हो सकती है तो वह कराइये

और यदि आप जनमतसंग्रह कराना चाहते हैं तो वह भी कराइये परन्तु इन व्यर्थ के वक्तव्यों से कोई लाभ नही होगा । जिन लोगों ने आंध्र प्रदेश की घटनाओं को निकट से देखा है वे जानते हैं कि आंध्र की जनता अपने उद्देश्य में दढ़ है । सरकार अपने निर्णय में डगमगा सकती है परन्तु आंध्र की जनता नहीं। वे पृथक राज्य की मांग से पीछे नहीं हटेंगे । चाहे राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ायी जाये या नहीं, चाहे यह सरकार सत्तारुढ़ रहे या न रहे , आंध्र और तेलंगाना अपना-अपना पृथक राज्य लेकर ही रहेंगे , ऐसी बात नहीं है कि आंध्र की जनता तेलंगाना के साथ मिलकर नहीं रह सकती परन्तु वे अपना अलग प्रशासन , सरकार तथा राज्य चाहते हैं । कोई कारण नहीं है कि वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते हैं । राज्य पुनर्गठन आयोग ने जो सीमाएं निर्धारित की हैं उनका अर्थ क्या है ? सरकार समय-समय पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए सीमाएं निर्धारित करती हैं आखिरकार आंध्र की जनता अपने कल्याण सुरक्षा आदि को महत्त्व दे रही है । मेरे कहने का तात्पर्य है कि आंध्र की जनता अपना पृथक राज्य चाहती है और राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते रहने से कोई लाभ नहीं होगा ? आप कब तक ऐसा करते रहेंगे ? मेरी समझ में नहीं आता है कि यह सरकार अपनी गल्तियों को क्यों स्वीकार नहीं करती है । वह अपनी गल्तियों को सही बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाती है । यदि आप कुछ समय के लिए सत्तारूढ़ रहना चाहते हैं तो आप अपनी गल्तियों को सुधारें ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की कार्य-वाही का समर्थन करते हुए मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना की जाएगी। परन्तु मुझे संदेह है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के एकीकरण को टूटने से सरकार बचा सकेगी। मैं गृह मंत्री महोदय से यह बताने की लिए अनुरोध करूंगा कि वे किस आधार पर आंध्र प्रदेश को दो भागों में बंटने से रोकने की आशा रख रहे हैं।

मैं इस संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा 10 जुलाई, 1973 को ओबुल रेड्डी के निर्णय को रद्द करने संबंधी निर्णय की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इस समय वहां सरकार के परा-मर्शदाता मुल्की नियमों को मनमाने तौर पर लागू कर रहे हैं। अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में मुल्की नियमों को चुनौती दी जा रही है। सरकार ने तेलंगाना की जनता को रोजगार अथवा शिक्षा संबंधी जितने भी आश्वासन दिये हैं। वे सब अव्यावहारिक सिद्ध हो रहे हैं क्योंकि संवैधानिक रूप से उन्हें लागू करना असम्भव है। तेलंगाना की जनता राजनीतिज्ञों के दांव-पेच को जान गयी है और उन पर अपना विश्वास खो बैठी है। इसका अन्य विकल्प यह है कि इस संबंध में वहां की जनता की राय जाननी चाहिए।

इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन की अवधि का बढ़ाया जाना एक आवश्यक बुराई है। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए राज्य का विभाजन ही एक मात्र विकल्प है। राज्य का विभाजन करने से कोई मुसीबत नहीं आ जायेगी। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि राज्य का विभाजन ही स्थिति को बिगड़ने से बचा सकता है।

श्री के० नारायण राव (कोविली) : मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने का स्वागत करता हूं। कुछ कहने से पूर्व मैं यह जानना चाहूंगा कि विधान सभा के स्थगित होने की स्थिति में विधायक का क्या दर्जा रहता है।

ऐसी धारणा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की स्थिति में विधायक का जनप्रतिनिधित्व का दर्जा नहीं रहता है तथा वहां नौकरशाही आ जाती है। यह धारणा समाप्त की जानी चाहिए।

आंध्र प्रदेश विधान सभा के अधिवेशन होने के दौरान विधायकों को हैदराबाद के अतिथि गृह में रहने पर 18 रूपये देने पड़ते थे जो राष्ट्रपति शासन के दौरान बढ़ाकर 21 रुपये कर दिये गये। इसको बाद में अभ्यावेदन देने पर पुनरीचित किया गया, इसी प्रकार टेलीफोन कनेक्शन काट दिए गए थे और पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। सरकार को इस संबंध में- मार्गनिर्देशक सिद्धान्त तय करने चाहिए।

आंध्र प्रदेश की समस्या राजनीतिज्ञों के बीच बातचीत से हल नहीं हो सकती है। हमें जनता की शिकायतों का पता लगाना चाहिए। इसका हल न्यायालय में कानूनी लड़ाई से भी नहीं हो सकता है। मुल्की नियम इसका उदाहरण है। यह मामला उच्चतम न्यायालय में उनके परामर्श के लिए भेजा जाना चाहिए। मुल्की नियम के दो पहलू हैं। एक प्रकार का मुल्की नियम निजांम के समय लागू किया गया था जो सेवाओं से संबंधित है, स्वाधीनता के पश्चात् निजाम के शासनकाल में मुल्की नियम जन्म, वंगक्रम और विवाह से संबंधित व्यक्तियों पर लागू होता था। इसे बाद में रद्द कर दिया गया। न्यायाधीश अब्दुल रेड्डी ने केवल निवास से संबंधित धारा को वैध माना है। इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया है और उसके निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

दूसरे प्रकार का मुल्की नियम एककीकरण के पश्चात लागू हुआ। इसके अनुसार कालेजों में प्रवेश के लिए यह शर्त थी कि प्रार्थी उस स्थान पर 15 वर्ष से रह रहा हो। इस पर किसी को आपत्ति नहीं है।

आवास और अधिवास दोनों अलग-अलग है। इसके बाद सरकार के परिपत्रों और आदेशों में यह कहा गया है कि केवल 15 वर्ष को आवाश की शर्त ही काफी नही है इसके साथ अधिवास भी होना चाहिए मै समझाता हूं कि गृह मंत्री महोदय को इन सभी मामलों पर विचार करने के बाद ही इस समस्या का कोई स्थाई समाधान खोजना चाहिए।

Shri V. Tulsiram (Peddapalli): The people of Andhra and Telengana are stiching to their decisions some people play double standards because their statements in the House differ from those outside the House. The people of the State are silent because of Prime Minister's statement and appeal to Members of Parliament. We are at a loss to understand that when people of both the states are interested in separation, why the Central Government should have any objection? As a matter of fact the people of both the regions are interested to improve their economic conditions. They are eager to do it themselves. Therefore, I support the extension of tenure of President's rule in Andhra Pradesh.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): चर्चा के दौरान आन्ध्र प्रदेश की अनेक जटिल समस्यायें प्रकाश में आई हैं। चर्चा में कुछ सदस्यों ने जहां आंध्र प्रदेश की विभाजन की बात कही वहां कुछ सदस्यों ने इसके संगठन की बात भी कही। हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि इस समस्या का कोई ऐसा हल खोजा जायें जो दोनों ही मतों के लोगों को मान्य हो।

मार्क्सवादी दल के मेरे कुछ मित्रों ने यह आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन कांग्रेस दल के अन्दर विद्यमान प्रतिस्पर्धा के कारण लागू किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को याद होगा कि इससे पूर्व जब आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया था तो उस समय तो इस विषय पर हुई चर्चा में अधिकांश दलों ने कहा था कि केन्द्र का यह कदम सराहनीय है।

उस समय जो स्थिति विद्यमान थी मैं उसका संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि उस समय सदन के समक्ष आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों को जलाने, रेलवे के डिब्बों को लूटने, उन्हें पटरी से उतारने तथा लुटमार आदि के बारे में आये दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया करते थे। आन्दोलन के दौरान 32,500 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। विद्यार्थियों, इंजीनियरों, वकीलों यहां तक कि राजपत्रित अधिकारियों ने भी हड़ताल कर दी थी। इस स्थिति का पूर्ण जायजा लेने के बाद ही सदन वहां राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिए राजी हुआ। आज फिर यदि लोग राष्ट्रपति शासन की निंदा करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वह उस समय की वास्तविकताओं को भूल गये हैं।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन दल में व्याप्त मदभेतों के कारण लागू नहीं किया गया। प्रशासन आरम्भ से ही वहां की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कार्यरत रहा। मैं समझता हूं कि आंध्र प्रदेश की जनता के सहयोग से ही इतनी जल्दी वहां शीघ्र सामान्य स्थिति पैदा की जा सकी है। सेना को वापिस बुला लिया गया और सीमा सुरक्षा दल का भी आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया गया। पहले यह आन्दोलन शांतिपूर्ण ढंग से चलता रहा और फिर बाद में पूर्णतया समाप्त हो गया। विद्यार्थी पुनः अपनी कक्षाओं में वापिस चले गये। सम्पूर्ण स्थिति सामान्य होने पर ऐसा वातावरण बन गया जिसमें कि बातचीत आरम्भ की जा सकती थी।

अब राजनीतिक स्तर पर दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधियों में बातचीत आरम्भ हो गई है। दोनों दलों के लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे है। इस संबंध में कुछ कदम उठाये गये हैं परन्तु फिर भी हमारे समक्ष कठिनाइया आ रही हैं। मैं समझता हूं कि इन सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए और इस समस्या का सर्वमान्य समाधान खोजने के लिए भरसक प्रयत्न किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस समझौते की काफी गुंजाइश है और दोनों दल इसके लिए उत्सुक भी हैं। इसके साथ ही मेरी मान्यता यह भी है कि अब जो कुछ हो गया है उसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में यह समस्या तभी से चली आ रही है जब कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया। उसी समय तेलंगाना के नेताओं का यह मत था कि तेलंगाना के लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कुछ नियम बनाये जाने चाहिए और तभी से मुल्की नियमो द्वारा उनके हितों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। तभी से दोनों में यह मित्रतापूर्ण समझौता चला आ रहा है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि अब इन नियमों का उल्लंघन किया गया। दोनों की पक्षों में समझौते के कानूनी पक्ष पर मतभेद हो गया। अब समस्या यह बन गई कि दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के लिए क्या हल निकाला जाय। जब इस समस्या का हल हम खोजने वाले थे तो उसी समय उच्चतम न्यायालय ने मुल्की नियमों के बारे में अपना निर्णय दे दिया। इसके बाद न्यायालयों द्वारा इन नियमों के बारे में कई प्रकार की व्याख्यायें दी गई जिनके फलस्वरूप यह समस्या और जटिल होती गई। आज समस्या यहां तक पहुंच गयी कि हमारे लिए यह स्पष्ट करना कठिन हो गया कि कौन मुल्की है और कौन नहीं।

यह आन्दोलन जो पहले तेलंगाना में और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ, उसके पीछे एक इतिहास है। इससे यह स्पष्ट है कि पहले यह समस्या तेलंगाना में थी और अब यह आंध्र प्रदेश में भी फैल गयी है। मैं समझता हूं कि सदन को उन सभी जटिलताओं के सन्दर्भ में इस समस्या पर विचार करना चाहिये जिनका कि मैंने उल्लेख किया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान दोनों ही क्षेत्रों की इस समस्या का शांतिपूर्ण हल खोजने का प्रयास करना चाहिये। केवल वहां राज्य सरकार का शासन आरम्भ करवाने से हम इस समस्या के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ना चाहते।

सदन को मालूम होगा कि स्थिति सामान्य होने के बाद गृह, मंत्री और मैं दोनों ही दो बार हैदराबाद जा चुके हैं। हम ने दोनों पक्षों के नेताओं से विचार विमर्श किया है। मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों में समझौते की काफी गुंजाइश है और दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयत्न करने को उत्सुक हैं। जैसा कि मेरे मित्र श्री पीलू मोदी ने कहा, आवश्यकता केवल इस बात की है कि दोनों पक्ष अपनी पुरानी बातों को भूलते हुए, वर्तमान स्थितियों के सन्दर्भ में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करें। मुझे इस बात की पूरी आशा है कि यदि दोनों पक्षों के लोग मिल कर बैठते हैं तो वह समस्या का ऐसा समाधान खोजने में पूर्णतया सफल होंगे जोकि दोनों पक्षों/क्षेत्रों के लोगों को मान्य हो।

श्री मधु लिमये (बांका) लेकिन कब ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसके बारे में कोई सीमा निर्धारित करना तो कठिन है।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : तब तक आप राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते जाइये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमें आशा है कि ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा। हमें दोनों पक्षों के लोगों में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे रही है, दोनों एक दूसरे को समझने को उत्सुक हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में विद्यमान भाषा, संस्कृति तथा अन्य साहित्यिक प्रवृत्तियों की घनिष्ठता के आधार पर, इस समस्या का हल खोजना कठिन नहीं होगा। हम उन्हें एक दूसरे के निकट लाने के लिए हर सम्भव प्रत्यन कर रहे हैं परन्तु वास्तव में किसी समझौते के लिए सहमत होना भी उनका अपना काम है।

मेरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मित्र इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि दोनों पक्षों का विचार विमर्श किस स्थिति तक पहुंच गया है। यह एक नाजुक समस्या है और इस समय मैं इस के बारे में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

मेरे मित्र श्री नारायण राव ने मुल्की नियमों को उच्चतम न्यायालय में पेश करने के औचित्य का प्रश्न उठाया। हमने इस पर भी विचार किया है और हमारा अनुमान है कि न्यायालय में पेश करने पर भी, इस विषय पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। फिर भी हम यथा समय पुनः उनके सुझाव पर विचार कर देंगे।

राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में कई विकास परियोजनायें आरम्भ की गई हैं। अतः मैं यह स्पष्ट कर दूं कि केवल कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए ही राष्ट्रपति शासन वहां लागू नहीं किया गया अतः वहां की अन्य विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये भी ऐसा किया गया है। हम शीघ्र ही वहां लोकप्रिय सरकार को पुनः बहाल करने के इच्छुक हैं।

मैं यहां आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहने के लिये तो नहीं आया परन्तु मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि इसके लिए न केन्द्र और न ही राज्य सरकार द्वारा कुछ किया जा रहा है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि 8 जून, 1973 को गृह मंत्री ने मुख्य मंत्रियों और उपराज्यपालों को संबोधित करते हुए कहा था कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिये। उन्हें निदेश दिया गया था कि सभी प्रकार की चोरबाजारी और मुनाफाखोरी को समाप्त करने के लिए भी हर सम्भव कदम उठाया जाना चाहिये। राज्य सरकारों द्वारा इन्हीं सुझावों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है।

10 अगस्त, 1973 को गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उपराज्यपालों को लिखा कि अब परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि सुरक्षा नियमों को लागू कर दिया जाना चाहिये। महाराष्ट्र में यह नियम लागू किये जा चुके हैं। अतः हम हर स्तर पर स्थिति से निपटने के लिए हर सम्भव कदम उठा रहे हैं। परन्तु स्थिति तब बिगड़ जाती है जब लोग कानून को अपने हाथों में ले, तोड़फोड़ की कार्यवाहियां आरम्भ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वह कानून किस पर लागू होगा ?

हमारा उद्देश्य यही रहता है कि आम आदमी को अनाज प्राप्त होता रहे परन्तु 'बंद' के आयोजन से हमारी सम्पूर्ण वितरण व्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। इस का प्रभाव भी समाज के कमजोर वर्गों पर ही अधिक पड़ता है। ऐसी स्थिति से समाज विरोधी तत्व लाभ उठाना चाहते हैं। हमने दालो के कई गोदामों पर छापे मारे हैं जिसके फलस्वरूप दालों के मूल्यों में गिरावट आई है। हम इसी प्रकार अन्य कदम भी उठा रहे हैं। इस समस्या से निपटने का एक मात्र उचित उपाय उत्पादन और वितरण की व्यवस्था को उचित ढंग से बनाये रखने का है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आन्ध्र प्रदेश के संबंध में 18 जनवरी, 1973 को जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा को 1 सितम्बर, 1973 से 6 महीने की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

आधे घंटे की चर्चा के बारे में

RE. HALF AN HOUR DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य पर विचार करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आपसे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप यह कार्य आरम्भ कर लेंगे तो आधे घंटे की चर्चा नहीं हो पायेगी। आप किसी तरह से कोई ऐसा हल निकालिये जिससे कि इस पर चर्चा हो सके।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (ग्रौसग्राम) : उड़ीसा में भूख के कारण जो मौतें हुई, उन पर चर्चा करवाने से सरकार बचना क्यों चाहती है।

श्री एस० एन० मुकर्जी (कलकत्ता--उत्तर-पूर्व) : उड़ीसा में भुखमरी की स्थिति के बारे में जब सदन में हंगामा हुआ था तो उस समय इस विषय पर अध्यक्ष द्वारा चर्चा का आश्वासन दिया गया था। अब बीच में चर्चा का यह नया विषय कहां से आ गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जिस माननीय सदस्य ने इस विषय की चर्चा का नोटिस दिया था, उन्हें किसी कारणवश पटना में रुकना पड़ गया है। अतः उन्होंने लिखा है कि इसे अभी चर्चा के लिए न लिया जाए। अतः इस विषय में किसी और कारण की कोई गुंजाइश नहीं है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तीसवां प्रतिवेदन

श्री अमरनाथ चावला (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन से, जो 16 अगस्त, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन से, जो 16 अगस्त, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED

समाचार-पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : OWNERSHIP OF NEWSPAPERS AND NEWS AGENCIES

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर आगे विचार करेगी। श्री सोमनाथ चटर्जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

Shri Madhu Limaye (Banka): The Half-an-hour discussion has been postponed without giving any notice. If you will change the list of Business with this, this

will be an injustice to Members. Now, I am giving in writing that I will move my amendment next time because I have to leave for Bombay to-day.

उपाध्यक्ष महोदय : किसी के साथ अन्याय की कोई बात नहीं है। मैं नियमों के अनुसार ही कार्य करूंगा परन्तु अनेक बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ अनदेखी घटनाएं घट जाती हैं । मैंने आज के परिवर्तन के बारे में काफी समय पहले ही बता दिया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं महसूस करता हूं कि प्रैस सार्वजनिक उपयोग के लिए ही है, अतः समाचार देने की पर्याप्त व्यवस्था हो यह मामला महान सार्वजनिक जिम्मेदारी का है।

हम मुक्त प्रैस चाहते हैं । इस का अर्थ यह है कि इस पर एकाधिकार गृहों का नियंत्रण न हो और इसमें उनके निहित हित न हों और कि प्रैस लोगों की भावनाओं तथा इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करे। प्रैस की स्वतन्त्रता का लोगों के हित में ही प्रयोग किया जाना चाहिये। लोगों के विरुद्ध नहीं। हमारे देश में प्रैस की स्वंतन्त्रता का प्रैस के मालिकों के लिए ही प्रयोग किया जाता है और इसको श्रम-जीवी पत्रकारों की स्वतन्तत्रा के समान नहीं समझा जाता। हम देखते हैं कि सामान्य स्वामित्व के अधीन अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। विज्ञापनों के मामले में बड़े समाचार-पत्र छोटे समाचारपत्रों पर नियंत्रण रखते हैं। इस मामले में सरकारी संरक्षण भी बड़े समाचार-पत्रों को ही मिलता है।

यह ठीक है कि समाचार-पत्रों को लाभ पर चलाया जाना चाहिए परन्तु हम देख रहे हैं कि समाचार-पत्रों पर एकाधिकार गृहों का नियंत्रण है और इनको उद्योगों के रूप में चलाया जा रहा है। इनका उद्देश्य यथासम्भव धन कमाना है। इन पत्रों में लेख लिखने आदि की नीति पर भी बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं व्यापारियों का नियंत्रण है। इस बारे में प्रैस आयोग ने भी गंभीर टिप्पणियां की हैं। समाचार-पत्रों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण समाचारों को भी दबाया जाता है। 1968 में अखिल भारतीय समाचार-पत्र कर्मचारी संघ की हड़ताल के बारे में टेलीप्रिंटर पर समाचार आया और जब इस समाचार को 'स्टेट्समैन' के सम्पादक के सम्मुख रखा गया, तो उन्होंने कहा कि इसकी अपेक्षा कर दो।

बड़े बड़े समाचार-पत्रों में विज्ञापन अधिक होते हैं और समाचार कम। अधिक से अधिक स्थान विज्ञापनों को ही दिया जाता है । यहां तक कि संसद की कार्यवाही को उचित महत्व तथा स्थान नहीं दिया जाता। देश के अनेक प्रमुख समाचार-पत्रों के प्रबन्धों के विरुद्ध कुप्रबन्ध के अनेक आरोप हैं। 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के विरुद्ध अखबारी कागज के दुरुपयोग के बारे में अनेक शिकायतें हैं, हालांकि इसके निदेशक मण्डल में सरकारी निदेशक भी हैं।

श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए

Shri S.A. Kadar in the Chair

अखबारी कागज का अधिक कोटा लेने के लिए परिचालन के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। 'स्टेट्समैन' के इलैक्ट्रिक इंजीनियर ने एक शिकायत मेरे पास भेजी है जिसमें कहा गया है कि कुल छापी गई प्रतियों में से लगभग 50 प्रतिशत प्रतियां रद्दी कागज के विक्रेताओं के लिए ही प्रकाशित की जाती

हैं ताकि परिचालन के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जा सके। यह शिकायत केवल इसी समाचार पत्र के विरुद्ध नहीं है, लगभग सभी बड़े-बड़े अखबार ऐसा ही करते हैं।

श्रमजीवी पत्रकारों की दशा दयनीय है। वह अपने कार्य में स्वतंत्र नहीं हैं। उनको कम वेतन मिलता है उनकी प्रबन्ध व्यवस्था में कोई सुनवाई नहीं है। मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को सभी समाचारपत्रों में लागू नहीं किया गया है। एक समाचार वित्त समिति बनाई गई थी जिसने अनेक समाचारपत्रों के वित्तीय ढांचे की जांच करनी थी। मुझे पता लगा है कि अनेक समाचारपत्रों ने उसकी प्रश्नसूची का उत्तर ही नहीं भेजा है।

अभी हाल में न्यायधिकरण की कचहरी में 'स्टेट्समैन' के मैनेजर ने एक पत्रकार को पीटा था। यह घटना हाल ही में घटी है।

यू० एन० आई० और पी० टी० आई० समाचार एजेन्सियों पर भी एकाधिकार गृहों का नियंत्रण है। हम काफी समय से यह मांग कर रहे हैं कि इनको नियमों में परिवर्तित कर दिया जाये। यू०एन०-आई० के एक सम्पादक का तबादला बम्बई में कर दिया गया था और जब उसने इस का विरोध किया तो उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इसके पश्चात् आन्दोलन हुआ और उसे पुनः सेवा में बहाल कर दिया गया। परन्तु उसका तबादला श्रीनगर कर दिया गया। इन पत्रकारों की ऐसी स्थिति है। हम समझते हैं कि इन एकाधिकार गृहों से इन का संबंध विच्छेद जितनी जल्दी किया जाय उतना ही अच्छा होगा और इससे अनेक बुराइयां भी दूर हो जायेंगी। परन्तु एकाधिकार गृह दिन प्रतिदिन बड़े ही होते जा रहे हैं और कुछ मामलों में तो इन्हें सरकार का प्रोत्साहन तथा संरक्षण भी प्राप्त है। सरकार की वर्तमान नीति के कारण एकाधिकारी अधिक से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह है कि समाचारपत्रों को तोड़मोड़ कर पेश किया जा रहा है। पत्रकारिता में सब से अधिक धक्का सचाई को ही लगा है और समाचारपत्र सत्तारूढ़ दल के अधीन हो कर ही रह गये हैं। समाचारपत्रों में लोकतंत्रात्मक आन्दोलनों तथा जनता के संघर्षों संबंधी समाचारों का स्थान नहीं दिया जाता। कांग्रेस दल के कुछ अपने ही नेता कुछ बड़े-बड़े समाचारपत्रों पर नियंत्रण रखे हुये हैं। अमृत बाजार पत्रिका का स्वामित्व एक कांग्रेसी परिवार के पास है। वह एक पक्षीय समाचार ही प्रकाशित करते हैं और समाचारों को तोड़मोड़ कर पेश करते हैं। अतः हम चाहते हैं कि बड़े-बड़े समाचारपत्रों को न केवल बड़े-बड़े एकाधिकार गृहों बल्कि सत्तारूढ़ दल के पंजे से भी मुक्त किया जाय। हम आकाशवाणी की भान्ति भ्रष्ट प्रैस नहीं चाहते। संविधान संशोधन विधेयक के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के अनेक निर्णयों का अध्ययन करना होगा। संसद को संविधान में संशोधन कर उचित विधेयक लाने की शक्ति प्राप्त है।

हम इस संकल्प का समर्थन कर रहे हैं। मुझे आशा है कि प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक को उचित ढंग से बनाया जायेगा और क्रियान्वित किया जायेगा। मैं नहीं जानता कि सरकार वास्तव में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक है अथवा नहीं।

श्री अनन्तराव पाटिल (खेड) : मैं संकल्प का समर्थन करता हूं। यह सरकार की घोषित नीति के अनुसार ही है। हम केवल इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए ही जोर दे रहे हैं। श्री गुजराल ने अनेक बार कहा है कि वह अपने निर्णय पर दृढ़ है और उसमें परिवर्तन करने का कोई प्रश्न नहीं है।

परन्तु माननीय मंत्री ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहते है कि क्या वह इस पत्र में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेंगे ? हमें अनेक मंत्रियों द्वारा बताया गया है कि सरकार इस बारे में दृढ़ संकल्प है। परन्तु गत दो वर्षों में इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्री गिरि ने भी एक समारोह में कहा था कि सरकार इस बारे में शीघ्र ही कार्यवाही करने वाली है। हमें यह भी बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का अध्ययन सरकार द्वारा किया जाना है और कि इनको देखते हुए ही सरकार कार्यवाही करेगी। क्या सरकार इस बहाने से अपने निर्णय को स्थगित तो नहीं कर रही है ? मेरे विचार में समाचारपत्रों को बड़े व्यापारियों के नियंत्रण से मुक्त कराने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती। लगभग 1954 में प्रैस आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी। उसने कहा था कि सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत एक सार्वजनिक न्यास बना दिया जाये। पांच अथवा छः व्यापारी ही प्रैस को नियंत्रित करते हैं।

अब इस उद्योग को अखबारी कागज के संकट का सामना करना पड़ रहा है। बड़े-बड़े समाचार पत्र आयातित कागज का 40 प्रतिशत भाग ले जाते हैं। परन्तु इसका प्रयोग लोगों को शिक्षित करने हेतु नहीं बल्कि विज्ञापन छापने के लिए किया जाता है। समाचारपत्रों में समाचार केवल 30 अथवा 40 प्रतिशत ही होते हैं। शेष 60 अथवा 70 प्रतिशत विज्ञापन होते हैं। इन थोड़े से समाचारों का भी लोगों से कोई संबंध नहीं होता। 50 प्रतिशत से अधिक विज्ञापन सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा सरकारी निगमों के स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं। छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के लिए बिना विज्ञापनों के जीवित रहना कठिन हो रहा है केवल बड़े समाचारपत्रों के परिचालन में ही वृद्धि हुई है और ये समाचारपत्र बड़े-बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित हैं।

दिवाकर आयोग ने भी सिफारिश की थी कि सरकार को छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों को प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रैस स्वतंत्रता के नाम पर बड़े समाचारपत्र धन कमाने की स्वतंत्रता ही प्राप्त कर रहे हैं। अतः सरकार को सर्वप्रथम इन समाचारपत्रों का बड़े व्यापार गृहों से संबंध विच्छेद कराना चाहिए। ऐसा करना मेरे विचार में आसान भी है। माननीय मंत्री को इस आशय का एक विधेयक इसी सत्र में प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, जैसी चल रही है, छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों का जीवित रहना कठिन हो जायेगा। अखबारी कागज में 30 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है परन्तु दूसरी ओर लागत तथा व्यय में 40 से 45 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्र इस बोझ को वहन नहीं कर सकते। स्वतंत्रता के 25 वर्ष पश्चात् भी छपाई की मशीनें तथा अन्य अनेक प्रकार की मशीनें जिनका मुद्रण कार्य से संबंध है, बाहर से मंगानी पड़ती हैं। इस स्थिति में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

यदि हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र का स्वस्थ विकास हो तो छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों का विकास किया जाना चाहिये और उनको इस कार्य में अपना रोल अदा करने की अनुमति दी जानी चाहिये। हमने इस उद्योग में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आजतक एक भी कदम नहीं उठाया है। बड़े समाचारपत्र अधिक पृष्ट प्रकाशित करते हैं और अपने वाहनों में दूरस्थ स्थानों पर समाचारपत्र ले जाते हैं। वे एजेन्टों को स्थानीय समाचार पत्र बेचने नहीं देते। मेरा अनुरोध है कि कर्मचारियों का प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

यदि माननीय मंत्री इस मामले में गंभीर हैं तो उन्हें तुरन्त तथा समय पर ही कार्यवाही करनी चाहिये और छोटे, मध्यम श्रेणी तथा भाषायी समाचारपत्रों को बचाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): सरकार ने प्रेस को एकाधिकारवादी गृहों से पृथक करने की बात कही है, वह तो ठीक है परन्तु इन्हें राजनीतिक दलों से पृथक करना भी उतना ही आवश्यक है, इसके बाद शायद सरकार यह सोचेगी कि इसे किसी भी प्रबुद्ध के पास न रहने दिया जाये । मैं स्वयं एक छोटा सा पत्र चलाता हूं और यही चाहता हूं कि उसमें मेरे विचार और प्रतिक्रियाएं छपें । प्रो० मुकर्जी की पार्टी, जिन्होंने यह संकल्प पेश किया है, देश में सब से अधिक प्रकाशन निकालती है परन्तु मुझे इस पर आपत्ति नहीं है । मुझे तो उनके इस निरर्थक और ऊलजलूल संकल्प पर आपित्त है जो जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास मात्र है । परन्तु उनसे भी बड़ा दोषी मैं स्वयं सूचना और प्रसारण मंत्री को समझता हूं जिन्होंने समाचारों के 'सरकारीकरण' की धमकी दे रखी है । मैं इस बात को बहुत ही भयानक समझता हूं कि सरकार यह निर्णय करेगी कि लोगों को किस बात का पता लगना चाहिये और किसका नहीं, वे क्या पढें और करें और क्या नहीं ।

कहा जाता है कि अखबारी कागज की कमी है अतः इसमें 30 प्रतिशत की कमी कर दी गई है परन्तु मुझे पता चला है कि यह कमी कृत्रिम है और प्रेस को दबाने के लिए की गई है । अतः यदि वे चाहते हैं कि उन्हें पूरा कोटा मिले तो उन्हें मंत्रियों संबंधी सभी समाचार एक सप्ताह के लिए छापने बन्द कर देने चाहिएं । इससे न केवल 'विश्वव्यापी' कमी नहीं रहेगी अपितु, सोवियत संघ से सप्लाई भी तुरन्त पुनः आरंभ हो जाएगी और इससे अनेक लाभ होंगे ।

मैं श्री मुकर्जी को बता देना चाहता हूं कि इस तथाकथित 'विविधकरण' का सभी लाभ श्री गुजराल को ही होगा और वह तथा श्री डांगे मुंह ही देखते रह जाएंगे । अतः इन समाचार-पत्रों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया जाए तो बेहत्तर होगा ।

सुना है कि 'नैशनल' हैरल्ड किसी शराब बनाने वाले को चलाने के लिए दे दिया गया है परन्तु मेरी सूचना के अनुसार यह किसी तस्कर को दिया गया है और यह तो स्पष्ट है सरकार इसे नहीं चला पाई । अतः यदि समाचारपत्र केवल एकाधिकारी-गृहों, शराब बनाने वालों, तस्करों या कर-चोरों के पास चले गए हैं तो इसमें समाचारपत्र उद्योग का क्या दोष है ?

खेद है कि हमारे देश में ऐसा समाज नहीं है जहां कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति राष्ट्र की अपनी परिकल्पना कर सके और किफायत से कोई पत्र चला सके—क्योंकि सरकार देश की सब से बड़ी विज्ञापनदाता है और इसी बल पर वह किसी भी ऐसे व्यक्ति को सफल होने का अवसर नहीं देती ।

अतः मेरा श्री मुकर्जी से अनुरोध है कि अब जबकि हम सब उन बड़े एकाधिकार-गृहों, जमाखोरो और चोर-बाज़ारी करने वालों की निन्दा कर चुके हैं और यह निन्दा की भी जानी चाहिये—हमें समाचार देने, प्रस्तुत करने आदि जैसे महत्त्वपूर्ण मामले के साथ खिलवाड़ अब बन्द करनी चाहिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतुल) : मैं श्री मुकर्जी के संकल्प का स्वागत करता हूं । इसे काफी पहले पेश किया जाना चाहिये था ।

जहां हमारे विचार से इससे प्रेस की स्वतंत्रता सुदृढ़ होगी और यह ठीक दिशा में एक कदम है वहां श्री मोदी इसे प्रेस स्वतंत्रता की फांसी समझते हैं ।

यद्यपि, श्री मुकर्जी ने ठीक ही संकल्प के मूल सिद्धान्तों की व्याख्या की है, फिर भी अपने भाषण में राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने व्यर्थ ही विवादास्पद विषय उठाए हैं और यद्यपि मैं उनका बहुत आदर करता हूं, फिर भी मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं कि उनके दल के सभी सदस्य तो एकदम भद्र हैं और कांग्रेसी गाली देने योग्य हैं ।

श्री मोदी को ज्ञात होना चाहिये कि प्रेस की स्वतंत्रता, इसके स्वामित्व की स्वतंत्रता से भिन्न है । उन्होंने जो संविधान को कभी देखा भी न होगा परन्तु मैंने इसे अनेक बार पढ़ा है और मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वह प्रेस के प्रसार से संतुष्ट हैं ?

समाचार-पत्र का काम जनता की राय जुटाना है और उसे शिक्षित करना है । उनका यह कार्य लोकतंत्र में और भी कठिन और महत्वपूर्ण होता है । हमारे देश में इस उद्योग का सहारा पूंजीवाद ने लिया है और धन के बल पर उन्होंने अपने निहित स्वार्थों को अच्छा और ग्राह्य सिद्ध करने का प्रयास किया है जिसकी जितनी निन्दा की जाए कम है ।

छोटे समाचारपत्रों को होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख श्री पाटिल ने भली प्रकार किया है और उनकी राय कितनी भी सरकार से भिन्न क्यों न हो, उन्हें सरकार द्वारा संरक्षण और सहायता मिलनी ही चाहिये । सरकार या सत्तारूढ़ दल की आलोचना लालच के लिए नहीं परन्तु देश और जनता की भलाई के लिए की जाती है, यदि यह मान लिया जाये कि समाचारपत्रों पर पूरे समाज की भलाई और कल्याण की जिम्मेदारी है तो किसी भी ऐसे बड़े गृह का उनपर स्वामित्व कैसे स्वीकार्य हो सकता है ?

श्री गुजराल ने तो सरकार को इस मामले में असहाय बना दिया है परन्तु मैं नहीं समझता कि सरकार को प्रभावी कदम उठाने में क्या कठिनाई है ? आज भी हमें प्रेस की आधुनिक मशीनों और कागज़ के लिए विदेशों का मुंह ताकना पड़ता है--यह कोई विकास है जिसकी न कोई दिशा है और न उद्देश्य । आशा है मंत्री महोदय अपने उत्तर में इस दिशा में किए जाने वाले प्रयासों का उल्लेख करेंगे ।

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur): I feel that the ills inherent in ownership pattern of the press is not isolated but part of the general and overall decay which has set in our Society. Now everything is motivated with furthering one's self-interest.

So, I have doubts not about Government's policy in this regard but about its motives. When the slogan of 'Garibi Hatao' was raised we had supported it but this could not be done during the past three years and now there is talk of limited dictatorship and the voice of the poor is sought to be stifled. Even now I say let there be diffusion of ownership of the press but it will lead to referring the ownership to any private individual. Democracy is based on decentralisation, but today all

power is concentrated in one individual. So let me reiterate that we are against all kinds of centralisation.

If Shri Mukerji means delinking our press from foreign influence, I am all for it, but if Government intends to dangle a sword of Democles on newspapers having a circulation exceeding 15,000 with a view to weilding undesirable influence and coersing them, it is highly objectionable and deserves to be opposed tooth and nail.

Governments' intention becomes all the more suspect when we see that Chanda Committee Report which called for an independent corporation for AIR has not been found worthy of implementation.

I am afraid we are being driven to a stage, in the name of radicalism, where we will be stifled.

Talking of literacy, I feel that if there is any monopoly in the press today, it is the English monopoly and should be removed first, that is why our language press is unable to make any headway, except, perhaps in Kerala.

not know what would be their fate when deffusion is effected? Perhaps, the news- not known what would be their fate when deffusion is effected? Perhaps, the newspapers would meet the fate of mills and would be going in for the patronage of Shri Gujral live state takeover of sick mills. So, as pointed out by Shri Modi, we are going deeper and deeper into the ditch. If only matters are set right and small and language papers are allowed full liberty of expression and the employees are treated judiciously, can something be said to have achieved in this regard.

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए
[Shri N. K. P. Salve in the Chair.]]

In the end I reiterate that however noble the objective might be, this step would result in killing the neutrality and freedom of expression. I, thereof, oppose this Resolution.

श्री के० हनुमन्तैया (बंगलौर) : समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता वास्तविक लोकतंत्र का एक मूल्यवान और मौलिक पक्ष है। हमारा दल समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थक है । आज देश की स्थिति यह है कि इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जा रहा है ।

आज प्रश्न यह है कि क्या उस स्वतंत्रता का ठीक तरह से उपयोग किया गया है अथवा नहीं और क्या इसका सभी लोगों द्वारा अनुचित रूप से उपयोग किया गया है अथवा क्या इस स्वतंत्रता का थोड़े से लोगों द्वारा अनुचित रूप से उपयोग किया गया है । गत 25 वर्षों से पता चलता है कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता से कुछ व्यक्तियों और कुछ उद्योगपतियों ने अपने हितों को सिद्ध किया है जबकि

समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का अभिप्राय देश की सुरक्षा और प्रगति करना है और न्याय को अधिक दृढ़ करना है। कुछ समाचार-पत्रों ने अपने निजि लाभों के लिये चौथी सम्पदा के रूप में कार्य किया है। उन्होंने अपने मालिकों को, चाहे वे व्यक्तियों के रूप में हैं अथवा कम्पनियों के रूप में है, निजी स्वार्थों को ही सिद्ध किया है। इस प्रकार के कलंक से हम बचना चाहते हैं।

व्यक्तिगत लाभ को सिद्ध करने के लिये किसी संस्था के द्वारा समाचार-पत्र को चलाना निन्दनीय बात है। अतः विसम्बंद्धन और विकेन्द्रीकरण से कुछ सीमा तक यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। लोकतंत्रीय देश में समाचार-पत्रों को स्वतंत्र होना चाहिये और इन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिये। इन्हें देशभक्ति से परिपूर्ण होकर काम करना चाहिये।

'विसम्बंद्धन' की परिभाषा अनिवार्य रूप से की जानी चाहिये। ऐसे अनेक उदाहरण है कि समाचार-पत्रों ने राजनीतिक स्थिति को विकृत करके पेश किया है। यह समय इन सभी बातों पर ध्यान देने का नहीं है।

जबकि मैं इस संकल्प को अपना सामान्य समर्थन देता हूं किन्तु, यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्त्तव्य है कि कितना, किस सीमा तक और किस ढंग से चौथी सम्पदा के कार्य को निष्पक्ष रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। इस संकल्प में जो कुछ भी कहा गया है, वह प्रेस आयोग की एक सिफारिश ही है। समाचार-पत्रों के स्वामित्व का विस्तार करना आवश्यक है, क्योंकि ये समाचार-पत्र थोड़े से बड़े-बड़े व्यापार गृहों के हाथ में हैं जिनका पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग, इंजीनियरी उद्योग तथा एल्यूमिनियम उद्योग आदि पर नियंत्रण है।

मैं भी उन लोगों में से एक हूं जो कि पी० टी० आई० तथा यू० एन० आई० समाचार भारती आदि को सरकारी निगम में परिवर्तित करना चाहते है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स', 'इन्डियन एक्स्प्रैस' आदि पर, किसका नियंत्रण है। ऐसे समाचार-पत्रों पर टाटा, बिरला, आदि का नियंत्रण है। मैं चाहता हूं कि इन्हें 'रीयूटर' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय समाचार अभिकरण के रूप में बदला जाना चाहिये।

सरकार को इस संबंध में सभा को दिया गया अपना वचन पूरा करना चाहिये। उसे इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान पेश करना चाहिये जिसे हम सभी बिना चर्चा के ही पारित कर देंग।

सरकार को ज्यूट प्रेस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार को चाहिये कि लोगों को इन शोषकों से बचाये। उन लोगों को बचाने का एक मात्र उपाय यह है कि वह इस संकल्प को स्वीकार कर ले। मैं इस देश के पत्रकारों, कर्मचारियों और बुद्धिजीवियों को यह आश्वासन देता हूं कि समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता का दमन करने के लिये कुछ भी नहीं किया जायेगा।

Shri Sat Pal Kapur (Patiala): This views expressed by the members of Swatantra and Jan Sangh Parties are not new. They have always supported the Capitalists etc. These parties always represent the philosophy of Free enterprise. Their parties and newspapers have always said that there should not be socialist

economy in the country and instead there should be free Enterprise. The people of the country has rejected the view point of these parties in both Lok Sabha and Assembly elections.

The monopoly press was doing a great harm to the country. It is supporting Free enterprise and encouraging unhealthy politics in the country.

The big newspapers have never highlighted the heavy politics connected with the people. They only publish so called 'scandals' and did not give any prominence to important national activities connected with youth welfare, trade union movement, development plans and other basic problems. Last year in Haryana and Punjab roads were built which connected every village in the states and all earth work for these work was done free of cost and voluntarily by the people. But this news of achievement was not published in any big newspaper. If there would have been any scandal, they would have perhaps given it a lot of prominence.

If the Government is not in position to accept the resolution at present, they can immediately take some steps in this regard. We have imported big printing machines by spending lot of foreign exchange and have given these machines to them. These machines should be taken back and given to the new Journalists, who should be asked to bring out their own newspapers.

The Government should see that the newsprint is utilised for printing news only and not for printing advertisements. If the newspapers want to print advertisements let them purchase white paper from the market and use some other kind of paper for that purpose.

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण): मैं प्रस्तावक और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि लोगों के मन में कुछ आशंकायें पैदा हो गयी हैं । अभी कुछ समय पहले भूतपूर्व न्यायाधीश श्री हेगड़े ने राष्ट्र को बताया है कि अनुच्छेद 31(6) को लाने का प्रमुख उद्देश्य समाचार-पत्रों को ले लेने का है । लोगों के मन में यह आशंका है कि समाचार-पत्रों को ले लेने के लिये यह पग उठाया गया है ।

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम एकाधिकार, चाहे यह उद्योग में हो अथवा समाचार-पत्रों अथवा प्रसारण का हो, के विरुद्ध हैं ।

समाचार-पत्रों, चाहे वे बड़े, मध्यम या छोटे हों, को कुछ डाक और रेल संबंधी रियायतें मिली हुई हैं । मूल्यवान अखबारी कागज का आयात करने के लिये हम बड़े समाचार पत्रों की सहायता करते हैं । विज्ञापनों के माध्यम से इन्हें 75 प्रतिशत आय भारत सरकार, राज्यसरकारों और सरकारी उपक्रमों से प्राप्त होती है । समाचारपत्रों के व्यापारिक पक्ष पर नियंत्रण करने के लिये पिछले वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद (1) (च) का उपयोग किया जाना चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार समाचार-पत्रों की बिक्री अथवा खरीद अथवा उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर लगा सकती है । लेकिन भारत सरकार ने उक्त उपबन्ध का कभी उपयोग नहीं किया । क्योंकि ऐसा करने से इससे प्राप्त आय राज्यों को चली जायेगी ।

प्रेस आयोग ने मूल्य पृष्ठ अनुसूची का सुझाव दिया है । इसका समाचार-पत्रों के व्यापारिक पक्ष पर नियंत्रण होता है । हम मूल्य पृष्ठ अनुसूची को संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर सकते थे जिससे न्यायालय में इस पर चुनौती न दी जा सके । लेकिन इन उपायों का पालन नहीं किया गया ।

प्रेस के स्वामित्व का विस्तार आज की पुकार है । 15,000 से अधिक समाचार-पत्रों की प्रतियां बेचने वाले समाचार-पत्रों को 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने का अधिकार नहीं होगा । बाकी शेयर पत्रकारों, और समाचार-पत्रों के कर्मचारियों को उपलब्ध होंगे । किसी समाचार-पत्र में सब कर्मचारियों और पत्रकारों के शेयर होल्डर होने से समस्या का समाधान नहीं होगा । राजनीतिक दलों में समाचार-पत्रों में शेयरों के लिये होड़ लग जायेगी और पश्चिम बंगाल में साम्यवादी मार्क्सवादी दल, तामिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्रा कषगंम और नई दिल्ली में जनसंघ का समाचार पत्रों पर अधिकार हो जायेगा । क्या सरकार भारत में समाचार-पत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहती है ? मेरे विचार से यह उपचार बीमारी से भी बुरा है ।

आकाशवाणी का सत्तारूढ़ दल द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार को आकाशवाणी के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण कर इसे निगम बना देना चाहिये । सरकार को सर्वप्रथम आकाशवाणी और टेलीविजन की स्वामित्व पद्धति का विकेन्द्रीकरण करना चाहिये ।

28 अगस्त, 1969 को श्री गुजराल ने प्रेस परिषद् संशोधन विधेयक पर चर्चा को समाप्त करते समय हमें द्वितीय प्रेस आयोग के गठन का आश्वासन दिया था । इस प्रकार तथ्य जानने वाली समितियों से समस्या का समाधान नहीं होगा ।

Shri M. C. Daga (Pali) : The Press has a great responsibility towards the nation as it is one of the effective means to raise the voice of the people. It has also to build healthy climate in the country. It is unfortunate that Press in India is controlled by a few monopolists who give little freedom to the editors and the journalists.

The Government has decided to start such newspapers which may be free to raise their voice. The Government believe in the freedom of the Press. But there are some newspapers and journalists in the country who want to spread their views in the country. Their monopoly should be abolished.

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा नाम सूची में है। आप ऐसा नहीं कर सकते आप प्रक्रिया का पालन करें (**अन्तर्बाधाएं**) ।

सभापति महोदय : आप अध्यक्ष पीठ से ऐसी भाषा में नहीं बोल सकते (**अन्तर्बाधाएं**) ।

श्री समर गुह : आपको मेरे दल को बोलने का अवसर अवश्य देना होगा ।

सभापति महोदय : आप प्रक्रिया का पालन करें। यदि मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा तो यह अन्य सदस्यों के साथ अन्याय होगा।

श्री समर गुह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं अपने अधिकार को नहीं छोड़ सकता। जब कभी भी कोई संकल्प, चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, प्रस्तुत किया जाता है, तो सब विरोधी दल के सदस्यों को उस पर एक अथवा दो अथवा तीन मिनट बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय : अपवाद के रूप में मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं। सभा ने यह निर्णय लिया है कि हमें निश्चित समय के भीतर वाद-विवाद समाप्त करना होगा।

श्री समर गुह : हमारा दल मान्यता प्राप्त दल है और आप ऐसा कर मेरे साथ कुछ पक्षपात नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यदि आप विभिन्न दल के सदस्यों को बोलने का अवसर दे रहे हैं तो आप निर्दलीय सदस्य को बोलने का अवसर क्यों नहीं देते ?

सभापति महोदय : आप कृपया बैठ जायें। आपका नाम सूची में नहीं है। आपने अभी ही चिट भेजी है।

श्री समर गुह : एकाधिकार गृहों पर नियंत्रण करना निःसन्देह समाचार पत्रों की स्वतंत्रता में बाधा डालना है। विश्व के लगभग आधे हिस्से में समाचार-पत्रों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। लोकतंत्र समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता और समाचार एजेंसियों के कार्यसंचालन को सत्तारूढ़ दल से ही खतरा होने की संभावना है।

समाचार-पत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिये और उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिये। सत्तारुढ़ दल ही आज जन संचार के समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों आदि पर वास्तविक नियंत्रण कर एकाधिकार बनाये हुये हैं।

हमारे देश में दो बड़ी शक्तियों द्वारा विभिन्न भाषाओं में लाखों पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं। ये विदेशी दूतावासों द्वारा परिचालित की जाती हैं। अतः ये वास्तव में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को खतरा है।

देश में लोकतंत्र को चलाने के लिये समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता नितान्त आवश्यक है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि वह किस प्रकार समाचार पत्रों के सम्पादकों की स्वतंत्रता बनाये रख सकती है।

आज समाचार पत्रों को वास्तविक खतरा अधिकांशतः एक ओर सत्तारूढ़ दल द्वारा समाचार पत्रों पर एकाधिकार करने से है और दूसरी ओर पत्रिकाओं की विषय सामग्री से है जो इन दो महाशक्तियों द्वारा हमारे देश में लाखों की संख्या में प्रकाशित और बिकती हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गजराल) : सभापति महोदय, प्रत्येक वक्ता ने राष्ट्रीय जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में अमूल्य विचार रखे हैं।

संविधान के प्राक्कथन में ही यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त उल्लिखित है कि सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास आदि की स्वतन्त्रता होगी। अन्य अधिकारों में से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को भारत की जनता ने अन्य स्वतन्त्रताओं पर प्राथमिकता दी है। संविधान के अनुच्छेद 19 में भी यह उपबन्ध है कि सभी नागरिकों को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार है।

संविधान 1949 में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उस समय से लेकर भारत की प्रथम संसद का सर्वाधिक ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को वास्तविक रूप कैसे दिया जाय। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1951 में प्रेस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष जस्टिस श्री जी० एस० राजाध्यक्ष थे।

आयोग के इस कथन पर नए सिरे से विचार आरम्भ हुआ कि किसी भी व्यक्ति के विचार अपने निजी हो सकते हैं, किन्तु यदि वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, तो विचारों के ग्राहकों को यह जानने का अधिकार है कि वे विचार अदूषित, अमिश्रित और शुद्ध रूप में हों। आगे उन्होंने कहा कि इसी पहलू को देखते हुए हम स्वामित्व और नियंत्रण का जो प्रभाव जनता को उपलब्ध की जाने वाली सेवा पर पड़ता है, उसके बारे में अत्यधिक चिन्तित हैं। संसद में और उसके बाहर भी उक्त विचार पर काफी समय से चर्चा होती रही है।

विचाराभिव्यक्ति आन्दोलन का मूल तत्व यह रहा है कि समाचार पत्रों को उन व्यक्तियों से मुक्त किया जाय जिनकी रुचि समाचार पत्रों के अलावा अन्य बातों में है। आज का समाज प्रचार साधनों पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए प्रभावी संचार साधनों को सामाजिक परिवर्तनों और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाना चाहिए।

प्रिंटिग प्रेस के विकसित होने के साथ साथ समाचार पत्रों पर कुछ व्यक्तियों का एकाधिकार हो गया। प्रेस के विकास से बहुसंख्यक लोगों में विचारों का आदान प्रदान सुगम हो गया और लोक-तन्त्र व्यवस्था को भी आधार मिला। मुद्रण यन्त्र ने यद्यपि मानव को ज्ञान के कुछ व्यक्तियों द्वारा एकाधिकार कर लेने की प्रथा को समाप्त किया, वहीं प्रेस पर केवल कुछ व्यक्तियों ने स्वयं एकाधिकार कर लिया। प्रिन्टिग प्रेस के महंगे होने के कारण उस पर पूंजीपतियों ने एकाधिकार किया और उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाचार पत्रों को माध्यम बनाने को अपना अधिकार माना। यही प्रमुख विरोध की बात है। ये निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति यथास्थिति बनाये रखने के इच्छुक हैं यथास्थिति बनाये रखने से सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरा यह विचार एक मन्त्री के रूप में नहीं बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में है कि समाचार पत्रों को मुठ्ठी भर लोगों के नियन्त्रण से मुक्त किया जाय, ताकि बहुसंख्यक लोगों की सेवा हो सके।

प्रैस आयोग की रिपोर्ट 1954 में प्रस्तुत की गई थी। अनेक सिफारिशों को क्रियान्वित भी किया गया है। हम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार विचारों और अभिव्यक्ति

की स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उत्सुक है। प्रेस की स्वाधीनता बनाए रखना सरकार की नीति ही नहीं रही है, बल्कि सरकार इसे बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। हमने सदैव यह महसूस किया है और हमारा यह विचार ह कि प्रेस की स्वाधीनता लोकतांत्रिक जीवन का एक अनिवार्य और आवश्यक अंग है। हमारा यह भी विचार है कि सदन के भीतर और बाहर—दोनों जगह लिखित रूप में और भाषण द्वारा विरोध करने का अधिकार लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में निहित है और हम इसे बनाये रखने के लिये उत्सुक हैं।

प्रेस आयोग का प्रतिवेदन 1954 में प्रस्तुत किया गया था। इन बीस वर्षों में स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है। 1954 में हमारे यहां भारत में 330 दैनिक समाचार पत्र थे जिनमें से 41 अंग्रजी के थे और अन्य भारतीय भाषायों के थे। 1971 के अन्त में 821 दैनिक समाचार पत्र थे जिनमें से 78 दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजी के थे। संख्या की दृष्टि से हमने प्रगति की है। प्रेस स्थिरता की स्थिति में आ चुका है। समाचार-पत्रों और पत्रिकायों की संख्या प्रत्येक भाषा में बड़ी है।

1952–53 में देश में सभी समाचार पत्रों की कुल प्रसारण संख्या 25 लाख थी, जो 1971 के अन्त में बढ़कर 90.96 लाख हो गई थी।

प्रेस आयोग की परिभाषा के अनुसार 15000 तक की प्रसारण संख्या वाले समाचार पत्र लघु, 15000 से 50,000 तक की प्रसारण संख्या वाले मध्यम और 50,000 से अधिक की प्रसारण संख्या वाले समाचार पत्र बड़ समाचार-पत्र की श्रेणी में रखे गये थे। ऐसे समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिनकी प्रसारण संख्या 50,000 से अधिक है।

एकाधिकार प्रेस में वृद्धि हुई है। एकाधिकारी प्रेस के अतिरिक्त अन्य समाचार पत्रों की संख्या भी बड़ी है। आज सबसे अधिक प्रसारण संख्या उन समाचार पत्रों की है जो एकाधिकारी प्रेस के नहीं है।

उस समय प्रेस आयोग ने कुछ समाचार पत्रों के बारे में सामूहिक स्वामित्व के बारे में भी विचार किया था और उसने परिभाषा "सामूहिक स्वामित्व" की एक ऐसे समूह के रूप में की थी जिसके दो समाचार पत्र और कुछ पत्रिकायें हों। संभवतः, उस समय केवल एकाधिकारी समाचार पत्र ही इस परिभाषा के अन्तर्गत आते थे। आज देश में सामूहिक स्वामित्व के समाचार पत्रों की संख्या बढ़कर 96 समूह हो गयी है। अब ये 96 समूह उद्योग गृहों से सम्बंधित नहीं है जैसा कि हम सामान्य रूप से समझते है। इसमें कई बार वे समाचार पत्र भी आ जाते हैं, जो हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही छोटे समाचार पत्र हैं। अतः 1952–53 से काफी हद तक उस परिभाषा का मूल सिद्धांत ही बदल गया है।

1952–53 में सरकारी और गैर सरकारी विज्ञापन बजट 6.2 करोड़ रुपये था। अब कुल विज्ञापन बजट 60 करोड़ रुपये हो गया है, जो 80 करोड़ रु० तक हो सकता है। अतः समूची स्थिति बदल गयी है। कभी–कभी यह समझा जाता है कि सरकारी विज्ञापन बजट इतना अधिक है कि वह समाचार पत्रों को प्रभावित कर सकता है। यह विचार बिल्कुल गलत है। गैर-सरकारी बजट की 60 करोड़ रुपय से 80 करोड़ रुपये की राशि को ध्यान में रखते हुये ही सरकार के 1.93 करोड़ रुपये के बजट पर विचार करना चाहिये।

प्रेस आयोग की रिपोर्ट आने के बाद विभिन्न उपायों पर विचार किया गया है। सभी ने इस मूल तथ्य को स्वीकार किया है कि समाचार पत्रों को उद्योग से असंबद्ध रखना प्रेस की स्वतंत्रता के हित में है। इस विचार की सर्वत्र सराहना हुई है।

प्रत्येक देश में समय-समय पर यह महसूस किया गया है कि प्रेस एक ऐसी पवित्र संस्था है, जिसे किन्हीं थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता, जो उन्हें केवल अपनी इच्छानुसार अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये चला रहे हैं। यही कारण है कि कभी-कभी यह सोचा गया कि न्यासों की स्थापना करना अच्छा है। कभी-कभी यह उचित समझा गया कि एक प्रकार के पब्लिक चार्टर्ड न्यासों की स्थापना की जाये, जहां वे यह स्वयं निर्णय कर सके कि इसे किस प्रकार चलाया जाये। मूल विचार यह कि प्रेस को उन लोगों से अलग कर दिया जाय, जिनका प्रेस की स्वतंत्रता में कोई विश्वास नहीं है और अपनी स्वार्थ सिद्धि जिनका उद्देश्य है। हमें मूलतः यह केवल उन प्रेसों को लेना चाहिये जिन पर बड़े-बड़े एकाधिकारियों का नियन्त्रण है और जो बड़े-बड़े पूजींपतियों द्वारा चलाये जा रहे हैं।

मुख्य बात यह है कि यदि हम समाचार-पत्रों को पूंजीपतियों से असम्बद्ध कर देगें, तो फिर वित्तीय सहायताकहां से मिलेगी और प्रबन्ध मंडल की स्थापना कौन करेगा। सरकार की अत्याधिक रुचि इस बात में है कि वह समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता देने अथवा प्रबन्ध मंडल की स्थापना के बारे में अन्तर्ग्रस्त न हों, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता ठोस और पूर्ण हो और सरकार का उससे कोई संबंध न हो। हम यह चाहते हैं कि वित्तीय सहायता उन लोगों से ली जाय जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से संबद्ध नहीं हैं ताकि हम पर यह दोष न लगाया जा सके कि हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वाधीनता में हस्तक्षेप करते हैं।

उच्चत्तम न्यायालय द्वारा अखबारी कागज और बैंक राष्ट्रीयकरण के मुकदमों में दिये गये निर्णयों को भी इस मामले पर विचार करते समय ध्यान में रखना होगा। हमारी व्यवस्था में उच्चत्तम न्यायालय ने ऐसा स्थान ग्रहण कर रखा है जिसका हम सभी आदर करते हैं। न्यायपालिका के साथ विवाद करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि जब हम समाचार-पत्रों की स्वाधीनता के बारे में विचार कर रहे हैं, तो हमें उच्चत्तम न्यायालय में भी उतनी ही आस्था होनी चाहिये।

[श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुये]

[Shri S. A. Kadar in the Chair]

मैं इस बात को पुनः कहना चाहूंगा कि हमें एक ऐसा ढांचा बनाने में समर्थ होना चाहिये जिसमें तीन चार मूलभूत संघटक हों। पहला यह कि सरकार की ओर से समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को संरक्षण दिया जाना चाहिये। औद्योगिक हितों से इसकी सुरक्षा करने का प्रयास किया जाना चाहिये। दूसरे, हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि उन समाचार पत्रों में बेनामी रूप से न लगाया जाय, चाहे वह बेनामी राजनैतिक दलों द्वारा हो या बेनामी मालिकों द्वारा हो अथवा किसी विदेशी शक्ति द्वारा हो। इसके अलावा हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है कि ढांचा व्यवहार्य हो, जिससे समाचार पत्र पूंजीपतियों से असम्बद्ध होने के बाद बन्द न हो जायें। समाचार पत्र संस्थानों को किसी प्रकार की हानि भी नहीं होनी चाहिये।

हम समूचे मामले पर विचार कर रहे हैं। हमें आशा है कि सरकार शीघ्र ही एक ऐसा विधान लायेगी जिससे समाचार पत्र पूंजीपतिओं से असम्बद्ध हो सकेंगे। हम चाहते हैं कि प्रेस देश के विकास और सामाजिक परिवर्तन का साधन बने। धन्यबाद।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तरपूर्व) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूरा समर्थन किया है किन्तु मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि यह 24 वर्ष पुराना मामला है और कुछ ऐसी दिक्कते हैं जिन्हें दूर करना है। सरकार हर बार बड़ी बड़ी बातें कर देती है पर काम कुछ नहीं करती यह आश्वासन भी दिया गया कि विधान का प्रारूप तैयार हो गया है पर अभी तक कुछ भी नहीं किया गया।

मंत्री महोदय ने कहा है कि 1954 से समाचारपत्रों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। शायद यह ऐसा तभी हो सकता है कि बहुत सी भारतीय भाषाओं के समचार पत्र निकल रहे हैं। निःसंदेह यह सच है कि समग्र रूप में समाचार पत्रों के परिचालन में वृद्धि हुई है किन्तु यह भी सच है कि एकाधिकार में भी वृद्धि हुई है। जबकि 1965-66 में सात बड़े समाचार पत्रों की एक साथ खपत लगभग 44,000 मीटरी टन अखवारी कागज की थी और 1969-70 में यह बढ़कर 84,565 मीटरी टन है। बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में चलने वाले 65 सामान्य स्वामित्व वाले पत्रों में 9 पत्रों का परिचालन कुल परिचालन का 71.5 प्रतिशत है। आनन्द बाजार पत्रिका और युगान्तर जैसे समाचार पत्रों का बंगाली समाचारपत्रों के कुल परिचालन के 97 प्रतिशत पर नियत्रण है जिस प्रकार गोयनका ने तेलगू समाचार पत्रों में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर रखा है।

इन उदाहरणों में वृद्धि की जा सकती है किन्तु मंत्री महोदय ने यहां तक कहा है कि ये विशाल समाचार पत्र निर्दोष हैं। मंत्री महोदय ने 'मलयाला मनोरमा' का उल्लेख किया है। उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। यदि वह यह कहते हैं कि आनन्द बाजार पत्रिका एकाधिकार हितों के साथ सम्बद्ध नहीं तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के कारण जो उन्होंने अखबारी कागज की चोरी छिपी बिक्री के बारे में की थी इन पत्रों के मालिकों के बारे में संसद में भी चर्चा हुई थी। इस पत्र के अधिकारी उद्योग से संबंधित हैं। उनमें से एक बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंडल के अध्यक्ष भी हैं। इन लुटरों ने, जिन्होंने अखबारी कागज की चोरी-छिपे बिक्री के द्वारा धन प्राप्त किया है और हमारे बैंकों से कपटपूर्ण सौदों से ऋण प्राप्त किया है देश की उत्तम और देशभक्तिपूर्ण पत्र-कारिता की सभी परम्पराओं को त्याग दिया है और सरकार उनके विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करने जा रही है यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है।

सरकार को इस संबंध में संसद को सभी तथ्य सप्लाई करने चाहिए ताकि बहुत से सच्चे लोगों के दिमागों में जो भ्रांति है उसे दूर किया जा सके। हमें सभी तथ्यों की जानकारी दी जाए ताकि वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके। इसमें क्या तकनीकी कठिनाइयां हैं। सिद्धान्त के मामले पर हमने निश्चय किया है कि इस सिद्धान्त के कार्यन्वयन के मामले में हमें कुछ कठिनाइयों और बाधाओं से निपटना है जोकि मंत्री महोदय ने कहे हैं। इन कठिनाइयों पर संसदीय स्तर पर चर्चा की जा सकती है। वह इस पर विधान ला सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी यदि मंत्री महोदय विधेयक लाने का निश्चित आश्वासन दे देते।

सरकार ने अखबार उद्योग के एकाधिकारी ढांचे को न छोड़ने का निश्चय किया है। वह सामाजिक क्रम में परिवर्तन नहीं लाना चाहते सरकार का सम्पर्क बडे बडे एकाधिकारवादियों के साथ इतना मजबूत

है कि वह इस मामले में दो वर्ष पहले किए गए अपने वायदों की घोषणा नहीं कर सकती मूल्य पृष्ठ अनुसूची के संबंध में संवैधानिक कठिनाई उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न हुई । इस कठिनाई को ससद अपने अधिकारों का प्रयोग करके दूर कर सकती है पर सरकार इस बारे में चुप्पी साधे है । मैं बार-बार उस बात पर बल नहीं देना चाहता जो सरकार की समझ में नहीं आ सकती । सरकार ने दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं किया । यदि मंत्री महोदय मुझे सत्र के इन अंतिम दिनों में भी आश्वासन दे देते हैं तो वह अगले सत्र के दौरान विधान पेश कर सकते हैं । मैं अपना संकल्प वापिस लेने को तैयार हूं अन्यथा मैं सदन को अपने संकल्प पर वोट देने के लिए कहने को विवश हूं ।

श्री मुरासोली मारन (मद्रास दक्षिण) : आपके 28 अगस्त, 1969 के इस कथन के बारे में कि एक दूसरा प्रेस आयोग स्थापित किया जाएगा, क्या हुआ ?

श्री आई० के० गुजराल : मैं काफी देर बाद इस मंत्रालय में वापिस आया हूं । इस दौरान तथ्य खोजने हेतु एक समिति गठित की गई है और जब वह अपना प्रतिवेदन पेश कर देगी तो अखबारों के वित्तीय तथा अन्य पहलुओ पर कुछ प्रकाश डाला जा सके ।

सभापति महोदय : मैं श्री डागा का संशोधन सदन के समक्ष रखता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : मैं मुख्य संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि देश में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्वामित्व को विसम्बद्ध करने और उनका लोकतन्त्रामक ढंग से विकेन्द्रण करने के लिए उपाय किये जायें ।"

प्रस्ताव अस्वीकृति हुआ

The Motion was Negatived.

वतनाम लोक सभा को संविधान सभा घोषित करने और एक नया संविधान बनाने के बारे में संकल्प

Resolution Re: Declaration of Present Lok Sabha as Constituent Assembly and framing a new Constitution.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): Mr. Chairman, Sir, I move:

"That this House is of the opinion that the present Lok Sabha may be declared as a Constituent Assembly and a new Constitution may be framed for the country immediately."

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 20 अगस्त, 1973/29 श्रावण, 1895 (शक) को 11 बजे तक के लिये स्थागित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 25th August, 1973/Sravana 29, 1895.

MGIPRRND.—(Sec. V)—22LSS/73—1-11-73—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

23 LSS/73—1